षष्ठम् माला, खंड 2, अंक 6, शुक्रवार 17 जून, 1977/27 ज्येष्ठ, 1899 (शक)

Sixth Series, Vol. II, No. 6, Friday, June 17, 1977/Jyaistha 27, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No....105(4).......
Date 15-12-77.......

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है।
This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English Translation of speeches etc. in English/Hindi.]

2—441LSS/77

विषय सूची CONTENTS

अंक 6, शुक्रवार, 17 जून, 1977/27 ज्येष्ठ 1899 (शक)
No. 6 Friday, June 17, 1977/Jyaistha 27, 1899 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	MEMBERS SWORN	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 83, 84, 86 और 87	*Starred Questions Nos. 83, 84, 86 and 87	1—12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 81, 82, 85 और 88 से 100	Starred Questions Nos. 81, 82, 85 and 88 to 100	12—19
अतारांकित प्रश्न संख्या 769 से 778, 780 से 882, 885 से 925 और 927 से 965	Unstarred Question Nos. 769 to 778, 780 to 882, 885 to 925 and 927 to 965.	19—121
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	121—128
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान—	Calling Attention to matter of Urgent Importance—	128
समाचार पत्रों के प्रबंधकों द्वारा समाचार पत्रों के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने सम्बन्धी अधिसूचनाओं को क्रियान्वित न किये जाने का कथित समाचार	Reported non-implementation of Notifications *re.* interim relief to Newspaper employees by their managements.	128—131
प्रधान मंत्री द्वारा लंदन में राष्ट्र मंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन में भाग लेने के संबंध में एक वक्तव्य	Statement by Prime Minister on his Participation in Commonwealth Prime-Ministers' Conference in London.	131—134
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	131
लोक सभा के महासचिव श्री श्याम लाल शकधर के पद से मुक्त होने और श्री अवतार सिंह रिखी की लोक सभा के सचिव के रूप में नियुक्ति के बारे में घोषणा।	Announcement *re.* Relinquishing of office by Shri S. L. Shakdher, Secretary-General of Lok Sabha and Appointment of Shri Avtar Singh Rikhy as Secretary Lok Sabha.	134—136
अनुदानों की मांगें (रेल) 1977-78	Demands for Grants (Railways) 1977-78	136—145
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdev Prasad Verma	136
श्री राम नरेश कुशवाहा	Shri Ram Naresh Kushwaha	137
श्री ओ० वी० अलगेशन	Shri O. V. Alagesan	137
श्री राम प्रसाद देशमुख	Shri Ram Prasad Deshmukh	138
श्री छबिराम अर्गल	Shri Chhabiram Argal	139

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभामें उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	139
श्री बी० पी० मंडल	Shri B. P. Mandal	140
चौधरी बलबीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh	140
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	Shri Arjun Singh Bhadoria	141
श्री नवाब सिंह चौहान	Shri Nawab Singh Chauhan	141
श्री अरीफ बेग	Shri Arif Beg	142
श्री कर्पूरी ठाकुर	Shri Karpoori Thakur	142
श्री नाना साहिब बोंडे	Shri Nanasahib Bonde	143
श्री सुरेन्द्र झा सुमन	Shri Surendra Jha Suman	143
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	143
विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1977 विधेयक पुरः स्थापित :	Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1977—*Bills—introduced* :	146—153
(1) लोकपाल विधेयक, श्री पी० के० देव द्वारा	(1) Lokpal Bill by Shri P. K. Deo	147
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 16 का संशोधन) श्री पी० के० देव द्वारा	(2) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 161 by Shri P. K. Deo	147
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 156 का प्रतिस्थान) श्री पी० के० देव द्वारा	(3) Constitution (Amendment) Bill (Substitution of article 156, etc.) by Shri P. K. Deo	147
(4) विदेशी स्वामित्वाधीन बागान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा	(4) Foreign Owned Plantation (Nationalisation) Bill by Shri C. K. Chandrappan	148
(5) अनिवार्य प्रौढ़ शिक्षा विधेयक श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा	(5) Compulsory Adult Education Bill by Shri C. K. Chandrappan	148
(6) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 74 और 163 का संशोधन) श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा	(6) Constitution (Amendment) Bill Amendment of articles 74 and 163) by Shri C. K. Chandrappan	148
(7) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) संशोधन विधेयक (धारा 3, 4 आदि का संशोधन) श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा	(7) Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Amendment Bill (Amendment of Sections 3, 4 etc.) by C. K. Chandrappan	149
(8) भारत में विदेशी मिशनों द्वारा राजनीतिक साहित्य का प्रकाशन तथा आयात (विनियमन) विधेयक श्री समर गुह द्वारा	(8) Publication and import of Political Literature by Foreign Missions in India (Regulation) Bill by Shri Samar Guha	149
(9) राज्यपालों की नियुक्ति विधेयक श्री समर गुह द्वारा	(9) Appointment of Governors Bill by Shri Samar Guha	149
(10) भारत में विदेशी प्रचार विनियम और नियंत्रण विधेयक श्री समर गुह द्वारा	(10) Foreign Propaganda in India (Regulation and Control) Bill by Shri Samar Guha	150
(11) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला और भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून (पुनर्नामांकन) विधेयक श्री समर गुह द्वारा	(11) National Defence Academy Khadakvasala and the Indian Military Academy, Dehra Dun (Re-naming) Bill by Shri Samar Guha	150

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(12) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 370 का लोप) श्री पी० के० देव द्वारा	(12) Constitution (Amendment) Bill (Omission of article 370 by Shri P. K. Deo	150
(13) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक (धारा 10 का संशोधन और धारा 20, आदि का प्रतिस्थापन) श्री चित्त बसु द्वारा	(13) Payment of Bonus (Amendment) Bill (Amendment of Section 10 and substitution of section 20, etc.) by Shri Chitta Basu	151
(14) संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 19 और 326 का संशोधन) डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय द्वारा	(14) Constitution Amendment Bill (Amendment of article 19 and 326) by Dr. Laxminarayan Pandeya	151
(15) आयुध (संशोधन) विधेयक (धारा 2 का संशोधन) डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय द्वारा	(15) Arms (Amendment) Bill (Amendment of Section 2) of Dr. Laxminarayan Pandeya	151
(16) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 352 का संशोधन) श्री एच० वी० कामत	(16) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 352) by Shri H. V. Kamath	152
(17) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 74 का संशोधन) श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा	(17) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 74) by Shri Kanwar Lal Gupta	152
(18) रोजगार का उपबंध बेरोजगारी भत्ते का संदाय और बेरोजगारी बीमा स्कीम विधेयक श्री प्रसन्नभाई मेहता द्वारा	(18) Providing of Employment. Payment of Unemployment Allowance and Unemployment Insurance Scheme Bill by Shri Prasannbhai Mehta	152
सामान्य बजट, 1977-78	General Budget, 1977-78	153—173
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977—पुरःस्थापित	Finance (No. 2) Bill, 1977—*Introduced*	173

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 17 जून, 1977/27 ज्येष्ठ, 1899 (शक)

Friday, June 17, 1977/Jyaistha 27, 1899 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ

Member Sworn

श्री मोहिन्दर सिंह साईंवाला (फिरोजपुर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मारुति लिमिटेड तथा अन्य फर्मों द्वारा दी गई आयकर विवरणियां

†83. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड, मारुति टैकनीकल तथा मारुति हैवी व्हीकल्स ने गत तीन वर्षों में अपनी आयकर विवरणियों में आय के क्या-क्या स्रोत घोषित किये हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उक्त कम्पनियों के बहुत से ऐसे आय स्रोत हैं जो विभाग के समक्ष घोषित नहीं किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या उक्त कम्पनियों के लेखे की उचित रूप में जांच नहीं की गई है और पूंजीनिवेश तथा जमा राशियों के स्रोतों का उचित सत्यापन नहीं किया गया है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) घोषित आय के स्रोत :

मारुति लिमिटेड

मोटर कार बनाना, ठेके का काम करना और बस/ट्रक का ढांचा बनाना। किराया, ब्याज, पूंजीगत लाभ, भवन-निर्माण की फालतू सामग्री आदि की बिक्री भी।

मारुति टैक्निकल सर्विसेस (प्राइवेट) लिमिटेड :

मारुति लिमिटेड से तकनीकी सेवा और जानकारी के लिए पारिश्रमिक ; फोटो की नकल करने वाली मशीनों और पैट्रोल रक्षक (पैट्रोल सेवर्स) आदि की बिक्री।

मारुति हैवी व्हीकल (प्राइवेट) लिमिटेड :

रोड रोलरों का निर्माण और बिक्री ।

(ख) और (ग) इन कम्पनियों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में विभिन्न रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं। संगत कर-निर्धारण कार्यवाही पूरी करते समय उन बातों को ध्यान में रखा जायगा ।

(घ) और (ङ) मारुति लिमिटेड के मामले में कर-निर्धारण, सामान्य तौर पर 1973-74 तक किये गये हैं और मारुति लिमिटेड टैक्निकल सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले में 1974-75 तक। मारुति हैवी व्हीकल (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले में कोई कर-निर्धारण नहीं किया गया है ;

निरीक्षण निदेशालय (जांच पड़ताल) में एक विशेष कक्ष अब इन मामलों में की जा रही जांच पड़ताल की देखभाल और मार्ग-दर्शन कर रहा है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दिया है। मैं प्रश्न के भाग (ग) और (घ) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जो इस प्रकार है :

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ह ;

(घ) क्या उक्त कम्पनियों के लेखे की उचित रूप में जांच नहीं की गई है और पूंजीनिवेश तथा जमा राशियों के स्रोतों का उचित सत्यापन नहीं किया गया है ;

उन्होंने उत्तर दिया है कि कर-निर्धारण किया गया है । उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या जमा राशियों और स्रोतों की जांच की गई या नहीं । उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है । ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर स्वयं संजय ने तैयार किया है मंत्री महोदय ने नहीं । प्रश्न यह है :

"क्या सरकार को पता है कि उक्त कम्पनियों के बहुत से ऐसे आय स्रोत है जो विभाग के समक्ष घोषित नहीं किये गये हैं ।"

उत्तर में यह बताया गया है :

"इन कम्पनियों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में विभिन्न रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं । संगत कर-निर्धारण कार्यवाही पूरी करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जायेगा ।"

जैसा कि आपको मालूम है, इस सम्बन्ध में न केवल समाचार पत्रों में रिपोर्ट ही है अपितु इस सभा में इस पर चर्चा भी की गई है । सरकार के पास काफी शिकायतें आई हुई हैं । उन्हें इन सब बातों का उल्लेख करना चाहिये था । वह इन बातों को छिपाना क्यों चाहते हैं ? यदि वह उत्तर दे सकते हैं तो ठीक है नहीं इसे किसी अगली तारीख के लिये स्थगित किया जाये ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं आश्वासन देता हूं कि यह उत्तर श्री संजय गांधी ने तैयार नहीं किया है । हो सकता है कि मैंने माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है । परन्तु उनका प्रश्न "घोषित" आय के स्रोतों के बारे में है । मैंने उन्हें "घोषित" आय के स्रोत बताये हैं । वर्ष 1973-74 के लिये कर-निर्धारण पूरा हो चुका है । वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में विभिन्न घटानायें घटित हो चुकी हैं । जैसे लेखें आयेंगे तो इनका पता चलेगा क्योंकि रिटर्न भेजी जाती हैं और उनकी जांच की जाती है ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : गलत शब्दों के प्रयोग से न तो सदस्य की और न ही सभा की शोभा बढ़ेगी ।

श्री कंवर लाल गुप्त : 1975-76 के लेखा वर्ष में मारुति में कुल जमा राशि 4·26 करोड़ रुपये बैठती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन ऋणों के स्रोतों की जांच की है या नहीं ? दूसरे, यदि सरकार इन स्रोतों की जांच करने की स्थिति में नहीं है तो क्या सरकार निदेशकों के मामले के साथ-साथ इन मामलों को पुनः खोलेगी; यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं । कर-निर्धारण वर्ष 1972-73 के लिये रिटर्न में 7,27,380 रुपये की हानि दिखाई गई है जिसमें से 7,05,000 रुपये की हानि स्वीकार की गई है । वर्ष 1973-74 की

रिटर्न में 25,89,000 रुपये की हानि दिखाई गई है और स्वीकृत हानि 25,07,000 रुपये की हानि दिखाई गई है जबकि कर-निर्धारण होना अभी शेष है। 1975—76 में 1,43,37,000 रुपये की हानि का दावा किया गया है। कर-निर्धारण होना शेष है। 1976—77 के लिये 2,38,00,000 रुपये की हानि का दावा है जबकि कर-निर्धारण होना शेष है।

जैसाकि मैंने उत्तर में बताया है कि हमने एक विशेष सेल स्थापित किया है जो मामले की जांच कर रहा है। वास्तव में विशेष अधिकारियों को यह काम सौंपा गया है। यह सेल निरीक्षण (अन्वेषण) निदेशालय में मार्गदर्शन करने और इन सभी रिटर्नों की जांच करने के लिये स्थापित किया गया है। इन रिटर्नों की जांच पूरी होने के बाद ही आप को वैसा उत्तर दिया जा सकता है जैसा आप चाहते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने पूछा है कि क्या जिन वर्षों के लिये कर-निर्धारण पूरा हो चुका है, उनके लिये ऋणों की जांच विभाग द्वारा की गई है।

श्री एच० एम० पटेल : रिटर्नों की जांच की जानी है। इनमें बहुत सी प्रवृष्टियां होती हैं। यह कहना सम्भव नहीं है कि किस प्रवृष्टि की जांच की गई है। यदि पहले से नोटिस दिया होता तो मैं जांच कर के पता लगाता।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : May I know whether it is a fact that Maruti Technical Services have sold petrol savers ? Further, whether these were sold in the country as well as in Russia also worth 7, 8 lakhs of rupees when Shri Sanjay visited that country? Whether this petrol saver was purchased @ Rs. 5 but was sold @ Rs. 45 ? Whether all the records pertaining to these three companies will be laid on the Table of the House as it is a matter of public interest.

श्री एच० एम० पटेल : मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि श्री संजय गांधी ने रूस में पैट्रोल सेवर्स बेचे हैं। जहां तक रिटर्नों को सभा पटल पर रखने का सम्बन्ध है, मैं मामले पर विचार करूंगा।

SHRI MANOHAR LAL : May I know whether it is a fact that Maruti Ltd. did receive money from other sources but Shri Tuli of the Punjab National Bank gave Rs. 1 crore to it at 2 per cent less rate of interest, and if so, the action proposed to be taken against them ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि ऐसा है तो मैं निश्चय ही इसकी जांच करूंगा।

SHRI BALBIR SINGH : The hon. Minister has stated that verification of the return will be made after it is submitted. I think return for the year 1973-74 has been received Under the rules every return should be reecived by 30th April of the concerned year. May I know whether he will inquire as to why there is delay in the assessment ? Whether it is also a fact that the agencies sold outside by Maruti Ltd. are illegal and it cannot take money until the goods are ready. I want to ask whether Government will enquire into the matter of illegal transaction and take any action ?

श्री एच० एम० पटेल : जैसा कि मैंने बताया है, कर-निर्धाण अभी होना बाकी है, जिसका अर्थ है कि रिटर्न भेजी जा चुकी है और उसकी जांच की जा रही है। इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि यह जटिल काम है।

जहां तक एजेन्सियों का सम्बन्ध है, 31—3—1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान ऋणों के अलावा और एजेन्सियों के लिये जमा राशि क्रमशः 40,15,000 रुपये और 54,80,000 रुपये बैठती है। चूंकि कम्पनी ने विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया है, अतः आयकर अधिकारीं ने स्वयं उस वर्ष 94,95,000 रुपये जोड़ दिये हैं। इन मामलों की जांच अभी की जानी है।

SHRI BALBIR SINGH : How much time you will take ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं यह नहीं बता सकता।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास कोई सूचना नहीं है। प्रश्न पूछने का कोई लाभ नहीं। वह कहेंगे "हम इसकी जांच करेंगे।"

PROMOTION OF A RECEPTIONIST AS GENERAL MANAGER OF FIVE STAR HOTELS

*84. SHRI A. BALA PAJANOR
SHRI SHIV NARAIN SARSONIA } : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether a receptionist rose to the post of an influential General Manager of five star hotels in the public sector as reported in Hindustan Times of 30th April, 1977;

(b) if so, whether this meteoric rise is in accordance with the rules and regulations governing such senior appointments; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken in respect of irregularities, if any?

MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) The present General Manager (Hotels), I.T.D.C. had joined service as a receptionist in Government of India Hostel, Delhi under the Directorate of Estates in September, 1947 at the age of about 20 years.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The question of taking action does not arise at present. The question will be considered when the required information is collected.

SHRI SHIV NARAIN SARSONIA: This lady receptionist is the wife of a D.I.G. of Delhi and was in good books of Shri Sanjay Gandhi. May I know whether she was promoted to such a responsible post due to this very reason?

What is the number of programmes that were held during the emergency about sterilisation and V.I.Ps. and the amount spent thereon?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK: Complaints were received about certain promotions, appointments and other matters in regard to this hotel, which are being investigated by C.B.I. I feel the facts will come out during the inquiry and the suitable action will be taken after that only.

SHRI SHIV NARAIN SARSONIA : I want to know what amount has been spent ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ आंकड़े दे सकते हैं ?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK: At present I have no information.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : भारतीय पर्यटन विकास निगम में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इन निगम के भूतपूर्व जनरल मैनेजर के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच का क्या हुआ ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मुझे इसके लिये नोटिस चाहिये।

SHRI GAURI SHANKAR RAI : As the case is being investigated by C.B.I. it may be possible that the Hon. Minister has come to know something about it prima facie. May I know whether Government feel that this promotion is illegal, if so, what is the status of that person during the course of enquiry ?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : C.B.I. has been requested to submit preliminary report in the matter, but it has not so far been received. After it is received, we can tell who is responsible and how.

SHRI RAMDHARI SHASTRI : Part (b) of the question is whether this meteoric rise is in accordance with the rules and regulations governing such senior appointments ? The reply given is that information is being collected. I want to know what information is being collected and whether there are no rules etc. in this regard ?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : C.B.I. has kept certain files with it for investigation. Complaints were received that an inquiry be held. As the relevant files are with C.B.I. we have not been able to collect informatoin in this regard. As soon as the report of C.B.I. is received, it will be placed on the Table of the House.

SHRI RAMDHARI SHASTRI : The Hon'ble Member says that it is a question of rules. Why such thing happened?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK: So far as the rules are concerned I shall look into it and shall take necessary action.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि क्या पदोन्नति नियमानुसार की गई है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैं पता लगाऊंगा । मैं जानकारी भी हासिल कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न यही है ।

श्री रामधारी शास्त्री : नियम तो पहले से ही बने होंगे ।

SHRI UGRASEN: That man has been promoted to the post of General Manager. May I know the grade in which he was appointed as receptionist and what is his grade now as a General Manager?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK: In 1947 he was working as a receptionist getting Rs. 600/- P.M. and later on he was promoted and today he is getting Rs. 2500 or Rs. 3000/- as salary.

SHRI RAMNARESH KUSHWAHA : We feel that he is talking of inquiry only to side track the issue. The question is quite clear whether the appointment has been made according to rules. The hon'ble Minister himself can look into the affair.

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : The rules are there but it is necessary to find out the facts. So we are conducting an inquiry through C.B.I.

NATIONAL TEXTILE PLAN

*86. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA, SHRI S. D. SOMASUNDARAM : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to have a long term policy in respect of textile industry so as to establish coordination between the organised mills and the powerloom and handloom sectors; and

(b) whether a large number of sick mills have been taken over by Government while there are still a number of sick mills which need to be taken over ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) Yes, Sir.

(b) 103 mills have been nationalised so far. In addition, the management of two more mills has been entrusted to the N.T.C. The N.T.C. is thus already over-burdened with the onerous responsibility of managing 105 sick cotton textile mills. The Central Government does not favour takeover of more sick or closed textile mills for management by the National Textile Corporation. However, if any concerned State Government is prepared to take over sick unit or units under its management, the Central Government would like to render all possible cooperation whenever such proposals are found viable.

DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: The hon. Minister has not replied fully to my question. However, it may be pointed out that the powerloom and the handloom sector produce one fourth of the total cloth production and 30 lakhs to 50 lakh persons are employed in them. But both these are unorganised sectors and so these do not have good market. These are always faced with one crisis or the other. May I know the time by which Government will form its policy in this regard? If it is not formulated within a fixed period the crisis will become grave and the production is sure to come down.

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य ने कुछ महत्वपूर्ण मामले उठाये हैं। हथकरघा और शक्ति चालित करघों से कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत उत्पादन होता है। इस समय कुल उत्पादन 80,000 लाख मीटर है। यह भी सही है कि इस समय कपड़ा उद्योग संकटग्रस्त है और आज एक समन्वित एवं समेकित नीति की आवश्यकता है। हमारे यहां हथकरघा, शक्ति चालित करघा तथा मिलों में कपड़े का उत्पादन होता है। कुछ तकलियां तथा मानव निर्मित धागा भी बनता है। इसी सन्दर्भ में हम नीति निर्धारित कर रहे हैं।

मेरी जानकारी के अनुसार अगस्त के अंत तक कागज तैयार हो जायेंगे। तब उन पर मेरे मंत्रालय श्रम-प्रतिनिधियों और देश के विशेषज्ञों के बीच चर्चा होगी। उसके बाद सरकार कोई निर्णय लेगी। मैं आश्वासन देता हूं कि सभी प्रयत्न किये जायेंगे और मेरी सरकार की नीति यह है कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। आप सभी एक-साथ खड़े न हों। कुछ सदस्यों को बिल्कुल मौका नहीं मिलता। उन्हें भी अवसर मिलना चाहिये।

DR. LAXMINARAIN PANDEYA: I thank him that a policy is being formulated so that these both sectors may be protected. But my second question has not been replied to. I had asked about the number of sick mills. I had drawn the attention of the Minister in a letter to the Hope Textile Mill, Indore and the other in Ujjain which are sick mills. What steps are proposed to be taken in that regard?

श्री मोहन धारिया : मेरी जानकारी के अनुसार अप्रैल, 1977 में रुग्ण मिलों की संख्या 29 थी जिनमें से 19 कताई मिलें और 10 संयुक्त मिलें हैं। महाराष्ट्र और गुजरात सरकार के साथ मिल कर तीन मिलों को सरकारी अधिकार में लेना सम्भव हो सकेगा। शेष मिलों के बारे में राज्य सरकारों से बात चल रही है और जहां भी ऐसा सम्भव होगा केन्द्रीय सरकार पूरी सहायता देने को तत्पर रहेगी।

श्री बेदव्रत बरुआ : मंत्री जी द्वारा की गई इस घोषणा को देखते हुए कि देश के भीतर खपत को निर्यात के मुकाबले तरजीह दी जायेगी, क्या मैं जान सकता हूं कि कपड़े के निर्यात सम्बन्धी नीति में कुछ परिवर्तन होगा? हथकरघा से बनी वस्तुओं के निर्यात के लिए राजसहायता देने के बारे में मैं विशेष रूप से पूछना चाहता हूं क्योंकि पिछली सरकार काफी सहायता दे रही थी। क्या सरकार नियंत्रित कपड़े को रियायती मूल्यों पर बेचने की नीति जारी रखेगी। पिछली सरकार ने बड़ी-बड़ी मिलों को 1 रु० प्रति मीटर हानि उठा कर भी नियंत्रित कपड़ा बनाने के लिए मजबूर किया था। क्या इस नीति में परिवर्तन की सम्भावना है?

श्री मोहन धारिया : हथकरघों या शक्तिचालित करघों द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयत्न करेगी। जहां तक राज सहायता का प्रश्न है, सभा इस बात को समझती है कि सदैव ही राज-सहायता पर निर्भर करना ठीक नहीं होगा। जब भी संरक्षण आवश्यक समझा गया हो ऐसा किया भी जायेगा।

जहां तक नियंत्रित कपड़े का प्रश्न है, उसके कई पहलू हैं। देश की सामान्य जनता को सस्ते मूल्य का कपड़ा देने की व्यवस्था करना उचित ही है। पर जहां तक वर्तमान नीति का प्रश्न है, हम देखेंगे कि वह कहां तक सफल हुई है और उसमें क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं। नई नीति के अपनाने तक वर्तमान नीति जारी रहेगी।

SHRI ISHWAR CHAUDHURY : Sir, May I know whether any team was sent to those States in which handloom and powerloom sectors play vital role and if so, what are the details of the report submitted by it ?

Secondly handloom factories are being closed because yarn prices are going sky-high. May I know whether Government propose to supply yarn at cheap rates ?

श्री मोहन धारिया : हथकरघा उद्योग के समस्त पहलुओं पर विचार के लिए सरकार ने शिवरामन समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने देश के विभिन्न भागों का दौरा कर समस्या का विस्तृत अध्ययन किया था। हथकरघा उद्योग द्वारा की गई सिफारिशों में से कई कार्यान्वित की जा चुकी ह। हमारी नीति यह है कि विकेन्द्रीकरण को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाये। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सदस्य महोदय का इस बारे में कोई गम्भीर कठिनाईयां पेश आ रही है ?

धागे के मूल्यों के बारे में मैं भी चिंतित हूं। सभा को ज्ञात होगा कि हमारे देश में कपास का उत्पादन प्रायः 71 लाख गांठें होता है लेकिन यह कम हो कर 58 से 59 लाख गांठें रह गया है। इससे सारे व्यापार पर असर पड़ा है। एक ओर तो हम कपास का आयात कर रहे हैं और इसके साथ ही कपास पर आयात शुल्क भी हटा दिया है दूसरी ओर धागे को सस्तें मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए राजसहायता भी दी जा रही है। फिर भी कई बार कुछ क्षेत्रों में धागा उपलब्ध नहीं हो पाता। यदि माननीय सदस्य मेरे ध्यान में ऐसा कोई मामला लायेंगे तो मैं निश्चय ही उस पर विचार करूंगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मंत्री जी ने प्रश्न भाग (ख) के और अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को रुग्ण मिलें अपने हाथ में लेने में सहायता करेगी। परन्तु राष्ट्रीय कपड़ा निगम 103 रुग्ण मिलों से अधिक मिलों का प्रबन्ध ग्रहण नहीं कर सकती। क्या मंत्री जी को जानकारी है कि बड़ौदा की प्रियलक्ष्मी मिल, केम्बे की शुभलक्ष्मी मिल और अहमदाबाद मानक चौक मिल तथा गुजरात की कई अन्य मिलें लम्बे समय से रुग्ण चली आ रही हैं और गुजरात कपड़ा निगम उनका प्रबन्ध ग्रहण करने को तैयार है। लेकिन कई कठिनाइयां हैं जिनमें से एक यह है कि केन्द्रीय सरकार आव- श्यक वित्त, पूंजी, मशीनरी, आदि के लिए शीघ्र व्यवस्था नहीं करती। क्या मंत्री जी इस बारे में देखेंगे कि इन मिलों का कार्य शीघ्र ही सुचारू रूप से चलने लगे ?

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य को जानकारी मिलने की तारीख का मुझे पता नहीं। लेकिन 20 दिन हुए गुजरात के मुख्य मंत्री यहां थे और हमने सम्बन्धित अधिकारियों तथा मख्य मंत्री की बैठक आयोजित की थी और प्रियलक्ष्मी तथा शुभलक्ष्मी मिलों को गुजरात कपड़ो निगम को सौंपने पर सहमति हो गई थी। वित्त आदि के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां जरूर हैं। लेकिन इन समस्याओं पर विचार के लिए हम एक बैठक बुलाने की सोच रहे हैं।

अन्य मिलों के बारे में भी राज्य सरकारों से प्रस्ताव मिलते ही हम उन पर विचार करेंगे। हम 105 मिलों से अधिक का प्रबन्ध ग्रहण नहीं कर सकते अन्यथा हमें उनके लिए एक अस्पताल खोलना पड़ेगा।

SHRI YAGYA DATT SHARMA : The Hon'ble Minister is aware that this subject has been the point of dispute between big mill owners and small handloom owners. The big mill owners have monopoly over yarn. The small producers have no access. The hon'ble Minister has talked of decentralisation. So I request him to treat it as a national problem and formulate some sound policy and apply it not only in his Ministry but in all the Government offices.

SHRI MOHAN DHARIA : I have already told you that the problem in textile industry is a complicated one and we require national textile policy and national fibre policy is deal with it. ? There should be integration of both. I want to repeat this assurance that these policies will definitely be framed.

श्री एस० आर० दमाणी : पिछले मंत्री जी भी तीन वर्ष से एकीकृत कपड़ा नीति का उल्लेख करते रहे हैं। लेकिन आज तक वह नीति नहीं बन पायी। क्या वर्तमान मंत्री जी से हम आशा करें कि वह शीघ्र ही उस नीति की घोषणा करेंगे। क्या वह कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे। वर्तमान नीति के अनुसार कमजोर मिलों को अधिक और मजबूत मिलों को कम कपड़ा

तैयार करना होता है। उन्हें कुछ छूट भी दी जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप बहुत सी मिलें बंद हो गयी हैं। यदि यह नीति जारी रही तो अन्य कई मिलें भी बंद हो जायेंगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी इस नीति की जांच करें और नियंत्रित कपड़ा नीति के बारे में नई नीति अपनायें।

श्री मोहन धारिया : म पहले ही कह चुका हूं कि इस बारे में नई नीति पर सरकार द्वारा विचार हो रहा है। माननीय सदस्य ने पहले प्रश्न में अपनी ही सरकार की आलोचना की है। उन्हें चाहिये कि देश में अच्छे परिवर्तन को देखें। यह सरकार जो कहती है उस पर अमल भी करती है। हम जो कहते हैं उसे अवश्य करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या मंत्री जी को जानकारी है कि पिछले 15 वर्षों में कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत में कमी आई है। इसलिए कपड़े को विशेष कर नियंत्रित कपड़े और कपास मूल्य के सम्बन्ध में योजना को जिसके बारे में उत्पादकों को शिकायत है, क्या प्राथमिकता दी जा रही है?

श्री मोहन धारिया : मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत 15.5 मीटर से कम होकर लगभग 12 मीटर रह गई है। यह बड़ी गम्भीर बात है। प्राथमिकता के सम्बन्ध में हम सदस्य महोदय का भी सहयोग चाहते हैं। योजना आयोग से परामर्श करके ही प्राथमिकतायें निर्धारित करेंगे।

श्री चित्त बसु : मंत्री जी के उत्तर से ऐसा लगता है कि सरकार ने पक्का निश्चय कर लिया है कि किसी भी रुग्ण कपड़ा मिल का प्रबन्ध ग्रहण न किया जाये। इस पृष्ठ भूमि में मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समय लगभग 41 कपड़ा मिलें बंद हो चुकी हैं जिससे लगभग 50,000 श्रमिक बेकार हो गये हैं। यह भी समाचार है कि बम्बई में लगभग 8 कपड़ा मिलें बन्द होने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि मैं किसी रुग्ण मिल का प्रबन्ध ग्रहण को तैयार नहीं। इस हालत में क्या सरकार राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्त आदि की व्यवस्था सम्बन्धी मदद करेगा ताकि कर्मचारियों का रोजगार बना रहे?

श्री मोहन धारिया : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले दे चुका हूं। हम राज्य सरकारों को सभी सम्भव सहायता देने को तैयार हैं। मैंने यही कहा है कि इस समय राष्ट्रीय कपड़ा निगम किसी और मिल का प्रबन्ध ग्रहण करने को नहीं कह सकता।

मैं कुछ उपाय करके इस वर्षहानि को कम करने का प्रयन कर रहा हूं और इसीलिये राष्ट्रीय कपड़ा निगम को 'न लाभ न हानि' के आधार पर काम करने में कुछ समय लगेगा। मैं सदस्य महोदय को आश्वासन देता हूं कि हम भी बेरोजगारी की समस्या के बारे में बहुत चिंतित हैं। रुग्ण मिलों के बारे में हम राज्य सरकारों को हर सम्भव सहयोग देंगे।

SHRI LALJI BHAI : Sir, May I know the number of sick mills closed year-wise during the last three years ?

SHRI MOHAN DHARIA : In April, 77, the total number of closed spinning mills & composite mills was 29 and there were already 105 sick mills in existence. Thus this number comes to 134.

श्री के० ए० राजन : क्या केरल सरकार ने केरल कपड़ा निगम को पुनः बंद मिलों का प्रबन्ध ग्रहण करने को कहा है। इन मिलों में हजारों कर्मचारी काम करते हैं। इन मिलों को पुनः चालू करने के लिए क्या मंत्री जी आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे?

श्री मोहन धारिया : ऐसा अवश्य किया जायेगा और केरल सरकार के भी बताना चाहता हूं कि दलगत भावनाओं का ख्याल नहीं किया जायेगा।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

*87. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**
श्री एफ०पी० गायकवाड } : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हाल ही में तेजी से हुई वृद्धि का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि की रोक-थाम के लिये सरकार क्या आवश्यक कदम उठाना चाहती है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) मार्च, 1977 तथा मई, 1977 के बीच समस्त-वस्तु थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 1976 की उसी अवधि म 4·1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2·5 प्रतिशत बढ़ा। यह क्रिया मार्च, 1976 के अन्तिम सप्ताह से बने मुद्रा-स्फीति सम्बन्धी दबावों का ही एक सिलसिला है। 19 मार्च, 1977 को समाप्त हुए सप्ताह में वर्ष, 1976 के इसी सप्ताह की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक 12.5 प्रतिशत अधिक था। पिछले एक साल में इस उत्तरोत्तर मूल्य वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण 1976–77 में राष्ट्रीय आय में लगभग 2 प्रतिशत की सीमान्त अनुमानित वृद्धि की तुलना में मनी-सप्लाई में 17.1 प्रतिशत की असाधारण बृद्धि होना रहा है।

मार्च, 1977 और मई, 1977 के बीच थोक मूल्य सूचकांक में 2·5 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से दालों तिलहनों और खाद्य तेलों के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण हुई है।

उसी अवधि के दौरान आम खपत की वस्तुओं जैसे गहूं, चीनी, मक्का, रागी, अरहर, प्याज, मांस, चाय, काफी, चीनी, ब्रेड, रेजर ब्लेडों, शुष्क सैलों, मिट्टी के तेल, डीजल तेल, नमक, टायरों तथा ट्यूबों, जूतों, साबुनों तथा भेषजों व दवाईयों के मूल्य या तो न्यूनाधिक स्थिर रहे या उनमें कुछ कमी हुई।

(ख) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने तथा उनकी उपलब्धता में सुधार करने के लिए उठाये गये जरूरी कदमों में ये शामिल हैं :—(1) व्यय में कमी करने और सभी किस्म की शान-शौकत को रोकने के बारे में सरकार का निर्णय। (2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक अनाज उपलब्ध कराने का निर्णय। (3) कमी वाले राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिए चावल का अधिक उदार आवंटन। (4) मई, जून और जुलाई, 1977 के महीनों के लिए अधिक मात्रा में लेवी मुक्त चीनी देना; (5) गेहूं को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना; (6) 9 अप्रल, 1977 से चाय पर 5/– रु० का निर्यात शुल्क लगाना और साथ ही चाय के निर्यात पर उत्पादन शुल्क में दी जाने वाली छूट को वापिस लेना; (7) आलू और प्याज का नियंत्रित निर्यात; (8) सीमट के निर्यात को, यथासंभव सीमा तक, बिखेरना, (9) कपास का पर्याप्त मात्रा में आयात जारी रखना; (10) राज्य व्यापार निगम और निजी व्यापार के माध्यम से खाद्य तेलों का पर्याप्त मात्रा में आयात जारी रखना (11) शुरूआत के तौर पर अधिक खपत वाले कुछ केन्द्रों में राज्य नागरिक पूर्ति प्राधिकरणों के माध्यम से सीधी खपत के लिए परिष्त आयातित तेल का 8.50 रु० प्रति किलोग्राम के खुदरा मूल्य की दर से वितरण का प्रबंध।

मध्यावधि उपाय के रूप में, सरकार के आगामी खरीफ मौसम में कपास, दालों तथा तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के बारे में उपायों का सुझाव देने के लिए अप्रैल, 1977 के मध्य में एक विशेष समिति का गठन किया। इसके लिए समिति ने एक योजना को अंतिम रूप दिया है। इस योजना को आवश्यक वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है।

दीर्घकालीन उपाय के रूप में सरकार कई आवश्यक वस्तुओं के बारे में बड़े पैमाने की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निर्माण करने के बारे में विस्तृत ब्यौरा तैयार कर रही है। इसके लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों को पर्याप्त रूप से मजबूत किया जाएगा।

SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA : The Hon'ble Minister has stated in part (b) of the statement that Government have taken certain effective measures to check rise in prices. It shows that the Government are anxious to arrest prices. May I know the details of the steps taken and their results. If they are ineffective please let me know the more effective steps proposed to be taken in this regard ?

श्री मोहन धारिया : वित्त मंत्री जी आज शाम को बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। उनसे जानकारी मिल सकेगी।

SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA: Sir, my supplementary has not been replied to. I have asked if the steps taken to check prices have produced desired results. If not, what are the steps proposed to be taken now by the Government?

श्री मोहन धारिया : इन उपायों का सम्बन्ध वित्त मंत्री जी से है और अभी कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है।

जहां तक अन्य पहलुओं का सम्बन्ध है, हमने तीन प्रकार के उपाए किये हैं। पहले तो तत्काल प्रभाव डालने वाले। दूसरे जो थोड़ा बाद में प्रभाव डालेंगे और तीसरे वे जो दीर्घगामी उपाय हैं। जहां तक दीर्घगामी उपायों का सम्बन्ध है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यापक बनाया जाना है जिसमें उत्पादन से वितरण तक को लिया जाना है। उसके लिए व्यापक तंत्र बनाने के बारे में हमने पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है। तत्काल उपायों के बारे में मैं अपने उत्तर में बता ही चुका हूं।

SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA: Some controlled things like sugar are levy and non-levy. There is a wide difference between their prices. Levy sugar is also being sold at higher price in the market. This is leading to corruption. In order to remove this disparity and to ensure fair price of controlled goods, will they formulate any definite policy?

श्री मोहन धारिया : यह ठीक है कि लेवी चीनी और गैर-लेवी चीनी मिलती है। लेवी चीनी की कीमत उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रख कर निर्धारित की गई है। जहां तक गैर-लेवी का सम्बन्ध है, हम कोटा अधिक जारी कर रहे हैं ताकि उसका मूल्य उपभोक्ता की क्रय क्षमता से भी अधिक न हो जाये। पिछले वर्ष मूल्य 464.00 रुपये था। अब यह कम होकर 380.00 रुपये हो गया है।

श्री हितेन्द्र देसाई : खाद्य वस्तुओं और खाद्य तेलों में मूल्य वृद्धि का अधिक प्रभाव समाज के दुर्बल वर्ग पर पड़ा है। क्या सरकार शीघ्र अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है?

श्री मोहन धारिया : मूल्य-वृद्धि रोकना बहुत जरूरी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुरक्षित भंडार बनाना चाहिये। लेकिन पद-भार संभालते समय हमें केवल गोदाम की चाबियां ही प्राप्त हुई हैं, अन्दर माल कुछ न था। ऐसी स्थिति में सुरक्षित भंडार बनाना बहुत कठिन है। फिर भी सदस्य महोदय का सुझाव हमारे ध्यान में रहेगा।

SHRI CHANDRA SHEKHAR: Although you have taken certain steps to check price-rise yet cement has disappeared from the market. It is now available in black-market at the rate of Rs. 30/- per bag instead of Rs. 22/- per bag. Tyres of tractors, an essential item, have also disappeared. May I know the steps proposed to be taken to make available these things in the market?

श्री मोहन धारिया : यह ठीक है कि मूल्य बढ़े हैं। परन्तु सदस्य महोदय का यह कहना ठीक नहीं है सीमेंट इसलिए गायब हुआ है क्योंकि सीमेंट की बोरी की कीमत 26 से बढ़ कर 30 रु० हो गई है। यह तो पिछली सरकार के कामों के कारण हुआ है। हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं।

गत चार मास में विभिन्न राज्यों में सीमेंट की अत्यन्त कमी है। हमने निर्माताओं से बात की है। उन्होंने आशवासन दिया है कि कदाचार करने वाले व्यापारियों के लाइसेंस रद्द कर दिये जायेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, आठ या नौ व्यापारियों के लाइसेंस रद्द किये भी जा चुके हैं। मैंने उद्योग मंत्री से भी इस मामले पर चर्चा की है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि उद्योग स्वयं कुछ गड़बड़ कर रहा है तो हम वितरण के लिए सारा भंडार अपने अधिकार में ले लेंगे।

SHRIMATI MRINAL GORE: When the goods are in short supply then system of public distribution is the only way. What steps are you going to take in this direction?

This year the production of sugar will be from 47 to 49 lakh tons. Rationed sugar costs Rs. 2.15 per K.G. but it is very costly in the open market. If rationed sugar is increased by one kilogram, the price in the open market will also come down. May I know if the hon'ble Minister proposes to take any step in this direction?

SHRI MOHAN DHARIA : I have already replied in regard the question of massive distribution. This system needs to be improved. We will seek cooperation of States, Cooperative Sector and social institutions in this task. So far as sugar is considered, it is a suggestion for consideration.

श्री माधव राव सिंधिया : देश में खाद्य तेलों के आयात और वितरण को अखाद्य वितरण कहा जा सकता है। अत: इस खाद्य तेल के आयात का शुद्ध खाद्य तेल के मूल्यों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। क्या यह सच नहीं है?

श्री मोहन धारिया : 75 प्रतिशत खाद्य तेल वनस्पति निर्माताओं को दिया जाता है। अत: वनस्पति वर्तमान उत्पादन स्तर को बनाये रखा जा सकता है। सोयाबीन और सनफ्लावर तेलों का भी आयात करके यहां उन्हें परिशोधित किया जाता है। जहां तक मुझे जानकारी है, देश के विभिन्न भागों में यह तेल 8.50 रु० प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है।

SHRI KARPOORI THAKUR : Food and cloth are the most essential goods. There prices must come down. May I know the various steps taken to check prices and if they have not produced desired results what other efforts are being contemplated by the Government ?

SHRI MOHAN DHARIA : Sir, If the production of essential items like food or other edible goods is not increased, it will not be possible to supply them at reasonable price in sufficient quantity. On the one hand we are taking necessary steps and on the other we are implementing the report of the committee appointed by Government to go into the question of increasing the production of cotton, ground nut, mustard etc. We can meet the demand only by producing more. We can derive benefit from the suggestion made by the hon'ble Member.

SHRI YAMUNA PRASAD SHASTRI : May I know if you are going to end the double distribution system of sugar. Either there should be complete control or the ration system should go because the controlled sugar is being sold in the black market and the common man is not benefitted ?

SHRI MOHAN DHARIA : We shall certainly keep in view the suggestion made by Smt. Mrinal Gore. But in order to check the rising price of sugar, we have fixed one lakh thirty thousand tons of sugar as quota for May and June.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : विवरण से पता चलता है कि दो प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं, थोड़ा बाद की अवधि के लिए और दीर्घगामी उपायों के रूप में आपने अनेक अनिवार्य वस्तुओं के लिए व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाने की बात कही है। यह व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? कांग्रेस के 30 वर्ष के शासन में हमें इसका पर्याप्त अनुभव हुआ है। उसी प्रकार का यह वितरण दिया गया है। बार-बार वही बात दोहरायी जा रही है। लेकिन सभी चीजों के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्या : टमाटर तक के भाव बढ़ रहे हैं। खाद्य तेल, सरसों का तेल भी मंहगा हुआ है। आप कौन-कौन से तत्काल प्रभाव डालने वाले उपाय कर रहे हैं ताकि मूल्य कम हों।

श्री मोहन धारिया : महोदय, उन्होंने 30 वर्षों का इतिहास बतला दिया है। लेकिन अब परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन का लाभ उठाया जायेगा।

SHRI MANOHAR LAL : Sir, I rise on a point of order. May I know if you have framed a rule that one Member can ask only one question during the question hour.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी आप कृपया बैठ जाइये। आप बहुत जरूरी अनुपुरक प्रश्न पूछ सकते हैं,। यदि सदस्य खड़े होकर पूछने लग जाते हैं तो सभी को तो मौका नहीं मिल सकता। यदि सदस्य महोदय पहले ही प्रश्न को पढ़ लें तो वही अनुपूरक प्रश्न पूछें जो अत्यन्त आवश्यक हों। मुझे सभी के साथ-साथ न्याय करना होता है। यदि एक ही सदस्य को बार-बार मौका दिया गया तो दूसरे सदस्य मेरे बारे में क्या सोचेंगे।

अतः मैं इस नीति को अपना रहा हूं। अब इस पर और चर्चा नहीं होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत पर्यटन विकास निगम की परामर्शदात्री सेवायें

*81. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने राज्यों की पर्यटन योजनाओं के लिये विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध कराई है ;

(ख) क्या किसी राज्य ने ऐसी "परामर्शदात्री सेवाओं" में रुचि दिखाई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी संक्षिप्त तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जम्मू और कश्मीर सरकार ने अपने समस्त प्रचार कार्यक्रम के लिए भारत पर्यटन विकास निगम को अपने परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किया है। उसी प्रकार निगम ने पंजाब, हिमचाल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों की पर्यटन प्रोत्साहन योजनाओं की सहायता करने में एक प्रकार की विशेषज्ञता सेवा प्रदान की है। पर्यटन प्रोत्साहन तथा प्रचार के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, आसाम तथा नागालैण्ड की सरकारों ने निगम की परामर्शदात्री सेवाओं का उपयोग करने में रुचि दिखाई है। इन सरकारों द्वारा अपेक्षित परामर्शदात्री सेवाओं के स्वरूप तथा क्षेत्र को अभी निश्चित रूप प्रदान किया जाना है ।

इंडियन पायलट्स गिल्ड से प्राप्त ज्ञापन

*82. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को हाल में इंडियन पायलट्स गिल्ड से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) एयर इंडिया के उन तीन विमानचालकों को बाहल करने के बारे में, जिन्हें इंडिया में हुई 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था, भारतीय विमानचालक गिल्ड से कई पत्र प्राप्त हुए हैं। उन तीन में से दो को पहले ही बाहल किया जा चुका है। तीसरे के विरुद्ध मामला न्यायालय के विचाराधीन (सब-जुडिस) है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी

*85. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के लिए 24 जनवरी, 1974 को जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों के साथ एक व्यापक करार हुआ था ;

(ख) क्या सरकार का विचार कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 21 मई, 1976 के निर्णय की दृष्टि से भविष्य में बोनस देने के लिए कर्मचारियों की मांग पर पुनः विचार करने का है ; और

(ग) बकाया राशि के रूप में तथा कर्मचारियों को भविष्य में बोनस देने पर सरकार को कितनी धन राशि देनी पड़ेगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों और निगम की तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की यूनियनों के बीच 24-1-1974 और 6-2-1974 को व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौते 1-4-1973 से 31-3-1977 तक चालू थे और इनमें और बातों के साथ-साथ तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को उनके वार्षिक वेतन के 15 प्रतिशत की दर से वार्षिक नकद बोनस दिए जाने की व्यवस्था थी ।

बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू हो जाने से केन्द्रीय सरकार ने यह फैसला किया कि लेखा वर्ष 1974/1974-75 से शुरू करके सरकारी क्षेत्र के गैर प्रतियोगी उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस के बजाय अनुग्रही राशि अदा की जाए जो वेतन स्तरों, वित्तीय परिस्थितियों और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। अनुग्रही अदायगी की रकम वेतन/मजदूरी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और केवल वही कर्मचारी इसके पात्र होंगे जिनका मासिक वेतन 1600 रुपए तक होगा। अनुग्रही अदायगी का हिसाब लगाने के लिए अधिकतम वेतन/मजदूरी 750 रुपए मासिक है।

आल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोशिएशन ने 22 अप्रैल, 1796 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में आवेदन पत्र दे दिया जिसमें उन्होंने और बातों के साथ-साथ उच्च न्यायालय को यह घोषणा करने के लिए कहा कि निगम और उक्त एसोशिऐशन के बीच 21 जनवरी, 1974 को जो समझौता हुआ था। वह कानूनी है और जीवन बीमा निगम के लिए बन्धनकारी है तथा तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को बोनस देने से इंकार करने पर रोक लगाने के लिए जीवन बीमा निगम के नाम निषेध-आज्ञा जारी कर दी जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 21 मई, 1976 के अपने फैसले में यह निदेश दिया कि जीवन बीमा निगम को करार की शर्तों के अनुसार बोनस अदा करना चाहिए जीवन बीमा निगम ने उक्त फैसले के लिखाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ के सम्मुख, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश ने की थी, अपील दायर की। इसी बीच 29 मई, 1976 से जीवन बीमा निगम (समझौते का संशोधन) अधिनियम, 1976 लागू हो गया जिसके अनुसार पहली अप्रैल 1975 से समझौते की वे धाराएं रद्द हो गईं जिनका संबंध तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को प्रतिवर्ष नकद बोनस अदा करने से था । उक्त कानून को देखते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ ने अपील पर कोई आदेश जारी नहीं किया क्योंकि जीवन बीमा निगम की कार्रवाई को अब कानूनी संरक्षण प्राप्त हो गया था। और इस प्रकार कलकत्ता उच्च न्याययालय के एकल न्यायाधीश का फैसला प्रभाव हीन हो गया था।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की कुछ यूनियनों ने जीवन बीमा निगम (समझौते का संशोधन) अधिनियम, 1976 की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है और यह मामला अभी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है ।

EXPORT OF MICA

*88. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state whether Government propose to abolish the restrictions on mica to the extent that MITCO and exporters share 40 per cent and 60 per cent export of mica restrictively and allow free trade to save the mica trade declining day by day which has put mica dealers and workers in difficulty ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : No, Sir. Sharing formula was introduced to help the weaker section of the mica trade. Purchases are normally made by MITCO against its share of 40% from this section only, unless some items required by MITCO to meet its sale commitments are not forthcoming from the weaker section. Abolition of sharing formula and restoration of free trade will not, therefore, be in the interests of the weaker section of mica trade. The decline in mica trade is largely due to emergence of synthetic substitutes.

रुई और कपड़े की लागत मूल्य सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

*89. **श्री वसन्त साठे :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रुई और कपड़े की लागत मूल्य की जांच करने के लिए गत वर्ष नियुक्त की गई समिति का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) समिति का कहना है कि विभिन्न पूर्वानुमानों पर गौर करते हुए कपास की कीमतों, रुई की मिल गेट डिलीवरी कीमतों और यार्न तथा कपड़े की कीमतों में परस्पर सम्बन्ध बनाया जा सकता है। समिति का यह भी कहना है कि कपास और रुई की कीमतों में उतार चढ़ाव आम बात है जिनसे रुई उगाने वालों और वस्त्र उद्योग का अर्थतंत्र बिगड़ जाता है रुई का उत्पादन बढ़ा कर उसकी सप्लाई में आत्मनिर्भरता हासिल करना काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है और इसे प्राथमिकता देनी होगी।

(ग) समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

VIOLATION OF FOREIGN EXCHANGE REGULATIONS

*90. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) the number of persons involved in violation of Foreign Exchange Regulations from 1975 till date; and

(b) number of persons, out of them, arrested and punishment given to them ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b) In the period January, 1975 to April, 1977 13,020 show cause notices were issued by the Directorate of Enforcement to various persons (including legal persons) for alleged violation of the Foreign Exchange Regulations Act. 327 complaints were also filed in courts in the same period. The number of persons arrested during the period is 119.

2. The punishment given to the various persons involved in violations of the Foreign Exchange Regulations Act is imposition of penalties and confiscation of offending currency in departmental adjudication, and imprisonment and fines on conviction by courts in cases of prosecution.

NOTE : The number of show cause notices and complaints filed in court has been given as statistics are maintained on this basis. In a few cases, more than one show cause notice is issued to the same person and in a few cases, the same show cause notice may cover more than one person. The same is the position in regard to complaints filed in court. In a few cases, the person to whom show cause notice has been issued may also be the same person against whom complaint is filed in Court. If the exact number of persons involved in violations of Foreign Exchange Regulations Act is to be given, every one of the 13347 related files would have to be looked into for gathering information and the results may not be commensurate with the time and labour involved.

PILOTING OF I. A. PLANE FROM HYDERABAD TO TIRUPATI BY AN UNAUTHORISED PERSON

*91. SHRI JAMESHWAR MISHRA
SHRI RAMANAND TIWARY } : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state

(a) whether an aircraft belonging to the Indian Airlines was piloted last year from Hyderabad to Tirupati by an unauthorised person; and

(b) if so, the full particulars of the incident and the action being taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b) According to the report of Shri V. Chellappa, Director of Air Safety, Civil Aviation Department who conducted an enquiry into the alleged incident under orders from the Director General of Civil Aviation, no unauthorised person appears to have piloted the Indian Airlines aircraft from Hyderabad to Tirupati on 25-12-1976. The report has revealed that Shri Sanjay Gandhi occupied the Pilot's seat during the flight from Hyderabad to Tirupati and Vijayawada but did not manipulate the controls of the aircraft.

Necessary action has been initiated by the Director General of Civil Aviation against the pilot and Shri Sanjay Gandhi for violation of the Aircraft Rules, 1937.

परिवार पेंशन

***92. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार 1 जनवरी, 1964 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए पेंशन भोगियों को परिवार पेंशन का लाभ देने के बारे में विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : 1 जनवरी , 1964 से पहले सेवा निवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों के परिवार उदारीकृत पेंशन नियम, 1950 के अन्तर्गत आते हैं। इन नियमों के अधीन, जिन स्थायी सरकारी कर्मचारियों ने कम से कम 20 वर्ष की अर्हक सेवा की थी और जो पेंशन के लिए पात्र थे, उनके परिवारों को परिवार पेंशन के लाभ दिए गए। ऐसे मामले में परिवार पेंशन सामान्यत: अधिवर्षिता पेंशन के 50 प्रतिशत

की दर पर होती है किन्तु यह कम से कम 40 रुपए और अधिक से अधिक 150 रुपए प्रति माह है। यह परिवार पेंशन गैर-अंशदायी किस्म की है और कर्मचारी की मृत्यु की तारीख की अगली तारीख से 10 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए किन्तु उस तारीख से, जिसको सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकी अवस्था प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होता, 5 वर्ष की अधिक से अधिक अवधि के लिये देय होती है। इस प्रयोजन के लिए परिवार में विधवा/विधुर, पुत्र, पुत्रियां, पिता, माता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई और अविवाहित तथा विधवा बहनें आती हैं। परिवार पेंशन योजना, 1964 के नाम से एक नई योजना, जो कि अंशदायी किस्म की है, 1-1-1964 से लागू की गई थी और ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जो उस समय सेवा में थे, दोनों योजनाओं में से एक को चुनने का विकल्प दिया गया था।

वित्त मंत्री की अमरीका तथा अन्य देशों की यात्रा

*93. **श्री सुशील कुमार धारा**
श्री डी० डी० देसाई } : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने गत मास के आरम्भ में जिन देशों की यात्रा की थी उनके साथ तथा विशेषरूप से अमरीका के साथ भारत के वित्तीय तथा आर्थिक सम्बन्धों में सुधार होने की क्या सम्भावनाएं हैं ; और

(ख) क्या इस यात्रा के परिणामस्वरूप भारत-अमरीका सम्बन्धी सम्बन्धों में और सुधार होने की सम्भावना है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख): वित्त मंत्री ने अप्रैल, 1977 में केवल अमेरिका की यात्रा की थी। वाशिंगटन जाते हुए और वहां से वापस आते हुए रास्ते में वे लंदन रुके थे, किन्तु वहां उन्हें कोई सरकारी काम नहीं था।

2. वित्त मंत्री खास तौर पर विकास समिति और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमार्ण व विकास बैंक की अन्तरिम समिति की मंत्री-स्तर की बैटकों में भाग लेने के लिए अमेरिका गए थे। इन समितियों में विकसित और विकासशील देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में सुधार करने और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की कार्य संचालन सम्बन्धी नीतियों और साधनों में सुधार करने से संबंधित प्रश्नों पर लगातार विचार विमर्श होता है।

3. वित्त मंत्री ने इन बैठकों के अवसर का लाभ उठाते हुए बड़े-बड़े देशों के (जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी शामिल हैं) वित्त मंत्रियों से सम्पर्क स्थापित किया और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ में भारत के शेयर के संबंध में बातचीत की।

4. अमेरिका के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के साथ अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में भारत के हिस्से के प्रश्न पर बातचीत हुई और अमेरिका से भारत को मिलने वाली सहायता के प्रश्न पर कोई बात नहीं हुई। इस प्रकार की बात-चीत से दोनों देशों के बीच सहयोग और मैत्रीपूर्ण आर्थिक सम्बन्धों को और गहरा बनाने में सहायता मिलती है।

बिक्री कर की दरों में समानता

*94. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को देश भर में बिक्री कर की दरों में समानता लाने और केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में उसकी वसूली किये जाने के बारे में राज्यों और व्यापारियों तथा व्यापार संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को अमल में लाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार को व्यापारियों तथा व्यापार संगठनों से अनेक ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह सुझाव दिया गया है कि बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाय।

(ख) इस समय, बिक्री-कर के स्थान पर इस प्रकार का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क केवल (रेशमी कपड़ों से भिन्न) कपड़ों, ताम्बाकू और चीनी पर ही लगाया जाता है। इस योजना को अन्य वस्तुओं पर भी लागू करने के प्रश्न पर पहले विचार किया गया था लेकिन राजस्व सरकारों द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया था। अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति द्वारा अब सभी केन्द्रीय, राज्यीय तथा स्थानीय अप्रत्यक्ष करों के ढांचों की समीक्षा की जा रही है। बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाये जाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के यथा सम्भव शीघ्र पुन: विचार किया जायेगा।

श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा जापानी कार का आयात किया जाना

*95. **श्री पी० के० कोडियम :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने अमरीका का बना हुआ एक छोटा 'एग्जीक्यूटिव' विमान और एक जापानी कार का आयात किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस में सरकार की शुल्क-छूट संबंधी शर्तों का तथा अन्य विनियमों का उल्लंघन किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) जम्मू तथा कश्मीर राज्य के उधमपुर जिले में मन्तालाई स्थित अपर्णा आश्रम को उपहार के रूप में मिले एक मौले वायुयान को, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा जारी किये गये सीमा-शुल्क निकासी परमिट के अन्तर्गत जुलाई, 1976 में अमरीका से आयात किया गया था। वायुयान पर सीमा-शुल्क की अदायगी से छूट, अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर दी गयी थी कि वायुयान को इस्तेमाल विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को मैदानी इलाकों से आश्रम तक लाने तथा वापिस ले जाने के लिए किया जायेगा और यही योग का प्रशिक्षण नि:शुल्क दिया जायगा। अप्रैल, 1977 में यह पता चला कि वायुयान का इस्तेमाल इस शर्त का उल्लंघन करते हुए अन्य प्रयोजनों के लिये किया जा रहा था। एतद्नुसार, छूट मंजूर करने से संबंधित शर्तों का उल्लंघन करने के कारण वायुयान को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा दिल्ली में 29-4-1977 को पकड़ा गया था।

मैसर्स एस० एम० ट्रैडिंग कम्पनी ओसाका, जापान, द्वारा विश्वायतन योग आश्रम, नई दिल्ली को उपहार में दी गयी एक टोयोटा क्राउन कार को शुल्क की अदायगी करने पर अगस्त, 1971 में आयात किया गया था। इस कार पर सीमा-शुल्क से कोई छूट मंजूर नहीं की गयी थी। जहां तक आयात प्रतिबंधों का संबंध है, कार की निकासी की अनुमति मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा जारी किये गये सीमा-शुल्क निकासी परमिट के अन्तर्गत दी गयी थी।

(ग) सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा वायुयान को दिल्ली में पकड़ लिया गया है। कारण बताओं नोटिस, उत्तर न देने का अवसर प्रदान करना, व्यक्तिगत सुनवायी, साक्ष्य लेने आदि कानूनी शर्तों के पूरा किये जाने के बाद समुचित कार्यवाही की जायगी।

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां रोक अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द तस्करों की रिहाई

*96. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्**
श्री के० मायातेवर } : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकालीन स्थित के समय विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां रोक अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गये तस्करों को रिहा कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त विवरण क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) आन्तरिक आपात-स्थिति की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा संरक्षण;

(ग) तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत 2015 तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाचक नजरबन्द किये गये थे व इनमें से 1723 नजरबन्दों को नजरबन्दी से रिहा कर दिया गया है और 4-6-1977 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार के 292 नजरबन्द वास्तव में नजरबन्दी में थे।

पूंजीगत माल के आपात से प्रतिबन्ध हटाने का प्रस्ताव

***97. श्री एम० गोविन्दन नायर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ पूंजिगत माल के आयात पर से प्रतिबन्द हटाने के मामले पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) कतिपय पूंजीगत माल के, जिसका स्वदेश में पर्याप्त मात्रा में तथा कुशलतापूर्वक उत्पादन होता है, आयात पर से रोक हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्वदेशी उद्योग के हितों की रक्षा करना आयात नीति के मूल उद्देश्यों में से है तथा स्वदेशी उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां रोक अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों की रिहाई

***98. श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां रोक अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्ति नजरबन्द किये गये थे ;

(ख) अब कितने व्यक्ति रिहा कर दिये गये हैं और कितने अभी भी नजर बन्द हैं ;

(ग) क्या नजरबन्द व्यक्तियों की रिहाई के बाद से तस्करी में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार उनके विरुद्ध और क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) पिछली सरकार द्वारा आन्तरिक आपात स्थिति के मंसूख किये जाने तक विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन 275 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था। इनमें से 179 व्यक्ति वास्तव में नजर बन्द थे।

(ख) आन्तरिक आपत-स्थिति के मंसूख कर दिये जाने के बाद, 4 जून, 1977 तक, वास्तव में नजर बन्द किये गये व्यक्तियों में से 164 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया था और अब 16 व्यक्ति नजर बन्द हैं।

(ग) जी नहीं, प्राप्त रिपोर्टों से यह संकेत नहीं मिलता है कि तस्करी में वृद्धि हुई है।

(घ) हालांकि तस्करी को प्रभावकारी ढंग से रोकने की कार्यवाही जारी है, फिर भी तस्करी-विरोधी उपाय मजबूत कर दिये गये हैं और अधीनस्थ कार्यालायों को निदेश दिये गये हैं कि वे सामान्य कानून के अन्तर्गत तस्करों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें। इन उपायों में जांच-पड़ताल तथा गुप्त सूचना तंत्रों को मजबूत बनाना, संवेदनशील पत्तनों से आने वाले जलयानों की तलाशी लेना तथा समुद्र तट पर तथा मुख्य यातायात मार्गों पर सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों की गश्त लगाना शामिल है।

कांगड़ा घाटी और शिमला में हवाई अड्डे बनाने का प्रस्ताव

*99. **श्री दुर्गा चन्द : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी तथा अन्य पर्यटक महत्व के स्थानों की यात्रा करते हैं ;

(ख) क्या कांगड़ा घाटी तथा शिमला में हवाई अड्डे बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) हिमाचल, प्रदेश में धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी तथा पर्यटक रुचि के अन्य स्थानों पर प्रायः देशीय पर्यटक भारी संख्या में जाया करते हैं। तथापि जबसे ट्रैकिंग के लिए कुछ प्रतिबंधित स्थानों को खोल दिया गया है विदेशी पर्यटकों ने भी काफी संख्या में हिमाचल प्रदेश जाना आरम्भ कर दिया है।

(ख) और (ग) फिलहाल कांगड़ा घाटी में हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजना नहीं है। शिमला में एक हवाई अड्डे के निर्माण की व्यवहार्यता के बारे में कुछ प्रारम्भिक अध्ययन किये गये हैं परन्तु धन के अभाव के कारण परियोजना को आस्थगित कर दिया गया है।

वनस्पति बनाने वाले कारखानों द्वारा आयातित खाद्य तेल का लौटाया जाना

*100. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति बनाने वाले कुछ कारखानों ने आयातित खाद्य तेल, जो उनको एक सरकारी ऐजेन्सी ने सप्लाई किया था, वापस लौटा दिया है क्योंकि वह घटिया किस्म का पाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तत्य क्या हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार को कितनी हानि हुई ; और

(ख) घटिया किस्म के खाद्य तेल को बेचने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) व (ग) चार वनस्पति कारखानों ने उन्हें सप्लाई किये गये आयातित ताड़ के तेल में नमी का तत्व होने के लिये राज्य व्यापार निगम से मुआवजे के लिये दावा किया है। दावों की राशि लगभग 1,54,550/- रु० है। प्राप्त दावों को राज्य व्यापार निगम द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) राज्य व्यापार निगम के पास बेचने के लिये घटिया किस्म का कोई भी खाद्य तेल नहीं है।

प्राकृतिक रबड़ के न्यूनतम सांविधिक मूल्य का पुनरीक्षण

769. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की इंडियन स्माल रबर ग्रोवर्स एसोशिएशन के एक प्रतिनिधिमण्डल ने एक ज्ञापन पेश किया है जिसमें प्राकृतिक रबड़ के न्यूनतम सांविधिक मूल्य का पुनरीक्षण करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ग) मामला विचाराधीन है।

बम्बई हाई के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता

770 **श्री के० मालन्ना : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये हाल ही में वाशिंगटन गए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने बम्बई हाई के विकास के लिये विश्व बैंक से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं । मैं 24 मंत्रियों के ग्रुप, संयुक्त फंड बैंक विकास समिति, और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नरों की अन्तरिम समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अप्रैल 1977 के अन्तिम सप्ताह में वाशिंगटन गया था ।

(ख) और (ग) बम्बई हाई परियोजना के तीसरे चरण के लिए विश्व बैंक से 1500 लाख डालर के ऋण के सम्बन्ध में बातचीत 2 जून 1977 को वाशिंगटन में पूरी हुई थी । आशा है कि ऋण करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर हो जाएंगे ।

बैंकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं को दिये गये ऋणों पर ब्याज

771. **श्री आर० के० महालगी : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को अप्रैल, 1977 में महाराष्ट्र से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें अनुरोध किया गया है कि शिक्षण संस्थाओं को दिए जाने वाले बैंक ऋणों पर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज न लेकर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अभ्यावेदनों पर क्या कायवाही की गई है या करने का विचार है और कब तक ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार का ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

WORKS BEING EXECUTED IN DISTRICT JHALAWAR UNDER CENTRAL TOURISM DEVELOPMENT SCHEME

772. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state the works being executed in Jhalawar district under the Central Tourism Development Schemes ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : Due to constraint on resources and other priorities, no tourism scheme has been taken up at Jhalawar in the Central Sector.

WORLD BANK LOAN FOR RAJASTHAN CANAL AND CHAMBAL COMMAND AREA

773. SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether the World Bank has provided economic assistance for Rajasthan canal and Chambal command area; and

(b) if so, the amount provided, the particulars of the schemes on which this amount will be spent and the time by which these schemes are likely to be completed ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes Sir.

(b) Financial assistance cumulatively amounting to $ 159 million has been committed by the World Bank Group for the Rajasthan Canal and Chambal command area development projects. A sum of $ 83 million have been committed for the Rajasthan Canal, $ 52 million for the Chambal command area development falling in Rajasthan and $ 24 million for the Chambal command area development falling in Madhya Pradesh. These projects are expected to be completed by 30th June, 1980, 30th June, 1980 and 31st December, 1978 respectively.

बहुराष्ट्रीय निगम

774. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने बहुराष्ट्रीय निगम काम कर रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में इन एककों द्वारा लाभ तथा लाभांश के रूप में कितनी धनराशि विदेशों को भेजी गई और इन निगमों के कार्य के परिणामस्वरूप इस अवधि में, वर्षवार, भारत ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 31 मार्च 1976 को भारत में विदेशी कम्पनियों की 171 सहायक कम्पनियां और 481 शाखाएं काम कर रही थीं। यह सबसे हाल की अवधि है जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं। चूंकि बहुराष्ट्रीय निगमों की कोई ठीक-ठीक परिभाषा नहीं है इसलिए इस प्रश्न के प्रयोजन के लिए विदेशी कम्पनियों के बारे में सूचना दी जा रही है।

(ख) रिजर्व बैंक के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में विदेशी कम्पनियों ने लाभ और लाभांश के रूप में जो रकमें बाहर भेजीं, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	(करोड़ रुपए)
1973–74	45.57
1974–75	20.63
1975–76	34.42

इस अवधि में विदेशी कम्पनियों द्वारा कमाई गई विदेशी मुद्रा के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

TALKS AMONG INDIA, YUGOSLAVIA AND EGYPT ON ECONOMIC COLLABORATION

775. Shri UGGRASEN : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether tripartite talks on economic collaboration among India, Yugoslavia and Egypt, which was initiated about 10 years ago, has come to a stand still completely now and no efforts are being made to resume the talks;

(b) whether achievements made so far in this regard have been assessed and if so, salient features thereof; and

(c) when would the said talks be resumed ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a), (b) & (c) : The Trade Expansion and Economic Cooperation Agreement among India, Egypt and Yugoslavia was signed on 23rd December 1967 and came into effect from 1st April, 1968. The main object of the Agreement is to provide for tariff preferences on the exchange of specific goods between the three countries. For this purpose, a Common List of 134 tariff headings has been drawn up by the 3 countries and a tariff preference of 50% of the most favoured nation rate is extended on these products when traded among themselves. Trilateral operations in various other fields such as industrial joint ventures, science and technology, shipping, tourism, finance, banking and insurance are also envisaged under the Agreement.

The Ministers and the Working Group set up under the agreement meet periodically for reviewing the progress achieved in the different fields. The Fourth meeting of Ministers of the 3 countries was held in Cairo on 2nd and 3rd May, 1976. The Ministers after studying the impact of the Tariff preferences had suggested various measures for promotion of trade among the 3 countries such as lengthening of the Common List, deepening of the tariff cuts on existing Common List items, addition to Common List and removal of non-tariff barriers. Tripartite Working Group on Trade and Tariffs followed up these recommendations when they met in Belgrade in December, 1976. The Ministerial meeting in Cairo in 1976 had identified 3 projects for joint ventures viz. tractors, railway rolling stock and electronic industries. The Indian Working Group on Industrial Co-operation is taking necessary follow-up action in respect of these 3 projects.

A proposal is at present under consideration for convening a meeting of the Principal Coordinators of the Agreement in the 3 countries (at the level of Secretaries to the Government) in New Delhi shortly to consider the steps necessary for strengthening the framework for cooperation under the Agreement. A Ministerial level Meeting is likely to follow later during 1977.

निर्यात निरीक्षण एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारी

776. **श्री वयालार रवि : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात निरीक्षण एजेंसी ने निरीक्षण कार्य एवं प्रयोगशाला कार्य में लगे अपने कर्मचारियों को दो विभिन्न वर्गों में रखा हुआ है और उनके काम की शर्तें तथा अन्य सुविधाएं भिन्न-भिन्न हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) निरीक्षण कार्य में लगे हुए कर्मचारी तथा प्रयोगशाला में कार्यरत कर्मचारी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अलग-अलग दिखाये गये हैं। उनके कार्य की प्रकृति हर पद के मामले में भिन्न है और उन पदों से सम्बद्ध उत्तरदायित्वों और कार्यों पर निर्भर है। इन्ही कारणों से काम-काज के घंटे भी भिन्न-भिन्न हैं।

क्षेत्र में तथा दौरों का कार्य करने वाले कर्मचारी अपने-अपने पद पर मिलने वाला यात्रा-भत्ता तथा अन्य भत्ते लेते हैं। हैं। सभी कर्मचारियों का वेतन तथा अन्य सेवा शर्तें निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार होती हैं।

मध्य प्रदेश में इंडियन एयरलाइंस के विमानों की उड़ानों की व्यवस्था

777. **श्री प्रद्युम्न बाल : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषज्ञों द्वारा एक प्रतिवेदन में प्रतिकूल राय व्यक्त किये जाने के बावजूद हाल ही में मध्य प्रदेश के चार स्थानों पर इंडियन एयर लाइन्स के विमानों की उड़ानों के लिये व्यवस्था किये जाने का आधार क्या है ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स को प्रतिमास कितनी हानि होती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) पूर्वी मध्य प्रदेश को विमान सेवा द्वारा जोड़ने की बड़ी भारी आवश्यकता थी जिसे पूरा करने के लिये इंडियन एयरलाइन्स की एच एस–748 द्वारा दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-बम्बई मार्ग पर दैनिक वापसी सेवा को पुनर्गठित कर दिया गया है और नयी व्यवस्था के अनुसार इस मार्ग पर सप्ताह में दो दिन ग्वालियर को छोड़ते हुये उसके स्थान पर जबलपुर और रायपुर को सम्मिलित कर दिया गया है।

(ख) क्योंकि जबलपुर तथा रायपुर को अभी मई, 1977 में ही जोड़ा गया है, अतः वित्तीय परिणामों का अभी पता नहीं चला है।

शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1966 का निरसन करने का प्रस्ताव

778. **श्री बशीर अहमद** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1966 का निरसन करने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1966 का निरसन करने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

इंडिया टोबेको कम्पनी द्वारा की गई कथित अनियमितताएं

780. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया टोबेको कम्पनी लिमिटेड (भूतपूर्व इम्पीरियल टोबेको कम्पनी लिमिटेड) ने इंडियन लीफटोबेको डेवलपमेंट कम्पनी को खरीदते समय 90 लाख रुपये के सीमा शुल्क दावे को न तो शेयरधारियों को तथा खरीद के लिए स्वीकृति लेते समय न ही कण्ट्रोलर आफ कैपीटल एस्यूज को बताया तथा इस प्रकार से देश को 90 लाख रुपये का धोखा दिया ;

(ख) क्या दिया गया मूल्य (2. 15 करोड़ रुपये) जिसे सरकार ने स्वीकृति दी थी, वह कम्पनी के मूल आवेदन में उल्लिखित राशि से बहुत अधिक था;

(ग) क्या वही व्यक्ति दोनों कम्पनियों (इण्डिया टोबेको लिमिटेड और इण्डियन लीफ टोबेको डेवलपमेंट कम्पनी के लिमिटेड) विदेशी शेयरधारी थे; और

(घ) क्या भूतपूर्व राजस्व और बैंकिंग मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, अध्यक्ष, केन्द्रीय सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क बोर्ड जिनके विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं ऐसा भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के मौखिक आदेश पर किया था ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम०पटेल) : (क) इंडिया टोबेको कम्पनी लिमिटेड और इंडियन लीफ टोबिको डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड दोनों ने मिलकर 27 अप्रैल, 1974 को इंडियन लीफ टोबैको डवलपमेंट कम्पनी के भारतीय कारबार को इंडिया टोबैको कम्पनी लिमिटेड के हाथ बेचने की अनुमति मांगी । 24 फरवरी, 1976 को इस सौदे के लिए सरकार की मंजूरी दी गई । इस अवधि के दौरान दोनों में से किसी ने भी नहीं बताया और न ही इंडियन लीफ टोबैको डवलपमेंट कम्पनी को परीक्षित संतुलन पत्र से यह पता चला कि इंडियन लीफ टोबैको डवलपमेंट कम्पनी द्वारा सीमा-शुल्क की तत्काल अदायगी की जानी है ।

मद्रास कस्टम्स हाउस ने अक्तूबर 1972 को इंडियन लीफ टोबैको डवलपमेंट कम्पनी के नाम यह नोटिस जारी किया कि कम्पनी द्वारा जुलाई 1972 में मद्रास में फिर से आयात की गई अनिर्मित तम्बाकू की एक खेप पर 90. 77 लाख रुपए का सीमा-शुल्क क्यों न वसूल किया जाए । कम्पनी ने इस दावे को चुनौती दी किन्तु मई 1975 में मद्रास कस्टम्स हाउस ने उक्त मांग की पुष्टि की । कम्पनी ने अगस्त 1975 में इस मांग के खिलाफ अपील दायर की जो मई 1976 में रद्द कर दी गई । कम्पनी ने पुनरीक्षण याचिका की लेकिन यह भी अक्तूबर 1976 में रद्द कर दी गई ।

तब कम्पनी ने अक्तूबर 1976 में मामले को तत्कालीन राजस्व व बैंकिंग मंत्री के सामने रखा । अपने अभ्यावेन में कम्पनी ने यह बात फिर बताई कि जब उसे पुनः आयात की गई खेप के सम्बन्ध में सिगरेट बनाने के लिए अनुमति मिल गई तब उसने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अदा कर दिया था । इस अभ्यावेदन पर विचार करते समय यह बात नोट की गई कि मद्रास कस्टम्स हाउस को उक्त खेप को उस पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर सीमा शुल्क वसूल किए बिना फिर से आयात की गई खेप नहीं छोड़ना चाहिए थी । इस खेप को उत्पाद-शुल्क बांड के अन्तर्गत ले लिया गया और सिगरेट बनाए जाने के लिए अनुमति दे दी गई । पुनः आयात की गई तम्बाकू की इस खेप के उपयोग के आधार पर, इस पर, 5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सही तौर पर, 11 . 4 लाख रुपए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगना चाहिए था । लेकिन मद्रास कस्टम्स हाउस ने गलती से स्मोकिंग मिक्सचर में काम आने वाले तम्बाकू पर लागू 40 रुपए प्रति किलोग्राम के उच्चतम केन्द्रीय सीमा-शुल्क की दर के हिसाब से उत्पाद-शुल्क की मांग की थी । कम्पनी के अभ्यावेदन पर विचार करते समय, इन बातों पर ध्यान रखा गया । चूंकि कम्पनी ने सिगरेट बनाने में काम आने वाले तम्बाकू पर लगाए जाने वाले सीमा-शुल्क की रकम अदा कर दी थी चाहे यह रकम कस्टम से क्लीयरेंस मिलने के बाद ही अदा की गई थी और सीमा-शुल्क की वसूली का अर्थ शुल्क का दोबारा

लिया जाना हो जाता और साथ ही यह कदम निर्यात में बाधक सिद्ध होता, इसलिए 19 मार्च, 1977 को सरकार द्वारा, मंत्री स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि कम्पनी को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के बराबर की रकम की सीमा-शुल्क की अदायगी से छूट दे दी जाए।

चूंकि सीमा-शुल्क की मांग अब खत्म हो गई है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कम्पनी ने देश को 90 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा का धोखा दिया है ।

(ख) इंडिया टोबैको कम्पनी और इंडियन लीफ टोबैको डवलपमेंट कम्पनी ने अर्थात् दोनों कम्पनियों ने मिलकर अपने 27 अप्रैल, 1974 के मूल आवेदन पत्र में इंडिया टोबैको कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 1973 की स्थिति के अनुसार इंडियन लीफ टोबैको डवलपमेंट कम्पनी की भारतीय शाखा की परि-सम्पत्तियों और देनदारियों की खरीद के लिए 160 लाख रुपए की कीमत देने का प्रस्ताव किया था । उसके बाद, 10 मई, 1975 को, इंडिया टोबैको कम्पनी ने संशोधित आवेदनपत्र दिया जिसमें इंडियन लीफ टोबैको डवलपमेंट कम्पनी के 31 मार्च, 1975 की स्थिति के अनुसार कारबार को अन्तरित किए जाने के लिए 255 लाख रुपए की खरीद कीमत का सुझाव दिया गया था जिसमें वर्ष 1973–74 और 1974–75 के 95.55 लाख रुपए के लाभ को हिसाब में ले लिया गया। अपने 31 जुलाई, 1975 के अन्तिम आवेदन पत्र में जिसको आधार मान कर सरकार ने 24 फरवरी, 1976 को अपनी स्वीकृति दी थी इंडिया टोबैको कम्पनी लिमिटेड ने 257 लाख रुपए की खरीद कीमत का सुझाव दिया था, इसके साथ-साथ वर्ष 1973–74 और 1974–75 के दो तिहाई लाभ अर्थात् 63 लाख रुपए बाहर भेजे। भेजने की अनुमति के बारे में भी निवेदन किया था। कारोबार के निवल मूल्य और लाभ कमाने की क्षमता पर विचार करने के बाद सरकार ने 31 मार्च, 1975 की स्थिति के अनुसार व्यवसाय के अन्तरण के लिए 215 लाख रुपए खरीद कीमत की स्वीकृति दे दी और इसके साथ ही 1973–74 और 1974–75 के लाभ की 63 लाख रुपए की रकम बाहर भेजने की भी स्वीकृति दे दी गई। 31 मार्च, 1973 और 31 मार्च, 1975 के बीच खरीद की कीमत में वृद्धि होने का मुख्य कारण यह था कि 1974–75 में इस देनदारी का ध्यान रखने के लिए एक स्वीकृति प्राप्त ट्रस्ट फंड स्थापित कर दिए जाने के कारण 31 मार्च, 1975 को कारबार छोड़ने अथवा निवृत्त होने के उपदान के संबंध में कोई रकम तत्काल नहीं अदा की जानी थी ।

(ग) इंडिया टोबैको कम्पनी और इंडियन लीफ टोबको डवलपमेंट कम्पनी के उस समय एक जैसे विदेशी शेयर होल्डर थे ।

(घ) कम्पनी को सीमा शुल्क की अदायगी करने से छूट देने के आदेश, इस मामले की विभाग द्वारा जांच पड़ताल किए जाने के बाद, फाइल पर तत्कालीन राजस्व और बैंकिंग मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा दिए गए थे । यह मालूम नहीं है कि उन्होंने ऐसा तत्कालीन प्रधान मंत्री के मौखिक आदेशों के अन्तर्गत किया था या नहीं ।

भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए जर्मनी से गैर-सरकारी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन

781. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी और उन्होंने भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए जर्मनी से गैर-सरकारी पूंजी-निवेश को और ज्यादा प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता की बात कही थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में तथ्य क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) जर्मन संघीय गणराज्य का एक आर्थिक मिशन भारत आया था जिसमें वहां के विदेश मंत्री भी थे । मिशन ने औद्योगिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच और अधिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा कुछ ऐसे तथ्यों का उल्लेख किया जो भारत में जर्मनी द्वारा गैर-सरकारी पूंजी लगाये जाने में बाधक हैं । मिशन के साथ आम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई । दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत के दौरान यह तय किया गया कि जर्मनी सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के एक विशेषज्ञों का दल उन रुकावटों पर विचार करे जो भारत जर्मन आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के मार्ग में बाधक हैं ।

ALLOCATION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO STATES IN FIFTH FIVE-YEAR PLAN

SHRI DHARAMSINBHAI PATEL : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance allocated by the central government to various States in the country during the Fifth Five-Year Plan;

(b) the amount of assistance given so far, State-wise; and

(c) the criteria or formula adopted for giving assistance to States ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a), (b) and (c) For the Fifth Plan period as a whole, the total Central assistance for the States has been taken at Rs. 6000 crores. Out of this, Rs. 450 crores are allocated for Tribal Sub-Plan, Hill Areas Programmes and Schemes of the North-Eastern Council and Rs. 100 crores for extra Central assistance in respect of externally aided State Plan projects. The remaining amount of Rs. 5450 crores is allocated among the States on the basis of what has come to be known as Gadgil formula. According to this formula, a lump sum allocation is made to meet the requirements of States of Assam, Nagaland, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, other North-Eastern States and Sikkim for financing their approved Plan outlays. For the remaining fourteen States, Central assistance is allocated on the following basis :—

(i) Population—60% 1971 Census figures.

(ii) Per capita State income—10% Average per capita income at current prices for 1970-73 as furnished by the Central Statistical Organization.

(iii) Tax effort—10% 1973-74 State tax receipts and per capita income as under (ii) above.

(iv) Irrigation and Power Projects—10% Revised Fifth Plan outlays on continuing major irrigation and power schemes, with an estimated cost of Rs. 20 crores and above and expenditure of at least 10% by the end of 1973-74.

(v) Special problems—10%.

On the basis of a recommendation of the Chief Ministers' Conference, it had been decided last year that 8% of the Central assistance allocated according to the above criteria will be specifically earmarked against performance in family planning. This formula is operative from 1977-78 on the basis of performance relating to family planning during the preceding year.

2. The amount of Central assistance given so far State-wise is indicated in the Statement laid on the Table of the House.

STATEMENT

Fifth Five-Year Plan	*(Rs. crores)* *Central assistance released to States up to* 14-6-1977
1. Andhra Pradesh	256.39
2. Assam	161.91
3. Bihar	304.71
4. Gujarat	162.46
5. Haryana	76.16
6. Himachal Pradesh	78.73
7. Jammu & Kashmir	286.20
8. Karnataka	158.87
9. Kerala	142.20
10. Madhya Pradesh	221.81

11. Maharashtra	192.70
12. Manipur	38.18
13. Meghalaya	37.56
14. Nagaland	35.83
15. Orissa	173.06
16. Punjab	81.20
17. Rajasthan	190.10
18. Sikkim	21.93
19. Tamil Nadu	214.08
20. Tripura	34.07
21. Uttar Pradesh	550.00
22. West Bengal	171.79
Total all States	3589.94

EXPENDITURE ON DIGGING OPERATIONS IN JAIGARH FORT

783. SHRI NATHU SINGH : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether any treasure was found during digging operations carried out in Jaigarh fort in Rajasthan; and

(b) the total expenditure incurred on this digging operation ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) No, Sir.

(b) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

केरल में हथकरघा उद्योग

784. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन: क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में हथकरघा उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या उक्त संकट इस कारण से है कि "क्रैप" नामक हथकरघा उत्पाद, जिसका उत्पादन पूर्णतया हथकरघों के लिये आरक्षित है, का विद्युतचालित करघों द्वारा धागे तथा रसायनों की मूल्य वृद्धि की समस्या के अलावा गैर-कानूनी ढंग से उत्पादन किया जा रहा है ; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) केरल के हथकरघा उद्योग को 1977 के पूर्वार्द्ध में माल जमा होने के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। माल निकालने के लिये राज्य सरकार ने 1 फरवरी 1977 से बिक्री पर 10 प्रतिशत छूट की मंजूरी दी। मार्च और अप्रैल, 1977 में छूट को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया जिसे भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने समान रूप से वहन किया इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने राज्य सरकार के लिये 1.25 करोड़ रु० का विशेष ऋण मंजूर किया ताकि वह उत्पादक एककों से जमा पड़ा हथकरघा कपड़ा खरीद सके।

बताया गया है कि छूट की अवधि में 2 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है।

(ग) तथा (घ): हथकरघा उत्पादों के जमा हो जाने का एक कारण पावरलूमों द्वारा क्रेप का अवैध उत्पादन किया जाना है। निर्यात बाजार में भी क्रेप की मांग कम हो गई है। आरक्षण आदेश के उपबन्धों को कठोरता से लागू करने के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

पिछले 12 मास में यार्न की कीमतें बढ़ी हैं। रुई की कमी को, जिसकी वजह से यार्न की कीमतें ऊंची बनी रही हैं, पूरा करने के प्रयास स्वरूप रुई तथा अन्य रेशों का भारी मात्रा में आयात करने की व्यवस्था की गई है। आशा है कि आगामी महीनों में यार्न की कीमतें स्थिर हो जायेंगी।

विनिर्माताओं से रंजकों तथा रसायनों की बड़ी मात्रा में शीर्ष समितियों तथा हथकरघा निगमों की सीधी सप्लाई की व्यवस्था करके उनकी कीमतों में वृद्धि का मुकाबला किया जा रहा है।

आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

785. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 जून, 1975 से 20 मार्च, 1977 तक की अवधि के दौरान आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के कितने मामले सरकार के ध्यान में लाये गये ;

(ख) प्रत्येक मामले में किस प्रकार का दुरुपयोग किया गया;

(ग) उनमें जो पार्टियाँ अन्तर्ग्रस्त थीं उनके नाम और विवरण क्या हैं ; और

(घ) प्रत्येक मामले के बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

CORRUPTION IN COOPERATIVE SECTOR

786. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to conduct a country wide survey to eradicate corruption rampant in the cooperative sector;

(b) if so, the main features of the scheme and the time by which it will be implemented; and

(c) whether any such inquiry was made in the past and if so, the results thereof ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) to (c) : Cooperation being a State subject, the State Government are responsible for the supervision of and guidance to the cooperative societies in the States. The Central Government have, however, from time to time, issued guidelines to the States for improving probity in the administration of the affairs of cooperatives. These include ensuring proper maintenance of accounts, timely audit, introduction of concurrent audit in large cooperative institutions and effective follow-up of audit rectification. The gudielines also include suggestion for a provision in the state Cooperative laws for restrictions in terms of office and the number of institutions in which a person could held key offices like chairman, vice-chairman, secretary etc.

In specific cases of reported irrigularities, the concerned state Governments make necessary enquiries and take corrective steps.

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में अनियमितताएं

787. **श्री आर० के० अमीन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरणों में अनियमितताओं का पता लगाने के लिये विशेष लेखा परीक्षा आवश्यक हो गई थी ; और

4 441 LSS/77

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा काम संभाले जाने के बाद व्यय के कुछ पहलुओं की फरवरी 1977 में लागत लेखापाल द्वारा जांच करवाई गई थी। वाणिज्य मंत्रालय के आन्तरिक लेखा परीक्षा विंग ने मई, 1977 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लेखे की नियमित आन्तरिक लेखा परीक्षा भी आरम्भ की थी।

(ख) आन्तरिक लेखा परीक्षा पार्टी की रिपोर्ट अभी-अभी प्राप्त हुई है तथा उस पर विचार किया जा रहा है। सरकार को लागत लेखापाल की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में छूट गई सम्पत्ति के लिये मुआवजा

788. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन विस्थापितों की "सम्पत्ति" भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में छूट गई थी और जिसे "शत्रु की सम्पत्ति" घोषित कर दिया गया था उसके लिये मुआवजा देने के सम्बन्ध में सरकार को प्राप्त हुए आवेदनपत्रों का पृथक-पृथक नवीनतम ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त दोनों क्षेत्रों के जिन आवेदनों को अब तक मुआवजा दे दिया गया है उनके पृथक-पृथक आंकड़े और उनके पृथक-पृथक आंकड़े जिनके आवेदनपत्र विचाराधीन हैं तथा दोनों क्षेत्रों के आवेदकों को इस प्रयोजन के लिये अदा की गई राशियों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के आवेदन-पत्र की तारीख को आगे बढ़ाने का विचार है और क्या उनके आवेदन-पत्रों पर शीघ्रता से विचार करने के लिये कलकत्ता में एक विशेष कार्यालय स्थापित करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखदी जाएगी।

(ग) जिन भारतीय राष्ट्रिकों, कम्पनियों आदि की पाकिस्तान स्थित परिसंपत्तियां सितम्बर 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तथा उसके बाद पाकिस्तान सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी, उनसे दावों के आवेदनपत्र प्राप्त करने की तारीख पहले 31-12-76 से बढ़ाकर 31-4-77 कर दी गई थी। शत्रु सम्पति के अभिरक्षक अन्तिम बार 31 जुलाई 1977 तक तारीख बढ़ाने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। कलकत्ता में एक ब्रांच आफिस स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

नये विमान-मार्ग चालू करना

789. **श्री बापू कालदते :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1977 से अनेक नये विमान-मार्ग चालू किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उनकी आर्थिक उपादेयता का भी पता लगाने के लिए कोई व्यवहार्य प्रतिवेदन मांगे गये थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) एयर इंडिया ने 1-4-1977 से अपनी विमान सेवाओं के मार्गजाल में जेड्डाह को भी सम्मिलित कर लिया है तथा इंडियन एयरलाइन्स ने 5 मई, 1977 से एच एस-748 द्वारा अपनी दैनिक सेवा दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-बम्बई पर सप्ताह में दो दिन ग्वालियर को छोड़ते हुए जबलपुर और रायपुर को सम्मिलित कर लिया है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नई सेवाएं न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभप्रदता के आधार पर ही बल्कि पिछड़े क्षेत्रों को उभारने के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी चालू की जाती हैं। यातायात के परिमाण को भी ध्यान में रखा जाता है। एयर इंडिया नये स्टेशनों को अपनी सेवाओं में सम्मिलित करते समय यातायात की अपेक्षाओं को ध्यान में रखती है।

EXPORT OF HARD SILVER AND GOLD BROCADE (JARI)

790. SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the value of hard silver and gold brocade (Jari) exported so far since 1975-76;

(b) whether Government propose to make any new change in the policy in this regard; and

(c) if so, the nature of the changes proposed to be made ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) No separate figures for export of hard silver and gold brocade (Jari) are maintained. However, the export of real and imitation zari and products thereof during 1975-76 was to the extent of Rs. 401.08 lakhs and during the first eleven months of 1976-77, i.e., from April'76 to Feb.'77 it was to the extent of Rs. 403.74 lakhs.

(b) and (c) There is no proposal at present to make any new change in the policy in this regard.

ग्रावश्यक वस्तुग्रों की कमी

791. **श्री ग्रार० वी० स्वामीनाथन**
श्री प्रसन्न भाई मेहता
श्री पी० जी० मावलंकर
श्री उग्रसेन
: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने में ग्रसमर्थ रही है जो ग्रावश्यक वस्तुग्रों की कमी से लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं ;

(ख) क्या मार्च ग्रौर ग्रप्रैल, 1977 में ग्रनेक राज्यों में ग्रावश्यक वस्तुग्रों की कमी रही थी ; ग्रौर

(ग) ग्रावश्यक वस्तुग्रों की बाजार में नियमित सप्लाई बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) ग्रावश्यक वस्तुग्रों की कमी से लाभ उठाने की कोशिश करने वाले समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे ग्रावश्यक वस्तुग्रों के मूल्य तथा स्टाक प्रदर्शित करने के बारे में ग्रावश्यक वस्तु ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत ग्रादेश जारी करवाएं । केन्द्रीय सरकार ने उन लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, जिन पर ग्रबाध लाइसेंस प्रणाली के ग्रन्तर्गत खाद्य तेलों के ग्रायात के लिए दिए गए लाइसेंसों के दुरुपयोग के ग्रारोप लगाए गए हैं ।

(ख) तथा (ग) पूर्वगत वर्ष में कपास, तिलहनों तथा दालों जैसी कुछ ग्रावश्यक वस्तुग्रों के उत्पादन में कमी होने के कारण उनकी उपलब्धता की स्थिति कुछ खराब सी रही । मार्च-ग्रप्रैल, 1977 में स्थिति में सुधार हुग्रा, यद्यपि मूल्य ग्रधिक ही रहे । उपभोक्ताग्रों को ग्रावश्यक वस्तुग्रों की सप्लाई में सुधार करने के लिए मार्च-ग्रप्रैल, 1977 में सरकार द्वारा किए गए ग्रावश्यक उपायों में ये शामिल हैं :—

(i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ग्रधिक ग्रनाज देना;

(ii) एक राज्य से दूसरे राज्य में गेंहूं लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों को समाप्त करना;

(iii) मई, जून तथा जुलाई, 1977 के महीनों के लिए ग्रधिक गैर लेवी चीनी देना;

(iv) ग्रालू तथा प्याज का नियंत्रित निर्यात;

(v) वनस्पति उद्योग तथा सीधी खपत के लिए सप्लाई करने के लिए राज्य व्यापार निगम और निजी व्यापारियों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेल आयात करते रहना;

(vi) शुरूआत के तौर पर अधिक खपत वाले कुछ केन्द्रों में राज्य नागरिक पूर्ति संगठनों के माध्यम से सीधी खपत के लिए परिष्कृत आयातित रेपशीड तेल का 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम के खुदरा मूल्य की दर से वितरण करने का प्रबन्ध करना।

(vii) सीमेंट के निर्यात को, यथासम्भव सीमा तक, बिखेरना।

दीर्घकालीन उपाय के रूप में सरकार कई आवश्यक वस्तुओं के बारे में बड़े पैमाने की सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाने के बारे में विस्तृत ब्यौरा तैयार कर रही है।

विदेशी बैंकों द्वारा भारत से बाहर धन भेजा जाना

792. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी कम्पनियों पर अन्य देशों को धन भेजने पर लगाई गई रोक का उल्लंघन कर रहे हैं और यदि हां, तो ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं और उन्होंने कितनी राशि विदेशों को भेजी है;

(ख) क्या रिजर्व बैंक ने ग्रिंडलेज बैंक को यह आदेश दिया है कि वह 3.5 करोड़ रुपये की वह राशि वापस इस देश में लाये जो उसने "मुख्य कार्यालय खर्च" के नाम पर वर्ष 1974 और 1975 में गलत ढंग से बाहर भेजी थी; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे विदेशी बैंकों के खातों की इस दृष्टि से जांच की है जिन्होंने गत तीन या चार वर्षों में "मुख्य कार्यालय खर्च" "तकनीकी जानकारी", "सहयोग-करारों", "आयात-निर्यात व्यापार बिलों" के नाम पर बड़ी राशि विदेशों को भेजी है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों सहित विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशों को धन भेजने पर कोई रोक नहीं लगाई है। विदेशी बैंकों द्वारा कमाये गये लाभ में से भारतीय आयकर काट लेने के बाद शेष राशि विदेश को भेजने की अनुमति दी जाती है। रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन चार वर्षों में विदेशी बैंकों ने मुख्य कार्यालय को धन भेजने विषयक नियमों का आम तौर से पालन किया है।

(ख) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1973, 1974 और 1975 के दौरान ग्रिंडलेज बैंक को कुल 57.87 लाख रुपये की राशि वापिस लाने के लिए कहा गया था, जिसे आयकर अधिकारियों ने मुख्य कार्यालय के व्यय के रूप में स्वीकार नहीं किया था। ग्रिंडलेज बैंक द्वारा उक्त राशि वापिस लाई गई थी, उस पर कर दिया था और शेष राशि फिर विदेश को भेजने की अनुमति दे दी गई थी।

(ग) विदेशी बैंकों का कर निर्धारण करते समय मुख्य कार्यालय के व्यय के रूप में स्वीकार की जाने वाली राशि के बारे में आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। इन बैंकों का निरीक्षण करते समय रिजर्व बैंक भी इस बात की जांच करेगा कि मुख्य व्यय के लिये जिस राशि का दावा किया गया है उसके किस वर्ग को न्यायोचित माना जा सकता है।

WORLD BANK AID

†793. Shri MEETHA LAL PATEL
SHRI ISHWAR CHOWDHARY } : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether the question of grant of aid to India by World Bank was discussed during his recent visit to Washington;

(b) if so, the salient features of the discussions held; and

(c) the amount of aid likely to be provided to India during 1977-78 ?

The MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a), (b) and (c) In the course of my meeting with Mr. McNamara, President of the World Bank, the question of Bank Group's assistance for India came in for general discussion. However, the quantum of World Bank aid for 1977-78 was not discussed.

विदेशी सहायता

794. **श्री आर० कोलनथाइवेलु : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दस वर्ष में गरीबी हटाने के लिये बड़ी मात्रा में विदेशी सहायता लेने का है ; और

(ख) क्या सरकार ने बड़ी मात्रा में विदेशी सहायता लेने और उसका सार्थक उपयोग करने की रूपरेखा तैयार की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं । अब भी योजना का मुख्य उद्देश्य आत्म-निर्भरता प्राप्त करना ही है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

बैंक ऋण

795. **श्री चित्त बसु : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1976 से मार्च, 1977 के दौरान बैंकों से कुल कितना ऋण दिया गया है ; और

(ख) इस ऋण में से सरकारी क्षेत्र के उद्योग, गैरसरकारी क्षेत्र के उद्योग, कृषि और लघु उद्योगों का अंश कितना है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) 1976-77 के दौरान ऋण विस्तार के क्षेत्रवार और संगटन-वार ब्यौरे विषयक सारे आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं । फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अनन्तिम आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :—

ऋण का क्षेत्रवार वितरण

क्षेत्र	26 मार्च, 1976 और 25 मार्च, 1977 के दौरान घट बढ़
	करोड़ रुपये
सकल बैंक ऋण	+2276
जिनमें :—	
(क) सरकारी खाद्य वसूली ऋण	+669
(ख) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम (इन क्षेत्रों को मंजूर किये गये निर्यात ऋण सहित)	+774
(क) छोटे पैमाने के उद्योग	+215
(ख) कृषि	+277
(ग) अन्य प्राथिमकता प्राप्त क्षेत्र	+232
(ग) अन्य क्षेत्रों को ऋण *(इन क्षेत्रों को मंजूर किये गये निर्यात ऋण सहित)	+833
जिनमें :	
भारतीय कपास निगम को	+120
भारतीय खाद्य निगम (उर्वरक) को	+23
भारतीय पटसन निगम को	+9
(च) गैर खाद्य ऋण (ख)+(ग)	+1607
(ङ) (घ) में से—निर्यात ऋण	+219

*बड़े और मध्य उद्योग और थोक व्यापार सहित ।

बिहार सिविल आडिट एंड एकाऊंटस आफिस में अस्थायी कर्मचारी

796 **डा० सरदीश राय : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार सिविल आडिट एण्ड एकाउन्ट्स आफिस एसोसियेशन पटना से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें 85 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी पदों पर खपाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय के अनुदेशों के अंतर्गत, महालेखाकार, बिहार में इस बारे में समीक्षा का काम शुरू कर दिया है और इसे शीघ्र ही पूरा किया जाएगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य सरकारी वित्त-पोषक संस्थाओं द्वारा मारुति लिमिटेड को दिये गये ऋण तथा अग्रिम राशियां

797. **श्री मधु लिमये : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीकृत बैंकों, अन्य सरकारी वित्तपोषक संस्थाओं तथा गैर-सरकारी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मारुति लिमिटेड, मारुति हैवी व्हीकल्स लिमिटेड, मारुति टैक्निकल सर्विसिज और मारुति एविएशन को आज तक कुल कितना (जमानत वाला तथा बिना जमानत वाला) ऋण या अग्रिम राशियां दी गईं;

(ख) इन ऋणों तथा अग्रिम राशियों का संस्थावार और कम्पनीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ये अग्रिम राशि और ऋण भूतपूर्व प्रधान मंत्री या उनके पुत्र को खुश करने के लिये दिये गये अथवा वे ऋण देने के उचित सिद्धांतों पर आधारित थे ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली सरकारी वित्तीय संस्थाओं में से किसी ने मारुति समूह को कम्पनियों को कोई अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मारुति समूह की कम्पनियों को वित्तीय सहायता दिये जाने का सम्बंध है, बैंकों में प्रचलित प्रथा और व्यवहार के अनुसार तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के अनुसरण में भी इन सभी बैंकों के ग्राहक विशेष के बारे में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। इस लिए माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

जांच आयोग अधिनयम, 1952 की धारा 3 के अधीन सरकार ने मारुति समूह की कम्पनियों के कारोबार की जांच करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। इस जांच आयोग के विचारणीय विषयों में, अन्य बातों के साथ साथ मारुति कंसर्नों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से सुविधायें, ऋण और अन्य सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी सभी मामले शामिल हैं जिनमें मारुति कंसर्नों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता प्राप्त करने में उनकी पात्रता, जिस सावधानी से आवेदन पत्रों पर विचार किया गया उसका स्तर और ऐसी सहायता मंजूर करने विषयक लागू तत्कालीन नीति, प्रथा, नियम और निदेश के अनुरूप होने की मात्रा की जांच करना शामिल है।

RAIDS BY INCOME-TAX DEPARTMENT

798. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) the number of raids conducted by the Income-tax Department in the country from 1st July, 1975 to 31st December, 1976, State-wise;

(b) the estimated amount of concealed income and value of property unearthed during these raids and the estimate thereof as on 31st March, 1977; and

(c) the additional amount of income-tax and wealth-tax likely to be realised as a result thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) The Income-tax Department conducted 5115 search and seizure operations between 1st July, 1975 and 31st December, 1976. Statistics regarding searches are not maintained State-wise, as in several cases searches are conducted in more than one State in respect of the same assessee and the Director of Inspection (Investigation) and some of the Commissoiners or Income-tax exercise jurisdiction in more than one State.

(b) & (c): The aggregate value of assets seized during the above operations amounted to over Rs. 31.57 crores. The cases are at various stages of processing. The amount of concealed income likely to be brought to tax is expected to be not less than the value of the seized assets, and the income-tax and wealth-tax payable there on can be very roughly estimated at over Rs. 15 crores. It will take considerable time to make a more precise estimate, since this will be possible only after the seized accounts and documents are scrutinised and the necessary enquiries are made.

तस्करों की सम्पत्ति का जब्त किया जाना

799. **श्री वी० एम० सुधीरन** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) तस्करों द्वारा गलत तरीकों से अर्जित सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार ने उसे जब्त करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : ऐसा विश्वास करने के कारण हैं कि जिन व्यक्तियों पर तस्कर और विदेशी मुद्रा छल-साधक (सम्पत्ति का समपहरण अधिनियम 1976 लागू होता है उन्होंने 23.86 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित मूल्य की सम्पत्तियां, जिसमें 13.23 करोड़ रुपए मूल्य की चल सम्पत्ति तथा 10.63 करोड़ रुपए की अचल सम्पत्ति शामिल है, गैर कानूनी रूप से अर्जित की है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं जिनमें घोषणा की गयी है कि 2.40 करोड़ रुपए मूल्य की चल सम्पत्ति और 1.57 करोड़ रुपए मूल्य की अचल सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार के पास जब्त है जो सभी प्रकार के ऋण भारों से मुक्त है। शेष सम्पत्तियों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की सरलीकृत प्रक्रिया का विपरीत प्रभाव

800. **श्री भगत राम** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 1 अप्रैल, 1976 से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की सरलीकृत प्रक्रिया लागू हो जाने के बाद से लघु उद्योग बरबाद हो रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार इस प्रक्रिया में परिवर्तन लाने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं। इस योजना का छोटे निर्माताओं द्वारा आमतौर पर अच्छा स्वागत किया गया है, और लगभग 20,000 हकदार एककों में से, करीब 12,000 एकक इस समय इस कार्य-विधि के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं।

सरलीकृत कार्यविधि एक विकासोन्मुख योजना है। इस योजना ने उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी औपचारिकताओं को सरल बनाकर और किसी प्रकार की अतिरिक्त शुल्क देयता का दायित्व लिए बिना, छोटे एककों के उत्पादन में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि करने की अनुमति देकर उनकी सहायता की है।

सरलीकृत कार्यविधि 1 मार्च, 1976 से लागू की गई थी। 1000 से अधिक एककों ने, जिन्होंने इस कार्यविधि को अपनाया है, अपने उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की है जो 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक से ऊपर तक हुई है।

(घ) सरकार सरलीकृत कार्यविधि के कार्यचालन की समीक्षा करती आ रही है। समीक्षा के परिणामस्वरूप, अभी हाल ही में कुछ सुधार किये गये हैं। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि आगे मे इस कार्यविधि के अन्तर्गत कार्य कर रहा कोई भी निर्धारित स्वत: ही इस योचना का हकदार बननें सें वंचित नहीं हो जायगा। यदि उसका उत्पादन 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाता है (जैसा कि पहले होता था) बल्कि इस योजना के अन्तर्गत वह तब तक लाभ प्राप्त करता रहेगा जब तक कि उसका उत्पादन, उसके आधार उत्पादन का 200 प्रतिशत अथवा 5 लाख रुपए, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं हो जाता।

रुपये और रूबल की विनिमय दर

801. **श्री एस० कुन्दु** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत रूस ने रुपए और रूबल की विनिमय दर बढ़ा दी है और यदि हां, तो बढ़ी हुई दर क्या है तथा रूस को भारतीय रुपए के रूप में दिया जाने वाला बकाया ऋण इस समय कितना है; और

(ख) क्या सरकार रुपए और रूबल की विनिमय दर बढ़ाने पर सहमत हो गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : रुपए और रूबल के बीच नया सममूल्य स्थापित करने के प्रश्न पर सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है और यह अभी जारी है। यह बातचीत गोपनीय किस्म की है और जिन विभिन्न समस्याओं पर विचार किया जा रहा है उनके बारे में इस समय बताना लोकहित में नहीं होगा।

PERMISSION FOR FLYING AIRCRAFT OF BIHAR GOVERNMENT BY SHRI SANJAY GANDHI

802. SHRI ISHWAR CHAUDHARY: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether an aircraft of Bihar Government was used by Shri Sanjay Gandhi on 21st February for which a bill was sent by the Finance Department to the Pradesh Congress Committee for payment; and

(b) if so, whether Shri Sanjay Gandhi had obtained the permission of his Ministry before or after flying from Patna to Calcutta ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir. A bill for Rs. 2662.50 was sent to Bihar Pradesh Congress Committee on 3rd March 1976 in which no charge for the empty return journey of plane from Calcutta to Patna was made. The amount was not paid by Bihar Pradesh Congress Committee and hence as desired by the then Chief Minister a revised bill for Rs. 4897.50 was sent to him (Chief Minister) on 31st March 1977 in which charges for empty return journey of the plane were also included. Payment for the revised bill has also been not received so far.

(b) No permission from Government was necessary as the flight was booked in the name of the then Chief Minister, Bihar and Shri Sanjay Gandhi travelled by it, from Darbhanga to Calcutta.

पर्यटन यातायात

803. **श्री निहार लास्कर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष और पिछले वर्ष पर्यटन यातायात कम हुआ है और यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इसमें सम्पूर्ण रूप से कमी होने के क्या कारण हैं और

(ग) पर्यटन यातायात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : : (क) और (ख) : जी, नहीं पिछले दो वर्षों के दौरान पर्यटक यातायात में कोई कमी नहीं हुई। इसके विपरीत, पिछले दो वर्षों के दौरान पर्यटक यातायात में वृद्धि ही हुई है। 1975 के दौरान भारत की यात्रा करने वाले 4,65,275 विदेशी पर्यटकों की तुलना में 1976 के दौरान आने वाले पर्यटकों की संख्या 533,951 थी जोकि 14.8 प्रतिशत की वृद्धि को द्योतित करती है। जनवरी से मई, 1977 के दौरान, 243,985 विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की, जोकि 1976 की उसी अवधि में आने वाले पर्यटकों से 19.7 प्रतिशत अधिक हैं।

(ग) यद्यपि भारत के लिए पर्यटक यातायात में काफी अधिक वृद्धि हो रही है, तथापि पर्यटन विभाग इससे भी अधिक अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए अपने प्रयत्नों को और तेज़ कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(i) विश्व के उन क्षेत्रों में, जहां भारत के लिए पर्यटक यातायात की अधिक संभावनाएं हैं, नये पर्यटन कार्यालय खोलना। चालू वर्ष के दौरान तेहरान, (ईरान), बैंकाक (थाईलैंड), कुआलालम्पुर (मलेशिया), पर्थ तथा मेल्बोर्न (आस्ट्रेलिया) में नए कार्यालय खोले जाएंगे।

(ii) भारत के सम्बन्ध में पर्यटन साहित्य का इस समय किए जा रहे 5 भाषाओं के बजाय 13 यूरोपीय भाषाओं में प्रकाशन करना। इसके अतिरिक्त, पर्यटन विभाग अरबी, फारसी, थाई, जापानी तथा चीनी भाषाओं में भी पर्यटन साहित्य का प्रकाशन कर रहा है।

(iii) विदेशी पर्यटकों के फायदे के लिए विदेशी मुद्रा में देय भारतीय रेलवेज़ पर "जहां चाहो जाओ" टिकटें तथा इंडियन एयरलाइंस पर "भारत दर्शन" टिकटें चालू करना।

(iv) भारत में प्रवेश सम्बन्धी औपचारिकताओं में छूट, जैसे भारत आने पर, लैंडिंग परमिट जारी करना जोकि 30 दिन के लिए वैध होगा,

(v) विश्व के विभिन्न भागों से यात्रा लेखकों/यात्रा परिचालकों के लिए भारत के लिए परिचायक यात्राओं का आयोजन जिससे वे हमारे यहां उपलब्ध सुविधाओं को देख सकें।

DEVELOPMENT OF VARIOUS PLACES AS TOURIST CENTRES IN MADHYA PRADESH

804. **SHRI LAXMI NARAIN NAYAK** : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Central Government have included Chitrakoot, Khajuraho and Orachha in Madhya Pradesh in the list of famous spots of tourist interest in the country;

(b) steps taken and proposed to be taken by the Central Government for the development of these places of historical and cultural importance; and

(c) the time by which approach roads to various places of scenic beauty and cultural importance adjacent to Chitrakot, Khajuraho and Orachha will be constructed ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a), (b) and (c) : The development of tourist centres in the Central Sector is being determined for the present on the basis of their existing or potential popularity with international tourists. With this end in view the facilities for international tourists have already been created at Khajuraho in the form of augumenting the water supply, and the expansion and renovation of the existing travellers lodge. A proposal to construct a camping site at Khajuraho in the Central Sector is also under the consideration. Constraint on resources, however, precludes undertaking schemes for tourism development at a number of places in Madhya Pradesh including Chitrakoot and Orachha.

RAIDS CONDUCTED IN PREMISES OF SMUGGLERS

805. SHRI DHANNA SINGH GULSHAN : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether raids were conducted in the premises of smugglers throughout the country during 1974-75 and 1975-76;

(b) if so, the number of smugglers arrested, State-wise, and the amount of cash, gold and silver recovered from them separately; and

(c) whether the seized wealth was deposited in the State Government treasury or in the Central Government treasury ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a), (b) & (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

KATIHAR (BIHAR) JUTE MILL

806. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Katihar (Bihar) Jute Mill is lying closed for the last many months as a result of which the workers have been rendered unemployed;

(b) whether Bihar Government have recommended to the Central Government to take over this mill; and

(c) if so, the facts thereof ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) Katihar jute mill in Bihar is not lying closed. However, another jute mill in Katihar called Rai Bahadur Hurdutrai Motilal Jute Mill (P) Ltd. has been affected by work stoppage since March, 1976.

(b) & (c) : Govt. of Bihar who had expressed their willingness to take over this mill, have been requested to examine its viability so that the institutional finance for re-opening the unit could be secured.

अनिवार्य जमा योजना से प्राप्त राशि

807. श्री के० ए० राजन
श्री एस० आर० दामाणी
श्री एस० जी० मुरुगय्यन

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनिवार्य जमा योजना द्वारा अब तक कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : : अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र के एककों के कर्मचारियों द्वारा 3 जून, 1977 तक अनिवार्य जमा के रूप में कुल 1764.68 करोड़ रुपया जमा कराया गया था।

बैंक कर्मचारियों को बोनस दिया जाना

808. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के कर्मचारियों तथा उन कर्मचारियों ने, जिन्हें बोनस मिलता था, सरकार से शीघ्र बोनस देने को कहा है,

(ख) क्या यह बोनस पिछली तिथि से दिया जाएगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : बैंक कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के बारे में सरकार को हाल ही में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। बोनस आदायगी (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अनुसार बैंक कर्मचारियों को बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया है।. किन्तु, 1974 और 1975 के लिए बोनस के स्थान पर बैंक कर्मचारियों को अनुग्रह अदायगी की गई थी। 1976 के लिए अनुग्रह अदायगी के बारे में अब तक निर्णय नहीं किया गया है। विभिन्न उद्योगों में बोनस अदायगी विषयक नीति की सरकार अलग से समीक्षा कर रही है।

भारत-नेपाल सीमा पर तथा महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में तस्करों की गतिविधियों का बढ़ना

809. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नेपाल सीमा पर और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में तस्करी की गतिविधियों में पुनः वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या कुछ तस्करी का सामान पकड़ा गया है;

(ग) भारत-नेपाल सीमा पर और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र से अप्रैल, 1977 में कितने मूल्य का माल पकड़ा गया; और

(घ) क्या तस्करों की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सम्भवतः इस प्रश्न का संकेत आपात स्थिति के हटाए जाने के पश्चात् तस्करी के रुख की ओर है। प्राप्त रिपोर्टें यह सूचित नहीं करतीं कि भारत-नेपाल सीमा पर तथा महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों में तस्करी में वृद्धि हो गयी है।

(ख) तथा (ग) : अप्रैल, 1977 के महीने में भारत-नेपाल सीमा पर तथा महाराष्ट्र के समुद्र तट पर पकड़े गये माल की कीमत क्रमशः 10,31,398 रु० तथा 24,49,483 रु० बतायी जाती है।

(घ) तस्करी-विरोधी उपायों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं— भारत-नेपाल सीमा पर नयी निवारक चौकियां खोलना, सारी भारत-नेपाल सीमा पर तथा महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों में निरन्तर और अधिक निगरानी रखना, तस्करी के बारे में गुणात्मक सूचना प्राप्त करने के निमित्त गुप्त-सूचना तन्त्र को उन्नत बनाना, महाराष्ट्र के समुद्र तट पर सुगमता से पार किए जा सकने योग्य क्षेत्रों तथा भारत-नेपाल सीमा पर स्थल भागों की गश्त लगाना और संवेदनशील पत्तनों से आने वाले जलयानों की जोरदार तलाशी लेना।

विमान उड़ान सुरक्षा के लिए सिविल विमान उड़ान क्षमता की आवश्यकताएं

810. **श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य :**

श्री मुकुंद मंडल क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय विमान इन्जीनियर्स एसोसिएशन ने यह आशंका प्रकट की है कि हाल में सिविल विमान उड़ान क्षमता की आवश्यकताओं (सी० ए० आई०) में किए गए परिवर्तन से विमान उड़ान सुरक्षा को खतरा हो सकता है;

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के अधिकारियों ने इसका खण्डन किया है;

(ग) क्या उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए पूरी जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) : उड़नयोग्यता की संशोधित शर्तों के लागू किये जाने के बाद, दोनों कार्पोरेशनों के इंजीनियरी संगठनों के कार्यचालन बारे में दोनों कार्पोरेशनों, अर्थात् इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया तथा नागर विमानन विभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय निरीक्षण कार्यालयों से एक विशेष रिपोर्ट मंगवाई गई थी। इन सूत्रों से प्राप्त हुई रिपोर्टों से, संशोधित उड़नयोग्यता नियमों के अनुसार, दोनों कार्पोरेशनों के इंजीनियरी संगठनों के कार्यचालन में किसी त्रुटि का पता नहीं चलता है।

बहु राष्ट्रीय निगम

811. **श्री मुकुंद मंडल :** क्या **वित्त राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बहु राष्ट्रीय निगमों को उनके आवेदन पत्र तीन वर्ष से अधिक समय से "विचाराधीन" बनाए रखकर उन्हें नयी अवधि दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) : जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आय कर आयुक्त

812. **श्री शिव सम्पत : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आय-कर आयुक्तों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने आयुक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं;

(ग) उच्च पदों पर इन श्रेणियों के व्यक्तियों का कम प्रतिनिधित्व होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों को उच्च पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : वर्तमान में आयकर आयुक्तों की संख्या 72 है जिसमें वे आयकर आयुक्त भी शामिल हैं जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन निदेशालयों में निदेशकों के रूप में तैनात हैं। इनमें से कोई भी आयकर आयुक्त अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति का नहीं है।

(ग) और (घ) : आयकर आयुक्तों के पदों पर नियुक्तियां, सहायक आयकर आयुक्तों को पदोन्नति करके की जाती हैं। ये पदोन्नतियां योग्यता के आधार पर चयन करके की जाती हैं। पात्र अधिकारियों के मामलों पर उनकी वरिष्ठता के क्रम में और निर्धारित कार्यविधि के अनुसार, पदोन्नति के निमित्त चुनाव के लिए विधिवत् गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाता है।

आयकर आयुक्तों के पदों के सम्बन्ध में अन्तिम वेतन 2250 रु० से अधिक है और इस प्रकार के पदों पर चयन द्वारा पदोन्नति करने के मामले में किसी प्रकार की रिआयत बरतने की व्यवस्था नहीं है। आयकर आयुक्तों के पदों पर पदोन्नति करने के लिए अब तक किए गए चयनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सहायक आयकर आयुक्तों की वरिष्ठता इतनी नहीं थी कि उनको विचार के लिए शामिल किया जाता। वर्तमान में, 49 सहायक आयकर आयुक्त ऐसे हैं जो अनुसूचित जातियों/अनसूचित जन जातियों के हैं और रिक्त स्थानों की उपलब्धता तथा पदोन्नतियों की गति पर निर्भर करते हुए वे यह आशा रख सकते हैं कि उनके मामलों पर आयकर आयुक्तों के पदों पर पदोन्नति के लिए चयन करने के लिए यथा समय विचार किया जाएगा।

बैंकिंग आयोग

813. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री मनुभाई शाह की अध्यक्षता में स्थापित किये गये बैंकिंग आयोग द्वारा अब तक किये गये कार्य की प्रगति क्या है;

(ख) क्या आयोग के कर्मचारी बदले जा रहे हैं और अथवा उनकी वृद्धि की जा रही है; और

(ग) यह आयोग अपना प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सभी पहलुओं पर बारीकी से विचार कर लेने के पश्चात्, सरकार ने निर्णय किया कि सरकारी क्षेत्र की वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच करने के लिए श्री मनुभाई शाह की अध्यक्षता में गठित आयोग को समाप्त कर देना बेहतर होगा। तदनुसार 22 अप्रैल, 1977 से आयोग ने काम करना बन्द कर दिया।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

बर्खास्त पायलटों को बहाल किया जाना

814. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन सभी बर्खास्त पायलटों को, जिन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान हड़ताल में भाग लिया था, बहाल करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) कितने पायलटों को बर्खास्त किया गया था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) एयर इंडिया के उन तीन विमानचालकों में से, जिन्हें 1974 में कारपोरेशन में गैर-कानूनी हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवा से निकाल दिया गया था, दो को पहले ही बहाल किया जा चुका है। तीसरे का मामला न्यायाधीन (Sub-Judice) है।

अप्रत्यक्ष करों संबंधी जांच समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन

815. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एल० के० झा की अध्यक्षता में अप्रत्यक्ष करों सम्बन्धी ढांचे का पुनर्विलोकन करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने सरकार को अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल रिपोर्ट को एक गोपनीय दस्तावेज के रूप में माना जा रहा है। लेकिन, रिपोर्ट की मुख्य रूपरेखा देते हुए एक संक्षिप्त-सार यथा-समय सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

जयपुर तथा ग्वालियर के भूतपूर्व राजघरानों पर छापे

816. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात काल में जयपुर तथा ग्वालियर के भूतपूर्व राजघरानों पर छापे मारे गए थे और काफी तलाशियां ली गई थीं;

(ख) क्या वहां से विशाल गढ़ा हुआ खजाना मिला था;

(ग) यदि हां, तो उसका मूल्य क्या है और उसका क्या किया गया है; और

(घ) क्या ऐसे समाचारों में कोई सच्चाई है कि तत्कालीन प्रधान मंत्री ने श्रीमती गायत्री देवी और श्रीमती विजय राजे सिंधिया के साथ, कोई प्राइवेट सौदा किया था और राजघरानों/वाल्टों की आगे तलाशी बन्द कर दी थी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) तथा (ग) : भारत सरकार तथा कर्नल भवानी सिंह के बीच हुए एक समझौते के अन्तर्गत जयपुर के भूतपूर्व शासक परिवार के जयपुर किले में आयकर प्राधिकारियों द्वारा 10 जून 1976 से खजाने की तलाशी शुरू की गई थी। किन्तु कोई खजाना नहीं मिला और इसलिए नवम्बर 1976 में तलाशी का काम छोड़ दिया गया।

आय कर और स्वर्ण नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा ग्वालियर के भूतपूर्व शासक परिवार के जय विलास महल में अगस्त 1975 से नवम्बर 1975 तक की अवधि के दौरान संयुक्त रूप से तलाशी ली गई थी।

इन तलाशियों के परिणामस्वरूप, आयकर अधिकारियों द्वारा 99.53 लाख रुपए के मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गई थीं जिनमें से 98.97 लाख रुपए के मूल्य की वस्तुओं को आय कर अधिनियम 1961 की धारा 132 (5) के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के अधीन रोक लिया गया था। इसके अतिरिक्त, 107.02 लाख रुपए के मूल्य की वस्तुओं को आय कर अधिनियम 1961 की धारा 132(3) के अन्तर्गत जारी किए गए निषेधात्मक आदेशों के अधीन तब तक रखा गया था जब तक कि उन दावों की जांच नहीं हो जाती कि उक्त वस्तुओं की घोषणा धन कर विवरणियों में कर दी गई थी। विवादरहित कर की मांग आदि की अदायगी को सुविधाजनक बनाने के लिए इन वस्तुओं को अब छोड़ दिया गया है/छोड़ा जा रहा है।

नियमित कर-निर्धारण की कार्यवाही जारी है।

ग्वालियर के जय विलास महल से स्वर्ण नियन्त्रण प्राधिकारियों द्वारा अक्तूबर, 1975 तथा नवम्बर, 1975 में पकड़े गए सोने, जवाहिरात, और वस्तुओं का विवरण इस प्रकार हैं:—

विवरण	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (लाख रुपए में)
शुद्ध सोना	54	28
सोने की वस्तुएं	72	36
सोने के आभूषण	24	8
कुल	150	72

ऊपर उल्लिखित शुद्ध सोने की कुल मात्रा में से "कड़ों" की शक्ल में सोने की गोल छड़ें भी सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ी गई थीं। जिनका वजन लगभग 50 किलोग्राम और मूल्य 25 लाख रु० है।

स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम/सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत न्याय-निर्णय की कार्यवाही चल रही है।

(घ) जयपुर और ग्वालियर के भूतपूर्व महलों की तलाशियां सामान्य तौर से पूरी होने के पश्चात् ही बन्द की गई थीं।

व्यक्तियों/व्यापार गृहों द्वारा कांग्रेस पार्टी को चंदा

817. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1977 से मार्च, 1977 में किन किन व्यक्तियों/व्यापार गृहों ने कांग्रेस पार्टी को उसकी स्मारिका में विज्ञापन देने के नाम पर चन्दा दिया;

(ख) क्या उनके विज्ञापन इस स्मारिका में प्रकाशित हुए हैं; और

(ग) प्रत्येक व्यक्ति/व्यापार गृह द्वारा कितनी राशि दी गई?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना हिसाब-किताब कैलण्डर वर्ष के आधार पर रखती है। आयकर अधिनियम, 1961 के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार, कैलिण्डर वर्ष 1977 की आय कर-निर्धारण वर्ष 1978-79 में कर-निर्धारणयोग्य होगी। कर-निर्धारण वर्ष 1978-79 के सम्बन्ध में आयकर विवरणी 1 अप्रैल, 1978 के बाद परन्तु 30 जून 1978 से पहले दाखिल किये जाने योग्य हो जाएगी। इस बात को देखते हुए अपेक्षित ब्यौरे तब तक उपलब्ध नहीं होंगे जब तक आय की विवरणी दाखिल नहीं की जाएगी।

(ख) स्मारिकाओं में विज्ञापनों को छापने से सम्बन्धित जांच कर-निर्धारण वर्ष 1978-79 में लिए आय-विवरणी दाखिल किये जाने के पश्चात् की जा सकती है।

(ग) प्रत्येक पार्टी/व्यापार गृह द्वारा अदा की गई रकम को कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही के दौरान प्राप्त किया जाएगा।

विश्वायतन योगाश्रम के निदेशक द्वारा आयकर तथा धन कर का भुगतान

818. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशयतन योगाश्रम, नई दिल्ली के निदेशक ने गत तीन वर्षों में अपने आयकर और धन-कर सम्बन्धी विवरणियां भरी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों में कितना कर अदा किया गया है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस व्यक्ति ने दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर जायदाद बनाई है और आय की भारी राशि छिपाई है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मामलों को पुनः खोलने का है?

वित तथा राजस्व और बैंकिग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) विश्वयातन योग आश्रम, नई दिल्ली, के निदेशक श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए अपनी आय की विवरणियां 22 मार्च 1977 को और वर्ष 1976-77 के लिए 25 मार्च, 1977 को दाखिल की थी। अभी तक धन-कर सम्बन्धी कोई भी विवरणी दाखिल नहीं की गई है।

(ख) गत तीन कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा दिए गए आय कर के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :—

कर-निर्धारण वर्ष	स्रोत पर काटा गया आय कर	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण	जोड़
1974-75	252	—	1012	1264
1975-76	252	1808	7565	9625
1976-77	936	—	12060	12996

(ग) आय-कर विभाग के पास श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के स्वामित्व की केवल एक सम्पत्ति के सम्बन्ध में जानकारी है जो ए-50, फ्रैण्ड्स कालोनी, नई दिल्ली, पर स्थित है। इस सम्पत्ति का निर्माणाकार्य जुलाई 1973 में पूरा हुआ था। निर्माण की लागत से सम्बन्धित प्रश्न मूल्यांकन कक्ष को भेजा गया है। संगत कर-निर्धारण कार्रवाई विचाराधीन हैं। इस प्रश्न पर कर-निर्धारण कार्रवाई के दौरान विचार किया जाएगा कि आय को छिपाया गया है अथवा नहीं।

AIR SERVICES TO BHAGALPUR

819. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether there is a need to link Bhagalpur with air services and if so, the reasons for not linking it so far; and

(b) the time by which Bhagalpur will find its place in the airmap of India ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b) : A traffic potential-cum-economic feasibility survey carried out by Indian Airlines in 1973 had revealed that it would be highly uneconomical for them to introduce air services to Bhagalpur. Indian Airlines have no plans to airlink Bhagalpur in the foreseeable future.

स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया में 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में नियमों का उल्लंघन

820. **श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरवाला काण्ड में, जिसमें स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया की दिल्ली शाखा में 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी, न्यायिक जांच करने के अतिरिक्त सरकार का विचार बैंकिंग व्यवस्था की दृष्टि से एक अन्य जांच समिति भी उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए नियुक्त करने का है जिसमें इस मामले में बैंक के नियमों का उल्लंघन किया गया था;

(ख) क्या स्टेट बैंक ने इस मामले में कोई विभागीय जांच की है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(ग) स्टेट बैंक अथवा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में क्या किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) : जी नहीं ।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि मामले की जांच करने के लिए उसने एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया था । जांचकर्त्ता अधिकारी इस निर्णय पर पहुंचा कि बैंक में पहले से लागू परीक्षण और नियंत्रण की प्रणाली में बैंक के हित का रक्षण करने की पर्याप्त व्यवस्था है और वर्तमान मामले में मुख्य कोषपाल ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध कार्य किया था जिसके कारण धोखाधड़ी की जा सकी । आगे बैंक ने बताया है कि विभागीय जांच के आधार पर मुख्य कोषपाल श्री वी० पी० मलहोत्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की गई थी तथा नवम्बर, 1972 में श्री मलहोत्रा को बैंक की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था । सरकारी खजाने के जिन दो संयुक्त अभिरक्षकों को अपना कर्तव्य पालन करने में असावधानी का दोषी पाया गया था उन्हें भी यथोचित दण्ड दिया गया था ।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार, रोकड़ विभाग के कार्य संचालन के लिए बैंक द्वारा निर्धारित व्यवस्था यथासम्भव सुस्पष्ट है और विचाराधीन मामला मानवीय असफलता के कारण हुआ, न कि प्रणाली की असफलता के कारण।

इसलिए, इस मामले के तुरन्त बाद, सरकारी खजाने और रोकड़ बाकी के अभिरक्षक और निकासी के निर्धारित महत्वपूर्ण नियमों को दुहराते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने उचित आदेश जारी किए हैं और रोकड़ का काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित प्रणाली में किसी प्रकार की उपेक्षा गम्भीर रूप से दण्डनीय होगी । स्टेट बैंक ने यह भी कहा है कि नियमकालिक अन्तर से बैंक के आन्तरिक लेखा परीक्षकों द्वारा शाखाओं की लेखा परीक्षा के समय, बैंक के निरीक्षक रोकड़ शाखा द्वारा पालन की जाने वाली प्रथा की विशेष रूप से जांच करे और यह देखें कि बैंक ने तत्सम्बन्धी आदेशों और प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है या नहीं । इस सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आगे कोई कार्रवाई तब की जा सकती है जब सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जांच आयोग का निर्णय प्राप्त हो जाये ।

PAYMENT OF HOUSE RENT ALLOWANCE TO EMPLOYEES OF POST OFFICES IN KARKEND (BIHAR)

821. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether Central Government employees posted in a town having a population of fifty thousand are entitled to house rent allowance;

(b) whether Karkend town in Dhanbad District (Bihar) has a population of 51,316 as per the census of 1971; and

(c) if so, the reasons for not granting house rent allowance to employees working in post offices in Karkend town and the action Government propose to take to grant them this allowance ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Under the existing orders governing the payment of house rent allowance to Central Government employees, Municipal towns with a minimum population of 50,000 are classified as 'C' class cities for the purpose of payment of house rent allowance to Central Government employees working there.

(b) According to 1971 census, Karkend town in Dhanbad District (Bihar) had a population of 51,314.

(c) As according to 1971 census Karkend was not a municipal town, no house rent allowance was payable to the Central Government employees working therein. The present municipal status of the town is being ascertained from the Government of Bihar and the question of grant of house rent allowance to the Central Government employees stationed in that town will be considered further on receipt of the information.

मानसून संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करने के लिये भारत-सोवियत संयुक्त कार्यक्रम

822. **श्री पी० के० देव : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमध्य रेखा के समीप हिन्द महासागर से एकत्र किए गए मानसून सम्बन्धी आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए कोई भारत-सोवियत संयुक्त कार्यक्रम हाल ही में क्रियान्वित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी उपलब्धियों की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) मानसून की अधिक जानकारी लेने के कार्य को सरल बनाने के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान संगठन परिषद् तथा विश्व मौसम संस्था ने विश्व व्यापी वायुमंडलीय अनुसन्धान कार्यक्रम के भाग के रूप में 1979 में किए जाने वाले "मोनेक्स" क्षेत्रीय प्रयोगों की एक श्रृंखला की योजना बनाई है। इसके पूर्वगामी कार्यक्रम के रूप में, भारत तथा यू० एस० एस० आर० द्वारा संयुक्त रूप से मई से अगस्त, 1977 की अवधि के दौरान एक प्रारम्भिक प्रेक्षणात्मक अनुसन्धान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। "मानसून 1977" नामक इस प्रयोग में, चार सोवियत अनुसन्धान पोत तथा दो भारतीय नौसैनिक जहाज भाग ले रहे हैं और वे भूमध्यीय हिन्द महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौसम विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े रिकार्ड करेंगे।

एयरबस—300 विमानों की खरीद

823. **श्री गौरी शंकर राय : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इण्डियन एयरलाइन्स ने अब तक कितने एयरबस-300 विमान खरीदे हैं ;

(ख) अब तक खरीदे गए प्रत्येक विमान के लिए क्रयादेश कब दिए गए थे;

(ग) विमान निर्माताओं ने प्रत्येक विमान कब दिया था; और

(घ) क्या सरकार, का विचार और अधिक एयरबस विमान खरीदने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) तीन।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ने तीन एयरबस ए 300 बी 2 विमान खरीदने के लिए 31-12-1974 को मैसर्स एयरबस इंडस्ट्री के साथ एक खरीद-करार किया था। करार पर हस्ताक्षर इस शर्त पर किए गए थे कि भारत सरकार इसका अनुमोदन कर देगी तथा इंडियन एयरलाइन्स उक्त प्रयोजना की विदेशी मुद्रा की लागत की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार को स्वीकार्य वित्तीय व्यवस्था करेगी। भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर, 29-4-1975 को आदेश की पुष्टि कर दी गयी।

(ग) तीन एयरबस ए 300 बी 2 विमानों की डिलीवरी नीचे दी गई तारीखों को की गयी :—

(1) वी० टी०-ई० डी० वी०—31 अक्तूबर, 1976।

(2) वी० टी०-ई० डी० डब्ल्यू०—29 नवम्बर, 1976।

(3) वी० टी०-ई० डी० एक्स०—29 दिसम्बर, 1976।

(घ) यद्यपि इंडियन एयरलाइन्स को तीन और एयरबसों की खरीद करने की छूट है, परन्तु फिलहाल और एयरबसों की खरीद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल सरकार का रबड़ की अधिक मात्रा का निर्यात करने के लिये अनुरोध

824. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से रबड़ की अधिक मात्रा का निर्यात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी अधिक मात्रा की मांग की गई है; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) केरल सरकार ने रबड़ की फालतू मात्रा का निर्यात करने का अनुरोध किया है। तथापि, किसी विशिष्ट मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है। चालू वर्ष के दौरान फालतू रबड़ के निर्यात की अनुमति देने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

एयर इंडिया द्वारा 'सेल्स प्रोमोशन' पर किया गया व्यय

825. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में एयर इंडिया द्वारा सेल्स प्रोमोशन शीर्षक के अन्तर्गत कुल कितना व्यय किया गया ;

(ख) इस शीर्षक के अन्तर्गत व्यय का ब्योरा क्या है; और

(ग) यह व्यय मंजूर करने के लिए कौन व्यक्ति अधिकृत है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया द्वारा 'सेल्स प्रोमोशन' (बिक्री को बढ़ावा) शीर्षक के अन्तर्गत किया गया व्यय नीचे दिया गया है :—

1974-75 . .	640.67 लाख रुपए
1975-76 . .	967.18 लाख रुपए
1976-77 . . .	1300.00 लाख रुपए

(ख) "सेल्स प्रोमोशन" शीर्षक के अन्तर्गत व्यय यात्री एवं कार्गो यातायात को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित विज्ञापन एवं प्रचार कार्य तथा अतिरिक्त प्रोत्साहनों पर किया जाता है।

(ग) सेल्स प्रोमोशन पर व्यय का बजट तैयार करने व इसका अनुमोदन करने का कार्य एयर इंडिया बोर्ड द्वारा किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों को निधि आबंटित कर दिए जाते हैं तथा क्षेत्रों के सम्बन्धित प्रमुख इन्हें खर्च करते हैं। और इस पर निगरानी (मानीटरिंग) का कार्य एयर इंडिया के मुख्यालय में वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाता है।

कालीकट हवाई अड्डा

826. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कालीकट में एक हवाई अड्डे की स्थापना के लिए सरकार को बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या कालीकट में ऐसा हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) क्या चेलानी स्थित वर्तमान प्राइवेट हवाई अड्डे को, एक अस्थायी उपाय के रूप में, इंडियन एयर-लाइन्स की उड़ानों के लिए सरकारी हवाई अड्डे के रूप में बदलने का कोई प्रस्ताव है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) कालीकट में एक हवाई अड्डे के निर्माण की परियोजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित की गयी थी। परन्तु इंडियन एयरलाइन्स को विमानन ईंधन की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप परिचालन लागत के अत्यधिक बढ़ जाने और उनके विमान बेड़े की तंग स्थिति के कारण अपनी योजनाओं का पुनरीक्षण करना पड़ा और उन्होंने पांचवीं योजना अवधि के दौरान कालीकट के लिए विमान सेवा परिचालित करने में अपने आपको असमर्थ पाया। अतः परियोजना को स्थगित करना पड़ा।

(ग) कालीकट के निकट एक निजी एयर फील्ड को पुनः चालू करने के प्रश्न की कुछ समय पहले जांच की गयी थी। इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि इस विमान क्षेत्र का सुधार करने के लिए काफी अधिक पूंजीगत परिव्यय की आवश्यकता थी।

विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण

827. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में काम कर रही कुछ विदेशी कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत एक निर्धारित अवधि के अन्दर-अन्दर विदेशी शेयर पूंजी के भारतीयकरण अथवा उसे कम करने के संबंध में जो निदेश जारी किए थे, उनका कुछ कम्पनियों ने अभी तक पालन नहीं किया है।

(ख) इन सभी मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक उचित अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों के नाम जारी किए गए निदेशों के पालन की प्रगति पर बराबर ध्यान दे रहा है। ऐसे मामलों में जहां कुछ कम्पनियां किन्हीं वास्तविक कारणों से निर्धारित अवधि के अन्दर इन निदेशों का पालन नहीं कर सकी थीं उनमें गुण दोषों के आधार पर अवधि बढ़ा दी गयी थी। जो कम्पनियां बैंक के निदेशों का पालन नहीं करतीं, उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

उद्योग तथा वाणिज्य मंडल, शोलापुर से प्रत्यक्ष कर नियमों के बारे में अभ्यावेदन

828. **श्री आर० के० महालगी : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रत्यक्ष कर नियमों के बारे में उद्योग तथा वाणिज्य मंडल शोलापुर (महाराष्ट्र) से अप्रैल, 1977 में कोई लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं। ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

धूलिया (महाराष्ट्र) कपड़ा मिल का प्रबंध सरकार के हाथ में लिया जाना

829. **श्री आर० के० महालगी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने धूलिया (महाराष्ट्र) कपड़ा मिल के प्रबन्ध को अपने हाथ में कब से लिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : धूले टैक्सटाइल मिल्स का प्रबन्ध, जिसे पहले न्यू प्रताप स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग मिल्स, धूलिया कहते थे, 31 अक्तूबर, 1972 से रुग्ण वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार में निहित कर दिया गया। बाद में इस मिल का रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अधीन 1 अप्रैल, 1974 से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

सरकारी सेवा तथा सरकारी उपक्रमों में वेतन तथा भत्ते में असमानता

830. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सेवा तथा सरकारी उपक्रमों में एक जैसे कार्यों के लिए वेतन तथा भत्तों में असमानता दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की विद्यमान वेतन संरचना तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। उस आयोग का यह भी विचार था कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वेतनमान सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों और सरकार के अपने वेतनमानों पर सम्भावी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर नियत किए जाएं। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के किसी सामान्य संशोधन के लिए सरकार की पूर्व-सहमति प्राप्त करनी होती है। ऐसे प्रस्तावों की जांच करते समय सरकार यह ध्यान रखती है कि एक ही उद्योग अथवा क्षेत्र में विभिन्न उद्यमों के बीच और एक ओर सरकारी उद्यमों और दूसरी ओर सरकारी विभागों के बीच वेतन संरचना में अनुचित असमानताएं न हों।

जीवन बीमा निगम की पालिसियों का कलकत्ता डिवीजन कार्यालय से स्थानान्तरण

831. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालिसी धारियों के स्थानान्तरण हो जाने के कारण जीवन-बीमा निगम की जो पालिसियां कलकत्ता डिवीजनल कार्यालय से मद्रास डिवीजनल कार्यालय स्थानान्तरित नहीं की गई हैं क्या सरकार उन्हें शीघ्र ही स्थानान्तरित करायेगी; और

(ख) ऐसे स्थानान्तरण के लिए कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और ऐसी पालिसियों के स्थानान्तरित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) जीवन बीमा निगम पालिसियों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को अन्तरित करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए कदम उठा रहा है।

इस समय जीवन बीमा निगम के कलकत्ता डिवीजनल कार्यालय से मद्रास डिवीजनल कार्यालय को अन्तरण किए जाने के लिए 28 आवेदन-पत्र पड़े हैं। इनमें से 9 मामलों में पालिसियां अन्तरित की जा रही हैं जबकि 14 मामले इसलिए बकाया पड़े हैं क्योंकि उनके पालिसी डाकेट और प्रीमियम की स्थिति का पता नहीं चल सका है और शेष 5 मामले वेतन बचत स्कीम पालिसियों से सम्बन्धित हैं, जिनकी कुछ प्रीमियम की रकमों को ढूंढने के बाद इनके प्रीमियम खातों को नियमित करना है।

आजीवन बीमा पालिसियों तथा सावधिक पालिसियों पर बोनस की दर

832. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू आजीवन बीमा पालिसियां तथा सावधिक पालिसियों पर बोनस की क्या दर घोषित की जा रही है;

(ख) बोनस की इतनी नीची दर घोषित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) बोनस की दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) : जीवन बीमा निगम के बोनस में बराबर वृद्धि हुई है। वर्ष 1957 में बन्दोबस्ती बीमे की रकम पर 12.80 रुपए प्रति हजार रुपए वार्षिक और आजीवन बीमे की रकम पर 16.00 रुपए प्रति हजार रुपए वार्षिक बोनस दिया जाता था जो 1969 में बढ़कर क्रमशः 17.60 रुपए और 22.00 रुपए हो गया। जीवन बीमा निगम के मृत्यु सम्बन्धी अनुभव में सुधार होने और निगम के निवेशों पर अधिक लाभ होने के बावजूद निगम के खर्चे पर स्फीतिकारी दबाव के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण 1969 से बोनस की रकम में वृद्धि करना सम्भव नहीं हो सका है।

(ग) जीवन बीमा निगम स्फीतिकारी दबाव के प्रतिकूल प्रभाव का सामना करने के लिए सांविधिक ढांचे के अन्तर्गत विवेकपूर्ण ढंग से पूंजी लगा कर अपनी आमदनी को बराबर बढ़ाते जाने और बजट सम्बन्धी नियन्त्रण द्वारा अपने खर्चों को सीमित करने के उपाय कर रहा है। अपने खर्चे को कम करने के विचार से, जीवन बीमा निगम ने कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी है, कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते में बहुत अधिक कटौती कर दी है और अपनी कार्य प्रणाली को सरल बनाने के प्रयोजन से उसके विस्तार से अध्ययन किया है ताकि दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए बिना बढ़े हुए काम को पूरा किया जा सके।

अधिक विदेशी मुद्रा आकर्षित करने के लिये प्रोत्साहन

833. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक से अधिक राशि की विदेशी मुद्रा आकर्षित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष 1975-76 में आय की स्वैच्छिक घोषणा करने सम्बन्धी योजना के समान स्वेच्छा से अपने विदेशी मुद्रा के रिजर्व को घोषित करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने पिछले वर्षों में बाहर विदेश से स्वदेश को अधिकाधिक मात्रा में धनराशि भेजने के लिए प्रोत्साहन देने की कई स्कीमें शुरू की हैं। इस सम्बन्ध में स्थिति पर बराबर नजर रखी जाती है ताकि विदेशों से अधिक से अधिक धनराशि भेजने के लिए प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से यह देखा जा सके कि इन स्कीमों में संशोधन करने या नई स्कीमें शुरू करने की जरूरत है या नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा नहीं होता।

Ashoka Hotel Employees' Union

834. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether a particular Union of the Ashoka Hotel employees has been provided with some shops, loans and electricity;

(b) if so, from what date; and

(c) the amount of loans and the amount of electricity charges not recovered so far and since when they are outstanding ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

Telephones provided to Managers of Hotels of ITDC

835. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether India Tourism Development Corporation has provided telephones to some managers of hotels in Delhi despite the fact that they live in hotels they work in; and

(b) if so, their number and the monthly expenditure involved ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b) : Yes, Sir. Managers of three out of six I.T.D.C. Hotels in Delhi have been provided direct residential telephones. Another Manager has an Office-cum-residential telephone. The average monthly expenditure on these telephones on the basis of the bills received from the P & T Department during 1976-77 works out to about Rs. 1,170/-.

Loan advanced from Ashoka Hotel

836. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the General Manager of India Tourism Development Corporation had advanced loan to an officer of Delhi Administration from the Ashoka Hotel funds; and

(b) if so, the amount of loan advanced and the date on which it was repaid as also the reasons for advancing the loan ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b) The matter is under investigation.

Manual of Rules in I.T.D.C.

837. SHRI SHIV NARAIN SARSODIA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the officers of India Tourism Development Corporation have no manual of rules and if so, the reasons therefor; and

(b) if there is such manual whether a copy thereof will be laid on the Table of the House ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Rules and Regulations governing the terms and conditions of employment of I.T.D.C. officers have not yet been finalised in the form of a Manual as the work relating to up-dating some of the existing rules is in progress.

(b) Does not arise.

भविष्य निधि लेखों में 'मिसिंग क्रेडिट्स'

838. **श्री ग्ररविन्द बाला पाजनौर :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों में 'मिसिंग क्रेडिट्स' की राशि कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) पांच वर्ष, दस वर्ष तथा इससे भी अधिक समय से अनिर्णीत पड़े लेखों का मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) भविष्य निधि की राशि जमा करने वाले कितने कर्मचारियों के लेखे 'मिसिंग क्रेडिट्स' के कारण उनके सेवा निवृत्ति के समय भी पूर्णतया तथा अन्तिम रूप से निर्णीत नहीं हुए;

(घ) 'मिसिंग क्रेडिट्स' के फलस्वरूप कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) लेखा परीक्षा से लेखों को पृथक् करने की योजना का दीर्घकाल से पड़े 'मिसिंग क्रेडिट्स' के मामलों के निर्णीत किए जाने पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय सरकारी लेखाओं के विभागीय-करण के अनुसरण में महालेखाकारों द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं का विभागीय लेखा अधिकारियों को अन्तरित करने का काम जारी है। 'मिसिंग क्रेडिटों', उनके 5 वर्ष से अधिक पुराने अथवा 10 वर्ष से अधिक पुराने मामलों के रूप में वर्गीकरण और 'मिसिंग क्रेडिटों' के कारण निपटाए न जा सके अन्तिम अदायगी के मामलों की संख्या के बारे में ब्यौरे इकट्ठे किए जा रहे हैं और सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रख दिया जाएगा। आहरण अधिकारियों द्वारा अनुसूचियों के गलत तैयार किए जाने, गलत लेखा संख्याओं, लेखा संख्याओं के नियत किए जाने से पहले अंशदान की वसूली, अनुसूचियों के रास्ते में गुम हो जाने, लेखाओं में जमा रकमों का गलत वर्गीकरण होने और सरकारी कर्मचारियों के विभागों में स्थानान्तरण में और इत्तर सेवा/प्रतिनियुक्ति/ड्यूटी पर कर्मचारियों के अंशदानों को एक लेखा संगठन से दूसरे लेखा संगठन में भेजने में विलम्बों के कारण सामान्यतः 'मिसिंग क्रेडिट' हो जाते हैं।

(घ) जमा रकमों की चढ़ाई न गई मदों के मामले में सही खाता संख्या का पता लगाने के लिए, आहरण अधिकारियों और जिन अनुसूचियों में वसूलियों को रिकार्ड किया गया उनसे 'मिसिंग क्रेडिटों' की पड़ताल करने के लिए, जिन मामलों में भविष्य निधि खातों को रखने वाल लेखा अधिकारी से भिन्न किसी अन्य लेखा अधिकारी द्वारा वसूलियों का हिसाब रखा गया है उनमें लेखा अधिकारियों में अन्तरण के माध्यम से जमा रकमों का समायोजन करने के लिए गौण साक्ष्य आदि के आधार पर जमा रकमों को समायोजित करने के लिए पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है।

(ङ) केन्द्रीय असैनिक मंत्रालयों और विभागों के लेखाओं का विभागीयकरण होने से समूह, क, ख, और ग अधिकारियों के भविष्य निधि लेखाओं को स्वयं वेतन तथा लेखा अधिकारियों द्वारा रखा जाता है जो वेतनों और भत्तों की अदायगियों करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेखाओं के रखने में इस प्रकार के विकेन्द्रीकरण से वे मुख्य कारण समाप्त हो जाते हैं जिनसे 'मिसिंग क्रेडिट' हो जाते हैं। विभागीय आहरण और वितरण अधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क होने के कारण वेतन तथा लेखा अधिकारी बकाया पड़े 'मिसिंग क्रेडिटों का पता लगाने के लिए अथवा गौण साक्ष्य के आधार पर उनका निपटान करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक अच्छी स्थिति में होते हैं।

WORLD BANK LOAN FOR DEVELOPMENT SCHEMES IN RAJASTHAN

839. SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

The amount provided by the World Bank for the development schemes in Rajasthan during the current year and the amount allocated for electricity, irrigation and agriculture separately out of this sum?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): For purposes of strengthening adaptive research and Agricultural extension machinery in Rajasthan, negotiations were completed on 31st May, 1977 with the World Bank Group in regard to the Rajasthan Agricultural Extension & Research project. The assistance which is likely to flow as a result of this credit agreement would be of the order of $ 13 million.

TOURIST ARRIVALS AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS

840. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) the number of foreign tourists who visited India during 1975-76 and 1976-77 and the amount of foreign exchange earned thereby;

(b) whether any special provision has been made for attracting more tourists during the current financial year: and

(c) if so, broad outlines thereof?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) The total number of foreign tourists who visited India during the financial years 1975-76 and 1976-77 were 475,941 and 561,045 respectively. The estimated foreign exchange earnings from tourism during the years 1975-76 and 1976-77 were of the order of Rs. 131.9 crores and Rs. 236.1 crores respectively.

(b) and (c) In order to take advantage of growing tourist markets in the regions of West Asia, East Asia and Australia, the Department of Tourism propose to open during the current financial year new Tourist Offices to carry out tourist promotion work at Tehran (Iran), Bangkok (Thailand), Osaka (Japan), Kualalumpur (Malaysia), Perth and Melbourne (Australia). These regions are now also covered by a scheme called "Operation" which envisages close co-operation in India's promotional work between Air India and Government of India Tourist Offices.

The Department of Tourism is hosting in New Delhi the annual Conference of Pacific Area Travel Association (PATA) from January 23 to 26, 1978. The convention, it is hoped, will attract about 1800 leaders of travel industry from different posts of the world. This will give us ample opportunity to expose our tourist facilities to tour operators.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निर्धन वर्गों के लिए ऋण सुविधायें

841. श्री के० मायातेवर: क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों से अधिकतम ऋण निर्धन वर्गों, विशेषतया नगर तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के किसानों की अपेक्षा कारखाना मालिकों, पूंजीपति वर्गों, लखपतियों तथा करोड़पतियों और बड़े-बड़े जमींदारों को दिए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो पात्र निर्धन वर्गों को पर्याप्त मात्रा में ऋण सुविधायें प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार ऋण वितरण सुनिश्चित करने और विशेष रूप से कृषि, छोटे उद्योग, परिवहन संचालक, खुदरा व्यापार और छोटे व्यवसाय, व्यावसायिक तथा स्वयं नियोजन उद्यम और शिक्षा के पहिले से उपेक्षित क्षेत्रों के उत्पादक उद्यमों में लगे व्यक्तियों जैसे समाज के कमजोर वर्गों को ऋण वितरण में वृद्धि करने का सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रयास रहा है। इन क्षेत्रों को दिए गए उनके ऋणों की जो बकाया राशि जून, 1969 में 2.6 लाख ऋणकर्ताखातों में 441 करोड़ रुपए थी वह सितम्बर, 1976 के अन्त में लगभग 55 लाख ऋण कर्त्ताखातों में 2697 करोड़ रुपए हो गई। इसी अवधि में इन क्षत्रों का हिस्सा सरकारी क्षेत्र के कुल ऋणों में 14.5 प्रतिशत से बढ़कर 26.6 प्रतिशत हो गया है।

पहिले उपेक्षित क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओं को अपेक्षया अधिक ऋण देने में सफल होने के लिए बैंक के कर्मचारियों के व्यवहार और दृष्टिकोण में नवीनता लाने का सरकारी क्षेत्र के बैंकों का मुख्य प्रयास रहा है ताकि वे ऋण के अन्तिम प्रयोग को प्राथमिकता दें न कि उसके लिए दी गई प्रतिभूति को, जैसा कि पहिले किया जाता था। इसमें सहायता के लिए ऋण गारंटी प्रक्रिया संगठन बनाये गये हैं जो भागीदार संस्थाओं द्वारा दिए गए छोटे ऋणों के लिए गारण्टी की व्यवस्था करते हैं। अब तक के उपेक्षित क्षेत्रों में ग्रामीण शाखाएं खोलने, ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया और व्यवहार को सरल बनाने, गांवों और सहकारी समितियों को अपनाने, कृषक ऋण समितियों का गठन करने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने, एस० एफ० डी० ए०/एम० एफ० डी० ए० जैसी विशेष योजनाओं के कार्यान्वयन में भाग लेने, विभेदी ब्याज दर योजना, आदि जैसे उपायों से सरकारी क्षेत्र के बैंक अधिक मात्रा में समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंच सके हैं। इन क्षेत्रों में छोटे और सीमांतिक किसानों, भूमिहीनों, शिल्पियों और कारीगरों को उत्पादकता ऋण की व्यवस्था करने पर जोर दिया जाता है।

समाज के कमजोर वर्गों के छोटे ऋणकर्ताओं की उत्पादक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर बढ़ाया जा रहा है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि उपेक्षित क्षेत्रों को उनके ऋण का वितरण इतना बढ़ जाय कि वह मार्च 1979 तक उनके कुल ऋण का 33.3 प्रतिशत हो जाया। ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं के माध्यम से अपना ऋण देने का कार्य इस प्रकार बढ़ाने की भी उन्हें सलाह दी गई है कि शाखाओं के इन समूहों के पास ऋण जमाओं का अनुपात मार्च 1979 तक कम से कम 60 प्रतिशत हो जाय, जो कि इसकी तुलना में जून, 1976 के अन्त में ग्रामीण शाखाओं के मामले में 52.2 प्रतिशत और अर्धशहरी शाखाओं के मामले में 45.4 प्रतिशत था। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अपने शाखा विस्तार कार्यक्रम में संशोधन करें ताकि बिना बैंक वाले प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में जून 1978 तक वाणिज्यिक बैंक की कम से कम एक शाखा की व्यवस्था अवश्य हो सके।

FORMULATION OF SCHEME TO PROVIDE LOANS TO SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

842. SHRI UGGRASEN : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme to provide loans at a low rate of interest to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes;

(b) the salient features of this scheme and the rate of interest at which loan will be provided to them under this scheme; and

(c) the steps being taken to provide the benefit of this scheme to weaker section of the people living in remote and interior areas ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Government have formulated the Differential Rate of Interest Scheme in order to provide loans at 4% rate of interest to the weaker sections of the community, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes.

(b) A copy of the revised guidelines on the Differential Rate of Interest Scheme issued by the Government on 24th May, 1977 is enclosed.

(c) In order to ensure that weaker sections in the rural areas derive maximum benefit under the scheme and bulk of the advances are not preempted by urban/metropolitan areas, the banks operating the scheme are required to ensure that not less than 2/3rds of their advances under this scheme are routed through their rural and semi-urban branches.

It has also been stipulated that at least 1/3rd of the advances under the scheme should flow to eligible borrowers belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

With a view to ensuring that the persons served by the Regional Rural Banks which are mostly located in the rural areas avail themselves of the benefit of the scheme the sponsoring banks have been permitted to lend through Regional Rural Banks on an agency basis.

STATEMENT

REVISED GUIDELINES ON DIFFERENTIAL RATE OF INTEREST SCHEME

1. *Scope and Coverage*

1.1 The Scheme will be operative in the entire country.

1.2 *Target* : Banks should lend under the scheme minimum of ½ of 1% of their aggregate advances as at the end of previous year.

1.3 In order to ensure that the weaker sections in the rural areas derive maximum benefit under the scheme and bulk of the advances are not preempted by urban/metropolitan areas the banks operating the scheme will ensure that *not less than 2/3rd* of their advances under this scheme are routed through their rural and semi-urban branches. Correspondingly *not more than 1/3rd* of their credit under the scheme may go from their urban and metropolitan branches.

1.4 To ensure that persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes get their due share of benefits under the scheme, *not less than 1/3rd* of the bank credit under the scheme should flow to the eligible borrowers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

2. *Operational Agencies*

2.1 *Public Sector Banks* : The scheme of Differential Rate of Interest will be operated by all the public sector banks.

2.2*Non-nationalised Banks* : Non-nationalised banks having lead responsibilities will operate the scheme at least in their lead districts. Other non-nationalised Banks may also implement the scheme on a voluntary basis.

2.3 *Regional Rural Banks* : Under the scheme of Regional Rural Banks, credit is to be made available to the borrowers at the same rates as the cooperatives. These banks are, therefore, not permitted to advance credit at concessional rates of interest. To ensure that the persons served by these banks can also avail themselves of the benefits of the Scheme, the sponsoring banks may lend through Regional Rural Banks on an agency basis. Thus, eligible borrowers will be able to obtain loans at the rate of 4% per annum in the areas served by the Regional Rural Banks.

3. *Eligibility Criteria* : The categories of persons enumerated in para 4 will be eligible to the benefits of the scheme even if they have no tangible security of any worth to offer or, cannot produce a security/guarantee of a well to do party, provided they satisfy the criteria laid down below :—

3.1 Family income of the borrower from all sources does not exceed Rs. 3000/- per annum in urban or semi-urban areas or Rs. 2,000/- per annum in rural areas.

3.2 He does not own any land or the size of his holding does not exceed one acre in the case of irrigated land and 2.5 acres in the case of un-irrigated land.

3.3 Members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are eligible for the loan irrespective of their land holdings, provided they satisfy the other criteria.

3.4 He can be helped to rise above his present economic level through a productive endeavour with assistance from banks, the productive endeavour being such as would become economically viable within a period of, say, 3 years.

3.5 He does not incur liability to two sources of finance at the same time.

3.6 He works largely on his own and with such help as other members of his family or some joint partners may give to him and does not employ paid employees on a regular basis.

Explanatory Note :

It is *not* intended that a borrower should be required to produce documentary evidence to establish his eligibility under the scheme. It is expected that the officials of the banks at the branch level would be conversant with the economic and other circumstances of the borrower. They may make such local enquiries as may be required in each case before sanctioning the loan, bearing in mind the conditions mentioned in this paragraph.

4. *Categories of Eligible Persons* : Persons who satisfy the income and land holding criteria and broadly fall in the categories indicated below will be eligible to the benefits of the scheme. (The list is only illustrative and not exhaustive).

4.1 Scheduled Tribes, Scheduled Castes and *others* engaged on a very modest scale, in agriculture and/or allied agricultural activities.

4.2 People who themselves collect, or do elementary processing of forest products and people who themselves collect fodder in difficult areas and sell them to farmers and traders.

4.3 People physically engaged on a modest scale in the fields of cottage and rural industries and vocations. Illustrative examples are; cutting cloth and sewing garments, making reasonably cheap eatables, home delivery service of articles and commodities of daily use, running way-side tea stalls, plying of self-owned manual rickshaws and cycle-rickshaws, repairing of shoes/sandals mainly by hand, basket-making by hand etc.

4.4 Indigent students of merit going in for higher education who do not get scholarships/ maintenance grants from governmental or educational authorities.

4.5 Physically handicapped persons pursuing a gainful occupation.

5. *Terms and Conditions of Loan* : The terms and conditions of loan under the scheme will be as follows :

5.1 Amount of loan will depend on the particular scheme proposed to be financed and should be adequate to enable the borrower to finance his requirements without having to borrow funds from another source. It is expected that normally, the maximum amount under the scheme may not exceed Rs. 1,500/- for a working capital loan and Rs. 5,000/- for a term loan. In exceptional cases particularly for institutions and in the case of indigent students of merit, higher amounts may be considered.

5.2 Both working capital and term-loan will be admissible in accordance with the cific requirement of the borrowers.

5.3 Requirements of margin money may not be insisted upon as the category of borrowers belong to the weakest strata of society and may not always be in a position to furnish margin money.

5.4 Rate of interest will be uniformly fixed at 4 per cent per annum.

5.5 *Term Loan* for the acquisition of fixed assets shall not exceed 5 years, including a grace period not exceeding two years on the repayment of principal. The repayment schedule will be worked out in each case having regard to the nature of the activity of the borrower and the economics of the scheme. In assessing the surplus for the payment of interest, and principal, due allowance should be made for the sustenance requirements of the borrower himself.

5.6 The assets purchased with the loan may be hypothecated to the bank. In addition, in appropriate cases of loans to a homogenous group of borrowers, group guarantees may be accepted.

5.7 Each loan is to be covered under the Credit Guarantee Scheme. The guarantee fee should be met by the banks, and not charged to the borrowers.

5.8 The cost of insurance of the assets charged to the banks, if considered necessary, should be borne by the bank.

5.9 The banks may consider some suitable initial moratorium in repayment, if so warranted.

6. *Institutions* : Following institutions will be eligible for credit under the scheme.

6.1 *Orphanages and Women's Homes* where saleable goods are made and for which no adequate and dependable source of finance *e.g.* endowments or regular charities, exist.

6.2 *Institutions for physically handicapped* persons pursuing a gainful occupation where some durable equipment and/or continuous supply of raw material is useful.

Note : Institutions for physically handicapped persons orphanages and Women's Homes will be exempted from income criteria. However, it should be ensured that these institutions utilise the funds for productive purposes only and not for meeting their normal administrative and establishment expenses. It is also necessary to verify from independent sources about the genuineness of these institutions.

7. *State Corporations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.*—Banks may route credit under the scheme through State Corporations for the welfare of scheduled castes and scheduled tribes subject to the beneficiaries of the corporations meeting the eligibility criteria indicated in para 3 and other terms and conditions indicated in the sheme.

7.1 The Corporations themselves will be exempt from the income criteria.

7.2 Finances will be made available to the corporations only against specific and commercially viable scheme formulated by them. Further, the corporations will not add any service charges and the loans will flow to the beneficiaries at 4% per annum rate of interest.

7.3 The corporations will be responsible for repayment of the loan on the due dates, irrespective of the state of recovery from the beneficiaries.

7.4 It will be the responsibility of the Corporations to ensure that funds are utilised for the productive purposes only for which they have been sanctioned and not for meeting their normal running expenses. The cost of establishment and other expenditure incurred for the implementation of the scheme shall be borne by the Corporations/State Governments.

7.5 Since the advances to State Corporations will not be eligible for guarantee cover from the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., State Governments may have to provide guarantee to the lending banks.

7.6 If a Corporation fails to pay the instalments of loans, or violates any terms and conditions stipulated in the scheme, it may be liable to forfeit its right for further finance.

निर्यात निरीक्षण परिषदों में कर्मचारी

843. **श्री वयालार रवि** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात निरीक्षण एजेंसी की विभिन्न निर्यात निरीक्षण परिषदों में कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) इनका वर्गवार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) निर्यात निरीक्षण परिषद् और निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों की कुल संख्या नीचे दी गई है:—

निर्यात निरीक्षण परिषद कार्यालय	कर्मचारियों की कुल संख्या
निर्यात निरीक्षण परिषद कलकत्ता, (सचिवालय)	52
वरिष्ठ अपर निदेशक का कार्यालय, दिल्ली .	21
क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई . .	18
क्षेत्रीय कार्यालय, कोचीन	8
क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	17
योग	116

निर्यात निरीक्षण अभिकरण/**कार्यालय**	कर्मचारियों की कुल संख्या
बम्बई . . .	243
कलकत्ता (गैर-पटसन) . .	214
कलकत्ता (पटसन स्कीम) .	590
कोचीन . .	323
दिल्ली . .	346
मद्रास . .	104
योग . .	1820

(ख) वर्गवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कार्यालय	निर्यात निरीक्षण परिषद कार्यालय				
	वर्ग क	वर्ग ख	वर्ग ग	वर्ग घ	कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
(1) निर्यात परीक्षण परिषद, कलकत्ता . .	11	5	25	11	52
(2) वरिष्ठ अपर निदेशक, दिल्ली	6	1	11	3	21
(3) क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई	6	1	6	5	18
(4) क्षेत्रीय कार्यालय, कोचीन .	3	1	2	2	8
(5) क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली .	3	1	11	2	17

1	2	3	4	5	6
निर्यात निरीक्षण अभिकरण /कार्यालय					
(1) बम्बई .	55	52	97	39	243
(2) कलकत्ता (गैर-पटसन)	38	36	105	35	214
(3) कलकत्ता (पटसन)	24	42	328	196	590
(4) कोचीन . .	43	77	131	72	323
(5) दिल्ली . .	50	50	185	61	346
(6) मद्रास . .	15	18	49	22	104

टिप्पणी :— (वर्ग 'क' जिनका अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान 1300.00 रु० से कम नहीं है)।

(वर्ग 'ख' जिनका अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान 900 रु० से कम न हो परन्तु 1300.00 रु० से कम हो।)

(वर्ग 'ग' जिनका अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान 290 रु० से अधिक हो परन्तु 900.00 रु० से कम हो।)

(वर्ग 'घ' जिनका अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान 290.00 रु० अथवा कम हो।)

बरकाला का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

844. **श्री वयालार रवि : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल के त्रिवेंद्रम जिले में बरकाला के पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास सम्बन्धी निर्णय काफी अर्से से सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) वरकाला का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने के लिए सरकार को दो आवेदन प्राप्त हुए हैं। क्योंकि वरकाला का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास खनिज चश्मे (मिनरल स्प्रिंग) तक एक सड़क के निर्माण तथा बैकवाटर्स के लिए टनल के विस्तार पर निर्भर है, राज्य सरकार से इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया था। साधनों की तंगी के कारण, राज्य सरकार ने सड़क के निर्माण में अपनी असमर्थता प्रकट की है। जहां तक टनल के विस्तार का प्रश्न है, राज्य सरकार ने बताया है कि इस सम्बन्ध में की जा रही छानबीन को अन्तिम रूप देने में अभी कुछ और समय लगेगा।

मध्यपूर्व से कोचीन तथा त्रिवेन्द्रम को विमान यात्री

845. **श्री वयालार रवि : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यपूर्व से कोचीन और त्रिवेन्द्रम में बहुत बड़ी संख्या में विमान यात्री आये हैं और उन्हें बम्बई-कोचीन तथा त्रिवेन्द्रम की उड़ानों में स्थान प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) दैनिक बोइंग 737 सेवा बम्बई-गोवा-त्रिवेन्द्रम से गोवा के हाल्ट को निकाल दिया गया है जिससे प्रति उड़ान 46 सीटों की वृद्धि हो गयी है।

(ii) त्रिवेन्द्रम से बम्बई तथा बम्बई से त्रिवेन्द्रम की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब अस्थायी आधार पर, बिना कोई अतिरिक्त मूल्य चुकाए मद्रास के मार्ग से यात्रा करने की अनुमति है।

(iii) बम्बई तथा कोचीन के बीच दो दैनिक एच० एस०-748 सेवाएं अब मंगलोर में इंधन-तेल लेने के लिए एक तकनीकी अवतरण करती हैं जिसके परिणामस्वरूप विमान पर पहले 38 यात्रियों की तुलना में अब 44 यात्री ले जाए जा सकते हैं।

इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

846. **श्री प्रद्युम्न बाल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कम प्रतिनिधित्व दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) गत वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया में खपाए गए हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कोणार्क पर्यटक कम्प्लैक्स

847. **श्री प्रद्युम्न बाल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोणार्क पर्यटक 'कम्प्लैक्स' की उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं जबकि इसे दुनियां का दुर्लभ वास्तु विद्या संबंधी अजूबा समझा जाता है; और

(ख) वहां पर्यटक कम्प्लैक्स बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) इससे पहली योजनाओं की अवधि में पर्यटन विभाग ने कोणार्क में एक पर्यटक बंगले का निर्माण किया था, जिसे अब भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा यात्री लाज के रूप में चलाया जा रहा है। इसी प्रकार, राज्य सरकार ने कोणार्क में एक पर्यटक बंगले का निर्माण किया, जिसकी 50 प्रतिशत लागत पर्यटन विभाग द्वारा वहन की गयी। पांचवीं योजना में, कोणार्क में पर्यटक सुविधाओं के विकास कार्य को पर्यटन विभाग के सांस्कृतिक पर्यटन कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तदनुसार सूर्य मंदिर के इर्द-गिर्द के क्षेत्र का एक मास्टर प्लान (भूमि उपयोग योजना) तैयार किया गया है, एवं सुविधाओं की स्थिति दर्शायी गयी है तथा पर्यावरण आयोजना को भी मास्टर प्लान में सम्मिलित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिए जाने पर, मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए संबंधित एजेंसियों को उत्तरदायित्व सौंपे जाएंगे।

आर्थिक अपराधों के कारण बन्दी बनाये गये व्यक्तियों की रिहाई

848. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) वर्तमान सरकार के सत्ता में जाने के पश्चात् आर्थिक अपराधों के लिये बन्दी बनाये गये व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति रिहा कर दिये गये हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) आन्तरिक आपातस्थिति के 21 मार्च, 1977 को मंसूख कर दिये जाने के परिणामतः विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये तस्करों में से 2034 तस्करों तथा विदेशी मुद्रा छलसाधकों को छोड़ दिया गया था। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद 4 जून, 1977 तक 151 और नजरबन्दों को रिहा कर दिया गया था।

(ख) उनके विरुद्ध सामान्य कानूनों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

वेतन तथा लेखा कार्यालय का मथुरा से नासिक रोड स्थानान्तरण

849. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन तथा लेखा कार्यालय (ओ० आर० एस०) आर्टीलरी को मथुरा से नासिक रोड स्थानान्तरित करने के विचार के क्या कारण हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए नासिक रोड कैम्प पर आवास सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं भी कम हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों को इस स्थानान्तरण से होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार मामले पर पुनर्विचार करने का है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) वेतन लेखा कार्यालय (ओ० आर० एस०) जो कि सिपाहियों के वेतन और भविष्य निधि का हिसाब चालू खाता पद्धति में रखते हैं, अपने अपने रेजिमेंटल रिकार्ड आफिसों के आवश्यक सहयोगी अंग हैं और सामान्यतः एक ही स्थान पर स्थित होते हैं क्योंकि वे एक दूसरे के रिकार्ड पर निर्भर हैं। आर्टीलरी सेन्टर और रिकार्ड आफिस तथा वेतन लेखा कार्यालय (ओ० आर० एस०) प्रारम्भ से ही मथुरा में स्थित थे पूर्वोक्त कार्यालय के देवलाली के निकट नासिक कैंप चले जाने के फलस्वरूप वेतन लेखा कार्यालय (ओ० आर० एस०) को भी सार्वजनिक हित में वहीं भेजना पड़ा है।

(ख) जी नहीं, श्रीमन्। कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए पर्याप्त आवासीय स्थानों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कार्यालय को उपयुक्त चरणों में ले जाया जायेगा। नए स्टेशन पर जो देवलाली और नासिक शहर के निकट हैं शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की कमी नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चीनी की मिलों को बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

850. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों ने हाल ही में चीनी की मिलों को पिराई मौसम के लिए ऋण देने से इंकार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मार्च, 1976 से मार्च 1977 तक, मार्च 1974 से मार्च 1975 तक और मार्च 1975 से मार्च 1976 तक चावल मिलों, चीनी मिलों, पटसन मिलों, कागज के कारखानों तथा सीमेंट के कारखानों को वाणिज्यिक बैंकों ने कुल कितना ऋण दिया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में, चालू पिराई मौसम के दौरान चीनी मिलों की कार्यकारी पूंजी की जरूरतों के निमित्त बैंकों द्वारा ऋण देने से इन्कार का कोई मामला नहीं चलाया गया है।

(ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संबंधित निर्माता उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण की बकाया के उपलब्ध आंकड़े निम्नलिखित सारणी में दिये गये हैं:—

(करोड़ रुपयों में)

	बकाया राशि		
	25 अप्रैल 1975	26 मार्च 1976	25 मार्च 1977
निर्याता उद्योग :			
1. चीनी	204	226	270
2. पटसनीवस्इ	101	110	118
3. कागज और कागज से बने पदार्थ . .	99	125	131
4. सीमेंट	38	53	57
	जून 1975		दिसम्बर 1975
5. चावल मिलें, आटा मिलें और दाल मिलें	48		66

बैंकिंग आयोग को समाप्त किया जाना

851. **श्री गुलाम मोहम्मद खां**
श्री एम० कल्यान सुन्दरम्
श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनर्गठन की जांच करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण विकास में बैंकों के लिए अधिक सार्थक भूमिका की जांच करने के लिए पिछली जुलाई में गठित बैंकिंग आयोग को समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) श्री मनुभाई शाह ने 10 फरवरी, 1977 को आयोग की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने इस अवसर का यह लाभ उठाया कि फिर से इस प्रश्न पर विचार किया जाय कि आयोग उसके विचारणीय विषयों के साथ चालू रह सकता है या नहीं। सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् उसने यह निर्णय किया कि इस आयोग को समाप्त कर देना बेहतर होगा। आयोग ने 22 अप्रैल, 1977 से काम करना बंद कर दिया है।

इण्डियन पायलट्स गिल्ड के बर्खास्त किये गये पदाधिकारियों का नौकरी पर पुनः बहाल किया जाना

852. **श्रीमती अहिल्ला पी० रांगनिकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन पायलट्स गिल्ड के बर्खास्त किये गये तीन पदाधिकारियों को नौकरी पर पुनः बहाल कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) एयर इंडिया ने बरखास्त किए गये तीन पायलटों में से दो अर्थात् भारतीय पायलट गिल्ड के भूतपूर्व उपाध्यक्ष कैप्टेन एच० एस० हिरानी और गिल्ड के भूतपूर्व महासचिव कैप्टेन डी० एस० माथुर को बहाल कर दिया है। गिल्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष कैप्टेन एस० एस० नादकर्णी का मामला न्यायाधीन (Sub-justice) है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा घोषित आय और सम्पदा

853. **श्री कंवर लाल गुप्त : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में श्रीमती इंदिया गांधी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अपने अपने सम्पदा कर विवरण में घोषित सम्पदा का विवरण क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में श्रीमती इंन्दिरा गांधी और उनके परिवार के सब सदस्यों द्वारा अपने अपने आयकर विवरण में घोषित आय के स्रोतों का विवरण क्या है;

(ग) क्या सरकार को उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों की आय के ऐसे अन्य स्रोतों की जानकारी है जिनकी घोषणा आयकर विवरण में नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके कर-निर्धारणों पर पुनः विचार तथा उनके खातों की पुनः जांच करने का है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भारत तथा विदेशों में उनके बैंक खातों की जांच करने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) श्रीमती इंदिरा गांधी तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा घोषित किये गये धन और आय के स्रोतों को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ग) (घ) और (ङ) श्रीमती इंदिरा गांधी के परिवार के सदस्यों की आय, धन इत्यादि के स्रोत के बारे में सूचना समाचार पत्रों में समय-समय पर छपती रही है । मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है तथा कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी ।

विवरण

घोषित किया गया जन		कर-निर्धारण वर्ष 1974-75	कर-निर्धारण वर्ष 1975-76	कर-निर्धारण वर्ष 1976-77	घोषित आय के स्रोत
		रु०	रु०	रु०	
श्रीमती इंदिरा गांधी		1,77,787	2,35,922	2,71,257	वेतन, सरकारी प्रतिभूतियां, ऋण-पत्र शेयर, नियत-कालिक जमा पर व्याज, यूनिटों स्वामित्व और कृषि से होने वाली आय ।
श्री राजीव गांधी	3	1,19,015	1,19,015	1,63,475	वेतन ।
श्री संजय गांधी	3	4,86,865	3,99,320	2,87,889	वेतन, लाभांश, व्याज और मकान सम्पत्ति ।
श्रीमती सोनिया गांधी पत्नी श्री राजीव गांधी		धन कर की कोई विवरणी दाखिल नहीं की गयी ।			वेतन, वोनस, कमीशन, लाभांश, ब्याज, बीमा एजेंसी से प्राप्त होने वाला कमीशन, शेयरों की बिक्री पर दीर्घ कालीन पूंजीगत लाभ
मास्टर राहूल (नाबालिग) पुत्र श्री राजीव गांधी			––यथोपरि––		ब्याज और लाभांश (कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए आयकर विवरणी दाखिल की गई) ।
कुमारी प्रित्यंका नाबालिग पुत्री श्री राजीव गांधी			––यथोपरि––		––यथोपरि––

सरकारी होटलों के प्रबन्धकों पर व्यय

854. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी होटलों के प्रबन्धकों के आवास तथा भोजन पर गत तीन वर्षों में कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उनके रख-रखाव आदि पर बहुत बड़ी धनराशि व्यय होती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्य-वाही करने का है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) पिछले तीन वर्षों में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के प्रबन्धकों के आवास एवं खाने पर किया गया अनुमानित व्यय 5,74,313 रु० है।

(ख) और (ग) निगम के होटलों/मोटलों तथा यात्री लाँजों के महाप्रबंधकों/प्रबंधकों/सहायक प्रबंधकों के वर्तमान रिहायशी आवास के पैमाने के पुनरीक्षण के लिये तथा विभिन्न संस्थापनों (एस्टेब्लिशमैंट्स) में ऐसे आवास के उपयुक्त दर्जे की सिफारिश करने के लिये एक समिति का गठन किया गया है।

प्याज, आलू और दालों का निर्यात

855. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विदेशों को कितनी मात्रा में प्याज, आलू तथा दालों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या निर्यात के कारण उक्त वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इन वस्तुओं की मूल्यवद्धि रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है;

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) निर्यात आंकड़े नीचे दिए गए हैं:—

मात्रा हजार मै० टन
मूल्य लाख रु०

मदें	1975-76		अप्रैल-दिसम्बर 1975	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्याज . . .	112.0	1385.00	124	1370.25
आलू	30.0	348.17	24	364.95
दालें	6.9	220.00	7	226.64

(ख) उत्पादन की तुलना में इन मदों का निर्यात बहुत थोड़ी मात्राओं में किया गया है। अगर यथोचित सावधानी न बरती जाए तो छोटे निर्यातों से भी आन्तरिक कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। इन मदों की आन्तरिक कीमतों में वृद्धि होने के बहुत से कारण रहे हैं।

(ग) दाल, प्याज तथा आलू के निर्यात फिलहाल रोक दिए गए हैं।

थोक मूल्यों के सूचकांक में वृद्धि

856. **श्री अरविन्द बाला पजनौर**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन् } : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थोक मूल्यों के सूचकांक में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उक्त वृद्धि व्यापारी समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा अबुद्धियतापूर्ण मुनाफाखोरी किये जाने के ही कारण तो नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो अपराधियों को दण्डित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) वर्ष 1976-77 में थोक मूल्यों के सूचक अंक में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें अप्रैल और मई 1977 में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि 1976 की इसी अवधि में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष के इन दिनों में कीमतों में जो वृद्धि हुई, वह कुछ तो मौसमी है और कुछ बनस्पति तेलों, कपास और दालों जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में कमी आ जाने के कारण हुई।

(ख) सरकार स्थिति पर बराबर नजर रख रही है और कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं : (i) खाने के तेलों, कपास और कृत्रिम रेशों का आयात करके अथवा आलू, प्याज और चा के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा कर देश में वस्तुओं की सप्लाई पढ़ाना, (ii) सरकारी भण्डारों से अधिक मात्रा में माल (अर्थात् अनाज और चीनी) जारी करना; और (iii) अनिवार्य प्रयोग विनियमों के लागू करके मांग में कमी करना (अर्थात् बनास्पती के उत्पादन में 75 प्रतिशत आयातित तेल इस्तेमाल करना और कपड़े के उत्पादन में 10 प्रतिशत कृत्रिम रेशों का प्रयोग करना)। सरकार का यह भी इरादा है कि सार्वजनकि वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाए। मुद्रा पूर्ति में विस्तार का मोटे तौर पर जहां तक मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है, सरकार ने कड़ी ऋण नीति अपना कर स्फीतिकारी दबाव के प्रभाव को नियन्त्रित करने का प्रयास किया है। सट्टेबाजी के प्रयोजन से अत्यावश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है; जमा रकमों के रूप में बैंकों के अतिरिक्त साधनों के एक भाग पर रोक लगा कर, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के विस्तार को और कठिन बना दिया गया है। ऐसा सांविधिक नकद प्रारक्षित निधि अनुपात को बढ़ा कर और बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधार के लिए रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्वित व्यवस्था किए जाने पर और अधिक प्रतिबन्ध लगा कर किया गया है।

(ग) और (घ) जैसाकि उपर्युक्त (क) और (ख) से स्पष्ट है, कीमतों में वृद्धि के बहुत से कारण हो सकते हैं। व्यापारियों की मुनाफाखोरी भी एक कारण हो सकता है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता समाज-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकारें अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम और जमाखोरी मूल्यों की सूची टांकने, माल को डिब्बों में बन्द करने आदि से संबंधित ऐसे ही कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर रही हैं। प्रवर्त्तन प्राधिकारियों द्वारा अचानक छापे मारे जाते हैं और दोषियों के खिलाफ मुकदमें चलाए जाते हैं।

लेखों का लेखापरीक्षा से पृथक किया जाना

857. **श्री अरविन्द बाला पजनौर : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखों का लेखापरीक्षा से पृथक किये जाने का कार्य सभी मंत्रालयों में पूरा हो चुका है; और

(ख) यह योजना वित्तीय सत्यता तथा मितव्ययता का परित्याग किये बिना लेखों के संचालन में तत्परता तथा लचीलापन प्राप्त करने में कब तक सफल हुई है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां। इस योजना के अंतर्गतग्र पेंशनों के भुगतान के लेखांकन के बारे में जिम्मेदारी को छोड़कर जो अभी भी लेखा महापरीक्षक की है, बिलों के भुगतान, सरकारी देश रकमों के संग्रह और प्राप्तियों तथा भुगतानों के लेखाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों को दे दी गई है।

(ख) अब चूंकि वेतन तथा लेखा कार्यालय संबंधित मंत्रालय/विभाग के अंग के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए दावों और देय रकमों की शीघ्रता से जांच करके अदायगी कर दी जाती है। अब संबंधित मंत्रालय/विभागों को अनुवर्ती महीने के अंत से पहले मासिक लेखे उपलब्ध हो जाते हैं और इससे बजट और व्यय पर अधिक अच्छा नियंत्रण करना सुविधाजनक हो जाता है।

यह सुनिश्चिद करने के लिए कि निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन किया जाए, बिलों की पूर्व जांच और आंतरिक लेखा-परीक्षा की एक प्रणाली भी लागू की गई है।

SAJJAN TEXTILE MILL OF RATLAM

858. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government have given a subsidy to the Sajjan Textile Mill of Ratlam on the use of a prescribed count of thread;

(b) whether the said mill has been earning huge profits by using the count of thread other than the prescribed one;

(c) whether Government have also received any complaint in regard thereto; and

(d) if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) Government have not prescribed any count of thread to be used by Sajjan Textile Mill, Ratlam and there is no question of grant of any subsidy.

(b) to (d) Do not arise.

OPIUM PROCESSING PLANT IN MADHYA PRADESH

859. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether Mandsaur and Ratlam districts of Madhya Pradesh are main opium growing districts;

(b) whether poppy husk in large quantity is exported from these districts and opium is processed from the husk there;

(c) whether a survey was conducted to select site for setting up an opium processing plant either at Mandsaur or at Ratlam; and

(d) if so, the action taken in this regard ?

MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir, Poppy husk is exported in large quantity from these districts as well as from other poppy growing areas for extraction of alkaloids.

(c) Yes, Sir. M/s. Engineers India Ltd. conducted a survey of the poppy growing areas in Madhya Pradesh (including Mandsaur and Ratlam) and Rajasthan in 1976 to select a suitable for the setting up of a plant for extraction of alkaloids from poppy husk.

(d) The matter is under Government's consideration.

OPIUM CULTIVATION

860. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether opium cultivation has received a severe set back due to hail-storm and untimly rain this year;

(b) whether the opium growers will be unable to deposit with Government the average quantity of their opium produce prescribed under the rules, due to this unexpected damage;

(c) whether the opium producers have made representations to Government in this regard; and

(d) if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) There has been some damage to the poppy crop in the States of Madhya Pradesh and Rajasthan due to hail-storm and untimely rains this year. The extent of damage is estimated to be about 24 per cent in Madhya Pradesh and about 16 per cent in Rajasthan.

(b) The opium cultivators are by law required to surrender the entire opium produced by them to the Government and no minimum quantity has been specified for this purpose.

(c) and (d) Representations have been received from some producers for reducing the minimum qualifying yield for determining the eligibility of a cultivator for issue of licences during the next (1977-78) crop season. The minimum qualifying yield for the next (1977-78) crop year will be fixed at the time of formulating the licensing policy after taking into consideration the extent of the damage to the opium crop on account of the natural causes.

BONUS AGREEMENT BETWEEN THE EMPLOYEES AND MANAGEMENT OF L.I.C.

861. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA
SHRI PRASANNBHAI MEHTA
SHRI DINEN BHATTACHARYYA
SHRI SAMAR MUKHERJEE
} Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether a bipartite agreement was concluded between the employees and Management of Life Insurance Corporation in January, 1974 on the issue of bonus;

(b) whether the above agreement was terminated by Government under the L.I.C. (Modification of Settlement) Act 1976;

(c) whether the employees of L.I.C. have requested the repeal of the Act and enforcement of the bonus agreement in its original form; and

(d) if so, the action taken by the Government ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir. Bipartite settlement 24-1-1974 and 6-2-1974 were concluded between the management of the L.I.C. and with the unions of the L.I.C. employees which *inter-alia* included payment of annual bonus to Class III and Class IV employees.

(b) The relevant provisions of the Settlements in so far as they pertained to the payment of bonus were nullified by the L.I.C. (Modification of Settlements) Act 1976 with effect from 1st April, 1975;

(c) and (d) The validity of the L.I.C. (Modification of Settlements) Act, 1976 has been questioned by some of the unions of the L.I.C. employees in the Supreme Court and the matter is still pending in the Supreme Court.

कृषि-कर के ढांचे के बारे में राज समिति की सिफारिशें

862. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि-कर के ढांचे के बारे में राज-समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/ करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें स्थिति का ब्यौरा दिया गया है । इससे यह देखने में आएगा कि चार सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; अन्य चार को स्वीकार नहीं किया गया है । अन्य सिफारिशों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष करों के संबंध में कृषि सम्पत्ति तथा आय पर कराधान विषयक समिति 1972 द्वारा की गई सिफारिशें—की गई कार्यवाही/की जाने वाली कार्यवाही—

क्रम सं०	सिफारिश	स्वीकार की गई अथवा नहीं
1.	इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक समान आय वाले निर्धारितियों पर कर के भार में केवल इस कारण से ही काफी अन्तर न हो कि उसका एक अंश कृषि से प्राप्त हुआ है । यदि कर योग्य आय को कृषि से हुए लाभ के रूप में दिखाने की युक्ति के माध्यम से कर-अपवंचन पर लागू कर की दर निर्धारित करने में इस प्रकार की आमदनों को हिसाब में लिया जाता है तो इसे कृषि आप को केन्द्रीय आय कर के प्रभार के अन्तर्गत लाए बिना ही प्राप्त किया जा सकता है।	
	(क) इसलिए आय-कर अधिनियम, 1961 में उपयुक्त उपबंध किया जाना चाहिए जिससे करदाता की कृषि तथा कृषि-भिन्न दोनों किस्म की आय को मिला लिया जाए और कृषि-भिन्न अंश पर कर इस प्रकार से लगाया जाए मानों कि कृषि-भिन्न अंश को सकल आय के उच्च खण्डों में रखा गया हो । कृषि और कृषि-भिन्न आय का एकीकरण केवल तभी किया जाना चाहिए जब केन्द्रीय आय कर के लगाने के लिए निर्धारित न्यूनतम छूट की सीमा से कर-निर्धारिती की कर योग्य आय बढ़ जाय । कृषि-भिन्न आय पर कर की दर निर्धारत करते समय कृषि-आय तथा कृषि-भिन्न आय को निम्नलिखित तरीके तथा क्रम से सम्मिलित किया जाना चाहिए :	स्वीकृत ।
	(i) कृषि-भिन्न आय में से दी गई प्रारम्भिक छूट, (वर्तमान में 5, 500/- रुपए)	

क्रम० सं०	सिफारिश	स्वीकार की गई अथवा नहीं
	(ii) कृषि आय और (iii) कृषि-भिन्न आय का शेष। (पैरा 4.1 से 4.7)	
	(ख) आंशिक एकीकरण के प्रयोजन के लिए कृषि से शुद्ध आय की संगणना करते समय व्यापार अथवा व्यवसाय से आय जिसमें कृषि में प्रयोग में लाई गई मशीनरी तथा उपकरणों के मूल्य-ह्रास भी शामिल हो, की संगणना करने में आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत व्यय की सभी मदों को सकल प्राप्तियों में से कम कर देना चाहिए।	स्वीकृत
	(ग) परन्तु कर-निर्धारितियों को परेशानी से बचाने के लिए, राज्य सरकार तथा प्रस्तावित अखिल भारतीय कृषि जोत कर विषयक समिति के साथ विचार-विमर्श करके केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम बनाए जाने चाहिएं जिनमें विभिन्न जिलों/क्षेत्रों में कृषि आय की संगणना में मुख्य-शीर्षों के अन्तर्गत स्वीकार्य व्यय के अधिकतम मान पर निर्धारण किया गया हो। पै(रा 4.13)	निर्णय नहीं लिया गया है।
	(घ) कृषि आय की संगणना करते समय प्रस्तावित कृषि जोत कर से संबंधित जिम्मेदारी को घटौती योग्य व्यय के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। (पैरा 4.14)	निर्णय नहीं लिया गया है।
	(ङ) कृषि में हुई हानियों को केवल कृषि से हुए लाभों में ही मुजरा किए जाने की स्वीकृति दी जानी चाहिए। (पैरा 4.15)	स्वीकृत
2.	राज्य सरकारों द्वारा नामोदिष्ट उपयुक्त राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक जिले में निर्धारितियों की सकल कृषि जोत की सीमा, उगाई गई फसलों की किस्म और जोत के कर योग्य मूल्य के प्रमाणीकरण के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की जानी चाहिए। (पैरा 4.16 और 4.17)	निर्णय नहीं लिया गया है।
3.	उपर्युक्त तरीके से कृषि तथा कृषि-भिन्न आय के आंशिक एकीकरण के परिणाम स्वरूप वसूल किया गया अतिरिक्त राजस्व, पूर्ण रूप से उस राज्य को जाना चाहिए, जहां इस प्रकार एकीकृत कृषि आय प्रोद्यभूत हुई हो।	निर्णय नहीं लिया गया है।

(पैरा 4.18)

क्र० सं०	सिफारिश	स्वीकार की गई अथवा नहीं
4.	धन कर परिवार के आधार पर लगाया जाना चाहिए। मूल छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख तक कर दिया जाना चाहिए और जहां तक संभव हो अन्य सभी छूटों को समाप्त किया जाना चाहिए। यदि छूट की सीमा इस प्रकार से नियत कर दी जाए तो कृषि में लगे परिवारों को जब तक कि उनके पास अन्य रूप में पर्याप्त परिसम्पत्तियां न हों स्वयं को अपनी कृषि जोत पर कोई धन कर नहीं देना पड़ेगा। मूल छूट की सीमा द्वारा की गई व्यवस्था को छोड़कर अन्य सभी छूटों को हटा देने से कर की दरों को कम करने का मामला होगा ताकि छूट प्राप्त सीमा पर कर-निर्धारितियों पर बहुत भारी बोझा न पड़े।	निर्णय नहीं लिया गया है।
5.	(क) शेयर धारियों की कर योग्य सम्पत्ति को कम्पनियों और सहकारी संस्थाओं में शेयरों के मूल्य को पूर्णरूप से शामिल किया जाना चाहिए तथा उनके बाजार मूल्य का कठोरता से निर्धारण किया जाना चाहिए।	निर्णय नहीं लिया गया है।
	(ख) धन कर के मामलें में धार्मिक और धर्मार्थ न्यासों को कोव रियायत नहीं दी जानी चाहिए। (पैरा 5.9 से 5.12)	स्वीकृत नहीं की गई धार्मिक और धर्मार्थ न्यासों की आय को न्यास की निधियों और आय के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए कर से छूट दी गई है। धन-कर के संबंध में इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की हुई है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे न्यास पर धन-कर लगाने से कोई अच्छा कारण प्रतीत नहीं होता।
6.	धन कर में प्रयोजन के लिए फार्म-भूमि कर मूल्यांकन सामान्यत: आय-पूंजीकरण के तरीके के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक सरल और उचित तरीका यह होगा कि कुछ वर्षों की अवधि की औसत के आधार पर किसी जोत के कर योग्य मूल्य का 4 से 6 गुना ले लिया जाए। आय-पूंजीकरण के लिए अपनाए जाने वाले गुणांक के आंकड़े के बारे में निर्णय लेते समय ध्यान में रखे जाने वाले पहलूओं के संबंध में निर्धारण अधिकारियों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए जाएं। (पैरा 5.13 से 5.18)	निर्णय नहीं लिया गया है।
7.	(क) पूंजीगत परिसम्पत्ति की परिभाषा इतनी व्यापक कर दी जानी चाहिए कि सभी कृषि भूमियों के अन्तरण से होने वाले पूंजीगत लाभों पर कर लगाया जा सके भले ही यह कृषिभूमि कहीं भी हों।	फिलहाल स्वीकार नहीं की गई। परन्तु राज समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार उपलब्ध होने के बाद इस पर पुन: विचार किया जाएगा।

(पैरा 4.18)

क्र० सं०	सिफारिश	स्वीकार की गई अथवा नहीं
(ख)	अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि तक रखी गई परिसम्पत्तियों के लेन-देन से होने वाले लाभों को साधारण आय मान लेना चाहिए और उस पर तदनुसार कर लगाना चाहिए।	स्वीकार नहीं की गई इस प्रश्न पर बांचू समिति की सिफारिश तरजीही दी गई थी
(ग)	एक वर्ष से अधिक समय के लिए रखी परिसम्पत्तियों की बिक्री से होने वाले पुंजीगत लाभों के क्रमिक दरों पर कराधान में अन्तग्रस्त असमानता को समाप्त करने के लिए किसी वर्ष के निर्धारण पर फिर से कार्यवाही किए बिना ही अनेक वर्षों के दीर्घावधि पूंजीगत लाभों के अनुपातिक तरीके को अपनाया जाना चाहिए।	निर्णय नहीं लिया गया है।
(घ)	दीर्घावाधि पूंजीगत परिसम्पत्तियों पर हानियों को उसी तरह माना जाए जैसा कि आजकल माना जा रहा है।	स्वीकृत
(ङ)	एक बार अनुपातिक तरीके के अपनाए जाने पर वर्तमान में स्वीकार्य (जब किसी गैर-निगमित कर निर्धारिती की आय 10,000/-रुपए से अधिक न हो अथवा लाभ 50,000/-रुपए से कम हो) कर से दीर्घावधि पूंजीगत लाभों संबंधी छूट समाप्त की जानी चाहिए। (पैरा 5.19 से 5.25)	निर्णय नहीं लिया गया है।
8. (क)	जैसाकि कृषि जोत कर के संबंध में सुझाव दिया गया है, आय-कर और धन-कर के लिए निर्धारण की बुनियादी इकाई, पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों का परिवार होना चाहिए जो आय-प्राप्ति, खपत तथा सभी सम्बद्ध निर्णय लेने की इकाई हैं।	निर्णय नहीं लिया गया है।
(ख)	परन्तु, जब एक परिवार को कर इकाई बना दिया जाता है तो घर से बाहर नियोजित पति-पत्नी की संयुक्त आय के 10 % की दर पर वेतन आय में से कटौती की अनुमति दी जाए और नाबालिग बच्चों का पालन करने वाले जीवित पति/पत्नी की आय कर 20% परन्तु अधिक से अधिक 2,000 रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए। (पैरा 6.1 से 6.12)	निर्णय नहीं लिया गया है।
(ग)	परिवार को बुनियादी कर एकक के रूप में मान लेने से हिन्दू अविभाज्य परिवार की कर-अस्तित्व के रूप में मान्यता समाप्त की जानी चाहिए। (पैरा 6.13 से 6.14)	निर्णय नहीं लिया गया है।
9.	पशु धन प्रजनन और मुर्गी पालन तथा डेरी फार्मिंग से आय, जिसे अब कराधान से छूट है, पर आय कर लगाना चाहिए।	स्वीकार नहीं किया गया। पशु प्रजनन और डेरी, मुर्गीपालन फार्मिंग की अविकसित स्थिति को ज्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया था कि इस स्तर पर ऐसी आय के संबंध में कराधान पर विचार नही किया जाना चाहिए।

तुगलकाबाद, दिल्ली में शुष्क बन्दरगाह की स्थापना

863. **श्री बसन्त साठे**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तुगलकाबाद, दिल्ली में एक शुष्क बन्दरगाह की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव विचार/निर्णय की किस स्थिति में है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सरकार ने सिद्धांत रूप में उत्तरी क्षेत्र में शुष्क पत्तन स्थापित करने का निर्णय कर लिया है। वास्तविक स्थान के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है।

पचास करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण

864. **श्री बसन्त साठे** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पचास करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) पचास करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि वाले बैंकों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1977 के अंतिम शुक्रवार को स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र के निम्नलिखित बैंकों के पास 50 करोड़ रुपए से अधिक की जमाएं थीं :—

निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक

आंध्र बैंक लिमिटेड
पंजाब और सिंध बैंक लिमिटेड
न्यू बैंक आफ इंडिया लिमिटेड
विजया बैंक लिमिटेड
कारपोरेशन बैंक लिमिटेड
ओरिऐंटल बैंक आफ कामर्स लिमिटेड
फेडरल बैंक लिमिटेड
बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड
बैंक आफ मदुरा लिमिटेड
जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

विदेशी बैंक

ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड
चार्टर्ड बैंक लिमिटेड
मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड
सिटी बैंक एन० ए०
अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन
बैंक आफ अमेरिका।

DEARNESS ALLOWANCE TO GOVERNMENT EMPLOYEES

865. SHRI K. LAKKAPPA
SHRI S. R. DAMANI
SHRI RAMANAND TIWARY
: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether another instalment of dearness allowance to Government employees has become due because of rise in prices; and

(b) if so, the reason for not announcing the same ?

MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) No, Sir. Dearness allowance is at present paid to the Central Government employees with reference to the index average of 304, whereas the index average at the end of April 1977 stood only at 303.

(b) Does not arise

रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया को फिर एक साथ रखने के बारे में अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी एसोसियेशन से ज्ञापन

866. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रिज़र्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया को फिर से एक साथ रखने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को अखिल धारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी एसोसिएशन से इस बारे में ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क), (ख) और (ग) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट को, सरकारी वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 1975 के उपबन्धों के अनुसार 16 फरवरी, 1976 से भारतीय रिजर्व बैंक से अलग कर दिया था।

सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारियों के अखिल भारतीय संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय यूनिट ट्रस्ट को फिर से भारतीय रिज़र्व बैंक में मिला देने का अनुरोध शामिल था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और यूनिट ट्रस्ट को भारतीय रिज़र्व बैंक में फिर से मिलाने के विरोध में, सरकार को, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिकारी संघ से एक ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय यूनिट ट्रस्ट को फिर से भारतीय रिजर्व बैंक में मिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

पूर्वी राज्यों में पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए कार्यवाही

867. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वी राज्यों में पर्यटन रुचि और पर्यटन महत्व के स्थलों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं कि की गई कार्यवाही से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं; और

(ग) इन राज्यों में नये या पुराने पर्यटन स्थलों का निकट भविष्य में देश के अन्य भागों के ऐसे पर्यटन स्थलों की ही तरह विकास करने की कोई संभावना है, जिन्हें काफी व्यय करके सुन्दर बनाया गया है और जिन का सुधार किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री: पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), और (ग) पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में पर्यटक यातायात को प्रोत्साहन देने के लिये, केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटक बंगलों, युवा होस्टलों, वन लाजों, होटलों, परिवहन यूनिटों, शुल्क-मुक्त दुकानों आदि के रूप में विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं । इनके अलावा, कोणार्क (सूर्य मंदिर के इर्द-गिर्द), राजगिर तथा नालंदा के मास्टर प्लान तैयार किये गये हैं जिनमें क्षेत्र तथा पर्यावरण आयोजना, सुविधाओं का अभिनिर्धारण तथा उनकी स्थिति भी सम्मिलित हैं। इन स्थानों पर सुविधाओं के विकास-कार्य को, केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों से संबंधित अभिकरणों को उत्तरदायित्व सौंपने के तुरंत बाद, आरंभ कर दिया जाएगा । बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर के इर्द-गिर्द के क्षेत्र भी एक मास्टर प्लान, को इन्हीं लाइनों पर चालू योजनावधि के दौरान ही हाथ में लिया जाएगा । महाबोधि मंदिर के इर्द-गिर्द की लगभग 22 एकड़ भूमि का अधिग्रहण अथवा हस्तांतरण करने के लिए राज्य सरकार को निधियों का विमोचन भी कर दिया गया है । इस पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही किए जाने की प्रतीक्षा है ।

पर्यटकों में इस क्षेत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए किये गए अन्य उपायों में इस क्षेत्र में चुने हुए पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन साहित्य, फिल्मों तथा अन्य सजावट की सामग्री का उत्पादन करना सम्मिलित है ।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग का एक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय कलकत्ता में भी कार्य करता है जो पर्यटकों में पूर्वी क्षेत्र को लोकप्रिय बनाता है, तथा राज्य सरकारों और यात्रा उद्योग के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करता है और पूर्वी क्षेत्र में पर्यटक केंद्रों पर सूचना एकत्रित एवं प्रेषित करता है ।

दार्जिलिंग, शिलांग तथा काजीरंगा की यात्रा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिये प्रवेश संबंधी औपचारिकताओं को उदार बना दिया गया है ।

उपर्युक्त सभी उपाय पूर्वी क्षेत्र में पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध हुए हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यकुशलता

868. **श्री सुशील कुमार धारा : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन बैंकों के प्रबन्धकों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता, कार्यकलाप की तत्परता और सामान्य व्यवहार में, जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया है, राष्ट्रीयकरण के बाद स्पष्ट रुप से खराबी आई है ।

(ख) क्या इन बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने का प्रस्ताव है । और

(ग) यदि हां, तो इस बार में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारत में बैंकों द्वारा अब तक ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है जिसके आधार पर किसी एक अवधि विशेष के दौरान राष्ट्रीयकृत और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहकों को उपलब्ध सेवा की तुलना की जा सके ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों की उपलब्ध की जाने वाली सेवा में सुधार लाने के लिए बराबर ध्यान रखा जाता है । खास शिकायत मिलने पर सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं ।

मार्च, 1975 में सरकार ने समस्याओं को स्पष्ट करने तथा बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार के वास्ते सिफारिशें करने के लिए एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की थी । कार्यकारी दल की अन्तरिम रिपोर्ट में की गई अधिकांश सिफारिशें जिनका सम्बन्ध (1) जमा खातों; (2) प्रेषणाओं और वसूलियों; (3) ऋण और अग्रिम; (4) सरकारी कारोबार; (5) अनुशासन और व्यवहार से है, स्वीकार कर ली गई है और कार्यान्वियन के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ध्यान में ला दी गई है ।

जनता को बेहतर और त्वरित सेवा प्रदान करने की दृष्टि से बैंकों की कार्यकुशलता में सुधार करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में गठित जेम्सराज समिति के विचारणीय विषयों में से एक महत्वपूर्ण विषय है ।

TOURISTS FROM WESTERN COUNTRIES TO INDIA

869. SHRI OM PRAKASH TYAGI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of Shri D. A. Searson, a representative of Cox and Kings, published in the Indian Express dated the 26th April, 1977 in which he has given the reasons as to why tourists from Western countries do not visit India in large numbers; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir.

(b) In an interview with the Express Correspondent, Shri D. A. Searson of M/s. Cox & Kings, London has expressed certain opinions on reasons that prevent larger number of western tourists from visiting India. The principal reason that concerns us is India's image abroad about poor sanitation and hygiene and the impression of widespread poverty. Shri Searson has himself accepted "vast improvement" in sanitation & hygiene in recent years.

The Department of Tourism tries to enforce set standards in sanitation and hygiene in the hotels approved by them as suitable for foreign tourists through inspections. Most of our better class hotels have units to purify water in order to reduce the incidence of what Shri Searson calls "Delhi Belly".

Shri Searson has made some suggestions regarding scheduling of flights by Indian Airlines which have been noted.

The comments of Shri Searson regarding Kovalam do not appear to be valid because of the growing interest in beach holidays in countries of continental Europe. This is also evident from the increasing number of visitors to the beach resorts of the neighbouring countries e.g. Sri Lanka, Maldives.

केरल के कपड़ा मिलों का अधिग्रहण

870. श्री पी० के० कोडियन
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केरल सरकार ने केरल की चार कपड़ा मिलों का अधिग्रहण करने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि राष्ट्रीय वस्त्र निगम को पहले ही 105 रुग्ण सूती वस्त्र मिलों के प्रबन्ध की भारी जिम्मेदारी दे दी गई है । केन्द्रीय सरकार इसके पक्ष में नहीं है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबन्ध के लिये और अधिक रुग्ण एकक एंव बंद मिलों का अधिग्रहण किया जाये । फिर भी, यदि कोई संबंधित, राज्य सरकार अपने प्रबन्ध में रुग्ण एकक एंव एककों को अधिग्रहण करने के लिये तैयार होती है तो केन्द्रीय सरकार जहां कहीं भी ऐसी प्रस्थापनाओं को व्यवहार्य पायेगी, वहां वह सभी संभव सहयोग प्रदान करेगी।

खाद्य तेल के आयातकर्ताओं द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

871. **श्री पी० के० कोडियन**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
श्री उग्रसेन
: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि खाद्य तेल के आयातकर्ता सरकार द्वारा जारी किये गये आयात लाइसेंसों से खरीदे गए माल को अपने विदेशी सप्लायरों को पुनः बेच रहे है; और इस प्रकार भारी मुनाफा कमा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) (1) पार्टियों के मामले प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए भेजे गए हैं ?

(2) 13 पार्टियों के मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को विस्तृत जांच तथा उपयुक्त कार्यवाही के लिए भेजे गए हैं ।

(3) 2143 लाइसेंस धारियों के खिलाफ आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ की गई है। इन आंकड़ी में वे 13 पार्टियां भी शामिल हैं जिनके खिलाफ कदायार के प्रत्यक्षतः कुछ मामले हैं और साथ ही जिन्होंने लाइसेंसों के उपभोग के बारे में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया है ।

खाद्य तेल और तिलहनों की कीमतों में वृद्धि

872. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य तेलों और तिलहनों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनकी कीमतें कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां । देश में खाद्य तेलों और तिलहनों के मूल्यों में वृद्धि का रुख रहा है ।

(ख) इस मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण वर्ष 1976-77 में मूंगफली और सरसों को फसलों के उत्पादन में कमी होना है ।

(ग) सरकार ने खाद्य तेलों और तिलहनों के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए नीचे दिये गये उपाय किये हैं :—

(i) राज्य सरकारों को उनके द्वारा मांग करने पर आयातित रेपसीड आयल सीधी खपत के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्यों पर फुटकर बिक्री हेतु आबंटित किया जा रहा है ।

(ii) सीधे मानव उपभोग के लिये निजी व्यापारियों द्वारा खुली लाइसेंस पद्धति के अन्तर्गत कुछ किस्मों के खाद्य तेलों के शुल्क रहित आयात करने के लिए अनुमति दी गई है ।

(iii) एक अरसे से उत्तरोत्तर रूप से वनस्पति निर्माण में सस्ते आयातित तेलों का अनिवार्य उपयोग 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है और वनस्पति उद्योगों को इन तेलों की आपूर्ति भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात करके की जा रही है । वनस्पति में मूंगफली के तेल का उपयोग करने पर प्रतिबंध है ।

(iv) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे खाद्य तेलों को एक राज्य से दूसरे राज्य को लाने ले जाने पर सभी प्रतिबंध हटा दें ।

(v) हाथ से चुनी (एच० पी० एस०) मूंगफली का निर्यात बन्द कर दिया गया है ।

(vi) विभिन्न तिलहनों और तेलों के स्टाक के आधार पर बकों द्वारा अग्रिम देने की गुंजाइश में कमी कर दी गई है।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को निगमों में बदलना

873. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सभी सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के निगमों में बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य और मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य कम्पनी अधिनियम के अधीन पूंजीकृत केन्द्रीय सरकार उद्यमों को सांविधिक निगमों में बदलने का जिक्र कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

874. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से किन-किन वस्तुओं का वितरण किया जाता है; और

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का विस्तार करके देहाती क्षेत्र के कमजोर वर्ग को भी उसके अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में गेहूँ, चावल, लेबीयुक्त चीनी तथा नियंत्रित कपड़े का वितरण उचित दर की दुकानों/राशन की दुकानों के माध्यम से किया जाता है। कुछ राज्यों में माइलों/मोटे अनाजों, खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल तथा साफ्ट कोक जैसी अन्य आवश्यक वस्तुओं की सीमित मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जा रही है।

(ख) देश के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए इस प्रणाली को मजबूत बनाने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

नियंत्रित कपड़े के उत्पादन तथा कपड़ा मिलों के निर्यात दायित्वों को समाप्त करने का प्रस्ताव

875. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नियंत्रित कपड़े के उत्पादन और कपड़ा मिलों के निर्यात दायित्वों को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें और इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

876. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री एस० आर० दामाणी } : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में सभी वस्तुओं की कीमतों में हो रही वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या कीमतों में इस बढ़ोत्तरी के लिए धन सप्लाई और अर्थ व्यवस्था में मुद्रा स्फीतिकारी प्रभाव भी उत्तरदायी है; और

(घ) यदि हां, तो अपने देश की अर्थव्यवस्था में इन बातों पर कहां तक रोक लगाई गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां। 28 मई, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में थोक मूल्यों के सूचक [अंक] (1970–71–100) में 10.1 प्रतिशत की और अप्रैल, 1976 से अप्रैल, 1977 के बीच उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960–100) में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष मूल्यों में जो वृद्धि हुई वह मुख्यतः कुछ चुनी हुई वस्तुओं की कीमतो में तेजी से वृद्धि होने के कारण हुई।

(ख) सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं : (i) खाने के तेलों, कपास और कृत्रिम रेशों का आयात करके अथवा आलू, प्याज और चाय के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाकर देश में वस्तुओं की सप्लाई बढ़ाना; (ii) सरकारी भण्डारों से अधिक मात्रा में माल (अर्थात् अनाज और चीनी) जारी करना; और (iii) अनिवार्य प्रयोग विनियमन में परिवर्तन करके मांग में कमी करना (अर्थात् वनस्पति के उत्पादन में 75 प्रतिशत आयातित तेल इस्तेमाल करना और कपड़े के उत्पादन में 10 प्रतिशत कृत्रिम रेशों का प्रयोग करना)। जब तक जरूरत होगी, सरकार इन उपायों को जारी रखेगी। इसके अलावा सरकार का यह भी इरादा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाए।

(ग) और (घ) यह सच है कि मुद्रा पूर्ति के विस्तार का मोटे तौर पर मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है। सरकार ने कड़ी ऋण नीति अपनाकर स्फीतिकारी दबाव के प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। सट्टेबाजी के प्रयोजन से अत्यावश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है; जमा रकमों के रूप में बैंकों के अतिरिक्त साधनों के एक भाग पर रोक लगाकर बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के विस्तार को और कठिन बना दिया गया है। ऐसा सांविधिक नकद प्रारक्षित अनुपात को बढ़ा कर तथा बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधार के लिए रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्वित्त-व्यवस्था किए जाने पर और अधिक प्रतिबन्ध लगाकर किया गया है।

दिल्ली वनस्पति तेल व्यापार एसोसियेशन से ज्ञापन

877. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति** और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान खाद्य तेल संकट से निपटने के लिए दिल्ली वनस्पति तेल व्यापार एसोसिएशन ने कोई ज्ञापन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) एसोसियेशन के कुछ सुझावों में जो कहा गया है, उसके अनुसार सरकार ने पहले ही कार्यवाही कर दी है। अन्य सुझावों पर उस सीमा तक यथोचित रुप से विचार किया जाएगा। जहां तक कि वे उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को खाद्य तेल सुलभ कराने के सरकार के समग्र लक्ष्य के अनुरुप होंगे।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन गृह

878. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कितने पर्यटन गृह हैं; और

(ख) पर्यटन गृहों में निवास का अनुपात कितना है और वर्ष 1976-77 के दौरान उनमें रहने वाले व्यक्तियों की श्रेणी का ब्यौरा क्या है अर्थात् उनमें कितने सरकारी अथवा गैर-सरकारी व्यक्ति थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) पोर्ट ब्लेयर में अंदमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा बनाया गया एक 24 शय्याओं वाला पर्यटक गृह है ।

(ख) 1976 में, शय्याओं की लाग (आक्यूपैंसी) 70 प्रतिशत थी, जिसमें से प्राइवेट पार्टियों का अंश 40 प्रतिशत था ।

तस्करी और आर्थिक अपराधों को रोकने के लिये कार्यवाही

879. **श्री जी० वाई० कृष्णन**
श्री आर० कोलनथाइवेलु } : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तस्करी की गति विधियों और अन्य आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए एक नई और प्रभावकारी व्यवस्था बनाने हेतु सरकार अपने तस्करी विरोधी उपायों का पुनरीक्षण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या आपात स्थिति की समाप्ति के पश्चात् कुछ तस्करों को रिहा कर दिया गया है और यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) तस्करी की नौकाओं को पकड़ने तथा उन्हें समाज विरोधी गतिविधियों से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार के तस्करी-विरोधी उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है जो तस्करी की प्रवृत्तियों, तस्करों एवं अन्य आर्थिक अपराधियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य-प्रणाली में परिवर्तनों और जिन क्षेत्रों में उनकी गति विधियां चलती रहती हैं उनके बदले जाने की स्थिति पर निर्भर करता है ।

(ख) जी हां । आपात् स्थिति के हटाये जाने के पश्चात् 4 जून, 1977 तक 2185 तस्करों को जिनमें विदेशी मुद्रा छल-साधक भी शामिल हैं छोड़ा गया था; और उनकी राज्य-वार संख्या संलग्न सूची में प्रस्तुत है ।

(ग) सीमाशुल्क विभाग की नावों द्वारा तस्करों के जलयानों को मार्ग में रोकने के लिये समुद्र के किनारे पर आसानी से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों पर गश्त लगाने के कार्य में तेजी ला दी गई है। निवारक अभिकरणों में तुरंत संचार और तस्करों के जलयानों को मार्ग में रोकने में सहयोग प्रदान करने के निमित्त पश्चिमी तट तथा तमिलनाडु तट पर बेतार संचार प्रणाली को भी स्थापित किया गया है । सीमाशुल्क विभाग की गश्ती नावों को अधिक संख्या में काम में लगाया जा रहा है और गुप्त सूचना इकटठी करने की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा है ।

विवरण

रिहा किये गये व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिये अनुसार है :—

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिहा किये गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	37
2.	असम	62

1	2	3
3. बिहार		104
4. दादर और नागर हवेली		2
5. दिल्ली		47
6. गोआ, दमन तथा दीव		34
7. गुजरात		202
8. हरियाणा		2
9. जम्मू तथा काश्मीर		10
10. कर्नाटक		99
11. केरल		102
12 मध्य प्रदेश		13
13. महाराष्ट्र		622
14. मणिपुर		11
15. मेघालय		5
16. उड़ीसा		3
17. पांडिचेरी		4
18. पंजाब		69
19. राजस्थान		13
20. त्रिपुरा		43
21. तमिलनाडु		261
22. उत्तर प्रदेश		151
23. पश्चिम बंगाल		125
24. केन्द्रीय सरकार		164
	जोड़	2185

एयरबस विमान की उड़ानों के लिये अनुपयुक्त हवाई अड्डे

880. **श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देश के हवाई अड्डे एयरबस विमान की उड़ानों के लिये तैयार नहीं हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन्हें एयरबस विमान को उड़ानें के लिये विकसित करने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : एयर बस सेवाएं फिलहाल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और बंगलौर हवाई अड्डों के लिए परिचालित की जा रही हैं । इंडियन एयरलाइन्स की गोहाटी, डबोलिम (गोवा) तथा श्रीनगर के लिए भी एयरबस सेवाएं परिचालित करने की योजना है । इन तीनों हवाई अड्डों को एयर बस के परिचालन योग्य बनाने के लिए उन पर विकास कार्य पहले से ही चालू है ।

'न लाभ न हानि' के आधार पर खाद्य तेलों के वितरण की योजना

881. **श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खाद्य तेल व्यापारियों ने 'न लाभ न हानि' के आधार पर खाद्य तेलों के वितरण की योजना बनाई है; और

(ख) यदि, हां, तो इस योजना की मुख्य बात क्या हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) व (ख) जी हां खाद्य तेलों के आयातकर्ताओं और निर्यातकों की एसोसिएशन ने बम्बई शहर में खाद्य तेल का वितरण करने के लिए एक योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत राज्य नागरिक पूर्ति संगठन के अभिकरण के माध्यम से 100 मीटरी टन खाद्य तेल प्रतिदिन के हिसाब से 8.50 रु० प्रति किलोग्राम के अंतिम खुदरा भाव से वितरित किया जायेगा। यह योजना सितम्बर, 1977 के अंत तक लागू रहेगी।

इण्डियन लीफ टोबैको डेवेलपमेंट कम्पनी के विरुद्ध सीमाशुल्क के दावे

882. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 1972-73 से इंडियन लीफ टोबैको डेवेलपमेंट कम्पनी के नाम में 90 लाख रुपयों के सीमाशुल्क के बकाया दावे 19 मार्च, 1977 को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा अचानक समाप्त कर दिये गये;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

(ग) इस बारे में अब क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या फरवरी, 1977 में तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा सिगरेट उद्योग को प्राइमरी व्यापारियों द्वारा लिये जाने वाले मूल्यों पर उत्पादन शुल्क निर्धारित करके तथा कार्ड.बोर्ड केटेनरों के लिए छूट देकर तथा बकाया दावों को लौटा कर 10 करोड़ रुपयों की रियायत दी थी?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) मद्रास सीमाशुल्क गृह ने लगभग 90 लाख रुपये का एक दावा इंडियन लीफटोबैको डेवेलपमेंट कंपनी के खिलाफ जारी किया था। इस दावे के खिलाफ कंपनी द्वारा किये गये अभ्यावेदन की राजस्व विभाग में जांच की गई थी और उसे, विभाग द्वारा जांच किये जाने के बाद छूट प्रदायी आदेश जारी करके और तत्कालीन राजस्व और बैंकिंग मंत्री के आदेश प्राप्त करने के बाद अन्ततः 19-3-1977 को निपटाया गया। विभाग की फाइल से यह पता नहीं चलता है कि तत्कालीन प्रधान मंत्री से कोई अनुदेश प्राप्त हुए थे।

(ख) मामले के तथ्य ये हैं कि मद्रास सीमाशुल्क गृह ने इंडियन लीफ टुबैको डेवेलपमेंट कंपनी को अक्टूबर 1972 में यह कारण बताने को कहा था कि कंपनी द्वारा अनिर्मित भारतीय तम्बाकू को जुलाई, 1972 में मद्रास में पुनः आयात की गई एक खेप पर 90.70 लाख रूपये की रकम का सीमाशुल्क वसूल क्यों नहीं किया जाय। कंपनी ने इस दावे का विरोध किया परन्तु मई, 1975 में मद्रास सीमाशुल्क गृह द्वारा इस दावे की पुष्टि की गयी। कंपनी ने इस मांग के विरुद्ध अगस्त, 1975 में एक अपील दायर की जिसे मई, 1976 में अस्वीकार किया गया था। कंपनी ने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की और इसे भी अक्टूबर, 1976 में अस्वीकार कर दिया गया था।

कंपनी ने उसके पश्चात् अक्टूबर, 1976 में मामले के बारे में तत्कालीन राजस्व और बैंकिंग मंत्री के पास अभ्यावेदन किया। इस अभ्यावेदन में कंपनी ने फिर यह बताया कि उसने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी उस समय कर दी थी जब पुनः आयात किये गये माल की खेप की सिगरेट के निर्माण के लिए निकासी की गई थी। इस अभ्यावेदन पर विचार करते समय, यह टिप्पणी की गई है कि मद्रास सीमाशुल्क गृह को पुनः आयात की गई इस खेप को उस पर लगने योग्य केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बराबर सीमाशुल्क लगाये बिना, जैसा कि कानून द्वारा अपेक्षित है, नहीं छोड़ना चाहिए था। माल की पुनः आयात की गई खेप को उत्पादन-शुल्क बंध-पत्र के अधीन लिया गया था और सिगरटों के निर्माण में प्रयोग किये जाने के लिए उसकी निकासी की गई थी। जिस उपयोग के लिए पुनः आयात की गई खेप को इस्तेमाल किया गया था उसके आधार पर उस पर लगने

योग्य केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बराबर सही सीमाशुल्क 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 11.4 लाख रुपया होना चाहिए था। लेकिन मद्रास सीमाशुल्क गृह ने गलती से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 40 रुपये प्रदि किलोग्राम की उच्चतर दर पर सीमाशुल्क की मांग जारी की थी। शुल्क की यह दर धूम्रपान मिश्रण (स्मोकिंग मिक्सचर) के निर्माण में इस्तेमाल किये जाने वाले तम्बाकू पर लगती है।

कंपनी के अभ्यावेदन पर विचार करने की अवस्था पर इन तथ्यों को ध्यान में रखा गया था। चूंकि कंपनी ने सिगरटों के निर्माण में इस्तेमाल किये गये तम्बाकू पर लगने योग्य केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अदा कर दिया था, हालांकि यह निकासी के बाद किया गया और सीमाशुल्क की वसूली का प्रभाव शुल्क को दुबारा वसूल करना होता और क्योंकि इसका निर्यातों पर विरोधात्मक प्रभाव पड़ता, इसलिये सरकार ने मंत्री के स्तर पर 19 मार्च, 1977 को यह निश्चय किया कि कंपनी को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बराबर सीमाशुल्क की अदायगी से छूट दी जाय।

(ग) ऊपर (क) और (ख) को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) फरवरी, 1977 में अथवा उसके आस-पास सिगरेट उद्योग को खासतौर पर इस प्रकार की रियायतें नहीं दी गई थीं। उत्पादन शुल्क लगने योग्य सभी प्रकार के माल के मूल्यांकन से संबंधित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के उपबंधों के अर्थनिरूपण के बारे में विधि मंत्रालय से विचार विमर्श करके समय-समय पर अनुदेश जारी किये गये हैं। इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रश्न आ जाता है कि शुल्क निर्धारण योग्य मल्य तय करने के निमित्त किस प्रकार की पैकिंग शामिल की जानी चाहिए और वे परिस्थितियां क्या हैं जिनमें डीलरों, स्टाकिस्टों इत्यादि को "संबंधित व्यक्ति" माना जाना चाहिए। अर्थ निरूपण संबंधी इस प्रकार के सामान्य स्वरूप के अनुदेशों के अलावा, जिनके अन्तर्गत सभी वस्तुएं आ जाती हैं, इस प्रश्न पर सिगरेट उद्योग के संबंध में केवल विशिष्ट अनुदेश मई, 1976 में जारी किये गये थे कि क्या नालीदार तन्तु बोर्ड से बने डिब्बों की लागत को सिगरेटों के शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य निश्चित करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए। ये अनुदेश उत्पादन शुल्क लगने योग्य सभी वस्तुओं के संबंध में पहले जारी किये गये उन सामान्य आदेशों पर आधारित थे, जिनके अनुसार अतिरिक्त पैकिंग की लागत, जो उस पैकिंग से बिल्कुल भिन्न है जिनमें, अथवा जिस पर उत्पादन शुल्क लगने योग्य माल लपेटा, रखा अथवा बांधा जाता है, उत्पादन शुल्क लगने योग्य वस्तुओं के शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य में शामिल नहीं किया जा सकता। यह संभव है कि मूल्यांकन सम्बंधी कानून का अर्थ-निरूपण करते हुए जारी किये गये अनुदेशों के परिणामतः सिगरेट उद्योग को भी, अन्य उद्योगों के साथ कुछ लाभ पहुंच गया हो। इस प्रकार के लाभ की ठीक-ठीक मात्रा को बताना संभव नहीं है।

अनिवार्य जमा योजना के फलस्वरूप जमा हुई धनराशि

885. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारियों तथा श्रमिकों द्वारा की गई अदायगियों के फलस्वरूप अनिवार्य जमा योजना के खाते में कितनी राशि जमा हुई ; और

(ख) नियोजकों द्वारा की गई अदायगियों के फलस्वरूप अनिवार्य जमा योजना में कितनी राशि जमा हुई ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के एककों के कर्मचारियों द्वारा 3 जून, 1977 तक अनिवार्य जमा के रूप में कुल 1764.68 करोड़ रुपया जमा कराया गया था।

(ख) अनिवार्य निक्षेप स्कीम के अन्तर्गत नियोजकों को कोई रकम जमा नहीं करानी होती उन्हें तो अपने कर्मचारियों को दिए गए वेतन में से अनिवार्य जमा की काटी गई रकमें इस अधिनियम के अन्तर्गत नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजनी होती हैं।

जीवन बीमा निगम (समझौते में रूपभेद) अधिनियम 1976 की वैधता

886. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राल इंडिया एल० ग्राई० सी० फैडरेशन ने उच्चतम न्यायलय में भारतीय डीवन बीमा निगम (समझौते में रूपभेद) ग्रधिनियम, 1976 की वैधता को चुनौती दी है ;

(ख) क्या दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने यह सुझाव दिया था कि दोनों पक्ष बातचीत करके समझौता कर लें ?

(ग) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ कोई समझौता कर लिया है जैसा कि न्यायालय ने सुझाव दिया था ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व ग्रौर बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) ग्रौर (घ) इस मामले में ग्रभी तक कोई समझौता नहीं हुग्रा है । उच्चतम न्यायालय को सरकार के विचारों से पहले ही ग्रवगत करा दिया गया है ।

काफी बोर्ड के चेयरमैन की केरल यात्रा

887. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता** मंत्री **यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड के चैयरमैन ने हाल में केरल में बाइनाड की यात्रा की थी ग्रौर काफी की काश्त विपणन ग्रौर ग्रन्य मामलों मे विभिन्न समस्याग्रों पर काफी उत्पादकों तथा ग्रन्य व्यक्तियों से विचार विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या विभिन्न सम्मेलनों से उनके द्वारा दिये गये विभिन्न वायदों ग्रौर ग्राश्वासनों को पूरा करने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) बातचीत के परिणामों का सारांश निम्नलिखित है :—

(1) एक व्यापक नीति बनाई गई है जिसमें काफी बागानों में मीली कीड़ों के प्रकोप पर नियंत्रण करने के लिए रासायनिक तथा जैविक पद्धतियों, उपयुक्त निविष्ट साधन खरीदने के लिए उपजकर्त्ताग्रों के लिए ग्रावश्यक वित्तीय सहायता की व्यवस्था तथा समस्याग्रों के समाधान के लिए इलाका नीति शामिल है ।

(2) वाइनाड में रोबस्टा काफी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ग्रावश्यक कार्यप्रणालियां तैयार करने हेतु वाइनाड में रोबस्टा ग्रनुसंधान केन्द्र खोलने के उद्देश्य से ग्रावश्यक क्षेत्र का ग्रधिग्रहण करने के लिए उपाय किए गये हैं ।

(3) ऐसे प्रत्येक लघु उपजकर्त्ता के लिए, जिसके पास काफी रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र है, ग्रावश्यकता पर ग्राधारित ऋण की व्यवस्था हेतु विकास योजना तैयार की गई हैं। इस प्रयोजन के लिए योजनागत विधि से ग्रावश्यक धन ग्रावंटित किया गया है।

(4) काफी बोर्ड ने सभी रजिस्टर्ड बागानों का पता लगाने, रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रावेदन-पत्र एकत्र करने ग्रौर केरल सरकार के राजस्व प्राधिकारियों से रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए सहायता देने के लिए विशेष ग्रमला तैनात किया है ।

(5) समाहरण डिपुग्रों द्वारा परिवहन प्रभार की उगाही को सुव्यवस्थित बनाने ग्रौर ग्रन्तस्थ क्षेत्रों में ग्रौर समाहरण डिपु खोलने के बारे में बोर्ड विचार कर रहा है ।

(ग) जी, हां । उपरोक्त मामलों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है ।

(घ) 1. वाइनाड में मीली कीड़ों के प्रकोप वाले इलाकों का पता लगाने के लिए उपाय किये गये हैं । यह कार्य करने के लिए विशेष अमला तैनात किया जा चुका है ।

2. भारत सरकार ने क्षेत्रीय रोबस्टा अनुसंधान केन्द्र खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक धन दे दिया गया है ।

3. बोर्ड के कार्यकलापों को ऐसे ढाला गया है जिससे लघु काफी उपजकर्त्ताओं को आवश्यकता पर आधारित ऋण प्रदान किया जा सके । ऋण सहायता देने के लिए कुछ विकास ऋण संबंधी क्रियाविधियां उदार बनाई गई हैं ताकि ऐसे अधिकांश उपजकर्ताओं को ये ऋण उपलब्ध कराये जा सकें जिनके पास रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र हैं । विकास कार्यों के विकेन्द्रीकरण के माध्यम से उपजकर्ताओं को उनके अपने-अपने क्षेत्रों में ऋणों के वितरण के लिए उपाय किये गये हैं ।

4. गैर रजिस्टर्ड सभी बागानों के आवेदन-पत्र उपजकर्ताओं से एकत्र किये गये हैं और आगे कार्यवाही के लिए राजस्व प्राधिकारियों के यहां दर्ज करा दिये गये हैं । उपजकर्ताओं को रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र दिलाने में सहायता करने के लिए विशेष अमला तैनात किया गया है ।

चाय के मूल्यों में वृद्धि

888. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय के मूल्यों को, जिनमें वृद्धि हो रही है तथा मार्च, 1976 के पश्चात् शत-प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है, सरकार का किस प्रकार नियंत्रित करने का विचार है ; और

(ख) क्या निर्यात में कटौती करके देश में चाय के मूल्यों को कम करने के बारे में चाय उद्योगपतियों को दिये गये उनके सुझाव को क्रियान्वित किया गया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) नीलाम केन्द्रों पर चाय की आन्तरिक कीमतें जनवरी, 1977 से बढ़नी शुरू हुई और यह प्रवृति अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक बनी रही । इस प्रवृति को रोकने के विचार से सरकार ने चाय पर 5 रू० प्रति किग्रा० के हिसाब से निर्यात शुल्क लगाकर तुरन्त कार्यवाही की तथा साथ ही बल्क चाय पर मिलने वाली उत्पादन शुल्क की छूट और निर्यातों पर शुल्क की वापसी को वापस ले लिया ।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि घरेलू खपत के लिए पर्याप्त मात्रा में चाय उपलब्ध हो, चाय उत्पादकों को अपने उत्पाद का 80 प्रतिशत भाग नीलाम के लिए देने को कहा गया है। इन कदमों के परिणामस्वरूप नीलाम कीमतों में गिरावट की प्रवृति आई है । सरकार प्रमुख चाय पैकरों से भी बराबर सम्पर्क बनाए हुए है जिन्हें 17-4-77 से डिब्बा बन्द चाय की कीमतों को लगभग 2 रु० प्रति किग्रा० कम करने के लिये कहा गया है ।

चाय के निर्यातों तथा आन्तरिक कीमतों पर बराबर निगरानी रखी जा रही है ताकि घरेलू खपत के लिए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके ।

देश में चाय उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी जोरदार प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि घरेल और बाहरी मांग को पूरा किया जा सके ।

AIRCRAFT IN OPERATION IN CIVIL AVIATION DEPARTMENT

899. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number and types of aircraft the Civil Aviation Department is operating at present, type-wise;

(b) whether Government propose to augment the present fleet; and

(c) if so, to what extent and when ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Civil Aviation Department is at present operating two DC-3 aircraft for calibration of navigational aids/facilities installed at various airports in the country and for training of Air Traffic Control Officers for Radar operation.

(b) and (c) Director General, Civil Aviation has bought two HS-748 aircraft for augmenting the fleet and these aircraft are expected to be received by the end of 1977 1977.

नाइलोन के धागे पर उत्पादन शुल्क

890. **डा० बापू कालदते : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने के जाल बनाने के काम करने वाले नाइलोन के धागे पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि से मछली व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मछली पकड़ने के उद्योग में जबरन छुट्टी दिये गये मछुओं के बारे में सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) दो वर्ष से अधिक समय से नाइलोन धागे पर उत्पादन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सिंडीकेट बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दी गई ऋण सुविधाएं

891. **डा० बापू कालदते :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंडीकेट बैंक ने अपने ग्राहकों अर्थात् मैसर्स कर्नाटक एक्सपोर्ट लिमिटेड, मसर्स पुष्पक एवियेशन प्राइवेट लिमिटेड, मैसंस सीमा एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड, मसर्स निहात शिपिंग कंपनी लिमिटेड, हिरजी मैनसी एण्ड कंपनी, तथा मैसर्स कस्तूरभाई लालभाई सेठ को उपयुक्त ऋण रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और

(ग) क्या ऋण देने में सामान्य नियमों क पालन न करने के लिए बैंक के सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध कोई कारवाई की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सिंडीकेट बैंक ने सूचित किया है कि बैंक ने ऋण रिपोर्ट और बैंक द्वारा आवश्यक समझी गयी अन्य सूचना मंगा लेने के बाद निम्नलिखित फर्मों को ऋण सुविधाऐं प्रदान की गई हैं :—

मैसर्स कर्नाटक एक्सपोर्टस लिमिटेड, मैसर्स पुष्पक एविमेशन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स साइमा एक्स-पोर्टस प्राईवेट लिमिटेड, मैसर्स नीलहाट शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स हीरजीनेन्सी एण्ड कंपनी और कस्तूर भाई लालभाई सेठ ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सिंडीकेट बैंक के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक निवास स्थान पर छापा

892. **डा० बापू कालदते : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंडीकेट बैंक के चैयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक श्री के० के० पई के निवास स्थान पर नवम्बर दिसम्बर, 1976 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने छापा मारा था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या चैयरमैन के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता थी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि बैंक द्वारा फर्मों के एक समूह को बैंक गारन्टी देने के संबंध में अध्यक्ष और कुछ अन्यों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किये गये कुछ मामलों की जांच के दौरान 15-10-76 को सिंडीकेट बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक श्री के० के० पई के उडिपी और मनीपाल स्थित निवास स्थानों की तलाशी ली गई थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अभी अपनी जांच पूरी नहीं की है।

महिला दक्षता समिति

893. **डा० बापू कालदते**
श्रीमती मृणाल गोरे : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने एक महिला दक्षता समिति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार समिति के उद्देश्यों के प्रचार के लिए सरकारी तन्त्र का उपवेदन करने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क), (ख) व (ग) जी नहीं। तथापि, सरकार राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता परिषद्व और संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य-स्तर पर इसी प्रकार की संस्थाएं गठित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

मंहगाई भत्ते के लिए नया फार्मूला

894. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार ने लोगों से यह वायदा किया था कि महंगाई भत्ते के लिए नया फार्मूला तैयार किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अब इस पर सहमत हो गई है कि वर्तमान फार्मूला सही है और अब उसमें परिवर्तन की जरूरत नहीं है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी के लिए तीसरे वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए महंगाई भत्ता सूत्र को संशोधित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

SEIZURE OF SMUGGLED GOLD AND OTHER GOODS

895. SHRI R. V. SWAMINATHAN
SHRI NIHAR LASKAR : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether during the month of April, 1977 the Customs Authorities had raided a flat in Bombay and also in Murshidabad in Calcutta and seized contraband gold and other goods; and

(b) if so, what action Government have taken in the matter ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) On 14-4-1977, flat No. 506A, 'C' Block, 5th floor, Forjet Street, Anand Nagar, Bombay was raided by the officers of the Director of Revenue Intelligence and 180 bars of gold of 10 tolas each (i.e. total 1800 tolas of gold) with foreign markings valued at Rs. 12,24,000/- along with Indian currency Rs. 4,400/- were seized. Besides, 20 bars

of gold of 10 tolas each (i.e. 200 tolas of gold) with foreign markings valued at Rs. 1,36,000/- and Indian currency worth Rs. 2,036/- were seized from a person outside the said flat. The reports received do not show that any search was conducted by the Customs authorities in Murshidabad in April, 1977.

(b) Necessary action under the law in respect of the goods seized and the persons involved in the seizure is being taken.

भारत और अमरीका के बीच व्यापार

896. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन्** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार भारत और अमरीका के बीच व्यापार सुधारने के उपाय कर रही है?

(ख) क्या भारत सरकार का कोई प्रतिनिधिमण्डल इस बारे में हाल में अमरीका गया था;

(ग) क्या अमरीका में भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अधिक उत्सुकता नहीं दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका भारत के साथ व्यापार बढ़ाने में काफी रुचि दिखाता रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संस्थाओं और बैंकों ारा मारुति लिमिटेड को दिये गये ऋण

897. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड तथा उसकी सहायक फर्मों को सरकारी स्वामित्व वाली (क) सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं और (ख) बैंकों ने कितना (1) ऋण और (2) गारंटी दी;

(ख) प्रत्येक संस्थान द्वारा कितनी राशि के ऋण तथा गारन्टी दी गई तथा इन ऋणों के लिए क्या जमानत ली गई; और

(ग) इनके कारण इन संस्थाओं की कितनी हानि हुई ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली सरकारी वित्तीय संस्थाओं में से किसी ने मारुति समूह की कम्पनियों को कोई अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मारुति समूह की कम्पनियों को वित्तीय सहायता दिये जाने का सम्बन्ध है। बैंकरों में प्रचलित प्रथा और व्यवहार के अनुसार तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के अनुसरण में भी इन सभी बैंकों के ग्राहक विशेष के बारे में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। इसलिए माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन सरकार ने मारुति समूह की कम्पनियों के कारोबार की जांच करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। इस जांच आयोग के विचारणीय विषयों में, अन्य बातों के साथ साथ, मारुति कंसर्नों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से सुविधाएं, ऋण और अन्य सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी सभी मामले शामिल हैं। जिनमें मारुति कंसर्नों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता प्राप्त करने में उनकी पात्रता, जिस सावधानी से आवेदन पत्रों पर विचार किया गया उसका स्तर और ऐसी सहायता मंजूर करने विषयक लागू तत्कालीन नीति, प्रथा, नियम और निदेश के अनुरूप होने की मात्रा की जांच करना शामिल है।

नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई द्वारा दिया गया चंदा

898. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई ने जनवरी से मार्च, 1977 की अवधि में कुछ तथाकथित ट्रस्टों और चेरिटीज को 20 लाख रुपयों का चन्दा दिया;

(ख) क्या नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन मारुति लिमिटेड का निदेशक भी है; और

(ग) क्या सरकार ने इस चंदा के बारे में जांच कराई है और यदि हां, तो उन का क्या निष्कर्ष निकला ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जनवरी से मार्च, 1977 की अवधि में नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई 18.75 लाख रुपए दान दिये हैं।

(ख) नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष अब मारुति लिमिटेड का निदेशक नहीं है।

(ग) नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड का लेखा वर्ष 30 सितम्बर को समाप्त होता है। 30 सितम्बर, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष सम्बन्धी लेखे, जिनमें उपर्युक्त दान का उल्लेख होगा, कर-निर्धारण वर्ष 1978-79 के लिए आयकर सम्बन्धी कार्यवाही के दौरान जांच-पड़ताल के लिए उपलब्ध होंगे। उक्त कर-निर्धारण वर्ष की आय-विवरणी 30 जून, 1978 को प्राप्य हो जाएगी।

खाद्य, तेल, तिलहनों और खली का निर्यात

899. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 में खाद्य तेल, तिलहनों और खली का कुल कितना निर्यात हुआ;

(ख) क्या निर्यात नीति के कारण इन वस्तुओं के मूल्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बहुत अधिक थे; और

(ग) सरकार का भविष्य के बारे में क्या प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 (अप्रैल-दिसम्बर) अवधि के दौरान खाद्य तेलों, तिलहनों तथा खली के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :—

मात्रा हजार मै० टन में
मूल्य करोड़ रु० में

	1974-75		1975-76		1976-77 (अप्रैल-दिसम्बर)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. खाद्य तेल . .	0.62	0.57	1.21	0.96	4.26	2.63
2 तिलहन	63.61	28.47	159.26	67.65	101.11	39.56
3. खली . .	988.82	99.37	1110.91	88.69	1434.37	151.49

(ख) जी, हां।

(ग) खाद्य तेलों तथा तिलहनों के निर्यात पर अब पूरी तरह रोक लगा दी गई है। खली के निर्यात का विनियमन उचित कीमतों पर पर्याप्त आन्तरिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

खाद्य पदार्थों का निर्यात

900 **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की (एक) सब्जियों, (दो) फलों, (तीन) अंडों, (चार) मांस और (पांच) मछली का निर्यात किया गया;

(ख) क्या इन वस्तुओं के निर्यात के फलस्वरूप इन वस्तुओं के मूल्य भारत में उपभोक्ताओं के लिए अधिक रहे; और

(ग) खाद्य पदार्थों के निर्यात के बारे में सरकार की आम नीति क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) निर्यात आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) फलों, सब्जियों, अंडों तथा मांस का निर्यात प्रत्येक मदों के उत्पादन की तुलना में बहुत ही कम मात्राओं में हुआ है। मछली में अधिकतर श्रिम्प का निर्यात हुआ है, जो ऊंची लागत वाली मद है और इसलिए भारत में आम खपत की मद नहीं है। इन मदों के घरेलू कीमत स्तर बहुत से कारकों पर निर्भर करती हैं।

(ग) जब खाने की चीजें आम खपत की हों अथवा अत्यावश्यक वस्तुएं हों तब उन मदों के निर्यातों की अनुमति तभी दी जाती है जब घरेलू आवश्यकता पूरी हो जाए तथा घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

विवरण

मद	एकक मात्रा	1974-75		1975-76		1976-77 अप्रैल से दिसम्बर, 1976	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सब्जी	मूल्य मे० टन / करोड़ रुपए	87645	10.34	152564	23.04	163456	23.30
फल	मे० टन / करोड़ रुपए	10560	4.41	22808	8.77	21711	9.76
अंडे	सं० सौ० में / करोड़ रुपए	5533	0.03	25303	0.06	37394	0.18
मांस	मे० टन / करोड़ रुपए	5339	5.03	6188	10.27	35712	18.92
मछली	मे० टन / करोड़ रुपए	38876	66.17	52338	126.56	43618	137.90

PLEDGE TO GIVE UP SMUGGLING ACTIVITIES

901. SHRI MEETHA LAL PATEL
SHRI K. MALLANNA
SHRI V. M. SUDHEERAN
SHRI NIHAR LASKAR
: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether certain top smugglers have taken a pledge before the Sarvodaya leader, Shri Jaya Prakash Narayan to give up smuggling activity;

(b) if so, the number thereof and their names;

(c) the reaction of Government thereto; and

(d) what is its overall impact on smuggling activities in the country ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b) Yes Sir. According to the information received by the Government, 100 smugglers have taken a pledge before Shri Jaya Prakash Narayan at Bombay on 30th April, 1977 that they would not indulge in smuggling, dissuade and prevent others from continuing such activities and help the Government. The names of such top persons included Haji Mastan Mirza, Yusuf Abdulla Patel, Rajabali Hirji Meghani, Ibrahim Machiwala, Devichand of Dongri, Vardhraj Muniswamy, Lalit Dholakia, Babu Dudhawala, Yusuf Supariwala, Majid Khandeshi (of Mahad), Sayeed Ahmed and Sukar Narayan Bakhia.

(c) The pledge and the offer of cooperation as stated above are steps in the right direction.

(d) It is too early to assess the overall impact of this pledge on smuggling. The matter is, however, being kept under review.

MEASURES TAKEN TO ENSURE ECONOMY IN VARIOUS MINISTRIES

902. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether as a result of measures taken by the Prime Minister to ensure economy in various Ministries, any economy has been effected by the Ministries in their expenditure; and

economy has been effected by the Ministries in their expenditure; and

(b) if so, the salient features thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b) The subject matter is the concern of the Ministry of Finance. Presumably, the Hon'ble Member has in view the instructions issued by the Finance Ministry. Copies of Finance Secretary's D.O. letter dated 13-5-1977 and O.M. dated 27-5-77 are enclosed. [Placed in Library. See No. L.T. 386A/77] The salient features of these instructions are as follows :—

The Ministries and Departments have been requested to undertake a review for effecting economy in Govt. expenditure. This will be through scrutiny of their current functions, systems and procedures. They have also been requested to make a detailed examination of all the Commissions and Committees that have been set up and are in existence to see whether they are serving a significantly useful purpose to justify their further continuance. The existing laws are also to be reviewed with a view to see if they have become superfluous and the staff originally recruited for their administration could be surrendered. The other economy measures cover ban/restrictions on creation of new posts and filling up of vacancies, strict economy in office expenditure, reduction in overtime payments and restrictions on expenditure on telephones, consumption of electricity etc.

INSURANCE SCHEME FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

903. SHRI MEETHA LAL PATEL
SHRI K. MALLANA : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether Government have recently introduced an Insurance Scheme for Central Government **employees; and**

(b) if so, the salient features of the Scheme ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b) A statement is attached.

STATEMENT

Insurance Scheme for Central Government employees

The Central Government Employees Insurance Scheme is proposed to be introduced w.e.f. 1-7-1977. The scheme shall apply to all Central Government servants on regular establishments (including Work-charged staff). The scheme shall not, however apply to contract employees, persons on deputation from State Governments, public sector undertakings or other autonomous organisations, locally recruited staff in Indian Missions abroad, casual labour and part-time employees.

2. The rates of contribution and benefits under the scheme depend on the age at which the Central Government servants come under the scheme. These are divided into three groups :—

Group I

The employees who come under the scheme before attaining the age of 28 years will be included in this Group. They will be required to pay a uniform contribution of 50 paise p.m. till they attain the age of 28 years (*i.e.* till the end of the month preceding the month in which they attain the age of 28 years). In case of death of the Government servant in service, during this period his/her nominees shall be paid Rs. 5000/- in lump-sum. No terminal cash benefits whatsoever shall be payable under the scheme if the employee leaves the service before reaching the age of 28 years or dies after leaving service before reaching that age. On attaining of 28 years of age these employees will come under Group II of the scheme.

Group II

This Group will include the employees in Group I after they attain the age of 28 years and those coming under the scheme in the month in which they attain the age of 28. These employees will be required to pay a uniform contribution of Rs. 5/- p.m. commencing from the month in which they attain the age of 28 years, and ending with the month preceding the month in which they attain the age of 58 years. A sum of Rs. 5000/- shall be paid to the Government servant on attaining of the age of 58 years. In case of death while in service, the nominees of the Government shall be paid Rs. 5000/- in lump-sum.

An employee coming under the scheme after the age of 28 but before attaining the age of 31 would normally come under Group III. However, such an employee will have an option to come under Group II provided he pays to Government the arrears of contributions at the rate of Rs. 5/- p.m. from the month and year in which he attains 28 years.

Gruop III

All other employees will be included in this Group.

The rate of contribution and the benefit payable on death will be the same as applicable to employees covered by Group II. However, the benefits available on attaining the age of 58 years will be as follows in the case of employees covered by this Group :—

Age on the date of joining the scheme	*Cash sum payable*
29 to 34	1.75 times the total of the contributions paid since entry age.
35 to 44	1.25 times the total of the contributions paid since entry age.
45 to 57	Total of the contributions paid since entry age.

3. No contribution will be recoverable from the Government servant on attaining the age of 58 years. The insurance cover will accordingly be available only up to the age of 58 and not thereafter.

4. Employees covered by Groups II and III above leaving service or retiring for any reason whatsoever before the age of 58 years will be allowed the benefit of a reduced sum.

UNEMPLOYED PILOTS

904. SHRI MEETHA LAL PATEL
SHRI DINEN BHATTACHARYYA } Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number of unemployed pilots in the country at present; and

(b) whether these unemployed pilots have made a request to Government for providing them jobs and if so Govt.'s reaction thereto?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) There are at present about 200 unemployed commercial pilots in the country.

(b) Yes, Sir. With a view to finding out employment openings for these pilots, it has been suggested to Indian Airlines, Air-India, International Airports Authority of India and Directorate of Agricultural Aviation to absorb unemployed Commercial pilots wherever possible. In addition, rules for direct recruitment to the post of Assistant Aerodrome Officer in the Civil Aviation Department have been amended to include Commercial Pilots Licence as one of the acceptable qualifications.

तेल समृद्ध देशों से विदेशी सहायता

905. **श्री आर० कोलनथोइवेल :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य पूर्व के तेल समृह देशों से गत तीन वर्षों में कितनी सहायता प्राप्त हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार उनसे और अधिक सहायता प्राप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एन० पटेल) : (क), (ख) और (ग) गत तीन वर्षों में तेल उत्पादक और निर्यातक देशों से 788 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई है। भविष्य में मिलने वाली इसी प्रकार की सहायता से सम्बद्ध प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक का स्वायत्तशासी स्तर

906. **श्री चित्त बसु :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय रिजर्व बैंक को सच्चे रूप में स्वायत्तशासी बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक एक पृथक सांविधिक और स्वायत्तशाशी संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की सीमाओं में अपना कार्य करता है। उसके कार्य का अधीक्षण गवर्नर और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल को सौंपा गया है। देश के प्रमुख मुद्रा तथा ऋण प्राधिकरण के रूप में यह बैंक सरकार की नीतियों के अनुरूप कार्य करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीन के साथ व्यापार

907. **श्री चित्त बसु : श्री दुर्गा चन्द :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने जनवादी चीन के साथ व्यापार पुनः चालू करने की सम्भावनाओं का पता लगाया है?

वाणिज्य तथा नागरिक त तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : चीन के साथ व्यापार संभावनाओं का पता लगाने के लिए राज्य व्यापार निगम, भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संघ तथा समाक्षारीय रसायन तथा भेषज निर्यात संवर्द्धन परिषद के एक-एक सदस्य ने अप्रैल-मई, 1977 में कैंटन ट्रेड फेयर में भाग लिया। चीनी व्यापार संगठनों की प्रतिक्रिया अनुकूल थी। दोनों देशों में परस्पर लाभकारिक व्यापार की संभाव्यता का और आगे पता लगाने के लिए मेले में जो शुरूआत की गई थी उस पर कार्यवाही की जा रही है।

आयकर विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा

908. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के बहुत से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा पास कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) उनके लिए पदोन्नति के कितने अवसर हैं;

(घ) उनमें से कितनों को वास्तव में पदोन्नति दी गई है; और

(ङ) क्या उन्हें प्रतिवर्ष विभागीय परीक्षा में बैठना पड़ता है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

स्वेच्छिक प्रकटन योजना

909. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वैच्छिक प्रकटन योजना के बारे में कोई मामला अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन से क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : आय और धन कर स्वेच्छया प्रकटन अधिनियम, 1976 की धारा 3(1) के अन्तगर्त स्वेच्छापूर्वक प्रकट की गई आय की घोषणाओं के सम्बन्ध में दो अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों का स्वरूप और इनसे निकाले गए मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए अनुसार हैं :—

i. आय-कर आयुक्त, दिल्ली-V और दिल्ली (सेण्ट्रल) के अधिकार क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों के स्वरूप के सम्बन्ध में, जिनमें स्वेच्छा से घोषित की गई आय रखी गई है, की गयी घोषणाओं के अध्ययन का एक नमूना इस प्रकार है :—

दिल्ली-V अधिकार क्षेत्र में की गई घोषणाओं में नकदी, जवाहरात, सोना-चांदी और चांदी के बर्तन आदि कुल मिला कर परिसम्पत्तियों का लगभग 57 प्रतिशत बनता है जिसमें प्रकट धन

रखा गया है। दूसरी ओर, दिल्ली (सेण्ट्रल) अधिकार-क्षेत्र में, ये परिसम्पत्तियां प्रकट की गई आय के 30 प्रतिशत से कम हैं और शेष परिसम्पत्ति का अधिकांश भाग अन्य पार्टियों/स्टाक, आदि में जमा रकमों के रूप में है।

II. सभी आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में की गई घोषणाओं का हैसियत-वार और आय-वार विश्लेषण :

(i) बम्बई, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिल नाडु और गुजरात के पांच मुख्य अधिकार-क्षेत्रों में की गई घोषणाएं कुल घोषणाओं का 47.6 प्रतिशत बनती हैं और घोषित रकम का 53.6 प्रतिशत और अदा किए जाने योग्य कर का 55.3 प्रतिशत।

(ii) घोषणाओं का अधिकांश भाग (लगभग 3/4) 25,000 रुपए तक के निम्नतम आय वर्ग में है। तथापि, उक्त घोषणाएं, प्रकट की गयी आय की कुल रकम का आधे से कम बनती हैं और अदा करने योग्य कुल कर का केवल लगभग एक तिहाई बनती हैं।

(iii) एक लाख से अधिक की घोषणाएं, कुल घोषणाओं का केवल 1.4 प्रतिशत बनती हैं किन्तु प्रकट की गई आय की रकम का 15.8 प्रतिशत बनती है और अदा करने योग्य कर का 26.8 प्रतिशत बनती हैं।

(iv) लगभग आधी घोषणाएं ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त होती हैं जिनका अभी तक कर-निर्धारण नहीं हुआ है। लेकिन, प्रकट की गई आय की रकम में उनका अंशदान, केवल 39.3 प्रतिशत बनता है और अदा करने योग्य कर का लगभग 34.7 प्रतिशत बनता है।

(v) जिन घोषणाकर्ताओं का अभी तक कर-निर्धारण नहीं किया गया है उनमें लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं और नाबालिग शामिल हैं। उनका अनुपात, निम्नतम अर्थात् 25,000 रुपए तक के आय वर्ग में सबसे ऊंचा है।

पश्चिम बंगाल में प्रेमचन्द जूट मिल द्वारा तालाबन्दी घोषित किया जाना

910. **डा० सरदीश राय** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में प्रेमचन्द जूट मिल द्वारा घोषित तालाबन्दी की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस तालाबन्दी से कुल कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं; और

(ग) इस मिल को फिर खोलने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) प्रेमचन्द जूट मिल्स में 6 अप्रैल, 1977 से तालाबन्दी है। तालाबन्दी से कुल 3100 कर्मचारियों पर असर पड़ा है।

मिल को फिर से खोलने के विचार से पश्चिम बंगाल सरकार ने 12 मई, 1977 को एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई थी, जिसके बाद 14 मई, 1977 को एक द्विपक्षीय बैठक हुई थी। सम्बन्धित प्राधिकारी इस मामले पर लगातार कार्यवाही कर रहे हैं।

निर्यात अभियान

911. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम**
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव
श्री ए० बाला पाजानौर : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए निर्यात को माध्यम बनाने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या निर्यात अभियान के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं मिलना बन्द हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो घरेलू उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए निर्यात के लिए उच्चतम लक्ष्य निर्धारित करते समय किन सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सरकार का निर्यात जनित विकास की नीति अपनाने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे चुने हुए उत्पादों के, जिनके सम्बन्ध में उपयोग में न आने वाली स्थापित क्षमता है या जिनकी सप्लाई बड़ी लोचशील है, निर्यातों से घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।

(ख) तथा (ग) घरेलू मांग, द्रव्य की सप्लाई और मद की कुल उपलब्धता के साथ साथ निर्यात मांग एक ऐसा कारक है जिससे घरेलू बाजार में कीमतें निर्धारित होती हैं। सरकार इस बात से अवगत है कि पहले वाली सरकार के निर्यात आन्दोलन के कुछ आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा सरकार ने तुरन्त उपाय किए हैं और उनके निर्यात या तो रोक दिए हैं या भिन्नकालिक कर दिये हैं। आवश्यक आम खपत के लिए अपेक्षित उत्पादों के निर्यातों का अब विनियमन किया जाता है और बराबर पुनर्विलोकन किया जाता है जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो।

सब्जियों की कीमतों में वृद्धि

912. श्री डी० डी० देसाई: क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि प्याज और आलू सहित कच्ची सब्जियों के असाधारण निर्यात के कारण सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) आलू तथा प्याज सहित कच्ची सब्जियों के निर्यात अत्यधिक नहीं हुए हैं क्योंकि 1975-76 तथा अप्रैल-दिसम्बर, 1976 के दौरान निर्यात की गई कुल मात्रा क्रमशः 1.50 लाख मी० टन तथा 1.63 लाख मी० टन ही है, जबकि इसका उत्पादन अनुमानतः 216 लाख मी० टन हुआ। सब्जियों के निर्यात विनियमित किए गए हैं ताकि इन मदों की स्वदेशी सप्लाई तथा कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। फिलहाल प्याज तथा आलू का निर्यात रोक दिया गया है।

रुई का आयात

913. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रूई निगम के सामने आयातित रूई की मांग बहुत कम होने की समस्या आ रही है।

(ख) यदि हां, तो क्या कपड़ा मिलों को आयातित रूई के मूल्य में और रियायत दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रूई के आयात के बारे में पुनर्विचार करने और देशी किसानों को अधिक अच्छा मूल्य पाने में सहायता करने का है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार हमेशा स्थानीय किसानों की सहायता करना चाहेगी। रूई की कमी को देखते हुए वर्तमान आयात की अनुमति देनी पड़ी। जैसे ही रूई की यह कमी पूरी हो जाएगी उस सीमा तक बाहर से आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सिले सिलाये सूती कपड़ों का अमरीका तथा रूस को निर्यात

914. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सिले-सिलाये सूती कपड़ों के अमरीका तथा रूस को निर्यात के लिए कई सौदे किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या पश्चिम यूरोपीय सरकारें सिले सिलाए भारतीय कपड़ों के उन देशों को निर्यात पर कोटा प्रतिबन्ध लगा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कोटा प्रतिबन्धों को समाप्त करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) परिधानों के निर्यात की संविदाएं व्यापारी वर्ग द्वारा विदेशी आयातकों से की जाती हैं। ज्ञात हुआ है कि व्यापारी वर्ग ने हाल ही के महीनों में सं० रा० अमरीका तथा सोवियत संघ को परिधानों के निर्यात के लिए अनेक संविदाएं की हैं। इन सौदों की विशेषताएं हर मामले में भिन्न भिन्न हैं।

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय, स्वीडन और नार्वे ने भारत से कुछ किस्मों के परिधानों के आयात पर कोटा प्रतिबन्ध लगा दिए हैं।

(घ) नार्वे के साथ भारत ने करार किया है जिसमें कमीजों और ब्लाउजों के भारत के निर्यातों पर कोटा प्रतिबन्ध रखा गया है। स्वीडन तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मामले में हमारी सहमति के बिना एकपक्षीय रूप में कुछ प्रतिबन्ध लगा दिए हैं। सरकार इन प्रतिबन्धों को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है और बातचीत चल रही है।

अहमदाबाद में हवाई अड्डा

915. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इसे इस प्रकार से बनाया जाएगा कि बड़े बड़े वायुयान यहां पर उतर सकें?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

RATE OF INTEREST ON THE AMOUNT DEDUCTED UNDER THE COMPULSORY DEPOSIT SCHEME

SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether the amount deducted under the compulsory deposit scheme is being deposited in the provident fund of the Central Government employees; and

(b) if so, the rate at which the interest on this amount would be paid ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) The repayment of the second instalment of additional dearness allowance

deposits due to employees in July, 1977 under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974, will be made by crediting the amount to the provident fund accounts of employees.

(b) Deposits made under the Act earn simple interest at 2.5% over and above the maximum bank deposit rate (the rate of interest at present is 12½% per annum). When the second instalment mentioned above is repaid in July, 1977, interest earned on the deposits at 12½% per annum will also be paid. When the amount is credited to the provident fund account of the employee, it will fetch interest at the rate applicable to the concerned provident fund scheme.

सब्जियों और मांस का खाड़ी देशों को निर्यात करने पर प्रतिबन्ध

917. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **वाणिज्य** तथा **नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से खाड़ी के देशों को सब्जियों, मांस तथा अन्य उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) आवश्यक वस्तुओं तथा आम खपत वाली चीजों की, जिनमें सब्जियां और मांस शामिल है, निर्यात नीति का विनियमन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मदों की घरेलू सप्लाई तथा कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

भारतीय रूई निगम के क्रय केन्द्र

918. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रूई निगम के कितने क्रय केन्द्र इस समय राज्यवार कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या वर्ष 1976-77 के दौरान कुछ नए क्रय केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका राज्यवार, ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों को क्या सुविधाएं दी गई हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) इस समय भारतीय रुई निगम के 20 खरीद केन्द्र कार्य कर रहे हैं जिनका राज्यवार ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

1. आन्ध्र प्रदेश	9
2. गुजरात	15
3. हरियाणा	6
4. कर्नाटक	10
5. मध्य प्रदेश	10
6. पंजाब	19
7. राजस्थान	16
8. तमिल नाडु . . .	3

(ख) जी, हां। 1976-77 के दौरान 44 नए केन्द्र खोले गए हैं।

(ग) 1976-77 के दौरान खोले गए नए केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है।

1. **आन्ध्र प्रदेश**

अडोनी
अदीलाबाद
भेसा
चिलकारूपेट
गनपावरम

2. **गुजरात**

बोताड
कपाडवंज
दभोई
पान्लेज
मियागांम
काडी
लिम्वादी
अंजार

3. **कर्नाटक**

बीजापुर
गोकाक
बेलारी
यादगिरि

4. **मध्य प्रदेश**

उज्जैन
धमनोद
खारगोन
अंजाद
जओरा
इंदौर

5. **पंजाब**

भटिंडा
गोनियाना
जैतू
टापा
बारीवाला
जगसेन
सादूलगढ़
मौर
मन्सा
भूचू
बरनाला
रामपुरफूल

6. **राजस्थान**
   बिजयनगर
   पद्मपुर
   फतेहनगर
   गुलाबपुर
   भीलवाड़ा
   बासवाड़ा
   सोनगरिया
   श्री बिजयनगर

7. **तमिलनाडु**
   पोलाची

(घ) निगम नियंत्रित बाजार में खरीददार के रूप में प्रवेश करता है तथा कपास की बिक्री के लिए नीलामी तथा टेंडरों में भाग लेता है। निगम की उपस्थिति से कपास उपजकर्ताओं को मदद मिलती है जिनका अन्यथा उपजकर्ताओं के खिलाफ भाव गिराकर शोषण किये जाने की सम्भावना है। सहायता देने के अतिरिक्त उपजकर्ता निगम की उपस्थिति पर बल देते हैं क्योंकि बाजार में आये हुए माल की सारी खरीद का निगम शीघ्र भुगतान करता है। शीघ्र भुगतान की सुविधा के कारण उपजकर्ता सभी राज्यों में निगम के खरीद केन्द्रों की ओर आकर्षित होते हैं।

कम ब्याज पर ऋण देने की योजना

919. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कम ब्याज पर ऋण देने की योजना का पुनरीक्षण, किया है और उसे समूचे देश में लागू किया है ; और

(ख) यदि, हां, तो राजस्व तथा बैंकिंग विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में घोषित नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) 24 मई, 1977 को सरकार द्वारा जारी किये गये विभेदी ब्याज दर योजना के मार्गदर्शक सिद्धांतों की एक प्रति संलग्न है।

विभेदी ब्याज दर योजना के संशोधित मार्गदर्शक सिद्धांत

कार्यक्षेत्र और व्याप्ति

1.1 यह फैसला समूचे देश में लागू होगा।

1.2 लक्ष्य : बैंकों को चाहिये कि पिछले वर्ष के अंत के कुल ऋणों के कम से कम 1 प्रतिशत का 1/2 इस योजना के अन्तर्गत दें।

1.3 यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को प्राप्त हो और अधिकांश अग्रिम शहरी/महानगरी क्षेत्रों में ही न दे दिये जाएं, इस योजना को चलाने वाले बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत उनके अग्रिमों का कम से कम 2/3 भाग उनकी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के माध्यम से दिये जायें। तदनुरूप इस योजना के अन्तर्गत उनके अग्रिमों का 1/3 से अधिक भाग उनकी शहरी और महानगरीय शाखाओं से नहीं दिया जाना चाहिए।

1.4 यह सुनिश्चित करने के लिये कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत लाभों का उचित हिस्सा पायें, इस योजना के अन्तर्गत बैंक अग्रिमों का कम से कम 1/3 भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र ऋणकर्ताओं को दिया जाना चाहिये।

2. परिचालन अभिकरण

2.1 सरकारी क्षेत्र के बैंक : विभेदी ब्याज दर योजना का संचालन सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक करेंगे।

2.2 **गैर राष्ट्रीयकृत बैंक :** :–जिन गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास लीड जिम्मेदारी है वे कम से कम अपने लीड जिलों में यह योजना चलाएंगे। वर्ष भर राष्ट्रीयकृत बैंक भी स्वेच्छा के आधार पर इस योजना का कार्यान्वयन कर सकते हैं।

2.3 **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना के अन्तर्गत, ऋणकर्ताओं को ऋण उसी दर पर उपलब्ध कराया जायगा जिस पर सहकारी समितियों से लिया जाता है। इसलिये ब्याज की रियायती दरों पर ऋण देने की योजना में अनुमति नहीं होगी। यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन बैंकों का लाभ पास वाले व्यक्ति भी इस योजना का लाभ पा सकें, प्रायोजक बैंक, अभिकरण सारणी के आधार पर इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मार्फत उधार दे सकते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यक्षेत्रों के पात्र ऋणकर्ता वार्षिक 4 प्रतिशत की दर से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

2.4 पात्रता का मापदण्ड : पैराग्राफ 4 में दिये गये वर्गों वाले व्यक्ति के पास यदि कोई ठोस जमानत देने के लिये नहीं है अथवा वह किसी सापेक्ष व्यक्ति की जमानत/गारण्टी प्रस्तुत नहीं कर सकता तो भी वह इस योजना का लाभ पाने का पात्र होगा। बशर्ते वह निम्नलिखित माप दण्ड पूरा करता हो :––

3.1 सभी साधनों से ऋण कर्ता के परिवार की आय शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में वार्षिक 3000/- रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक 2000/- रुपये से अधिक न हो।

3.2 उसके पास कोई भूमि न हो, अथवा उसकी भूमि की जोत सिंचित होने पर एक एकड़ से और असिंचित होने पर 2.5 एकड़ से अधिक न हो।

3.3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पास भूमि की जोत कितनी भी होने पर वे ऋण के पात्र होंगे बशर्ते कि वह अन्य मापदण्ड पूरे करते हों।

3.4 वह बैंकों की सहायता से ऐसे उत्पादक प्रयासों द्वारा अपने वर्तमान आर्थिक स्तर से ऊपर उठाने में मदद पा सकता है जो लगभग 3 वर्ष की अवधि में अर्थ-क्षम हो सकेंगे।

3.5 वह एक साथ दो वित्तीय स्रोतों के प्रति देनदारी नहीं स्वीकार करता।

3.6 अधिकांशतः वह स्वयं और अपने परिवार के अन्य सदस्यों अथवा अपने कुछ संयुक्त साझीदारों की सहायता से काम करता है और नियमित रूप से वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त नहीं करता।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

यहां यह आशय नहीं है कि इस योजना के अन्तर्गत अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिये ऋणकर्ता से लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाय। यह आशा की जाती है कि शाखा स्तर के बैंक अधिकारी ऋणकर्ता की आर्थिक तथा अन्य परिस्थितियों से परिचित होंगे। वे प्रत्येक मामले में ऋण मंजूर करने से पहिले इस पैराग्राफ में दी गई शर्तों को ध्यान में रख कर यथावश्यक स्थानीय पूछताछ कर सकते हैं।

4. **पात्र व्यक्तियों के वर्ग** : जो व्यक्ति आय और भूमि की जोत के मापदण्ड पूरे करते हों, और मोटेतौर पर निम्नलिखित वर्गों में आते हों वे इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे। (सूची केवल उदाहरण रूप में है और वह व्यापक नहीं है।)

4.1 कृषि और/अथवा कृषि सम्बन्धी कार्यकलापों में लगी अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां और अन्य व्यक्ति।

4.2 वन उत्पादों को स्वयं इकट्ठा करने अथवा उनका आरम्भिक विधायन करने वाले व्यक्ति और दुर्गम क्षेत्रों में स्वयं चारा इकट्ठा करके किसानों और व्यापारियों को बेचने वाले व्यक्ति।

4.3 कुटीर और ग्रामीण उद्योगों और व्यावसायों में सीमित पैमाने पर स्वयं काम करने वाले व्यक्ति/उदाहरण स्वरूप ये काम : कपड़ा काटना और वस्त्रों की सिलाई, काफी सस्ते खाद्य पदार्थ बनाना, वस्तुओं और नित्य उपयोग की वस्तुओं को घर-घर पहुंचाने की सेवा, सड़क के किनारे चाय की दुकान करना, स्वयं अपना हाथ-ठेला और साइकिल रिक्शा चलाना, जूते/चप्पल की मुख्यतः हाथ से मरम्मत करना, हाथ से टोकरी बनाना आदि ।

4.4 उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक होनहार निर्धन विद्यार्थी जिन्हें सरकार से अथवा शिक्षा अधिकारियों से वजीफा/निर्वाह अनुदान नहीं मिलता ।

4.5 लाभप्रद व्यवसाय करने वाले विकलांग व्यक्ति ।

5. **ऋण के निबंधन और शर्तें :** इस योजना के अधीन ऋण की शर्तें और निबन्धन निम्नलिखित होंगे :

5.1 ऋण की मात्रा उस योजना विशेष पर निर्भर होगी जिसमें धन लगाया जाय और वह इतनी पर्याप्त होनी चाहिये कि ऋणकर्ता अन्य स्रोत से धन लिए बिना अपनी वित्तीय आवश्यकता पूरी कर सके। आशा है कि सामान्य रूप से इस योजना के अन्तर्गत कार्य चालन पूंजी ऋण के लिये 1,500 रुपये और सावधिक ऋण के लिये 5,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी । असाधारण मामलों में, विशेष रूप से संस्थाओं के मामले में और होनहार निर्धन विद्यार्थियों के मामले में अधिक रकम पर विचार किया जा सकता है ।

5.2 कार्यचालन पूंजी और सावधिक ऋण दोनों ऋणकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार देय होंगे ।

5.3 मार्जिन धन की अपेक्षा पर जोर नहीं दिया जायगा क्योंकि ऋण कर्ताओं का यह वर्ग समाज के सबसे कमजोर स्तर का है और मार्जिन धन सदैव प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हो सकता ।

5.4 व्याज की दर एक समान वार्षिक 4 प्रतिशत नियत की जायगी ।

5.5 स्थिर परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के लिये सावधिक ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी । जिसमें मूलधन की अदायगी पर 2 वर्ष से अनधिक छूट की अवधि शामिल होगी। ऋण कर्ता के कार्य-कलाप के प्रकार और योजना की अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखकर प्रत्येक मामने में अदायगी का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा । व्याज और मूलधन की अदायगी के लिये अधिशेष राशि का निर्धारण करने में स्वयं ऋणकर्ता की निर्वाह आवश्कताओं के लिये पर्याप्त छूट दी जायेगी।

5.6 ऋण से खरीदी गई सम्पत्ति, को बैंक के पास बन्धक रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एक प्रकार के ऋणकर्ताओं के समूह को ऋण के उचित मामलों में सामूहिक गारण्टी स्वीकार की जा सकती है।

5.7 प्रत्येक ऋण को ऋण गारण्टी योजना के अन्तर्गत कवर किया जायगा। गारण्टी फीस ऋण कर्ता से नहीं ली जायेगी बल्कि बैंकों द्वारा वहन की जायगी ।

5.8 यदि बैंकों को प्रभारित की गई सम्पत्ति का बीमा आवश्यक समझा जाय तो उसका व्यय बक द्वारा वहन किया जायगा ।

5.9 यदि आवश्यक हुआ तो बैंक अदायगी के लिये आरम्भ में कुछ उचित स्थगन पर विचार कर सकता है।

6. **संस्थाएं** : निम्नलिखित संस्थाएं इस योजना के अन्तर्गत ऋण के लिये पात्र होंगी ।

6.1 **अनाथालय और महिला आश्रम** : जहां बिक्री के लिए सामान बनाया जाता है ।

रेफ्रीजेटरों का निर्यात

920. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भारतीय रेफ्रीजेटरों का विदेशों को निर्यात कर सकने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां. तो भारतीय रेफ्रीजेटर किन-किन देशों में लोकप्रिय है तथा उनके लिये भारत सरकार से भी मांग की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) भारत, विश्व के सभी भागों में बहुत से देशों को रेफ्रीजेटरों तथा हिस्सों का निर्यात करता रहा है । भारतीय रेफ्रीजेटरों का सबसे बड़ा आयातक सऊदी अरब था और उसके बाद मिस्र का अरब गणराज्य, आस्ट्रेलिया, कुवैत, फिलिपाइंस, पौलैण्ड तथा थाइलैंड थे ।

बेरोजगार वाणिज्यक विमान चालक संगठन से ज्ञापन

921. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार वाणिज्यिक विमान चालक संगठन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह मांग की है कि इण्डियन एयरलाइन्स के समानान्तर एक तीसरी एयरलाइन्स की स्थापना की जाए जिसमें केवल मात्र बेरोजगार विमान चालक सहकारिता को ही काम दिया जाए ;

(ख) क्या संगठन द्वारा सरकार को इस बारे में कोई ज्ञापन भी दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) छोटे कस्बो तथा शहरों को अल्प क्षमता वाले विमानों से जोड़ने के लिये एक तीसरी कोटि की विमान सेवा (थर्ड लेवल एयर सर्विस) स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है । इस समय यह कहना संभव नहीं हो सकेगा कि प्रस्तावित संगठन का ढांचा (स्ट्रक्चर) क्या होगा ।

एयरबस विमान की उड़ानों का कार्यक्रम

922. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स अपने हाल ही में प्राप्त किए गए एयरबस विमानों में से एक विमान खाड़ी-क्षेत्रों में उड़ानों के लिये एयर इण्डिया को पट्टे पर देने को सहमत हो गया है ;

(ख) क्या गोहाटी, गोआ और श्रीनगर तक घरेलू एयरबस सेवाओं को बढ़ाने के लिये इसकी योजनाओं को स्थगित करने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो एयरबस की उड़ानों के कार्यक्रम संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) गल्फ क्षेत्र के लिये प्रति सप्ताह दो उड़ानों का परिचालन करने के लिये इंडियन एयरलाइंस की एयरबस की फालतू क्षमता को एयर इंडिया को पट्टे पर देने के लिये दोनों एयरलाइनों के बीच बातचीत चल रही है ।

(ख) और (ग) जैसे ही गोहाटी का विमानक्षेत्र विमानों के उतरने के योग्य हो जाएगा, इंडियन एयरलाइंस वहां के लिए एक एयरबस सेवा का परिचालन आरंभ कर देगी ।

जब गोवा तथा श्रीनगर के विमानक्षेत्रों का विशालकाय विमानों के परिचालन के लिए पर्याप्त रूप से विकास हो जायेगा तो इंडियन एयरलाइंस वहां के लिये भी एयरबस सेवाओं का परिचालन करने पर विचार करेगी । गोहाटी, गोवा, श्रीनगर में आवश्यक विकास कार्य चल रहा है ।

दिल्ली में कीमतों में वृद्धि

923. **डी० बी० चन्द्र गौड़ा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही

(ख) क्या गत मार्च के लिए मूल्य सूचकांक 324 था जिससे पता चलता है कि गत 12 मास में 21 अंकों की वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) देश में मार्च, 1976 के अंतिम सप्ताह से बने मुद्रास्फीती के दबावों के फलस्वरूप सम्पूर्ण देश के मूल्यों में बढ़ोतरी का रुख हो रहा है और यह स्थिति संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में भी मूल्य के रुखों में परिलक्षित हुई है ।

(ख) जी, हां । दिल्ली में औद्योगिक मजदूरों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960-100) मार्च, 1976 में 324 से बढ़कर मार्च, 1977 में 345 हो गया ।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर किये गये सुधारात्मक उपायों का संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में उनकी उपलभ्यता पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है । इन उपायों में ये शामिल हैं—(i) गेहूं को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगाये गए प्रतिबन्धों को हटाना, (ii) मई, जून, तथा जुलाई, 1977 के महीनों के लिए लेवी युक्त चीनी अधिक मात्रा में देना, (iii) आलू और प्याज का नियंत्रित निर्यात, (iv) राज्य व्यापार निगम तथा निजी व्यापारियों के माध्यम से खाद्य तेलों का पर्याप्त मात्रा में आयात जारी रखना तथा (v) 9 अप्रैल, 1977 से चाय पर 5 रुपये का निर्यात शुल्क लगाना और साथ ही चाय के निर्यात पर उत्पादन शुल्क में दी जाने वाली छूट को वापस लेना ।

इनके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन ने इस बारे में कुछ और विशेष कदम उठाये हैं । इनमें ये शामिल हैं :— भारत सरकार की एक योजना के अनुसरण में आयातित रेपशीड तेल अधिक से अधिक 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम की फुटकर दर से बेचने की व्यवस्था की गई है । पिछले तीन महीनों में दिल्ली में 3000 मीटरी टन रेपशीड तेल बाजार में दिया गया है । साफ्ट कोक को अधिप्राप्ति का काम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को सौंपा गया है, जिसके परिणामस्वरूप साफ्ट कोक का मूल्य प्रति 40 किलोग्राम 10.82 रुपये से घटाकर 10.32 रुपये कर दिया गया है ।

गत मास एक आवश्यक वस्तु-व्यापारी सलाहकार समिति गठित की गई है, जिसमें विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के व्यापारियों के संगठनों, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० के प्रतिनिधि तथा दिल्ली प्रशासन के कुछ अधिकारी शामिल हैं । यह समिति उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं तथा आम खपत की वस्तुओं की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करेगी ।

फल एवं सब्जी की 50 उचित मूल्य की फुटकर दुकाने खोलने का निर्णय किया गया है । इनमें से कुछ दुकाने काम करना आरम्भ कर चुकी हैं ।

एयर इंडिया द्वारा कोचीन तथा त्रिवेन्द्रम से मध्य पूर्व के देशों के लिये सीधी उड़ान

924. **श्री वी० एम० सुधीरन**
श्री वयालार रवि: } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एयर इंडिया द्वारा कोचीन तथा त्रिवेन्द्रम से मध्य-पूर्व के देशों के लिए सीधी उड़ान प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : एयर इंडिया या कोचीन और त्रिवेन्द्रम से मध्य-पूर्व के देशों के लिए एक सीधी उड़ान चालू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केरल सरकार द्वारा रबड़, काफी और मसालों का निर्यात

†925. **श्री वी० एम० सुधीरन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल से वर्ष 1976-77 के दौरान कितनी मात्रा में रबड़, काफी और मसालों का निर्यात किया गया; और

(ख) उपरोक्त अवधि में उनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) केरल राज्य से किये गये निर्यात के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, 1976-77 के दौरान कोचीन पत्तन से निर्यात की गई काफी, रबड़ और मसालों की मात्रा तथा इस अवधि के दौरान इन वस्तुओं से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वस्तु	मात्रा (मे० टन)	विदेशी मुद्रा (करोड़ रु०)
काफी	12,585	37.78
रबड़	12,296	8.31
मसाले	24,628	46.15

सहकारिता आन्दोलन

927. **श्री एस० कुंडु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जरूरतमंद लोगों की बहुत बड़ी संख्या के लाभ के उददेश्य से सरकार का देश में सहकारिता आन्दोलन में आमूल सुधार करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) व (ख) भारत सरकार इस बात की आवश्यकता पर अधिक बल देती है कि सहकारी समितियां बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचायें । इस बात की व्यवस्था करने के लिए कि कमजोर वर्गों के लोग सहकारी समितियों के कार्यों में भाग ले सकें केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे राज्य सहकारी कानूनों में इस बात के लिए उपयुक्त प्रावधान करें कि अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अन्तर्गत सदस्यों के रूप में प्रवेश पाने के पात्र व्यक्ति स्वत: सदस्य बन सकें । यह प्रावधान मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आबादी के कमजोर वर्गों के लोग सहकारी समितियों के सदस्य बन सकें केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी है कि वे राज्य सहकारी कानूनों में प्राथमिक कृषि समितियों में कमजोर वर्गों के लिए अनिवार्य रूप से जगह आरक्षित करने के लिए प्रावधान करें ।

राज्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लोगों को पुनर्गठित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्य बनाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। कमजोर वर्गों के लाभ के लिए ऋण देने की नीतियों तथा प्रक्रियाओं को भी उदार बनाया जा रहा है । मुख्य रूप से कमजोर वर्गों के लाभ के लिए मछली-पालन, डेरी, मुर्गी-पालन, हथकरघा उद्योग, नारियल उद्योग, रेशम उद्योग में सहकारी विकास के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं । अनुसूचित जातियों, जन-जातियों और पहाड़ी इलाकों के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई गई हैं ।

सामान्यत: ग्रामीण आबादी तथा विशेष रूप से छोटे तथा जरूरतमंद किसानों के लिए कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करने तथा उन्हें उपभोज्य वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए भी योजना तैयार की गई है ।

उपभोक्ता सहकारी भंडारों द्वारा कमजोर वर्गों के लोगों के लिए शहरों और कस्बों में फुटकर दुकाने खोलने की योजना के साथ-साथ एकमात्र कमजोर वर्गों के लोगों के लाभ के लिए उपभोक्ता सहकारी भंडारों द्वारा जनता दुकानें खोलने की एक विशिष्ट योजना बनाई गई है । यह योजना गंदी बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के इलाकों में जहां अधिकतर असंगठित क्षेत्रों के मजदूर रहते हैं तथा राज्य सरकारों द्वारा चुने अन्य पिछड़े क्षेत्रों में लागू की जाएगी ।

MEMORANDUM FROM CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES FOR REPAYMENT OF COMPULSORY DEPOSIT SCHEME

SHRI ISHWAR CHAUDHARY: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) whether Government of India have received, any memorandum from the Central Government employees for repayment of the Compulsory Deposit amount; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) Yes.

(b) An Ordinance issued on 9th May, 1977 dispensed with the requirement of compulsory deposit by the employees of half of their additional dearness allowance as from 6th May, 1977. That Ordinance also provided that repayment of the second instalment of additional dearness allowance deposits together with accrued interest, due in July, 1977 will not be made in cash, but will be paid by credit to the provident fund accounts of the employees. The discontinuance of impounding of additional dearness allowance will and approximately Rs. 500 crores in a year to the stream of spending in the economy. If at the same time, the amount due by way of second instalment of additional dearness allowance deposits, together with accrued interest, which is the order of Rs. 326 crores, is paid in cash, it may, in the present state of the economy, accentuate inflationary pressures, causing all-round hardship, particularly to low-income groups. It was for this reason that Government decided to credit the amount to the provident fund accounts of the employees. Representations received from employees' organisations, etc. have been carefully considered but the Government do not consider it desirable to change the decision for the reasons mentioned above.

SUPPLY ORDERS PLACED WITH INDIAN COMPANIES FOR EXPORT OF REFRIGERATORS

929. SHRI ISHWAR CHAUDHARY: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether some supply orders were recently placed with Indian companies for export of refrigerators;

(b) if so, which make of refrigerators are being exported to which country and the export price thereof; and

(c) the amount of foreign exchange likely to be earned thereby annually?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) Yes, Sir. Orders for supply of refrigerators have been secured by M/s. Kelvinator India Ltd. and M/s Hyderabad Allwyn.

(b) In the case of Kelvinator India Ltd., exports would be made to Iraq, Iran and Pakistan; and in the case of Jambo refrigerators manufactured by Hyderabad Allwyn the export orders have been secured from Kuwait. The export price of refrigerators vary depending upon the size and the make.

(c) During the year 1977-78 the foreign exchange earnings by way of export of refrigerators are expected to be about Rs. 125 lakhs.

दार्जिलिंग में संकटग्रस्त चाय बागान

930. **श्री निहार लास्कर :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दार्जिलिंग में दुआरे के कुमाये चाय बागान और ओकाजती चाय बागान अपने अधिकार में लेने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या इनको अधिकार में लेने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने की थी और

(ग) यदि हां, तो समिति की अन्य सिफारिशों के बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने कुमाये चाय बागान और ओकाजती चाय बागान के कार्यों की पूरी जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की है । जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर सरकार विचार कर रही है ।

गुजरात राज्य में विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां रोक अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार आर्थिक अपराधी

931. **श्री एफ० पी० गायकवाड़ :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान गुजरात राज्य में विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां रोक अधिनियम के अन्तर्गत कितने आर्थिक अपराधी गिरफ्तार किये गये ;

(ख) आपात स्थिति समाप्त किये जाने के बाद कितने अपराधी छोड़े गये तथा कितने अपराधी अभी भी नजरबन्द हैं ;

(ग) उनको छोड़े जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) छोड़े जाने के बाद उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) आपात स्थिति के दौरान गुजरात में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत गुजरात सरकार और केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन 301 तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक नजरबंद किये गये थे ।

(ख) आपात-स्थिति के 21 मार्च 1977 को समाप्त कर दिये जाने के बाद 31-5-1977 तक, उपर्युक्त नजरबन्द व्यक्तियों में से 95 नजरबंद व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया था और 170 व्यक्ति नजरबंद थे । (शेष 36 व्यक्तियों को आपात-स्थिति के दौरान से पहले ही रिहा कर दिया गया था) !

(ग) इन नजरबन्द व्यक्तियों को निम्नलिखित कारणों से रिहा कर दिया गया :—

(i) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आपात-स्थिति संबंधी उपबंधों का समाप्त हो जाना ;

(ii) नजरबंदी की अधिकतम अवधि का पूरा होना :

(iii) परामर्शदाता बोर्डों की सलाह ; और

(iv) राज्य सरकार द्वारा नजरबंदी आदेश का रद्द किया जाना ।

(घ) सामान्य कानून के अन्तर्गत उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

थोक मूल्य सूचकांक

932. **श्री एफ० पी० गायकवाड़ :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1977 के अन्त में थोक मूल्य सूचकाँक क्या था और इससे पहले वर्ष के अंत में थोक मूल्य सूचकांक क्या था ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मत्री (श्री एच० एम० पटेल) : 26 मार्च, 1977 को समाप्त हुए सप्ताह का थोक मूल्य सूचकांक (1970-71-100) 182.1 था जबकि 27 मार्च, 1976 को समाप्त हुए सप्ताह में यह 162.6 था ।

बड़ौदा स्थित प्रियालक्ष्मी मिल का बन्द होना

933. **श्री एफ० पी० गायकवाड़ :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ौदा स्थित प्रियलक्ष्मी मिल गत 24 महीनों से बन्द पड़ी है और इसके कारण लगभग 2500 कर्मचारी बैकार हो गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है और वे बहुत अधिक उत्तेजित हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसको अपने अधिकार में लेने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त मिलों का पुनः चालू करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) इस मिल को पुनः खोलने के संबंध में सरकार द्वारा राज्य सरकार तथा मिल के बैंकरों के साथ परामर्श करके गंभीर रूप से ध्यान दिया जाता रहा है । चूंकि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के ऊपर पहले से ही 105 वस्त्र मिलों के प्रबन्ध की भारी जिम्मेवारी है इसलिये केन्द्रीय सरकार इस बात के पक्ष में नहीं है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा प्रबन्ध किये जाने के लिए और अधिक रुग्ण अथवा बन्द मिलों का अधिग्रहण किया जाये । केन्द्रीय सरकार इस बात के लिए बहुत उत्सुक है कि यह मिल यथाशीघ्र पुनः चालू हो जाए । इस मिल को पुनः खोलने के लिए राज्य सरकार की प्रस्थापना पर यथोचित ध्यान दिया जा रहा है ।

EXPORT OF SUGAR

934. SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the total annual production of sugar in the country from all sources;

(b) the quantity of sugar exported to foreign countries, country-wise, during 1976-77; and

(c) the price of sugar in the country and the prices in Indian currency, at which it is sold in the countries to which it is exported ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) The total annual production of sugar in the country during the last three years has been as follows :

Sugar year (October to September.)	*Production* (*in lakh tonnes*)
1974-75	47.97
1975-76	42.64
1976-77	48.20 (Estimated)

(b) *Country*	*Quantity* (*MT*)
Sri Lanka	23100
Yemen	65450
Indonesia	153520
Sudan	122753
UK	27121

Seychelles	400
Egypt	48288
USA	75395
Iran	28190
Romania	17050
Somalia	10500
Tunisia	6100
Nepal	1000
Maldives	300
Total :	579167

(c) The average free market price for D-30 grade sugar in the internal market at Bombay & Delhi during April 1976—March 1977 (including excise duty) and the average levy sugar price (excluding excise duty) during the period were Rs. 4594/- per metric tonne and Rs. 1917/- per metric tonne respectively. The average FOB realisation on exports of sugar during the same period was Rs. 2601.15 per metric tonne.

The Government are not aware of the price at which the sugar exported by India is being sold by the importing countries.

Loan advanced by Nationalised Banks to Farmers for Agricultural and Industrial Development

935. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced to the farmers for agricultural development and for industrial development respectively by the nationalised banks in Bihar during 1975-76 and 1976-77; and

(b) whether the farmers had to face many difficulties in getting the above loans whereas it was easier for the industrialists to get such loans ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) A statement is attached.

(b) No, Sir.

Statement attached in part (a) shows that advances granted to agriculture are larger, both in amount and the number of accounts, compared to advances made to small scale industries. If any specific complaints are made, the concerned banks expeditiously try to remove the same.

STATEMENT

Figures of advances made by public sector banks in Bihar to agriculture and small scale industries as on the last Friday of December, 1975 and December, 1976.

AGRICULTURE (Amount in lakhs of Rupees)

	December 1975		December 1976	
	Number of Accounts	Balance outstanding	Number of Accounts	Balance outstanding
S. B. I. Group	59803	1593.00	88299	2778.92
Nationalised Banks	53164	1767.00	80637	2767.12
TOTAL	112967	3360.00	168936	5546.04

SMALL SCALE INDUSTRIES

	December 1975		December 1976	
	Number of Units	Balance outstanding	Number of Units	Balance outstanding
S. B. I. Group	5130	1337.27	6554	1590.73
Nationalised Banks	3423	1374.74	5182	1627.99
TOTAL	8553	2712.01	11736	3218.72

(Figures provisional)

कोचीन हवाई अड्डा

936. श्री के० ए० राजन : श्री वी० एम० सुधीरन् : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कोचीन हवाई अडडे पर बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोचीन हवाई अड्डे का विस्तार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है :

(ख) विस्तार कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा ;

(ग) विस्तार योजना पर कितना खर्च आने का अनुमान है ; और

(घ) इस संबंध में अब तक कुल कितना खर्च किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग) और (घ) सरकार ने कोचीन हवाई अड्डे के रन-वे का पुनः सरेखन (रि-एलाइन्मेंट) करने तथा उसे अधिक लंबा एवं मजबूत करने के लिए 70.05 लाख रुपये की राशि मंजूर कर दी है । कार्य के पूरा होने में करीब दो वर्ष लगेंगे । मई, 1977 के अंत तक लगभग 15.65 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं ।

तस्करों के पास काला धन

937. श्री के० मायातेवर : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करों के पास अनुमानतः कितना काला धन है,

(ख) क्या सरकार ने तस्करों के काले धन को समाप्त करने के लिए कोई निर्णायक योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) तथा (ग) तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (संपति समपहरण) अधिनियम, 1976 में उन तस्करों तथा विदेशी मुद्रा छल साधकों द्वारा गैर कानूनी रूप से अर्जित संपत्तियों के समपहरण की व्यवस्था है जो धन-कर, आय-कर तथा अन्य कानूनों का उल्लंघन करके अथवा अन्य तरीकों से अपनी अवैध कमाई को बढ़ाते रहे हैं चाहे वे संपतियाँ उनके अपने नाम में हों अथवा उनके रिश्तेदारों अथवा सहयोगियों के नामों में । तस्करों के पास कितना काला धन है इसका अनुमान नहीं लगाया गया है किन्तु 23.86 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य की संपत्तियां जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वे उन व्यक्तियों द्वारा गैर-कानूनी ढंग से अर्जित की गयी हैं जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, पहले ही समपहरण संबंधी कार्यवाही के अधीन आ गयी हैं । यह अधिनियम का प्रशासन "सक्षम प्राधिकारियों" के रूप में नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिनका मुख्यालय बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा दिल्ली में है ।

आय-कर विभाग ज्ञात तस्करों तथा उनके सहयोगियों के मामलों में भी जांच पड़ताल की कार्यवाही पर विशेष ध्यान दे रहा है। इन मामलों में सम्यक जांच पड़ताल करने के लिए अहमदाबाद, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा अन्य स्थानों पर विशेष परिमंडल स्थापित किये हैं। केन्द्रीय स्तर पर, जाँच पड़ताल के कार्य का समन्वय, निरीक्षण निदेशालय (जांच पड़ताल) के विशेष कक्ष में स्थापित की गई एक पृथक एकक द्वारा किया जा रहा है।

भूमिगत तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही

938. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात-स्थिति के दौरान जो बड़े-बड़े तस्कर भूमिगत हो गये थे उन्होंने हाल ही में श्री जयप्रकाश नारायण के सामने समपर्ण नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे तस्करों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध और कोई कार्यवाही की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) अनुमानतः प्रश्न का संबंध उस शपथ से है जो एक सौ तस्करों ने 30 अप्रैल, 1977 को बंबई में श्री जयप्रकाश नारायण के सामने ली थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि वे तस्करी नहीं करेंगे, अन्य तस्करों को ऐसी गतिविधियां जारी रखने के लिए मना करेंगे तथा रोकेंगे और सरकार की सहायता करेंगे। सरकार इस बात से अवगत नहीं है कि क्या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति ने श्री जयप्रकाश नारायण के सामने हाल ही में आत्मसमपर्ण किया है जो आपातकाल के दौरान भूमिगत हो गया था।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एकत्रित की गई राशियों पर आयकर

939. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के लेखों की ओर दिलाया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी स्मारिकाओं में विज्ञापनों के माध्यम से बड़ी-बड़ी धनराशियां एत्रित की थीं ;

(ख) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वर्ष 1976-77 के दौरान कुल कितनी राशि की ऐसी आय हुई ; और

(ग) इस राशि पर आयकर वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना हिसाब-किताब कैलिण्डर वर्ष के आधार पर रखती है। अपेक्षित सूचना आय की संगत विवरणियां दाखिल कर दिये जाने के पश्चात उपलब्ध होंगी।

(ग) इस प्रकार की आय की मात्रा तब निर्धारित की जायेगी जब संगत आयकर निर्धारणों पर विचार किया जायेगा। इसलिये देय कर की वसूली का प्रश्न तब उत्पन्न होगा जब कर-निर्धारणों का कार्य पूरा हो जायेगा।

CENTRAL SALES TAX

†940. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) whether Central Sales Tax at the rate of 9 per cent and 7 per cent is charged from registered and non-registered shop-keepers respectively and if so, whether this discourages the shopkeepers from getting themselves registered and Government have to suffer loss on this account; and

(b) if so, whether Government have undertaken any review of the structure of Central Sales Tax to bring about changes in it?

9—441LSS/77

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Central Sales Tax Act, 1956 provides for levy of tax at the rate of 4% on inter-State sales of goods specified in the registration certificate of a registered dealer. Inter-State sales to unregistered dealers of declared goods (mentioned in Section 14) are taxed at twice the local sales tax rates on such goods. Goods other than declared goods sold in inter-State trade to unregistered dealers are taxed at the rate of 10% or the State rate on these goods, whichever is higher. These rates are subject to a general exception that where any goods are generally exempted from the sales tax in a State or are taxed generally at a rate which is lower than 4%, inter-State sales of such goods shall also be exempt normally or, as the case may be, taxed at that lower rate irrespective of the fact whether such inter-State sales have been made to a registered dealer or an unregistered dealer;

(b) Since in no case, rate of tax on sales to unregistered dealers can be lower than the rate applicable on inter-State sales to registered dealer, the question of reviewing the structure of rate of Central Sales Tax does not arise.

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे होटल

941. **श्री शिव सम्पत** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा देश में चलाये जा रहे विभिन्न होटलों के नाम क्या हैं और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) क्या होटल के मैनेजरों और अन्य कर्मचारियों के लिए होटलों में आवास की व्यवस्था है और उन्हें निशुल्क भोजन भी दिया जाता है;

(ग) होटलों में इस प्रकार उनके भोजन और आवास पर वाणिज्यिक दरों पर कितना खर्च हुआ ; और

(घ) क्या उनके ऊपर किये गये भारी व्यय को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उनके लिए अन्यत्र आवास की व्यवस्था करने का है जिससे इस कारण राजकोष को हो रही भारी हानि को बचाया जा सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम इस समय निम्नलिखित 15 होटल चला रहा है :--

क्रम सं०	होटल का नाम	स्थान
1.	अशोक होटल	नई दिल्ली
2.	अकबर होटल	नई दिल्ली
3.	जनपथ होटल	नई दिल्ली
4.	लोदी होटल	नई दिल्ली
5.	रणजीत होटल	नई दिल्ली
6.	कुतुब होटल	नई दिल्ली
7.	होटल अशोक	बंगलौर
8.	औरंगाबाद होटल	औरंगाबाद
9.	एयरपोर्ट होटल	कलकत्ता
10.	कोवालम होटल	कोवालम
11.	ललित महल पैलेस होटल	मैसूर
12.	होटल पाटलीपुत्र	पटना
13.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल	उदयपुर
14.	वाराणसी होटल	वाराणसी
15.	खजुराहो होटल	खजुराहो

(ख) अधिकतर होटलों में मैनजरों को तथा कुछेक मामलों में अन्य कर्मचारियों को भी होटल के ही अंदर ही आवास स्थान दिया गया है तथा ड्यूटी पर निशुल्क भोजन भी दिया जाता है ताकि वे बुलावा मिलते ही उपिस्थत हो सकें। ऐसे आवास के लिए केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जहां नियुक्ति की सेवा शर्तों के अनुसार निशुल्क आवास दिया जाता है, उनके वेतन में से साज-सामान रहित (अन-फरनिशड) आवास के लिए 10 प्रतिशत तथा साज-सामान युक्त (फरनिशड) आवास के लिए 12 1/2 प्रतिशत मकान किराया काट लिया जाता है।

(ग) एक वर्ष में 26, 85, 450·00 रुपए।

(घ) कारपोरेशन के होटलों/मोटलों तथा यात्री लाजों के महाप्रबंधकों/प्रबंधकों/सहायक प्रबंधकों को अलाट किये गये वर्तमान रिहायशी स्थान के मानक के पुनरीक्षण करने के लिए तथा विभिन्न संस्थापनों (एस्टेबिल्शमेंट) के संबंध में ऐसे आवास के लिए उपयुक्त मानकों की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की गयी है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नयी दिल्ली के कार्यकरण के बारे में रिपोर्ट

942. **श्री शिव सम्पत** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालय से किसी अधिकारी ने 5 अगस्त, 1976 को हुई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड नयी दिल्ली की साधारण सभा की विशेष और सामान्य दोनों बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसने किस प्रकार की रिपोर्ट पेश की ;

(ग) क्या निदेशक मण्डल की एक वर्ष तक और बनाये रखने का एक निदेशक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव बैठक में अस्वीकृत कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उस निदेशक मंडल के एक और वर्ष तक बने रहने के क्या कारण हैं और साधारण बैठक के निर्णय का आदर करने के लिये पंजीयक द्वारा निदेशक मण्डल का विघटन करने के लिए और इस बारे में नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कदम उठाये जायेंगे।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, की साधारण सभा की 5 अगस्त, 1976 को हुई वार्षिक और विशेष बैठकों में सहकारी समितियों के उप पंजीयक ने आमन्त्रित अधिकारी के रूप में भाग लिया।

(ख) कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी।

(ग) जी हां।

(घ) समिति की साधारण सभा की 5 अगस्त, 1976 को हुई विशेष बैठक की कार्यसूची की विशिष्ट मद, प्रतिनिधियों की कार्यावधि तथा निर्वाचित निदेशकों के कार्याकाल की बाबत समिति की उपविधियों के कुछ संशोधनों को अनुमोदित करने के बारे में थी, ताकि संशोधित उपविधियों के आधार पर नए चुनाव कराए जा सकें। साधारण सभा ने प्रस्तावित संशोधनों को अनुमोदित कर दिया।

इस बारे में यह उल्लेख है कि दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 31(3) और दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के नियम 62(1) में यह व्यवस्था है कि प्रबंध मंडल के निर्वाचित सदस्य तब तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं जब तक कि अधिनियम अथवा नियमों अथवा उपविधियों के उपबंधों के अंतर्गत उनके स्थान पर दूसरे व्यक्ति निर्वाचित नहीं हो जाते हैं।

सहकारी समितियों के पंजीयक में संशोधनों का पंजीकरण 19 अप्रैल, 1977 को अधिसूचित किया। तदनुसार प्रतिनिधियों का चुनाव 12 मई, 1977 को हुआ। निदेशकों का चुनाव 27 जून, 1977 को होना है।

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता

943. **श्री शिव सम्पत :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय, संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों में निम्न से उच्चतम श्रेणी तक के सभी वर्गों के पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये प्रतिशत पद आरक्षित हैं ;

(ख) सभी स्तरों पर आरक्षित कोटा किस हद तक भरा गया है ;

(ग) क्या कोई ऐसे पद हैं जिनमें इन वर्गों के व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया ; और

(घ) आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों से आरक्षित पदों के कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग) और (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम का कार्यकरण

944. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पर्यटन विकास निगम को अधिक दक्ष तथा किफायती बनाने के लिए उसके कार्य के ढांचे में परिवर्तन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम की संरचना के पुनर्गठन के लिए तत्कालीन सचिव (वित्त), डा० अजित मजुमदार की अध्यक्षता में 1974 में एक समिति का गठन किया गया था जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :—

(क) संसद की सार्वजनिक उद्यम समिति (पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी) द्वारा अपनी 51 वीं रिपोर्ट में की गयी टिप्पणियों को दृष्टि में रखते हुए, भारत पर्यटन विकास निगम तथा इसकी मुख्य घटक यूनिटों के कार्य का पुनरीक्षण करेगा ।

(ख) पांचवीं योजनावधि में भारत पर्यटन विकास निगम के वर्तमान तथा प्रस्ताविक क्रियाकलापों के विशेष संदर्भ में उसकी संगठनात्मक तथा प्रशासनिक संरचना की जांच करना तथा ऐसे परिवर्तनों का सुझाव देना, जो कारपोरेशन के उद्देश्यों की अधिक क्षमता से पूर्ति करने तथा इसके कार्यक्रमों के शीघ्रता से कार्यान्वियन के लिए कर दिये जाने चाहियें ।

आशा की जाती है कि समिति की रिपोर्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा तथा बहुत जल्दी सरकार को प्रस्तुत कर दी जाएगी । भारत पर्यटन विकास निगम में वेतन संरचना को युक्ति संगत बनाने के लिये एक समिति के गठन का प्रस्ताव भी विचाराधीन है जिसके विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :—

(1) समिति इस बात की जांच एवं सिफारिश करेगी कि अधिकारियों से इतर (नान-आफिसर) कर्मचारियों के वर्तमान वेतन ढांचे में क्या संशोधन करना आवश्यक है ।

(2) क्या अफसरों से इतर समस्त कर्मचारियों को उनके कार्य कलापों के क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना एक समान महंगाई भत्ते के फार्मूले सहित एक सी मानक वेतन संरचना में रखा जाए ।

(3) क्या होटल तथा केटरिंग एस्टेबिलशमेंट में कार्य करने वाले अफसरों से इतर विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के लिए सिब्बंदी के वर्गीकरण, व्यापार के परिमाण, नियोजित की गयी पूंजी तथा प्रदान की गयी सेवा के प्रकार को ध्यान में रखे बगैर एक समान वेतन संरचना की व्यवस्था की जाए ।

(4) क्या विभिन्न कार्यकलापों में लगे भारत पर्यटन विकास निगम के अफसरों से इतर समस्त कर्मचारियों के लिए एक ही प्रकार के अनुषंगी लाभ तथा सेवा सुविधाएं होवें ।

(5) कोई और सम्बद्ध विषय, जिस पर समिति कोई सिफारिश करना आवश्यक समझे ।

विमानों की खरीद

945. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वे सभी विमान खरीद लिये हैं जिनके लिए पिछली सरकार ने फर्मों को आर्डर दिये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) एयर इण्डिया ने दो बोइंग 747-237 विमान खरीदने के लिये दिसम्बर, 1976 तथा फरवरी, 1977 में आदेश दिये थे। ये विमान दिसम्बर, 1977 तथा मई, 1978 में प्राप्त (डिलीवर) होने हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स ने तीन बोइंग 737 विमानों की खरीद के लिये 9 फरवरी, 1977 को आदेश दिये थे। ये विमान नवम्बर, 1977 के अन्त तक "डिलीवर" होने हैं।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

946. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को 1975-76 के लिये अप्रैल, 1977 में भुगतान किये जाने वाले बोनस का भुगतान नहीं किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। यह मामला अभी विचाराधीन है।

स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के विमान का जब्त करना

947. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
डा० मुरली मनोहर जोशी } क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग ने हाल ही में स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के तीन सीटों वाले एग्जेक्यूटिव जैट विमान को जब्त कर लिया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता चला है कि स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक अत्यन्त ऐश्वर्यमय जीवन बिताते रहे हैं और यदि हां, तो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का अनुमानित मासिक व्यय कितना है ;

(ग) क्या वह सरकार को कोई कर देते रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) दिल्ली के सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने 29-4-77 को एक माऊल विमान एम०-5-235-सी० को उसके अतिरिक्त उपकरणों के साथ पकड़ा। उक्त विमान को श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा, जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिलों में मन्तलाई स्थित अर्पणा आश्रम के नाम पर अमरीका से आयात किया गया था। विमान इस आधार पर पकड़ा गया था कि उक्त विमान तथा अतिरिक्त उपकरणों पर सीमा शुल्क से छूट देने सम्बन्धी शर्तों का उल्लंघन किया गया था।

(ख) हाल ही में समाचार पत्रों में ऐसी कुछ रिपोर्ट छपी थीं जिनमें कहा गया था कि स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ऐशो-आराम की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। उनके मासिक व्यय के बारे में अभी कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) जी, हां। वह आय कर अदा करते रहे हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता है।

बंगलादेश को रूई का निर्यात

948. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बंगलादेश को रूई की 10,000 गांठें देने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं जब देश स्वयं रुई का आयात करता है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) बंगला देश ने कुछ समय पहले सरकार से कच्ची रुई की 10,000 गांठें सप्लाई करने का अनुरोध किया था ताकि वे मिलों की रूई की अस्थायी कमी को पार लगा सकें। फिर भी स्वयं बंगला देश सरकार ने उस अनुरोध पर कार्यवाही नहीं की।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत तथा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मारुति लिमिटेड को धन दिया जाना

949. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत तथा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों में मारुति लिमिटेड को धन दिया है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक बैंक द्वारा मारुति लिमिटेड तथा उसकी सहायक फर्मों को अब तक कितनी धन-राशि दी गई ;

(ग) क्या मारुति लिमिटेड द्वारा कुछ धनराशि लौटाई गई है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) इन बैंकों द्वारा किन-किन शर्तों पर ऋण दिया गया ; और

(ङ) मारुति लिमिटेड से धन वसूल करने के लिए इन राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) बैंकरों में प्रचलित प्रथा और व्यवहार के अनुसार तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के अनुसरण में भी इन सभी बैंकों के ग्राहक विशेष के बारे में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। इसलिए माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन सरकार ने मारुति समूह की कम्पनियों के कारोबार की जांच करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। इस जांच आयोग के विचारणीय विषयों में, अन्य बातों के साथ साथ, मारुति कंसर्नों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से सुविधाएं, ऋण और अन्य सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी सभी मामले शामिल है जिनमें मारुति कंसर्नों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता प्राप्त करने में उनकी पात्रता, जिस सावधानी से आवेदन पत्रों पर विचार किया गया उसका स्तर और ऐसी सहायता मंजूर करने विषयक लागू तत्कालीन नीति, प्रथा, नियम और निदेश के अनुरुप होने की मात्रा की जांच करना शामिल है।

अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि का भुगतान

950. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1976 से अप्रैल, 1977 तक कितने व्यक्तियों को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत रोकी गई राशि का आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और उसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के पटसन उद्योग इंजीनियरी उद्योग तथा कपड़ा उद्योग के श्रमिकों ने अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत कितनी राशि जमा की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अतिरिक्त वेतन जमा की दूसरी किस्त और अतिरिक्त महंगाई भत्ते की जमा की पहली किस्त की वापसी जुलाई 1976 में की जानी थी। इनमें से कुछ वापसियां जो समय पर नहीं की जा सकी थीं अक्तूबर, 1976 से अप्रैल 1977 तक की अवधि में की गईं। इस स्कीम के अन्तर्गत सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों में कर्मचारियों द्वारा जमा कराई

गई रकमों और उन्हें की गई वापसियों की रकमों का ब्यौरेवार हिसाब किताब नियोजकों द्वारा रखा जाता है, जिनकी संख्या 70,000 है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस अधिनियम के अन्तर्गत नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी होते हैं जो अधिनियम के अन्तर्गत जमा कराई गई रकमों और वापसियों का नियोजकों के अनुसार हिसाब किताब रखते हैं। इसलिए कर्मचारियों को वापस की गई रकमों के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे क्षेत्रों के अनुसार ही हैं। इसी तरह जमा की गई रकमों के आंकड़े भी क्षेत्रों के अनुसार ही उपलब्ध हैं, उद्योग के अनुसार नहीं।

एक विवरण संलग्न है जिसमें क्षेत्रों के अनुसार निम्नलिखित रकमों का ब्यौरा दिया गया है।

(क) गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा अप्रैल 1977 तक जमा कराई गई कुल अनिवार्य रकम ; और

(ख) अतिरिक्त वेतन और अतिरिक्त महंगाई भत्ते का कुल जमा रकम की वापसी के रूप में उक्त कर्मचारियों को जुलाई 1976 तक देय और अप्रैल 1977 तक वास्तव में वापस की गई रकम।

विवरण

(लाख रुपये)

विवरण

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	अप्रैल, 1997 तक सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से जमा कराई गई कुल राशि	जुलाई, 1976 में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारियों को वापसी के रूप में देय राशि	अप्रैल, 1977 के अंत तक वास्तव में अदा की गई रकम
1	2	3	4	5
1.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैदराबाद	3431.77	518.87	518.03
2.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शिलांग	789.76	122.87	97 10
3.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पटना	7429.22	1170.09	1164.49
4.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली	3176.35	481.79	477.85
5.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद .	3877.54	599.29	598.29
6.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बंगलौर	4062.34	680.73	625.54
7.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त त्रिवेन्द्रम	1509.54	234.47	231.03
8.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इंदौर .	3360.12	529.37	497.22
9.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बम्बई .	14098.07	2112.00	2067.32
10.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त भुवनेश्वर	1260.33	198.86	197.67
11.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ .	2584.06	356.84	346.16
12..	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त जयपुर .	1344.21	198.24	197.06
13.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मद्रास . .	6370.31	991.53	932.43
14.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कानपुर	5053.02	724.21	576.55
15.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कलकत्ता	11084.02	1689.43	1696.46
	जोड़ .	69430.66	10618.59	10230.20

विद्युत् करघा उद्योग का पुनरुद्धार

†951. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कच्चे माल के अधिक मूल्यों और बाजार में मन्दी के कारण देश में हजारों विद्युत् करघे बेकार पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो विद्युत् करघा उद्योग का पुनरुद्धार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार को कम्पाउन्ड शुल्क से छूट देने के बारे में अखिल भारतीय विद्युत् करघा बुनकर संघ द्वारा की गई मांग की जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए समन्वित नीतियों के एक भाग के रूप में शक्तिचालित करघा क्षेत्र के प्रति नई नीति संबंधी दृष्टिकोण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी हां।

(घ) मामला विचाराधीन है।

उचित दर की दुकानों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

952. **श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार उचित दर की दुकानों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के बारे में भूतपूर्व सरकार की नीति का कहां तक पालन कर रही है।

(ख) क्या सरकार का विचार उचित दर की दुकानों की संख्या और माल की सप्लाई में वृद्धि करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क), (ख) व ग : यद्यपि देश में आवश्यक वस्तुओं का उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दिया जाना जारी है, तथापि, शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए इस प्रणाली को मजबूत बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े के सम्बन्ध में नीति

†953. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े सम्बन्धी नीति की जांच की है ;

(ख) क्या सरकार ने समूचे उद्योग पर पड़ने वाले उनके प्रभाव की भी जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उनके निष्कर्षों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग): नियंत्रित कपड़े के उत्पादन की योजना के परिचालन की बराबर समीक्षा की गई है तथा परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार योजना में समय-समय पर आशोधन किये जाते हैं। उद्योग पर योजना के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तथा समाज के कमजोर वर्गों जिनके लिये यह योजना बनाई गई है, के हितों को ध्यान में रखते हुए हाल में ही जनवरी, 1977 में योजना में कुछ आशोधन किये गये थे। आगे समीक्षा की जा रही है।

रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर की सेवानिवृत्ति

954. **श्री आर० के० महालगी : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री के० आर० पुरी को नियमों के अन्तर्गत कब सेवा निवृत्त होना था;

(ख) क्या गवर्नर निर्धारित तिथि से पूर्व सेवा निवृत्त हो गये; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने अपने निर्धारित समय से पूर्व सेवा निवृत्त होने के लिये क्या कारण बताये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), और (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री के० आर० पुरी का सेवाकाल 19 अगस्त, 1978 को समाप्त होने वाला था। उनके अपने अनुरोध पर उन्हें 2 मई, 1977 से सेवा निवृत्त होने की अनुमति दे दी गई थी। श्री पुरी ने अपने सेवा निवृत्त होने के लिए कोई कारण नहीं बताये थे।

MORNING FLIGHT FROM PATNA TO DELHI

955. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the difficulty faced by people in the absence of a morning flight from Patna; and

(b) if so, whether Government propose to introduce a morning flight for Delhi from Patna ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) (a) and (b) : Indian Airlines do not at present have any proposal for introducing a morning service on the Patna-Delhi sector because all the aircraft in their fleet are fully committed as per the existing schedule.

राज्य व्यापार निगम को दिया गया कानूनी नोटिस

956. **श्री पी० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी कम्पनी ने नियमित रूप से फार्मेटेड एथिल अलकोहल सप्लाई करने का संविदागत दायित्व पूरा न करने के लिये राज्य व्यापार निगम को कोई कानुनी नोटिस दिया है ;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने उचित सप्लाई न किये जाने की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने 8200 मे० टन एथिल अलकोहल की सप्लाई के लिए स्विटरजरलैण्ड की एक फर्म के साथ दो संविदाएं की हैं। आंशिक माल सप्लाई करने के बाद उन राज्यों में कमी प्रकट होने लगी जहां से सरकार द्वारा रिलीज आर्डर दिए गए थे। हालांकि अन्यत्र से अलकोहल प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे किन्तु रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय ने अलकोहल वर्ष 1976-77 के लिए देश में अलकोहल के उत्पादन और माँग की समीक्षा की और उसे स्वयं ही निर्यात प्राधिकार ही रद्द कर देना पड़ा। राज्य व्यापार निगम के कानूनी नोटिस का उपर्युक्त उत्तर दे दिया है।

निर्धनों के लिये ऋण योजना

957. **श्री पी० के० देव** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक क्षेत्रों पर लागू करने के लिये और ब्याज की विभिन्न दरों का विस्तार करने और उसको सुव्यवस्थित करने के लिये, जिसके अन्तर्गत निर्धन वर्गों को 4 प्रतिशत की निम्न ब्याज दर पर बैंकों से ऋण दिया जाता है, निर्धनों के लिए कोई ऋण योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) विभेदी ब्याज दर योजना के संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों की एक प्रति संलग्न है।

विवरण

विभेदी ब्याज दर योजना के संशोधित मार्गदर्शक सिद्धांत

1. **कार्यक्षेत्र और व्याप्ति :**

1.1 यह हमारे देश में लागू होगी।

1.2. **लक्ष्य :** बैंकों को चाहिए कि पिछले वर्ष के अंत के कुल ऋणों के कम से कम 1 प्रतिशत का 1/2 इस योजना के अन्तर्गत दें।

1.3 यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को प्राप्त हो और अधिकांश अग्रिम शहरी/महानगरी क्षेत्रों में ही न दे दिये जाएं, इस योजना को चलाने वाले बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना के अंतर्गत उनके अग्रिमों का कम से कम 2/3 भाग उनकी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के माध्यम से दिये जायें। तदनुरूप इस योजना के अंतर्गत उनके अग्रिमों का 1/3 से अधिक भाग उनकी शहरी और महानगरीय शाखाओं से नहीं दिया जाना चाहिये।

1.4 यह सुनिश्चित करने के लिये कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभों का उचित हिस्सा पायें, इस योजना के अंतर्गत बैंक अग्रिमों का कम से कम 1/3 भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र ऋण कर्ताओं को दिया जाना चाहिये।

2. **परिचालन अभिकरण**

2.1 सरकारी क्षेत्र के बैंक : विभेदी ब्याज दर योजना का संचालन सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक करेंगे।

2.2 **गैर राष्ट्रीयकृत बैंक :** जिन गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास लीड जिम्मेदारी है वे कम से कम अपने लीड जिलों में यह योजना चलायेंगे। अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक भी स्वेच्छा के आधार पर इस योजना का कार्यान्वयन कर सकते हैं।

2.3. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना के अंतर्गत, ऋणकर्ताओं को ऋण उसी दर पर उपलब्ध कराया जायगा जिस पर सहकारी समितियों से किया जाता है। इसलिए ब्याज की रियायती दरों पर ऋण देने की इन बैंकों को अनुमति नहीं होती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन बैंकों का लाभ पाने वाले व्यक्ति भी इस योजना का लाभ पा सकें, प्रायोजक बैंक, अभिकरण ऋणों के आधार पर इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मार्फत उधार दे सकते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यक्षेत्रों के पात्र ऋणकर्ता वार्षिक 4 प्रतिशत की दर पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

2.4 **पात्रता का मापदण्ड** : पैराग्राफ 4 में दिये गये वर्गों वाले व्यक्ति के पास यदि कोई ठोस जमानत देने के लिए नहीं है अथवा वह किसी सम्पन्न व्यक्ति की जमानत की गारण्टी प्रस्तुत नहीं कर सकता तो भी वह इस योजना का लाभ पाने का पात्र होगा। बशर्ते वह निम्नलिखित माप दण्ड पूरा करता हो :—

3.1 सभी साधनों से ऋणकर्ता के परिवार की आय शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में वार्षिक 3000/- रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक 2000/- रुपये से अधिक न हों।

3.2 उसके पास कोई भूमि न हो अथवा उसकी भूमि की जोत सिंचित होने पर एक एकड़ से और असिंचित होने पर 2.5 एकड़ से अधिक न हो।

3.3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पास भूमि की जोत कितनी भी होने पर वे ऋण के पात्र होंगे बशर्ते कि वह अन्य मापदण्ड पूरे करते हों।

3.4 वह बैंकों की सहायता से ऐसे उत्पादक प्रयासों द्वारा अपने वर्तमान आर्थिक स्तर से उपर उठने में मदद पा सकता है जो लगभग 3 वर्ष की अवधि में अर्धक्षम हो सकेंगे।

3.5 वह एक साथ दो वित्तीय स्रोतों के प्रति देनदारी नहीं स्वीकार करता।

3.6 अधिकांशतः वह स्वयं और अपने परिवार के अन्य सदस्यों अथवा अपने कुछ संयुक्त साझीदारों की सहायता से काम करता है और नियमित रूप से वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त नहीं करता।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

यहां यह आशय नहीं है कि इस योजना के अन्तर्गत उसकी पात्रता प्राप्त करने के लिए ऋणकर्ता से लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाए। यह आशा की जाती है कि शाखा स्तर के बैंक अधिकारी ऋणकर्ता की अपेक्षा तथा अन्य परिस्थितियों से परिचित होंगे। वे प्रत्येक मामले में ऋण मंजूर करने से पहिले इस पैराग्राफ में दी गई शर्तों को ध्यान में रखकर यथावशयक स्थानीय पूछ ताछ कर सकते हैं।

4. **पात्र व्यक्तियों के वर्ग** : जो व्यक्ति आय और भूमि की जोत के मापदंड पूरे करते हों और मौटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में आते हों वे इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे। (सूची केवल उदाहरण के रूप में है और वह व्यापक नहीं है

4.1 कृषि और/अथवा कृषि सम्बन्धी कार्यकलापों में लगी अनुसूचित जन जातियों तथा अनुसूचित जातियों और अन्य व्यक्ति।

4.2 वन उत्पादों को स्वयं इकट्ठा करने अथवा उनका अध्ययन करने वाले व्यक्ति और दुर्गम क्षेत्रों में स्वयं चारा इकट्ठा करके किसानों और व्यापारियों को बेचने वाले व्यक्ति।

4.3 कुटीर और ग्रामीण उद्योगों और व्यवसायों में सीमित पैमाने पर स्वयं काम करने वाले व्यक्ति/उदाहरण स्वरूप ये काम: कपड़ा काटना और दर्जी की सिलाई, काफी सस्ते खाद्य पदार्थ बनाना, वस्तुओं और नित्य उपयोग की वस्तुओं को घर घर पहुंचाने की सेवा, सड़क के किनारे चाय की दुकान करना, स्वयं अपना हाथ ठेला और साइकिल रिक्शा चलाना, जूते/चप्पल की मुख्यतः हाथ से मरम्मत करना, हाथ से टोकरी बनाना आदि।

4.4 उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक होनहार निर्धन विद्यार्थी जिन्हें सरकार से अथवा शिक्षा अधिकारियों से वजीफा/निर्वाह अनुदान नहीं मिलता।

4.5 लाभप्रद व्यवसाय करने वाले विकलांग व्यक्ति।

5. **ऋण के निबन्धन और शर्तें** : इस योजना के अधीन ऋण की शर्तें और निबन्धन निम्नलिखित होंगे :

5.1 ऋण की मात्रा उस योजना विशेष पर निर्भर होगी जिसमें धन लगाया जाय और वह इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि ऋणकर्ता अन्य स्रोत से धन लिए बिना अपनी वित्तीय आवश्यकता पूरी कर सके। आशा है कि सामान्य रूप से इस योजना के अंतर्गत कार्य चालन पूंजी ऋण के लिए 1,500 रुपये और सावधिक ऋण के लिए 5,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी। असाधारण मामलों में, विशेष रूप से संस्थाओं के मामले में और ोनहार निर्धन विद्यार्थियों के मामले में अधिक रकम पर विचार किया जा सकता है।

5.2 कार्य चालन पूंजी और सावधिक ऋण दोनों ऋणकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार देय होंगे।

5.3 मार्जिन धन की अपेक्षा पर जोर नहीं दिया जायगा क्योंकि ऋण कर्ताओं का यह वर्ग समाज के सबसे कमजोर स्तर का है और मार्जिन धन सदैव प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हो सकता।

5.4 ब्याज की दर एक समान वार्षिक 4 प्रतिशत नियत की जायगी।

5.5 स्थिर परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए सावधिक ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जिसमें मूलधन की अदायगी पर 2 वर्ष से अनधिक छूट की अवधि शामिल होगी। ऋणकर्ता के कार्यकलाप के प्रकार और योजना की अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखकर प्रत्येक मामले में अदायगी का कार्यक्रम तैयार किया जायगा। ब्याज और मूलधन की अदायगी के लिए अधिशेष राशि का निर्धारण करने में स्वयं ऋणकर्ता की निर्वाह आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त छूट दी जायगी।

5.6 ऋण से खरीदी गई सम्पत्ति को बैंक के पास बन्धक रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के ऋणकर्ताओं के समूह को ऋण के उचित मामलों में सामूहिक गारण्टी स्वीकार की जा सकती है।

5.7 प्रत्येक ऋण को ऋण गारण्टी योजना के अंतर्गत कवर किया जायगा। गारण्टी फीस ऋणकर्ता से नहीं ली जायगी बल्कि बैंकों द्वारा वहन की जायगी।

5.8 यदि बैंकों को प्रभारित की गई सम्पत्ति का बीमा आवश्यक समझा जाय तो उसका व्यय बैंक द्वारा वहन किया जायगा ।

5.9 यदि आवश्यक हुआ तो बैंक अदायगी के लिए आरम्भ में कुछ उचित स्थगन पर विचार कर सकता है ।

6. **संस्थाएं :—** निम्नलिखित संस्थाएं इस योजना के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र होंगी ।

6.1. **अनाथालय और महिला आश्रम** : जहां बिक्री के लिए सामान बनाया जाता है और विश्वसनीय वित्तीय साधन अर्थात् धर्मार्थ निधि अथवा नियमित दान की व्यवस्था नहीं है ।

6.2 विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाएं जहां लाभप्रद व्यवसाय चलाया जाता है और टिकाऊ उपरकण और/अथवा कच्चे माल की लगातार सप्लाई उपयोगी है ।

टिप्पणी : विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं अनाथालयों और महिला आश्रमों को आय के मापदण्ड से छूट दी जायगी । फिर भी, यह सुनिश्चित करना होगा कि ये संस्थाएं धन का उपयोग केवल उत्पादक प्रयोजनों के लिए करें, न कि उससे अपना सामान्य प्रशासनिक और संगठन का खर्च पूरा करें । इन संस्थाओं की वास्तविकता के बारे में भी स्वतंत्र स्रोतों के माध्यम से जांच करना आवश्यक है ।

7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये राज्य निगम : बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये बने राज्य निगमों के माध्यम से ऋण दे सकते हैं बशर्ते कि निगम से लाभ पाने वाले पैरा 3 में दिये गये पात्रता के मापदण्ड और इस योजना में दी गई शर्तें और निबन्धन पूरे करते हों ।

7.1 स्वयं निगमों को आय के मापदण्ड से छूट होगी ।

7.2 निगमों द्वारा बनाई गई केवल विशिष्ट और वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम योजनाओं के लिए उन्हें धन उपलब्ध कराया जायगा । निगम आगे कोई सेवा-प्रभार (सर्विस चार्जेज) नहीं जोड़े और लाभ पाने वालों की वार्षिक 4 प्रतिशत व्याज पर ऋण दिया जायगा ।

7.3 लाभ पाने वालों से वसूली की स्थिति कुछ भी क्यों न हो, निगम ऋण की वापसी निर्धारित तारीख को करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।

7.4 यह सुनिश्चित करने की निगमों की जिम्मेदारी होगी कि जिन उत्पादक प्रयोजनों के लिए धन मंजूर किया गया है केवल उन्हीं के लिए उसका उपयोग किया जाय न कि अपना सामान्य संचालन व्यय पूरा करने के लिए उसका उपयोग हो । इस योजना के कार्यान्वियन के लिए किये गये प्रशासनिक और अन्य व्यय की लागत निगमों/राज्य सरकारों द्वारा वहन की जायगी ।

7.5 क्योंकि राज्य निगमों को दिये गये अग्रिम भारतीय ऋण गारण्टी निगम लिमिटेड की गारण्टी के लिए पात्र नहीं होंगे इसलिए राज्य सरकारों को, उधार देने वाले बैंकों को गारंटी देने की व्यवस्था करनी होगी ।

7.6 यदि निगम ऋण की किस्त अदा नहीं कर पाता अथवा इस योजना में दी गई किसी शर्त और निबन्धन का उल्लंघन करता है तो उसे और वित्त पाने का अपना अधिकार खोना पड़ सकता है ।

एयरबस विमान का सौदा

958. **श्री गौरी शंकर राय :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एजेन्टों का ब्यौरा क्या है जिनकी मारफत एयरबस विमान के सौदे को अन्तिम रूत दिया गया था ;

(ख) क्या वे एजेन्ट पूर्णतया अथवा अंशतः भारतीय फर्म थीं;

(ग) एयरबस विमान की खरीद के लिए मूलतः प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था; और

(घ) सौदे को अन्तिम रूप कब दिया गया था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). तीन एयरबस ए-300 बी-2 विमानों की खरीद के कार्य को इंडियन एयरलाइंस द्वारा इनके निर्माता अर्थात् एयरबस इंडस्ट्रीज के साथ सीधे बात-चीत करके अंतिम रूप दिया गया था, किन्हीं एजेंटों के माध्यम से नहीं ।

(ग) और (घ) एयरबस ए-300 बी 2 विमान की बिक्री का प्रस्ताव पहले पहले इंडियन एयरलाइंस को जनवरी, 1972 में प्राप्त हुआ था। खरीद संबंधी करार पर हस्ताक्षर 31 दिसम्बर, 1974 को इस शर्त पर किये गये कि इंडियन एयरलाइंस वायु निगम अधिनियम, 1953 के अंतर्गत भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लेगी तथा प्रायोजना की विदेशी मुद्रा की लागत की पूर्ति करने के लिये भारत सरकार को स्वीकार्य वित्तीय व्यवस्थाएं भी कर लेगी। इंडियन एयरलाइंस ने सरकार से यथावश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लेने पर 29 अप्रैल, 1975 को तीन विमानों की ख़रीद के आदेश की पुष्टि कर दी।

एयरबस विमान की खरीद के लिये सम्भाव्यता अध्ययन

959. **श्री गौरी शंकर राय : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरबस 300 विमान की खरीद को अन्तिम रूप देने से पूर्व कोई सम्भाव्यता अध्ययन किया गया था ;

(ख) क्या इसकी सम्भाव्यता तथा उपयुक्ता का निर्धारण तथा मूल्यांकन करने के लिये इण्डियन एयरलाइन्स अथवा उनके मन्त्रालय द्वारा कोई विषेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी ;

(ग) उक्त सम्भाव्यता अध्यन दल के सदयस्य कौन-कौन थे; और

(घ) अध्ययन दल की राय क्या थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग) और (घ) : यद्यपि विशिष्ट रूप से कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त नहीं की गयी थी, तथापि इंडियन एयरलाइंस के आयोजना, इंजीनियरी, परिचालन, वाणिज्य तथा वित्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने उन्हें पेश किए गए अन्य विशालकाय विमानों के साथ-साथ एयरबस ए-300 बी-2 विमान की व्यवहार्यता एवं उपयुक्तता की जांच तथा मूल्यांकन किया था। उस दल ने कारपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक और उपप्रबंध निदेशकों की देख रेख का कार्य किया। वरिष्ठ अधिकारियों के दल द्वारा किए गए मूल्यांकन एवं जांच के आधार पर ही इण्डियन एयरलाइंस ने तीन एयरबस ए-300 बी-2 विमान खरीदने की सिफारिश की थी।

एयरबस विमान की शर्तें तथा मूल्य

960. **श्री गौरी शंकर राय : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स को मूलतः किन शर्तों तथा मूल्य पर एयरबस विमान की पेशकश की गयी थी ;

(ख) प्रत्येक विमान को अन्त में किन शर्तों तथा मूल्य पर खरीदा गया ;

(ग) क्या किसी स्तर पर विधि मंत्रालय अथवा/और योजना आयोग से परामर्श किया गया था; और

(घ) उनमें से प्रत्येक की राय क्या थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) एयरबस इंडस्ट्री द्वारा जनवरी 1972 में इंडियन एयरलाइन्स को एयरबस ए-300 बी 2 विमानों के आधार भूत मूल्य (Base Price) के बारे में दिया गया मूल प्रस्ताव 152317 लाख अमरीकी डालर था।

(ख) जनवरी, 1974 में प्रत्येक एयरबस ए-300-बी-2 का आधारभूत मूल्य (Base Price) 193.03 लाख अमरीकी डालर नियत किया गया था। इसको यूरोप यू० एस० ए० में प्रचलित आर्थिक स्थिति विषयक सूचकांकों (Indices of ecomony) पर आधारित एक स्वीकृत फारमूले के अनुसार बढ़ाया जाना था। तथापि करार में यह व्यवस्था की गई थी कि विमान की 1976 में डिलिवरी के समय प्रति विमान मूल्य 244 लाख अमरीकी डालर से अधिक नहीं होगा। परन्तु वस्तुस्थिति यह थी कि तीनों विमानों का औसत मूल्य प्रति विमान 236.8 लाख अमरीकी डालर पड़ा।

(ग) और (घ) : इंडियन एयर लाइंस द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव भारत सरकार ने निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार, जिसमें संबन्धित मन्त्रालय आदि से विचार-विमर्श करना भी सम्मिलित था, अनुमोदन कर दिया था।

रुई एकाधिकार वसूली योजना के लिये केन्द्रीय सहायता

961. **श्री वसन्त साठे :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उनके मंत्रालय से रुई एकाधिकार वसूली योजना के लिए केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता का अनुरोध किया गया और राज्य सरकार ने क्या-क्या समस्याएं बताई हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकर की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार और रिजर्व बैंक से 1977-78 में कपास की एकाधिकार खरीद कीयोजना के अधीन कुल 85 करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

(ख) राज्य सरकार चाहती है कि रिजर्व बैंक या तो प्रत्यक्षत: अथवा राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दे। शेष 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के अपने स्रोतों से हो जायेगी।

(ग) सारा मामला विचाराधीन है और यद्यपि इस विषय में औपचारिक निर्णय किया जाना शेष है, महाराष्ट्र सरकार को सूचित कर दिया गया है कि भारत सरकार एक राज्य द्वारा एकाधिकार खरीद को पसंद नहीं करती। यद्यपि सरकार यह मानती है कि सहकारी समितियां कृषि उत्पादनों के विक्रय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं तथापि वह इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि महाराष्ट्र में एकाधिकार वसूली योजना जिस प्रकार चलाई गई है उससे कपास के उत्पादकों, विशेषत: छोटे उत्पादकों को हानि हुई है और उससे उस राज्य में कपास के उत्पादन में कमी हुई है।

AIR SERVICE TO PERSIAN GULF COUNTRIES

962. SHRI UGGRASEN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the number of air travellers bound for Persian Gulf countries from India has been increasing continuously and because of inadequate air service these travellers are facing difficulty and if so, the existing arrangement in this regard; and

(b) the steps being taken to improve the situation ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b) The traffic between India and the Gulf countries has increased considerably and Air India have been constantly augmenting their services to various countries in the Gulf to cater to the increased air traffic. As compared to seven frequencies operated with Boeing 707 aircraft by Air India during April 1975 on the India/Gulf Route, Air India are presently operating 24 frequencies (including 3 services through Kuwait to U.S.A.) per week to various points in the Gulf, out of which five frequencies are operated with Boeing 747 aircraft and rest with Boeing 707 aircraft.

In addition to the above mentioned scheduled flights, Air India have also operated several extra services on an *ad hoc* basis to various points in the Gulf.

2. Foreign carriers like Gulf Air, Saudi Arabian Airlines, Kuwait Airways etc. have also provided additional capacity on the India/Gulf routes by increasing their frequencies and/or introducing wide bodied aircraft.

बैंकिंग सेवा आयोग

963. **श्री रेणुका देवी बड़कटकी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग सेवा आयोग का गठन कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन से हैं, और

(ग) क्या आयोग ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) 21 फरवरी, 1977 को बैंकिंग सेवा आयोग का गठन किया गया था। बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम, की धारा 4(1) के अनुसार इस आयोग में एक अध्यक्ष और 8 से अनधिक सदस्य होंगे। अब तक केवल आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। अभी आयोग ने बैंकों के लिए कर्मचारियों की भरती करना आरम्भ नहीं किया है।

फ्रन्टियर टी कम्पनी

964. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में ब्रिटिश स्वामित्व वाली फ्रन्टियर टी कम्पनी ने भारत में अपने हितों को बेच दिया है; और

(ख) यदि हां तो ऊपरी आसाम में इस कम्पनी के चाय बागान किसने खरीदा है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय फ्रन्टियर टी कम्पनी से है। इस कम्पनी ने भारत में अपने हितों को नहीं बेचा है।

(ख) प्रश्न, नहीं उठता।

खाद्य तेल का आयात

965. **श्री प्रदयुम्न बाल** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कमी से उत्पन्न आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिए खाद्य तेल का और अधिक आयात करने की कोई योजना बनाई है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : जी हां।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय काटन निगम के गोदामों में आग लगने सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन और वक्तव्य, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, टेक्सटाइल समिति, बम्बई के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखे और कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पत्र

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (क) भारतीय काटन निगम के गोदामों में वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान हुई आग लगने की घटनाओं के कारणों की जांच सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति :

(ख) उपर्युक्त समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु की गयी कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी०-367/77]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कपास नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1976 जो दिनांक 31 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 517 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सूती कपड़ा (नियंत्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, 1976 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 814(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 368/77]

(3) टेक्सटाइल समिति अधिनियम 1963 की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत टेक्सटाइल समिति, बम्बई के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 369/77]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 370/77]।

वायुयान अधिनियम के अधीन सूचनाएं, भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि और एक वक्तव्य

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (पांचवां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 20 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1639 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 371/77]

(2) (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०-372/77]

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद वाणिज्यिक रोजगार,) नियम, सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, सरकारी बचत बैंक अधिनियम और प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम

वित्त और राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं लिम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 6क की उपधारा (11) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद वाणिज्यिक रोजगार) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 754 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 373/77]

(2) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति——

(एक) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (पांचवां निर्गम) (चौथा संशोधन), नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1742 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाकघर बचत प्रमाण-पत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1743 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (चौथा निर्गम) (पांचवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1744 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (पांचवां निर्गम) (पांचवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 1 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 9 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (चौथा निर्गम) (संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 2 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 445 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (पांचवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 2 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 446 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 374/77]

(3) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1973 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाकघर बचत बैंक (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 143 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 375/77]

(4) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) प्रथम बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4705 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4706 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4707 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) जयपुर नागौर आन्चलिक ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4708 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) गौड़ ग्रामीण बैंक (बोर्ड कीं बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4709 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4710 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4711 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हौशंगाबाद (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर. 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4712 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4713 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) पुरी ग्राम्य बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4714 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) जम्मू ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4715 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4716 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) बाराबंकी ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4717 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) गुड़गांव ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4718 में प्रकाशित हुए थे ।

(पन्द्रह) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4719 में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4720 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्रह) मल्लाभूम ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4721 में प्रकाशित हुए थे ।

(अट्ठारह) बोलनगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4722 में प्रकाशित हुए थे ।

(उन्नीस) नागार्जुन ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1976 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4723 में प्रकाशित हुए थे ।

(बीस) प्रोगियोतिश गांवलिया बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 913 में प्रकाशित हुए थे ।

(इक्कीस) रायलसीमा ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 914 में प्रकाशित हुए थे ।

(बाईस) मालाप्रभा ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 915 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेईस) मयूरक्शी ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 916 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौबीस) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 917 में प्रकाशित हुए थे ।

(पच्चीस) मारवाड़ ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 918 में प्रकाशित हुए थे ।

(छब्बीस) भागीरथ ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च 1977 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 919 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्ताईस) श्री विसाख ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 920 में प्रकाशित हुए थे ।

(अट्ठाईस) कावेरी ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 921 में प्रकाशित हुए थे ।

(उन्नतीस) शेखावती ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 922 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीस) कटक ग्राम्य बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 923 में प्रकाशित हुए थे ।

(इकत्तीस) बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 924 में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) मगध ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 925 में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतीस) कोरापुर--पंचवटी ग्राम्य बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 926 में प्रकाशित हुए थे।

(चौंतीस) दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 927 में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतीस) उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 928 में प्रकाशित हुए थे।

(छत्तीस) रेवा-सिधी ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 929 में प्रकाशित हुए थे।

(सैंतीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 930 में प्रकाशित हुए थे।

(अड़तीस) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 931 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्तालीस) हिमाचल ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 932 में प्रकाशित हुए थे।

(चालीस) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 26 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 933 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 376/77)

भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत संशोधी अधिसूचना, नागालैंड और विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाए और तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त, राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 62 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सहायक बैंक (कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति) (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी) की एक प्रति जो दिनांक 20 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1090 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 377/77]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 309 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 665 (ङ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 378/77]

(3) नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 22 मार्च, 1975 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित नागालैंड विक्रय कर अधिनियम, 1967 की धारा

57 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नागालैंड विक्रय कर (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 अप्रैल, 1977 के नागालैंड राजपत्र में अधिसूचना संख्या फिन०/टैक्स/79/76 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 379/77]

(4) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 31 जनवरी, 1976 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1959 की धारा 53 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:--

(एक) जी० ओ० पी० 258 जो दिनांक 23 मार्च, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) जी० ओ० पी० 259 जो दिनांक 23 मार्च, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर नियम, 1959 में में कतिपय संशोधन किया गया है।

(तीन) जी० ओ० पी० 402 जो दिनांक 30 मार्च, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर नियम, 1959 में कतियम संशोधन किये गये हैं।

(चार) जी० ओ० एम० 606 जो दिनांक 20 अप्रैल, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० ओ० एम० 685 जो दिनांक 4 मई, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छ) जी० ओ० पी० 686 जो दिनांक 4 मई, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सात) जी० ओ० एम० 690 जो दिनांक 4 मई, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) जी० ओ० एम० 717 जो दिनांक 4 मई, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(नौ) जी० ओ० एम० 735 जो दिनांक 4 मई, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दस) जी० ओ० एम० 714 जो दिनांक 11 मई, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्यारह) जी० ओ० एम० 720 दिनांक 11 मई, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(बारह) जी० ओ० एम० 818 जो दिनांक 11 मई, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 380/77]

तमिलनाडु मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, बिहार राज्य के बारे में अध्यादेश और निक्षेप बीमा निगम अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवेदन

वित्त, राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (क) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 31 मार्च, 1976 की उद्‌घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु मनोरंजन कर अधिनियम, 1939 की धारा 16 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) जी० ओ० पी० 750 जो दिनांक 9 जुलाई, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मनोरंजन कर नियम, 1939 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) जी० ओ० एम० 1204 जो दिनांक 8 सितम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मनोरंजन कर नियम, 1939 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 381/77]

(2) बिहार राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 30 अप्रैल, 1977 की उद्‌घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) बिहार उपकर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1977 जो बिहार के राज्यपाल द्वारा 29 अप्रैल, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।

(दो) बिहार सीरा (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1977 जो बिहार के राज्यपाल द्वारा 29 अप्रैल, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।

(तीन) बिहार यात्रियों तथा माल पर कराधान (सार्वजनिक मोटरयानों द्वारा वहन) (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1977 जो बिहार के राज्यपाल द्वारा 29 अप्रैल, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।

(चार) बिहार विक्रय कर दूसरा अध्यादेश, 1977 जो बिहार के राज्यपाल द्वारा 29 अप्रैल, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।

(पांच) भारतीय स्टाम्प (बिहार दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1977 जो बिहार के राज्यपाल द्वारा 29 अप्रैल, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।

(छः) न्यायालय फीस (बिहार दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1977 जो बिहार के राज्यपाल द्वारा 29 अप्रैल, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।

(सात) बिहार स्वास्थ्य उपकर दूसरा अध्यादेश, 1977 जो बिहार के राज्यपाल द्वारा 29 अप्रैल, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।

(आठ) बिहार कृषिक ऋण संचालन तथा प्रकीर्ण उपबंध (बैंक) दूसरा अध्यादेश, 1977 जो बिहार के राज्यपाल द्वारा 29 अप्रैल, 1977 को प्रख्यापित किया गया था। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 382/77]

(3) निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) निक्षेप बीमा निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) निक्षेप बीमा निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी०-383/77]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र, नेशनल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता तथा ओरिन्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लि० नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन

वित्त, राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(ए) *न्यू इण्डिया एसोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1975 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) *जनरल इन्सोरेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया, बम्बई के वर्ष 1975 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(तीन) *नेशनल इन्सोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1974 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(चार) *ओरिन्टल फायर एण्ड जनरल इन्सोरेन्स कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1974 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 384/77]

(2) *नेशनल इन्सोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1974 का वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 385/77]

(3) *ओरिन्टल फायर एण्ड जनरल इन्सोरेस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974 का वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 386/77]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

समाचार पत्रों के प्रबन्धकों द्वारा समाचार पत्रों के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने सम्बन्धी अधिसूचनाओं को क्रियान्वित न किये जाने का कथित समाचार

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : महोदय मैं अविलम्वनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध मे एक वक्तव्य दें :—

"केन्द्रीय सरकार के आदेश के बावजूद समाचार पत्रों के प्रवन्धकों द्वारा देशभर में समाचार पत्रों के कर्मचारियों को अंतरिम राहत न देना, जिसके परिणामस्वरूप समाचार पत्रों के कर्मचारियों द्वारा सारे देश में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दी गई है।"

*वार्षिक प्रतिवेदन 6 अप्रैल, 1977 को सभा पटल पर रख गये थे।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : यह श्रम मंत्री को सम्बोधित होना चाहिये।

श्री समर मुखर्जी : सरकारी तौर पर मुझे यह अभी मिला है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, आपकी अनुमति से श्रम मंत्री ध्यानाकर्षण का उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्रम मंत्री उत्तर देंगे।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैंने इस माननीय सदन के समक्ष पहली अप्रैल, 1977 को एक वक्तव्य दिया था कि श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 की धारा 13 क तथा 13 घ के अधीन श्रमजीवी पत्रकारों व गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों को अंतरिम मजदूरी-दरों के निर्धारण करने सम्बन्धी अधिसूचनाएं तुरन्त जारी की जायेंगी। तदनुसार, दो अधिसूचनाएं—एक श्रमजीवी पत्रकारों तथा दूसरी गैर-पत्रकारों के बारे में उसी दिन, अर्थात् पहली अप्रैल, 1977 को जारी की गई थीं।

2. हमने राज्य सरकारों से प्रार्थना की है कि वे अधिसूचनाओं की क्रियान्विति में हुई प्रगति के बारे में हमें सूचित करें। हमें बहुत सी राज्य सरकारों से अभी तक यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन अखबारों में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं और जो अभ्यावेदन हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे प्रतीत होता है कि कई नियोजकों द्वारा अभी भुगतान किया जाना बाकी है। कुछ नियोजक न्यायालय में भी गये हैं और उन्होंने अबाधित अथवा प्रतिबंधित स्थगन आदेश प्राप्त किये हैं। इन नियोजकों का मुख्य तर्क यह है कि उनकी भुगतान की क्षमता नहीं है।

3. सदन को याद होगा कि समाचार-पत्र कर्मचारियों के मजदूरी-ढांचे में विगत लगभग 10 वर्षों से कोई आम संशोधन नहीं किया गया है। सरकार के निर्देश पर, मजूरी बोर्डों ने अंतरिम सहायता के लिए सिफारिशें कीं और सरकार ने वृद्धियां केवल पहली अप्रैल, 1977 से, और न कि उससे पहले की तारीख से, अधिसूचित की। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि अपने वर्तमान रूप में कानून सरकार को पूर्वापेक्षी प्रभाव से अंतरिम मजदूरी दरें निर्धारित करने को स्पष्ट रूप से अधिकार नहीं देता। इस कारण, सरकार का विश्वास है कि इन अधिसूचनाओं को तात्कालिक प्रभाव से लागू करने में नियोजकों को कोई कठिनाई नहीं होगी और वे मजदूरी बोर्डों की अंतिम सिफारिशों तथा उन पर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे।

4. समाचार-पत्र कर्मचारियों के फेडरेशनों ने उन प्रतिष्ठानों में, जिन्होंने अंतरिम सहायता का भुगतान नहीं किया है, इन अधिसूचनाओं को कार्यान्वित किए जाने संबंधी अपनी मांग के समर्थन में 16 जून, 1977 को सांकेतिक हड़ताल और 17 जून, 1977 से अनिश्चित कालीन हड़ताल करने का आह्वान किया है।

5. सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि इन अधिसूचनाओं को तेजी से लागू किया जाए। सरकार इस बात के लिए भी उत्सुक है कि सांकेतिक हड़ताल के बाद कर्मचारी अनिश्चित कालीन हड़ताल पर न जाएं। इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी, इंडियन लैंगुएजिज, न्यूजपेपर एसोसिएशन, आल इंडिया न्यूजपेपर इम्प्लाईज फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स तथा नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स के प्रतिनिधियों से इन अधिसूचनाओं के कार्यान्वित न किए जाने संबंधी मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए मैं 22 जून, 1977 को एक बैठक बुला रहा हूं। मैंने समाचार-पत्र कर्मचारियों से अपील की है कि वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर न जायें, ताकि प्रस्तावित विचार-विमर्श सौहार्दपूर्ण तथा रचनात्मक वातावरण में हो सके।

श्री समर मुखर्जी : महोदय, आज देश भर में कोई समाचार पत्र नहीं छपा है। कल सारे देश में हड़ताल थी जिससे पता चला है कि अंतरिम राहत के मामले को लेकर कर्मचारियों में कितना रोष है।

यह एक गम्भीर मामला है। सरकार को पहले ही इस मामले पर विचार करना चाहिये था। 22 जून को बैठक बुलाना न्यायोचित नहीं। पहले ही बातचीत हो सकती थी। जनता सरकार को चाहिये कि मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करे। पिछले 10 वर्षों से पत्रकारों के वेतन ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये। आप वक्तव्य देना शुरु न करें।

श्री समर मुखर्जी : सारी पृष्ठभूमि यह है कि मालिक न्यायालय में चले गये हैं। मजदूरी बोर्ड ने मालिकों को प्रश्नावली भर कर भेजने के लिए कहा था। लेकिन उन्होंने नहीं भेजी। कर्मचारी 12 मई को प्रधान मंत्री से मिलने गये थे। लेकिन उन्होंने उन्हें न्यायालय में जाने के लिए कह दिया। कर्मचारियों को उनसे ऐसी आशा न थी। सरकार को मालिकों पर दबाव डालना चाहिये। विज्ञापन देने बंद करके या कागज का कोटा कम करके तथा और भी अन्य तरीकों से सरकार मालिकों पर दबाव डाल सकती है कि वह अपने कर्मचारियों को अंतरिम राहत की राशि दे। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि कानून के अनुसार अंतरिम दर तथा मजूरी पिछली तारीख से निश्चित नहीं की जा सकती। कानून का सहारा लेना उचित नहीं है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इन्होंने कहा है कि स्थिति बहुत गम्भीर है। जिससे हम भी सहमत हैं। हम भी हड़ताल नहीं चाहते। कल आंशिक हड़ताल थी। मुझे आशा है कि यह हड़ताल अनिश्चित काल के लिये नहीं होगी। इन्होंने कहा कि सरकार ने देर से कार्यवाही की है। सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसे तथा निर्णय को लागू करने के लिए प्रबंधकों को उचित समय चाहिये। मैं इस बात को नहीं मानता कि सरकार की ओर से विलम्ब हुआ है।

सरकार ने इस सम्बन्ध में सदन में जो घोषणा की है उसका सभी वर्गों ने स्वागत किया है।

प्रधान मंत्री ने 12 तारीख को कहा था कि पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में जा सकते हैं। प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है वह सम्बन्धित व्यक्तियों से सहानुभूति भाव से ही कहा है।

कानून के अनुसार सरकार पिछली तिथि से अंतरिम राहत नहीं दे सकती। यह एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार विचार तथा छानबीन कर सकती है। वक्तव्य में भी यही कुछ कहा गया था।

हम इस बात के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं कि प्रबंधक तथा मालिक अधिसूचना को कार्यान्वित करें। बहुत ही कम मालिक ऐसा कर पाये हैं जिनमें से कुछ ने अधिसूचना पर विचार करने के लिए 22 जून को बैठक बुलायी है।

SHRIMATI MRINAL GORE (Bombay-North) : Which of the states have not so far furnished the information. How many or the newspapers have not so far implemented it? Some of the newspapers say that they cannot implement it due to financial difficulties. How is it that small newspapers like 'Mrathwada' can implement it whereas big newspapers are unable to implement it? In fact they want to avoid it. It is the duty or the Government to do justice to the employees. The Government should hasten to implement it.

You should have convened the meeting before the strike for which you received notice. You have to change your old attitude. Government can take strict action even at this late stage.

श्री रवीन्द्र वर्मा : अधिकांश राज्यों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यह बात ठीक है कि कुछ छोटे-छोटे समाचार पत्रों ने निर्णय को लागू किया है जबकि बड़े-बड़े समाचार पत्र इसे अभी तक लागू नहीं कर सके। कुछ बड़े-बड़े समाचार पत्रों ने भी इसे लागू किया है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि कर्मचारियों के साथ न्याय होना चाहिये। सरकार की यही नीति रही है और भविष्य के लिए भी बनी रहेगी। सरकार हमेशा हड़ताल को टालने की कोशिश करती आई है। यह कहना गलत है कि सरकार हड़ताल का नोटिस आने पर ही कार्यवाही करती है। सरकार हमेशा कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखती रहेगी।

SHRI GANGADHAR APPA BURANDE (Bhir) : The employers are just avoiding to implement the decision by saying that it is beyond their paying capacity. It is nothing but defaming the Janta Government for persuing its progressive labour policies.

श्री रवीन्द्र वर्मा : यदि हड़ताल से पहले बैठक करना सम्भव होता तो हम अवश्य बैठक करते।

DR. BAPU KALDATE (Aurangabad) : Issue of revising the pay structure is pending for the last ten years and it is natural if employees feel somewhat agitated. The Government should persuade the employees not to resort to indefinite strike. The Government should act firmly and look to the interests of the workers. The Janta Government will not favour the exploitors and profiteers. I want to know the course of action to be adapted in case this meeting fails.

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं इस बात से सहमत हूं कि इनके वेतन ढांचे का पुनरीक्षण पिछले दस सालों से न हो सका। सत्ता ग्रहण करने के एक सप्ताह के भीतर ही हमने अधिसूचना जारी कर दी थी। इससे सिद्ध होता है कि हम इस समस्या से चिंतित थे। मैंने कर्मचारियों से अपील कर दी है और मुझे आशा है कि अब लगातार अनीश्चित हड़ताल नहीं होगी। मैं इसे टालने के लिये यथासम्भव प्रयास करूंगा हमें वार्ता कुछ आशाओं के साथ करनी चाहिये। मुझे आशा है कि वार्ता सफल होगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि हड़ताल का नोटिस आने के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की? इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर आना चाहिये। पिछली तारीख से लाभ देने के बारे में मंत्री महोदय ने आश्चर्य-जनक बातें कहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सिफारिश को 1 जून 1975 से लागू किया जाना था लेकिन अब अप्रैल, 1977 से किया जा रहा है। इसका कारण क्या है? कर्मचारियों को अंतरिम मजूरी की राशि एक या दो सप्ताह तक क्यों नहीं दी गयी (**व्यवधान**)।

श्री रवीन्द्र वर्मा : सरकार ने हड़ताल के बारे में कोई नोटिस प्राप्त नहीं किया है। नोटिस मालिकों को दिया गया होगा (**व्यवधान**)। हम अधिसूचना को कार्यान्वित करना चाहते थे। सरकार ने अपना निर्णय दे दिया है जिसके बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है। अधिसूचना पर वार्ता करने से अनेक समस्याएं पैदा हो जायेंगी।

परिशोधित अधिसूचना का जहां तक सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को इस बारे में भ्रांति है। 20 महीने तक अंतरिम मजूरी को न दिये जाने के लिये यह सरकार उत्तरदायि नहीं है। जब हम सत्ता में आये हैं तो हमने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे हम लागू करेंगे।

प्रधान मंत्री द्वारा लंदन में राष्ट्र मंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन में भाग लेने के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT BY PRIME MINISTER ON HIS PARTICIPATION IN COMMONWEALTH PRIME MINISTERS' CONFERENCE IN LONDON

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जैसा कि सदन को मालूम है, राष्ट्रमण्डलीय राज्याध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के बाद, आज सुबह में यहां वापस आया हूं। इस यात्रा के दौरान, ईरान के शाहंशाह के निमंत्रण पर कुछ घंटे मैं तेहरान रुका, और फ्रांस के राष्ट्रपति के अतिथि के रूप में एक दिन के लिए पेरिस भी रुका। दोनों हमारे पुराने और सम्मानित मित्र हैं जिनके साथ मैत्री और मजबूत करके मुझे खुशी हुई। इनके साथ अपनी बातचीत में हम ने केवल अपने सामान्य हितों के मामलों में आपसी सहयोग बढ़ाने में समर्थ हुए और विश्व की समस्याओं खास तौर से ऊर्जा के संबंध में हमने अपने दृष्टिकोण में काफी समानता पाई।

हमारी सरकार द्वारा कार्यभार सम्भालने के बाद यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। यह संतोष की बात है कि लोकतांत्रिक चुनाव तथा व्यवस्थित सत्ता परिवर्तन से भारत की इज्जत न केवल फिर से लौटी है, बल्कि इस अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में यह इज्जत बढ़ी है। शाहंशाह, ब्रिटिश सरकार तथा फ्रांस के नेताओं के साथ ही नहीं, बल्कि राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य राज्याध्यक्षों, समाचार माध्यम तथा जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ अपनी बातचीत में लोकतंत्रात्मक प्रणाली के प्रति वचनबद्धता तथा निष्ठा में भारतीय जनता की परिपक्वता की सराहना हुई है। विभिन्न मौकों पर जब मुझ से प्रश्न पूछे गये तो मैंने बताया कि प्रजातंत्र की जड़ भारत की प्राचीन सम्भयता में जैमी है। विदेशी शासन तथा इमरजेंसी जैसी पथभ्रष्टता हमारे मूल्यों तथा राष्ट्रीय स्वभाव के विपरीत है। हाल के चुनावों से यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता में निर्भय होकर निर्णय करने तथा

अपने शासकों को चुनने का जन्मजात नैतिक साहस है। निजी और सार्वजनिक तौर पर सभी संबंधित व्यक्तियों को विश्वास दिला चुका हूं कि भारत की नई सरकार, जिसमें भारतीय जनता ने आस्था व्यक्त की है, लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति पूर्ण रूप से वचनबद्ध है; और यह इस बात का सुनिश्चित करेगी कि हमारे संविधानिक सिद्धांतों को फिर कभी विकृत न किया जा सके। मुझ से कहा गया कि भारतीय जनता का असाधारण साहस और दूरदर्शिता एक गुण था और सम्पूर्ण विश्व के समान विचार रखने वाले लोगों के लिए एक प्रोत्साहन था। इसलिए जो भी सफलता, आदर-सत्कार तथा सम्मान मुझे मिला वह हमारी जनता की प्रशस्ति है जिन्होंने दुनिया के सामने अपने फसले से लोकतंत्रात्मक मूल्यों में अपनी आस्था, निरंकुशता के प्रति अपनी असहमति तथा एक ऐसी सरकार चुनने के विवेक का प्रदर्शन किया जिसमें उनका विश्वास हो कि वह सेवा कर सकती है।

राष्ट्रमण्डलीय राज्याध्यक्ष सम्मेलन आठ साल बाद लंदन में हुआ। मैं यही कहना चाहुंगा कि यह राष्ट्रमण्डल स्वतंत्र राज्यों की एक संस्था है जो अपनी आन्तरिक और विदेशी नीतियों में पूरा स्वतंत्र हैं। इनमें कुछ ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा रखते हैं कुछ दूसरे हैं जिन के यहां उनकी अपनी राजतंत्रिय प्रणाली है और कुछ हमारे जैसे भी हैं जहां पूर्णरूप से गणतंत्रात्मक संविधान है, लेकिन अपने देश के हितों के अनुरूप अपने विचार व्यक्त करने के लिए वे स्वतंत्र हैं और सामान्य हितों की समस्याओं के प्रति सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए प्रेरित हैं।

यह राष्ट्रमण्डल, जैसा कि सदन को मालूम है, वहुजातीय तथा बहुमहाद्वीपीय राष्ट्र समुदाय है जिसमें मानव-जाति का एक चौथाई भाग है। इसमें कुछ अमीर तथा मजबूत हैं और कुछ छोटे तथा कमजोर हैं। लेकिन सभी हितों की समानता तथा अन्योन्याश्रय के तर्क को मानते हैं। जहां तक जनसंख्या का सवाल है, भारत इसके कुल निवासियों के आधे से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह राष्ट्र मण्डल को न तो बनावट है न यह विस्तृत कार्याविधियों से नियमित है। यह सम्पूर्ण राष्ट्र समुदाय की विभिन्नता का दर्पण है। इसकी विशेषता है अनौपचारिकता तथा सहयोग की परम्परा, जो कि शायद अद्वितीय है। यह राष्ट्रमण्डल, जैसा कि अब इसका गठन हुआ है, एक ऐसे प्रकार का संतुलन प्रदान करता है जिसे हम दुनिया में देखना चाहते हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो आगे सम्पूर्ण विश्व के राष्ट्रमण्डल के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकता है।

यह सम्मेलन मेरे पुराने दोस्त तथा यू० के० के प्रधान मंत्री श्री जेम्ज कैल्हन की अध्यक्षता में हुआ। वे एक प्रशंसनीय अध्यक्ष साबित हुए, जिनके मिलनसार तथा हंसमुख स्वभाव और विभिन्न प्रश्नों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण से एक सामान्य दृष्टिकोण अपनाने में योगदान मिला, जो सम्मेलन के निर्णयों में अन्तर्निहित है। उनमें और विभिन्न देशों के राज्याध्यक्षों और नेताओं में मैंने यह एक प्रबल इच्छा देखी कि एक रचनात्मक रवैया अपनाया जाए और एक दूसरे से दूर जाने की बजाय नजदीक आया जाए। इस सम्मेलन में जिन समस्याओं पर विचार विमर्श हुए वे मानवीय अधिकार, दक्षिण अफ्रीका, हिन्द महासागर, उत्तर दक्षिण आर्थिक संबंध, विकासशील देशों की समस्याओं जैसे नाजूक विषय थे, जिन पर मतभेद होना स्वाभाविक था। लेकिन सम्मेलन के अन्त में जो विज्ञप्ति जारी की गई उससे पता चलेगा कि सभी, अपने राष्ट्रीय विचारों का परित्याग किये बिना एक सर्व-सम्मति पर पहुंचने के इच्छुक हैं।

हमने सभी विषयों पर, खास तौर से विश्व की आर्थिक समस्याओं, दक्षिण अफ्रीका तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा जैसे विषयों पर विचार विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया। सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में, हमने विकास-शील देशों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों के अनुकूल तकनीक अपनाने के औचित्य और महत्व पर प्रकाश डाला। हमने इस बात पर जोर दिया कि मशीन मनुष्य की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है, न कि मनुष्य उसका गुलाम बन जाए। हमने बतलाया कि विकास प्रयास और आर्थिक प्रगति छोटे और निर्धन पर ध्यान दे और बड़े और भव्य के प्रलोभन में न आये। खाद्य उत्पादन, भण्डारन, वितरण तथा ग्रामीण विकास के संघठित कार्यक्रम तथा औद्योगीकरण हमारे बयानों में जोरदार ढंग से प्रस्तुत किये गये हैं।

परसों लंदन में जो विज्ञप्ति जारी की गई, जिस पर माननीय सदस्यों का पहले ही ध्यान गया होगा, वह विषयों के क्षेत्र तथा विचार विमर्श की गहराई, तथा सम्मेलन की व्यापक सर्वसम्मति प्रतिविम्बित करती है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, मिडल ईस्ट, हिन्द महासागर, साइप्रस, और अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच बढ़ती खाई जैसी बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं और राष्ट्रमण्डल के भीतर आर्थिक, व्यापारिक तथा कार्यात्मक सहयोग के लिए व्यावहा-रिक सिफारिशें हैं।

कई राष्ट्रमण्डल देश यूगाण्डा के संबंध में मानवीय अधिकारों के प्रश्न पर बहुत चिन्तित थे। 1971 में राष्ट्रमण्डलीय राज्याध्यक्षों द्वारा अपनाए गये "द सिंगापुर डिक्लेरेशन आफ प्रिंसिपुल्स ने सभी राष्ट्रमण्डलीय सरकारों की मौलिक अधिकारों में आस्था और मानवीय मर्यादा तथा समानता के प्रति आदर की पुष्टि की। जैसा कि सदन को यह अच्छी तरह मालूम है कि हम इन सिन्द्धांतों के प्रति वचनबद्ध हैं। हालांकि सम्मेलन में इस विषय पर हुई चर्चा मतभेदों से मुक्त नहीं थी, लेकिन अन्ततोगत्वा राष्ट्रमण्डल परम्पराओं के अनुरूप मोटे तौर पर एक हल निकाला गया जो सबको स्वीकार्य था।

यहां पर राष्ट्रमण्डल सचिवालय के कार्य की सराहना करना उपयुक्त होगा ऐसा मेरा ख्याल है। अभी यह श्री रामफल के योग्य नेतृत्व में है, जो पहले गुयाना के विदेश मंत्री थे। राष्ट्रमण्डलीय देशों में विभिन्न व्यावसायिक तथा संस्थागत सम्पर्क बनाये रखने तथा अन्त: राष्ट्रमण्डल सहयोग के प्रसार में नवीन भूमिका निभाने जैसे कई कार्यों के अतिरिक्त यह सचिवालय राष्ट्रमण्डलीय देशों में आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में प्रशंसनीय पहल की है। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, इस प्रकार का सहयोग बढ़ाने के राष्ट्रमण्डल सचिवालय के प्रयासों के, अपेक्षांकृत कम खर्च में, लाभदायक परिणाम निकले हैं। हम भारत के लोग इस सहकारी कार्यक्रम में योगदान देकर ही खुश नहीं हैं, बल्कि इससे हमें भी लाभ मिला है, खास तौर से अपने व्यापार बढ़ाने में मिला है।

इस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के अतिरिक्त इसका महत्व यह था कि इसने राष्ट्रमण्डलीय सरकारों के कई लब्धप्रतिष्ठ नेताओं के साथ अनौपचारिक तथा द्विपक्षीय सम्पर्क के लिए अवसर प्रदान किये। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री कैल्हन के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने के अतिरिक्त अपने क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय समस्याओं के संबंध में बंगलादेश के राष्ट्रपति के साथ महत्वपूर्ण विचार-विमर्श हुए। राष्ट्रपति ज़िया और में इस बात से सहमत हुए कि वह हमारे राष्ट्रीय तथा सामान्य हित में है कि हमारे संबंध अच्छे पड़ोसी जैसे हों। कनाडा के प्रधान मंत्री के साथ हमने उन समस्याओं की समीक्षा की जो हमारे सद्भावपूर्ण संबंधों के रास्ते में उत्पन्न हुई और इस बात से सहमत हुए कि अपनी-अपनी राष्ट्रीय नीतियों के चौखटे में ऐसे प्रयास किए जाएं जिनसे नाभिकीय विज्ञान तथा तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में लाभदायक सहयोग और भारत-कनाडा मैत्री फिर से कायम हो। आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री और मैंने यह महसूस किया कि एशिया और प्रशांत महासागर की राष्ट्रमण्डलीय सरकारें अपनी-अपनी भौगोलिक दृष्टि से सामान्य हित के क्षेत्र में लाभदायक संबध स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार एक ओर ज़ाम्बिया के राष्ट्रपति कौंडा, मरिशस के सर सीबूसागर रामगुलाम और अफ्रीकी राष्ट्रों के अन्य नेतागण और दूसरी ओर जमाइका के प्रधान मंत्री और कैरिबीयन नेतागण के साथ अपनी बातचीत के दौरान मैंने यह महसूस किया कि राष्ट्रमण्डलीय देशों ने भारत के साथ अपने संबंधों को संजोये रखा है और अपने सहयोग बढ़ाने की इच्छा प्रगट की है। विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने कई सहयोगियों से मिले और मेरी तरह उनकी भी राय थी कि राष्ट्रमण्डल के हरेक हिस्सेदार भारत की नई सरकार के साथ न केवल संबंध बनाये रखना चाहते हैं बल्कि उन्हें मजबूत करना चाहते हैं। उन्होने कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी बातचीत की जिनका संबंध विभिन्न राष्ट्रमण्डलीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों से है।

इस यात्रा से यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले कई भारतीय प्रतिनिधियों तथा विश्व समाचार माध्यमों के लोगों से मिलने का मौका मुझे मिला। सभी जगह भारत के प्रति एक नई दिलचस्पी देखने को मिली। चाहे वह भारतीय समुदाय हो अथवा समाचार माध्यम हो, लोकतंत्रात्मक भारत में एक नई आस्था आई है और उससे एक नई आशा जगी है। 12 जून को लंदन में भारतीय समुदाय की एक विशाल बैठक हुई, जिसमें अपनी जनता की ओर से मैंने उनकी अपनी जन्मभूमि के प्रति निष्ठा का स्नेहयुक्त उत्तर दिया। साथ ही, मैंने उनसे कहा कि कि वे इस प्राचीन भूमि की परम्पराओं के योग्य बने और अपने वर्तमान अधिवासी देश के लोगों के साथ सामाजिक व्यवस्था की दिशा में प्रयास करते हुए उनका हृदय जीतें।

महोदय, इस यात्रा से मुझे स्पष्ट हो गया है कि लगभग प्रत्येक देश ने हमारे देश के साथ सिर्फ दोस्ती नहीं चाही, बल्कि हमारी राजनीतिक विजय और आर्थिक उपलब्धियों से खुश हुये ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा कोई राष्ट्रमण्डलीय देश नहीं था जो हमारी नितियों को समझने के बाद, जिनके प्रति हमारी वर्तमान सरकार वचनबद्ध है, दुर्भावना रखे या हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों को अनुचित आलोचना करे। यह मान लिया गया है कि हमने जिस सच्ची गुट निरपेक्ष नीति का प्रतिपादन और अनुसरण किया है वह हमारे हितों की ही रक्षा नहीं करती,

बल्कि भारत को अपने संबंधों तथा स्थायी विश्व व्यावस्था के विचार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनाती है। लेकिन हम अच्छी तरह यह जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मचों पर हम जो भूमिक अदा कर सकते हैं वह हमारी घरेलू ताकत तथा आर्थिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्वावलाम्बन पर निर्भर करती है।

जैसा कि पहले कहा है, मैं तेहरान में ईरान के शाहंशाह से मिला। उनके साथ बातचीत के दौरान मुझे और हमारे विदेशी मंत्री को प्रधान मंत्री हुवेदा और विदेश मंत्री खालतबारी से मिलकर खुशी हुई। हमारे विचार-विमर्श का क्षेत्र व्यापक था और इससे ईरान की सद्भावना और हमारे सहयोग की स्थायी शक्ति का परिचय मिला। हम इस बात पर भी सहमत हुये कि हम दोनों इस क्षेत्र के स्थायित्व और प्रगति में समान दिलचस्पी रखते हैं।

इसी प्रकार फ्रांस के राष्ट्रपति के अनुरोध पर पैरिस रुकने से सामान्य हित के कई मामलों पर विचार--विमर्श करने का मौका मिला। राष्ट्रपति गिस्कार्ड डी एस्टेंग तथा प्रधान मंत्री बार्रे के साथ मेरी बातचीत अत्यंत मैत्रीपूर्ण रही और फ्रांस के साथ हमारे निकट और लाभदायक संबंधों की आशा और बढ़ी।

अणु अस्त्रों के प्रचुर मात्रा में न बनाये जाने के संदर्भ में नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग में सम्बद्ध प्रश्न मेरे साथ कई बार बातचीत में उठाये गये। मुझे अपनी स्थिति दोबारा समझाने का मौका मिला, जो कई बार इस देश में और बाहर भी स्पष्ट की जा चुकी है कि हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही नाभिकीय उर्जा के विकास में दिलचस्पी रखते हैं।

महोदय, इस राष्ट्र समुदाय के साथ लाभदायक संबंध बढाने का पहले से ज्यादा अब अवसर है। पिछले तीन महीनों में जब से हमने कार्यभार संभाला, गुट निरपेक्ष के रचनात्मक दबाव के चौखटे में हमने अपने पुराने दोस्तों को विश्वास दिलाया है कि निकट और सुदूर भविष्य में उनके साथ हमारा संबंध बेहतर होता जायेगा। हम दावा कर सकते हैं कि हमारे पड़ोसियों की हमारी दोस्ती में ज्यादा आस्था है और इस सम्पूर्ण उप महाद्वीप में तनाव कम है और अब ये ज्यादा सहयोग देने के इच्छुक हैं। राष्ट्रमण्डल सम्मेलन तथा इस विदेश यात्रा से विश्व के सभी हिस्सों के नेताओं का यह स्पष्ट करने का मौका मुझे मिला कि यह भारत सरकार जिसे भारतीय जनता का विश्वास प्राप्त हुआ है और एक बार फिर गांधी जी की दृष्टि और आदर्श से प्रेरणा मिली है, एक ऐसा शांतिपूर्ण विश्व बनाने में पीछे नहीं रहेगा जो अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय की दिशा में प्रयत्नशील रहे।

कुल मिलाकर, तीस राष्ट्रमण्डलीय देशों से ज्यादा राज्याध्यक्षों, ईरान के शाहंशाह तथा फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से मिलने से इस अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की इज्ज़त बढ़ी है और इस देश के प्रति अब ज्यादा सद्भावना है।

लोक सभा के महासचिव श्री श्यामलाल शकधर के पद से मुक्त होने और श्री अवतार सिंह रिखी की लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्ति के बारे में घोषणा

Announcement RE: Relinquishing of office by Shri S. L. Shakdhar, Secretary General of Lok Sabha and Appointment of Shri Autar Singh Rikhy as Secretary, Lok Sabha.

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि लोक सभा के महासचिव श्री श्यामलाल शकधर मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होने पर कल अपना पद त्याग रहे हैं। ये 13 वर्षों से लोक सभा के महासचिव रहे हैं। इस सभा की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये संसदीय प्रक्रिया बनाने हेतु इनका योगदान सराहनीय रहा है। प्रक्रिया के सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्य चाहे वे किसी भी दल के हों, इनका परामर्श लेते रहे हैं।

श्री शकधर को विश्व के संसदीय क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त है। वे अनेक संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के सदस्य रहे हैं। य अर्न्तसंसदीय संघ, राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ जैसी संसदीय संस्थाओं से सम्बद्ध हैं; 1973 में ये संसद महासचिव संघ के अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गये जोकि विश्व की संसदों के महासचिवों के बीच इनकी लोकप्रियता का प्रतीक है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री शकधर की नियुक्ति उनकी सेवा का प्रमाण है। हमें इनका अभाव खटकेगा। इस सभा के लिये इनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मैं इन्हें सभा का अवैतनिक अधिकारी नियुक्त करता हूं।

श्री मोरारजी देसाई : क्या मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री शकधर के इस कार्यालय से जाने और इसके बराबर ही महत्वपूर्ण मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद ग्रहण करने के अवसर पर सदन के प्रति उनकी सेवाओं की प्रशंसा करने में सहयोग दे सकता हूं ? मैं 27 वर्ष की उनकी इस सभा की सेवा में से 20 वर्ष तक उनका मूक और सक्रिय दर्शक रहा हूं। मैंने श्री शकधर को सदैव लोकतांत्रिक ढंग से काम करते पाया तथा उन्होंने सामान्यत: समूचे सदन को संतुष्ट किया। यह कोई कम योग्यता नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने नये पद पर भी वे इसी योग्यता वरन् इससे भी बढ़कर काम करेंगे। मैं उनके नये काम में उनकी सफलता की कामना करता हूं।

श्री यशवन्त राव चह्वाण (सतारा) : श्री शकधर द्वारा लम्बे समय तक लोक सभा के महासचिव पद पर काम करने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय तथा प्रधानमंत्रीजी द्वारा प्रकट किए गये विचारों से सहमत हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। श्री शकधर विद्वान ही नहीं हैं वरन् विधि सम्बन्धी मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। वे नियमों को लागू करने में बड़ी शांति से काम लेते थे और स्पष्ट साथ ही सदन पर नियंत्रण रखने में वे बड़े कारगर ढंग से अध्यक्ष महोदय की सहायता करते थे।

श्री शकधर अत्यन्त विषय परक रहे तथा सभी सदस्यों को सहायता देते रहे, चाहे वे किसी भी दल के क्यों न हों।

वह सदन में ही नहीं वरन् समितियों के कार्य में भी बड़े सहायक रहे हैं। उनकी राय को हमने समितियों में बड़ा उपयोगी पाया है। दु:ख की बात है श्री शकधर हमें छोड़ रहे हैं। यह संसद के लिये हानि है। परन्तु देश के हित में है कि वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर जा रहे हैं। यह बहुत ही उपयुक्त चुनाव है क्योंकि पहली बार इस पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है जो विधायी कार्य से सम्बद्ध रहा है।

मैं श्री शकधर की सफलता की कामना करता हूं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं श्री शकधर की प्रशंसा में अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता द्वारा प्रकट किये गये विचारों से सहमत हूं। जब भी सदन में तनव तनाव का वातावरण हुआ वह अध्यक्ष की सहायता को आये। कठिनाईपूर्ण परिस्थितियों को हल करना एक बहुत बड़ी योग्यता है। वह संसदीय प्रक्रिया और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने यह योग्यता अपने लम्बे अनुभव के बल पर प्राप्त की है। मैं आशा करता हूं कि अपने नये पद पर वह उसी निष्पक्षता से काम करेंगे जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिये आवश्यक है तथा अपना कार्य अधिक प्रभावशाली ढंग से करेंगे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैं अपने दल की ओर से अब तक व्यक्त किये गये विचारों से सहमत हूं। श्री शकधर सदैव सदन के लिये नये और युवा सदस्यों के लिये बड़े सहायक रहे हैं। उन्होंने संसदीय प्रक्रिया की मुख्य धारा में आने के लिये तथा संसद में बेहतर काम करने और अपने निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये संसद सदस्यों के कर्तव्यों को निभाने के लिये उनकी मदद करते हैं।

वह पीठासीन अधिकारियों के लिये बड़े सहायक रहे हैं। विशेषकर हाल ही के हंगामे वाले वर्षों में। संसदीय प्रक्रिया सम्बन्धी उनकी पुस्तक व्यवस्था का प्रश्न उठाने वालों के लिये एक धर्मग्रन्थ सिद्ध हुई है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : अपने दल की ओर से मैं अत्यन्त कठिन समय में देश के संसदीय लोकतंत्र का विकास करने तथा उसे मजबूत बनाने में श्री शकधर की सेवाओं की प्रशंसा करता हूं। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि श्री शकधर ने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली के अपने ज्ञान के कारण गत 14 वर्षों में देश में लोकतंत्र के कुशल कार्यकरण में बहुत योगदान दिया है। हमें दु:ख होगा कि वह हमें छोड़कर जा रहे हैं परन्तु हमें उनसे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में मिलने का अवसर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि वह अपना काम लोगों की पूर्ण सन्तुष्टि के अनुसार करेंगे और देश में भावी चुनाव निष्पक्ष अधिकारी के रूप में करायेंगे।

मैं कामना करता हूं कि वह अपने नये पद पर भी सफल हों।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : इस सदन के अधिकारी के रूप में मैं श्री शकधर को पिछले 20 वर्षों से जानता हूं और महासचिव के रूप में 14 वर्षों से। इस पद को उन्होंने अत्यधिक योग्यता के साथ निभाया।

श्री शकधर की संसदीय प्रक्रिया सम्बन्धी पुस्तक की तुलना संसदीय प्रक्रिया सम्बन्धी पुस्तक से की जा सकती है तथा देश में संसद के विकास के सम्बन्ध में इतिहास के छात्र के लिये मार्गदर्शन कर सकती है। अब वह नये पद पर जा रहे हैं और आशा है कि वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद को भी उसी खूबी से निभायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री शकधर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होने पर लोक सभा के महासचिव का पद खाली हो गया है। मैं ने श्री रिखी और श्री पटनायक के सेवा रिकार्ड को देखा है। मैंने लोक सभा के सचिव के पद पर स्थानापन्न रुप में कार्य करने के लिए 18-6-77 से श्री अवतार सिंह रिखी को चुना है। महासचिव का पद आगामी आदेशों तक बदल कर सचिव का पद बनाया गया है। महासचिव का पद हाल ही में बनाया गया था अब समारे यहाँ केवल सचिव का पद होगा। हम इस पर बाद मे विचार करेंगे परन्तु श्री रिखी कल से सचिव के पद पर कार्य करेंगे।

अनुदानों की मांगे (रेल), 1977-78

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1977-78

SHRI SUKHDEV PRASAD VERMA (Chatra) : I rise to support the Railway Budget and congratulate the Railway Minister as he has presented a budget which is in accordance with the aspirations and expectations of people as well as in accordance with the changed circumstances. Through this budget he has told that railways are not a commercial undertaking but can play a very big role in the development of the country.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The expansion of railways should be so planned that backward and remote areas are brought on the railway map. The Railway Board should draw up comprehensive plans and schemes which should be taken up on the basis of priority and the realities of the situation.

The region of Chota Nagpur in Bihar is very backward and due attention should be paid to it. A rail link should be constructed to connect Gaya with Chandwa *via* Sarghati Chatra or one line should be provided from Bihata to Chandwa *via* Sarghati Chatra. These lines should be given top most priority. The former Railway Minister has given an assurance that the rail link between Bahktiarpur to Rajgir will be extended upto Bodh Gaya, but there is no mention of it in the present budget. A survey has already been made of this line. Rajgir and Bodh Gaya are religious places of world fame. Lakhs of tourists and pilgrims visit these two places. They are put to great difficulty in the absence of a rail link between these two places. The Hon. Minister is requested to pay attention towards this line.

The entire work in connection with extension of railway line from Barwardih to Chirmiri had been completed from the time of Second World War but this line has not so far been constructed. This line will reduce distance of 250 miles between Gomoh and Bombay.

A definite policy has to be drawn up to root out corruption in railways and measures have to be taken to identify the spheres of corruption. For this purpose, a start has to be made to check corruption at the higher levels.

It is good that it has been decided to bring about decentralisation in the railway administration. It is a good decision not to allow extension to those employees who have reached the age of retirement. Those whose services have been extended, should be retired at the earliest so that junior persons can get an opportunity for promotion.

Thefts in railways still continue in spite of the existence of Railway Protection Force. It is learnt that thefts are committed in connivance with the men of the R.P.F. It is,

therefore, most essential to introduce reforms in the working of this Force. It should be manned by honest people under the supervision of an officer of high character and integrity.

An overbridge should be provided at a railway level crossing in the South of Gaya between Gaya and Tikari Road.

The Railway Board should take over the control of Fatua-Islampur light railway and Arrah-Sasaram light railway in Bihar which are running in worst conditions.

SHRI RAM NARESH KUSHWAHA (Salempur) : I rise to pay compliments to the Railway Minister for presenting a balanced budget and for taking initiative to complete the schemes in the eastern part of the country.

There are still several railway employees whose services were terminated during the emergency and who have not been reinstated so far. Such employees should be taken in service at the earliest.

The railway officials at Gorakhpur are corrupt and they misuse government property. Their behaviour with employees is not very cordial. They go by staff car to nearby stations instead of by rail. They resort to nepotism in the recruitment of personnel. It should be checked.

There are no communication in the entire region known as Noakhali and in the region of Deoria. If a railway bridge is provided, it will open up scope for introducing road transport there.

There are often conflicts with students in railway compartments because they do not purchase railway tickets. It is, therefore, suggested that on the basis of Principal's certificate, students should be allowed to travel free from their home-town to the place of educational institution.

It is learnt that trains have again started running late. The Railway Minister should find out the resons for it and improve the things.

The use of Hindi should be encouraged in the working of railways.

If Gorakhpur is connected with Badhalganj and Doharighat by a rail link, the entire region will be connected with Mau. Similarly, if Doharighat is connected with Suremanpur *via* Sikanderpur and Bansdih, it will more closely connect the States of Uttar Pradesh and Bihar.

There is still a good deal of overcrowding in trains. In order to avoid overcrowding, more coaches should be attached to different trains.

There is no train between Gorakhpur and Chupra between 10 p.m. and 12 noon next day. The Janata train from Gorakhpur should be run on mail line instead of loop line. Then, the shuttle train between Chupra and Siwan should be extended upto Bhatni. The local trains from Varanasi to Bhatni should be extended upto Siwan.

Steps should be taken to start new lines in backward regions with a view to bringing about their economic development.

श्री ओ० बी० अलगेशन (आरकोनम) : लाभ वाला बजट प्रस्तुत करने के लिये मैं रेल मंत्री को बधाई देता हूं। रेल मंत्री की रेलों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी मिली है जिसका श्रेय पिछली सरकार को जाना चाहिए। गत वर्ष के बजट केवल में 8.98 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया गया था जबकि संशोधित लाभ बढ़कर 35.67 करोड़ रुपये हो गया था। ऐसा अनुमान है कि जब खाते बन्द किये जायेंगे तो यह लाभ बढ़कर 65 करोड़ रुपये हो जायेगा। ऐसी सन्तोषजनक स्थिति को देखते हुए रेल मंत्री को न केवल सामान्य राजस्व का घाटा कम करना चाहिये बल्कि यात्रियों पर पड़ने वाले भार कम करके उन्हें कुछ विशेष राहत देने के बारे में भी विचार करना चाहिए।

आशा है कि रेलवे में अनुशासन बना रहेगा। परन्तु हाल ही में रेलों की दुर्घटनाओं को देखते हुए यह सन्देह होने लगा है कि क्या उचित अनुशासन कायम रखा जा रहा है और क्या कठोर अनुशासन बनाये रखने की ओर ध्यान दिया जा रहा है? हमने देखा है कि विशेषकर दक्षिण रेलवे में एक ही स्थल पर दो दुर्घटनायें हुई हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

देश के दक्षिणी भाग में हुए औद्योगिकीकरण और हो रहे औद्योगिकीकरण को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में रेलवे का सर्वांगीण विकास करने पर विचार किया जाना चाहिये। मैं बहुमुखी विकास की बात कर रहा हूं खेद है कि अभी तक दक्षिणी भाग की पूर्ण अपेक्षा की गई है। वहां नई लाइनें बिछाने और अन्य लाइनों का विद्युतीकरण किया जाना चाहिये।

देश के दक्षिणी भाग में हो रहे औद्योगिकीकरण की दृष्टि में इस क्षेत्र में रेलों का विकास करना चाहिये। सोचा तो यह जा रहा था कि दक्षिणी भाग देश के कोयले वाले भाग से बहुत दूर है अतः रेलों का वहां शीघ्र विद्युतीकरण होगा। पर इस कार्य पर ध्यान नहीं दिया गया। दक्षिण में रेलवे के बहुत ही छोटे रेल भाग——टम्बारम से विल्लूपुरम तक के विद्युतीकरण का काम 20 वर्ष पहले आरम्भ किया गया था लेकिन अभी तक एक मीटर लम्बे रेल ट्रैक का काम भी पूरा नहीं हुआ है मद्रास–विजयवाडा रेल लाइन के विद्युतीकरण का मामला बहुत समय से विचाराधीन पड़ा है। मद्रास–बंगलौर रेल लाइन के विद्युतीकरण के मामले की भी यही स्थिति है। आशा है कि रेल मंत्री इस मामले में कुछ कार्यवाही अवश्य करेंगे।

नई रेल लाइनें बिछाने के बारे में भी यही स्थिति है। तिरुनेलवेली–नागरकोइल–त्रिवेन्द्रम रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाई जाये। चिंगलपुट और चीमा-सेलम के बीच रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया गया है। इस क्षेत्र में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के बारे में अभी बहुत कुछ करना है। इस क्षेत्र की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य में तेजी लाई जाये। पूर्वी समुद्री क्षेत्र के समुद्र में तेल मिलने की अच्छी सम्भावनाएं हैं। इस लिए मद्रास से तूतीकोरन तक की समस्त लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता है।

रेलों में खान-पान की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती। पहले यह प्रथा भी थी कि तेज चलने वाली गाड़ियों के साथ भोजन यान लगा होता था। अब इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। इसे दोबारा चालू किया जाये।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : जहां तक उपरि पुलों का सम्बन्ध है, वह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

श्री ओ० पी० अलगेसन : अराकोनम में भूमिगत मार्ग बहुत पुराना हो गया है। यह बहुत सकरा भी है और बढ़ती हुई यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। उसे चौड़ा किया जाना चाहिये। अराकोलनम में एक कर्मशाला बहुत पुरानी पड़ चुकी है और वहां कार्य कुशलता भी घट गई है। एक लघु विभागीय तकनीकी समिति बनायी जानी चाहिये जो इस की कार्यकुशलता में सुधार कर अथवा इसके क्रियाकलापों का विविधिकरण करने पर विचार करे।

कोवाई एक्सप्रेस गाड़ी को अराकोनम स्टेशन पर रोका जाना चाहिये। इसी प्रकार से रेलवे क्रासिंग स्टेशन के बिल्कुल निकट बनाये गये हैं। उन्हें अराकोनम स्टेशन से थोड़ी दूरी पर बनाया जाना चाहिये था।

SHRI RAM PRASAD DESHMUKH (Hathras) : Sir, I want to draw your attention towards certain small matters. The hawkers and stall holders at stations fleece the passengers. Second class passengers are very much harassed by them and they charge exorbitant rates. This should stop.

Pilferage of coal is going on for a long time, because there is no proper arrangement of any shed or light at the place where it is stored.

There is a train which runs between Hathras and Hathras Junction a distance of only four miles. It should be extended upto Aligarh or Delhi.

Gomati Express and Vikramshila Express trains should stop at Aligarh which is a big city and an educational centre. At present, Janta Express stops at Madrak station but it is learnt that it will not stop there after the 15th. This should not happen. Moreover there should be a stoppage of this train at Sasni which is a developing industrial town.

The monopoly of a few canteen contractors in railways should be brought to an end. Only then there could be an improvement in the quality of food and service in catering. The punctuality of trains should be strictly maintained.

There have been instances of frequent harassment of passengers by the students of Aligarh University. These things should be put down with a strong hand.

Service conditions as well as the pay scales of sweepers in Railways should be improved so that people belonging to other communities be attracted to this work.

After the Lucknow Express has been extended to Varanasi, it has become difficult for the passengers at Lucknow to board the train for Delhi. A separate train should be introduced to facilitate the Delhi bound passengers at Lucknow.

The railway porters may be awarded the contract to load and unload the goods in Aligarh. This will give them additional income. Pilferage from goods trains should be stopped.

Instead of an overbridge at level crossing, an under ground passage should have been provided for it is difficult for many people to climb the bridge and it has not helped in removing the traffic jam.

There is lot of corruption in Railways, specially in the railway police. The R.P.F. is totally ineffective. It has failed to check incidents of pickpocketing, lifting of goods etc. The porters are asked to carry the dead bodies of persons who die in accidents. They are not paid anything for this work. The Government should make some proper arrangement in this regard.

SHRI CHHABIRAM ARGAL (Morena) : Sir, I support the Railway Budget. My constituency is a dacoit-infested area and transport facilities are not available. This area has remained backward because of dacoits and lack of other facilities.

An overbridge should be constructed in Morena. In the absence of such a bridge, the traffic at the main road has to wait for long hours. This has created a lot of difficulties for passengers. There is also the need to provide a tin-shed at the railway station.

A broad-gauge railway line should be constructed connecting Sawai Madhopur-Murena, Gwalior-Bhind and Etawah. Many industries can be set up near about that railway line and that dacoit infested area can be developed.

The Railway Board has outlived its utility. Huge expenditure is being incurred on establishment. It should be abolished.

Government has been indifferent towards Harijans and Adivasis for long. Their interests should be safe-guarded. All the employees dismissed from service during emergency should be taken back.

Chattisgarh Express should stop at Morena. Earlier, Punjab Mail used to stop at Morena. Now that train does not stop there. This stoppage should be restored.

Railway canteens should be allotted to unemployed educated and to Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons. This will help to reduce unemployment. The monopoly of a few contractors who usually sell their stalls to sub-contractors at profit should be brought to an end.

Agra-Morena shuttle train which had been discontinued should be reintroduced.

The people have to face a lot of difficulty in absence of an over-bridge at the railway crossing at Morena.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं मंत्री जी को इस रेल बजट के लिए बधाई देता हूं। पहली बार रेलवे में प्लेटफार्म के पैसे कम किये गये हैं? रेलवे में नैमित्तिक तथा ठेके के श्रमिक भारी संख्या में काम करते हैं। इनकी सेवाओं को शीघ्र ही नियमत किया जाना चाहिए।

11—441LSS/77

आपात काल के दौरान कई कर्मचारियों की पद-वृद्धि रोकी गई और वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं हुई । ऐसे सभी मामलों को सहानुभूतिपूर्ण जांच की जानी चाहिए ।

गाड़ियों में जो लोग खाना खिलाते हैं उनकी सेवाएं भी स्थायी की जानी चाहिएं । उन्हें वर्दियां दी जानी चाहिएं तथा बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए जरूरी है । हावड़ा–आगरा और हावड़ा–शिकशेला लाइनों के लिए बहुत कम राशि आवंटित की गई है । इस गति से तो लाइनों को पूरा करने में अनेक वर्ष लग जायेंगे । हुगली और बांकुरा के बीच वर्तमान रेल लाइन से किसी भी प्रकार का कार्य सिद्ध नहीं हो रहा । दिन में केवल एक ही गाड़ी चलती है । या तो आप इसे बंद करिये या लाइन को ब्राड गेज में परिवर्तित किया जाये ।

यह कहा गया था कि भूमिगत रेलवे 1986 तक बन जायेगी लेकिन कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है । इससे यातायात में भी बाधा उत्पन्न होती है और लोगों को बहुत कठिनाई आ रही है । इस विषय में आवश्यक उपाय किये जाने चाहिएं ।

कई स्थानों पर रेलवे लाइनों पर उपरि पुलों की जरूरत है । हर बार रेलवे प्रशासन यह कहता है कि राज्य सरकार 50 प्रतिशत खर्च वहन करे तभी निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकता है । राज्य सरकार यह खर्चा वहन नहीं कर सकती । इन आवश्यक कार्यों पर रेलवे प्रशासन को ही पूरा व्यय करना चाहिये ।

कुछ भूमिगत मार्ग 100 वर्ष पूर्व बनाये गये थे । उनकी हालत खराब हो चुकी है । वे इतने तंग हैं कि उनमें से वाहन निकालना कठिन हो जाता है । इन्हें चौड़ा करने के लिये उपाय किये जाने चाहिए ।

कटवा–बांदेल सैक्शन पर केवल एक ही लाइन है । इसे दोहरा किया जाना जरूरी है । तारकेश्वर सैक्शन पर भी यह बात है ।

सैंकड़ों युवकों ने अपना प्रशिक्षु पाठ्क्रम पूरा कर लिया है । वे सभी पिछले 15-20 वर्षों से रेलवे में कार्य कर रहे कर्मचारियो के सम्बन्धी हैं । मेरा सुझाव है कि जिन्होंने अपना कोर्स पूरा कर लिया है उन्हें रेलवे में लगा लिया जाये । हावड़ा डिवीजन में सैंकड़ों कर्माशियल क्लर्क ऐसे हैं जिन्हें मकान नहीं दिए गये हैं । हर श्रेणी के कर्मचारियों के मकान दिलाने के लिए उचित प्रबन्ध किये जायें ।

श्री बी० पी० मंडल (मधेपुरा) : मैं रेल मंत्री के प्रगतिशील बजट पेश करने के लिये बधायी देता हूं । मैं मंत्री महोदय से देश में वर्गहीन रेलवे प्रणाली बनाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि ऐसा करना ही समाजवाद की ओर एक वास्तविक कदम होगा ।

कोसी नदीं ने इस बार बिहार में बहुत नुकसान किया है । सभी सड़कों और रेलों को नुकसान पहुंचा है । स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्रा ने इस क्षेत्र में कुछ नई रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव किया गया लेकिन इस विशेष में अभी तक कुछ नहीं किया गया है ।

रेल मंत्री को इन प्रस्तावित लाईनों की ओर उचित ध्यान देना जाहिए । श्री मिश्र ने बहुत पहले बाढ़ से खराब हुई निर्मली झपतैही लाईन को पुनः चलाने का भी प्रस्ताव किया था । मंत्री महोदय फ़ाईल में देखें कि श्री मिश्र ने किन किन लाईनों का प्रस्ताव किया था ।

मंत्री महोदय को ब्रांच लाईनों की ओर भी उचित ध्यान देना चाहिए । इन लाईनों पर बहुत भीड़ होती है ।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मेथायी रेलवे स्टेशन की रेलवे लाईन पर क्रासिंग ब्रिज बनाया जाये । मैं मंत्री महोदय से रेलों में पुलिस गार्ड तैनात करने का भी अनुरोध करता हूं ।

रेलवे में जितनी भी कम समितियां होंगी उतना ही खर्च बचेगा । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर उचित ध्यान देंगे ।

CHOWDHRY BALBIR SINGH (Hoshiarpur) : I congratulate the Hon. Minister for presenting this budget. The railways should be run on commercial basis and passengers should be dealt with by the railway employees exactly in a way customers are dealtwith

by the commercial concerns. The trains were running in time till April but thereafter they are genrally late. The train was late on 13th also by 2½ hours for which necessary enquiry can be conducted.

Pilferages in the railway should be stopped with an iron hand. We should lay only those railway lines which are economically viable. Now railway line from Ludhiana to Chandigarh will be economically profitable. All the uneconomic lines in France, England etc. etc. have been closed.

Railway Board should be re-structure and so that railway system could be improved.

We should also try to bring about punctuality in the running of trains. We should try to overhaul the entire administrative structures with a view to bring about efficiency.

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA (Etawah) : A number of accidents have taken place during the last 30 years. The accident which took place in Assam recently claimed more than 80 lives. There had been a demand for the resignation of Railway Minister whenever any accident took place in the past. I here and now demand the resignation of Hon. Railway Minister. *(Interruptions)*

We had been condemning the Railway Board as a white elephant but today our Railway Minister is riding over this white elephant. The railway saloons and railway board should be abolished.

Corruption in the railway is not showing any declining trend. Baroda House is still a hot bed of corruption. It has not decreased even after the Janta Government came to power. Steps should be taken for its eradication.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय हो चुका है।

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Mr. Chairman. Let me express my ideals.

PROF. MADHU DANDAVATE : Five more minutes may be given to Shri Bhadoria. It may be reduced from the time allotted to me.

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : There was a shuttle service between Tundla and Kanpur. A number of poor passengers availed of that service. After the Lok Sabha elections that service has been discontinued. That should be restored Agra-Allahabad train has also been discontinued. This service should also be restored.

The railway contracts should not be given to the persons who make a lot of money by selling them to other parties.

Railway Line connecting Gwalior with Assam should be provided through Bhind, Etadah. Farrukhabad and Shahjahanpur. Metre gauge line from Bhind to Gwalior should be converted into broad gauge and then extended to Shahjahanpur and Assam.

First class and Air conditioned coaches should be abolished. There should only one class in our railways.

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN (Aligarh) : The Railway Minister has initiated certain good things, one of which is the referring of *ad hoc* appointments to the Railway Service Commission. Instead of referring to the Commission these appointments should have been done away with.

It has been brought to our notice that the former Railway Minister had given contracts to the people of a particular area while ignoring the deserving poor people from other areas. My submission is that a list of contracts as given by the former Minister especially during the emergency should be placed on the Table.

I am of the opinion that Janta party Members should first practiced then much morality and austerity to the people. In Railways there is one Indian Railway Convention Association which is not being given its due. This should be treated as a department of Indian Railways and its employees should be regarded as Government employees.

SHRI ARIF BEG (Bhopal) : I rise to support the demands of the Railways. I was in my constituency when Railway Budget was presented in this House. In my constituency I got an opportunity to observe that people welcomed the railway budget. The abolition of classes in the trains has helped a lot in doing away with the feeling of disparity. We can hope to march towards true socialism under the leadership of a socialist leader. I welcome the proposal to introduce Janta trains. It will be all the more impressive if our Ministers take the intiative and travel in second class. I hope they will set new examples in this regard by discarding airconditioned saloons and more with common people.

My other submission is that effective steps should be taken to root out corruption from the Railways. There should be surprise checks by Ministers. Members of Parliament and Railway Officers on railway stations.

Lastly I want to draw the attention of the House towards the railway book stalls. A. H. Wheelar and Co. is having a monopoly over the railway book stalls for the last so many years. This should be looked into thoroughly and this work should be entrusted to other vendors also. With these words, I support the railway budget.

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA (Etawah) : Sir, with your due permission I want to add something to my speech which I missed at that time. My submission is that pending the receipt of report from the Commission, hon. Minister should resign. If the Railway Board or Railway employees are responsible for it, then he should resign for ever or otherwise his resignation should be taken back.

SHRI KARPOORI THAKUR (Samastipur) : At the outside, I would like to congratulate the Minister for not imposing any new burden on the people in his budget. This has given great relief to the common man. At the same time I welcome the decision of the Minister for giving selection grade to more than 50,000 class IV employees of railways. This deserves all praise.

Now coming to the demands of my constituency, I want to submit that a railway line from Sahivi to Hanuman Road *via* Kusheshwar Sthan should be constructed at the earliest. This line has already been approved. This line will be of great help to the pilgrims of Kusheshwar Sthan. I also want to draw the attention of the Government towards the Santhal Pargana area which is the most backward area of Bihar. There are no rail facilities in this district. A definite plan for providing adequate railway facilities in this area should be drawn by the railway authorities. Similarly Sahansa is also a very backward district. There is a great need for providing a railway line from Bihariganj to Sahansa. I want that a quick decision should be taken by Railway Ministry in this regard.

There is lot of corruption in the matter of reservation of seats. It is difficult to get railway reservation without paying hush money to the clerk concerned. Stern steps should be taken to check this malpractice.

I am strongly of the view that a policy decision should be taken to end class distinction in the railways. There should be only one class in the trains. A decision in this regard should be made by the Minister quickly, so that same could be got implemented in the next few years.

Lastly, I want to draw the attention of the Minister towards the unsufficiency of trains. Trains in Bihar and many other parts of the country are badly overcrowded. There is no satisfactory arrangement for drinking water on platforms. Immediate steps should be taken to provide basic amenities to the passengers. With these words, I support the Railway Budget.

श्री नाना साहिब बोंडे (अमरावती) : हम कांगेसी सदस्यों ने रेल दुर्घटनाओं के लिए रेल मन्त्री से त्यागपत्र की मांग इसलिए नहीं की है क्योंकि अभी इस नई सरकार को कार्यभार संभाले केवल दो ढाई महीने हो हुए हैं। हमने इस सम्बन्ध में जो संयम बरता है, जनता पार्टी के सदस्यों को हमें इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए था परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने हमारी आलोचना की है।

इस सदन ने अनेक अवसरों पर हमें यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि अमरावती को मेन लाइन पर लाया जायेगा परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया है। अब मन्त्री महोदय से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि अमरावती-नारकेड के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

SHRI SURENDRA JHA SUMAN (**Darbhanga**) : I oppose the cut-motions moved against this railway budget and extend my whole hearted support to this budget. We are grateful to the Railway Minister for presenting a surplus budget. But at the same time I want to make following submission.

Punctuality must be observed by the Railways. Many a time now trains are made to stop for uncalled reasons by pulling of alarm chains. So steps should either be taken to avoid misuse of alarm chains or these should be done away with. There should be some other device for informing railway officials about the danger.

My other request is that all lines in the country should be converted into broad gauge lines. Let there be a long term plan for the same. I also feel that there is a strong need for converting Samastipur-Darbhanga line into a broad gauge line. Similarly Savri-Hasanpur line should also be constructed without any more loss of time. A survey for Muzaffarpur to Darbhanga line has already been carried out. It should also be laid at the earliest.

The railway facilities should also be provided in Nepal Terai area. There is a good need for a broad gauge line upto Ranaul or Jainagar. I am also of the opinion that the contracts for railway canteens and book stalls should be given to the unemployed educated people. More railway facilities should be provided in rural areas. There should not be any village having more than 15 kilometers distance from a railway station. It is a welcome measure that the price of platform ticket has been brought down to 30 paise from 50 paise. I suggest that it should be further reduced to 20 paise.

Lastly I want to submit that the casual labour whose strength at present is about 30 lakh should be made permanent. Arrangement should be made to provide special travelling facilities to journalists and handicapped in the railways. With these suggestions. I once again thank the Minister for this budget.

प्रो० मधु दण्डवते : बजट सम्बन्धी चर्चा के बारे में मैंने परसों जो उत्तर दिया था उसमें मैंने नीति सम्बन्धी मामलों को स्पष्ट कर दिया था। श्रेणी तीन रेल गाड़ियों को चलाये जाने के बारे में भी मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी थी। अब चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने कहा है कि भूतपूर्व सरकार ने 1976-77 में भाड़े में वृद्धि कर के 87 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया था जिसके फलस्वरूप 65 करोड़ रुपये की बचत दिखायी जा सकी। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने यह कहा है कि चूंकि पिछले सरकार ने 87 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिये थे, इसीलिए 1977-78 के बजट के लिए उपयुक्त आधार तैयार हो गया था। परन्तु मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछले 7 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि किराये में वृद्धि करने से अगले बजट के लिए आधार तैयार हो गया हो।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

वे निरन्तर माल भाड़े और यात्री किराये में वृद्धि करके बजट में लाभ दिखाते रहे। यहां यह बात रोचक है कि 1971-72 और 1972-73 में लाभ का कारण रेलवे अधिसमय समिति द्वारा दी गयी लाभांश राहत थी। वर्ष 1973-74 में फिर माल-भाड़े और किराये में वृद्धि की गई जिससे लाभ 43.20 करोड़ रुपये दिखाया जा सका लेकिन वास्तव में उस समय 116 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका था । वर्ष 1974-75 में अनुपूरक बजट और मूल बजट को मिलाकर हिसाब लगाने से 114 करोड़ रुपये का घाटा बैठता है। 1975-76 और 1976-77 में भी यही बात सामने आती है ।

श्री टी० ए० पई : वर्ष 1976-77 में सरकार ने 65 करोड़ रुपए का लाभ दिखाया था जबकि माल-भाड़े और किराये की उसी दर पर आपने केवल 35 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया है।

प्रो० मधु दण्डवते : उसका कारण यह है कि हमें कुछ अतिरिक्त दायित्व निभाने पड़े हैं । पेंशन निधि में 10 करोड़ रुपये का मूल्यह्रास हुआ और हमें 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभांश देना पड़ा है। इन दायित्वों के बावजूद हमने 32.5 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। इसके अतिरिक्त हमने प्लेटफार्म टिकट का मूल्य भी घटाया है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा, वित्तीय दलीय दे रहा हूं। (व्यवधान) ।

पहिए और एक्सल बनाने का कारखाना बंगलौर में ही लगाया जाना है। उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाने का प्रश्न ही नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए रेलवे में स्वीकृत पदों के 20 प्रतिशत को स्लैक्शन ग्रेड बनाये जाने का प्रस्ताव है। इस से 50,000 कर्मचारियों को लाभ होगा।

फायरमैन वर्ग को रेलवे में बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। 'बी' ग्रेड के फायरमैनों के लिए पदोन्नति के अवसर नहीं हैं। मैंने निश्चय किया है कि 31-3-77 तक फायरमैन 'ए' ग्रेड के सभी रिक्त स्थान भरे जायें और वरीयता के आधार पर फायरमैनों को पदोन्नति की जाये। उनकी सीधी भर्ती तभी की जाये जब कोई उपयुक्त और दसवीं पास व्यक्ति उपलब्ध न हो।

कुछ सदस्यों ने भाप चालित गाड़ियों की गति कम होने की बात कही है । लेकिन यह बात नहीं है। वास्तविकता यह है कि अब भाप से केवल 32 प्रतिशत गाड़ियां ही चलती हैं जबकि 1960-61 में 94 प्रतिशत गाड़ियां भाप से चलती थीं। 32 प्रतिशत गाड़ियों में ज्यादातर तेज चलने वाली गाड़ियां नहीं हैं और वे प्रत्येक स्टेशन पर रुकती हैं। इसलिए उनकी गति कम हुई है।

डा० सुशीला नायर ने सफाई, बिजली, रेलवे अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा आदि के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। हम उनके सुझावों पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

सैलून के बारे में बहुत स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। मन्त्री तो क्या कोई अधिकारी भी दौरे पर या निरीक्षण कार्य पर जाते समय सैलून का प्रयोग नहीं करेगा यदि वहां सामान्य वाहन द्वारा जाया जा सकता हो। सैलून का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब बहुत दूर जाना हो जहां रहने अथवा ठहरने का प्रबन्ध न हो सकता हो। हमारे पास जो सैलून बच जायेंगे उन्हें द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में परिवर्तित किया जायेगा।

मानार्थ पास के बारे में मैंने कुछ समय पूर्व कड़ी हिदायत दी थी कि उनकी अवधि समाप्त हो जाने पर उन्हें रद्द समझा जाये। इन पासों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मैं एक विवरण सभा-पटल पर रखूंगा।

पश्चिमी तट और एरणाकुलम एल्लेप्पी रेलवे लाइन के बारे में मन्त्री स्तर पर निर्णय लिया जा चुका है। योजना आयोग की स्वीकृति मिलते ही इस मामले में आगे कार्य किया जायेगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मन्त्री जी ने सड़क परिवहन के बारे में कुछ नहीं कहा।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारा यह निरन्तर प्रयास होगा कि सभी मन्त्रालयों के सहयोग और समन्वय से यातायात सम्बन्धी एक एकीकृत नीति अपनाई जाये ।

श्री भदोरिया जी ने जो सुझाव दिए हैं उन पर मन्त्रीमण्डल में विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कटौती प्रस्तावों पर विचार करेंगे। सभी पर एक-साथ विचार किया जा सकता है, मैं श्री पी०के० देव से सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1977-78 के लिये अनुदानों की निम्नलिखित मांगे (रेलवे) मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

*The following Demands for Grants (Railways) for the year **1977-78** were put and adopted*

मांग सं०	शीर्षक	राशि
1	2	3
1.	रेलवे बोर्ड	1,67,64,000
2.	विविध व्यय	8,11,51,000
3.	चालित लाइनों और अन्य को भुगतान	31,12,000
4.	संचालन व्यय—प्रशासन	105,89,59,000
5.	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	446,09,88,000
6.	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी	227,45,89,000
7.	संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन)	224,99,88,000
8.	संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	74,57,52,000
9.	संचालन व्यय—विविध व्यय	39,17,12,000
10.	संचालन व्यय—कर्मचारी कल्याण	38,21,06,000
11.	संचालन व्यय—मूल्यह्रास आक्षित निधि में विनियोग	93,33,33,000
11क.	संचालन व्यय—पेंशन निधि में विनियोग	26,66,67,000
12.	सामान्य राजस्व को लाभांश और यात्री किराया कर के बदले राज्यों को अनुदान के लिए अंशदान	2,19,30,21,000
13.	चालू लाइन निर्माण—(राजस्व)	5,99,90,000
14.	नई लाइनों का निर्माण—पूंजी मूल्यह्रास आरक्षित निधि	34,54,88,000
15.	चालू लाइन निर्माण—पूंजी मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	816,60,58,000
16.	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	25,60,64,000
17.	सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण और उसके ब्याज की अदायगी—विकास निधि	8,38,96,000
18.	विकास निधि में विनियोग	26,65,66,000
19.	राजस्व आरक्षित निधि में विनियोग	5,84,02,000
20.	अतिपूंजीकरण के परिशोधन के लिए भुगतान—सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण और उसके ब्याज की अदायगी—राजस्व आरक्षित निधि	180,55,28,000
21.	दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग	6,15,23,000
22.	दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि	3,90,67,000

विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1977

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 2 BILL, 1977

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

"खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।"

Clause 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करेंगे।

लोकपाल विधेयक

LOKPAL BILL

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय मामलों में की गयी प्रशासनिक कार्यवाहियों के अन्वेषण के लिए लोकपाल नाम के एक प्राधिकारी की नियुक्ति तथा उसके कृत्यों का और तत्संमवत विपयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्यवाहियों के अन्वेषण के लिए लोकपाल नाम के एक प्राधिकारी की नियुक्ति तथा उसके कृत्यों का और तत्संमवत विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री पी० के० देव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 16 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(AMENDMENT OF ARTICLE 16)

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : में प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री पी० के० देव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 156 आदि का प्रतिस्थापन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(SUBSTITUTION OF ARTICLE 156 ETC.)

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री पी० के० देव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं :

विदेशी स्वामित्वाधीन बागान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक

FOREIGN OWNED PLANTATION (NATIONALISATION) BILL

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में विदेशी स्वामित्वाधीन सभी बागानों के राष्ट्रीयकरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में विदेशी स्वामित्वाधीन सभी बागानों के राष्ट्रीयकरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अनिवार्य प्रौढ़ शिक्षा विधेयक

COMPULSORY ADULT EDUCATION BILL

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में अनिवार्य प्रौढ़ शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निधियों और सुविधाओं का तथा आवश्यक निकायों की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में अनिवार्य प्रौढ़ शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधियों और सुविधाओं का तथा आवश्यक निकायों की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 74 और 163 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF ARTICLES 74 AND 163)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) संशोधन विधेयक (धारा 3, 4 आदि का संशोधन)

BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) AMENDMENT BILL (AMENDMENT OF SECTIONS 3, 4, ETC.)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारत में विदेशी मिशनों द्वारा राजनीतिक साहित्य का प्रकाशन तथा आयात (विनियमन) विधेयक

PUBLICATION AND IMPORT OF POLITICAL LITERATURE BY FOREIGN MISSIONS IN INDIA (REGULATION) BILL

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत स्थित विदेशी मिशनों द्वारा राजनीतिक साहित्य का प्रकाशन तथा आयात (विनियमन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत स्थित विदेशी राजनीतिक मिशनों द्वारा राजनीतिक साहित्य का प्रकाशन तथा आयात (विनियमन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री समर गुह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राज्यपालों की नियुक्ति विधेयक

APPOINTMENT OF GOVERNORS BILL

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यों के राज्यपालों के रूप में नियुक्ति करने हेतु उम्मीदवारों का एक पेनल गठित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राज्यों के राज्यपालों के रूप में नियुक्ति करने हेतु उम्मीदवारों का एक पेनल गठित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री समर गुह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारत में विदेशी प्रचार विनियमन और (नियंत्रण) विधेयक

FOREIGN PROPAGANDA IN INDIA (REGULATION AND CONTROL) BILL

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में विदेशों के सहेतुक राजनीतिक प्रचार को निर्बंधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में विदेशों के सहेतुक राजनीतिक प्रचार को निर्वन्धित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री समर गुह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला और भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून (पुनर्नामांकन) विधेयक

NATIONAL DEFENCE ACADEMY, KHADAKVASALA AND THE INDIAN MILITARY ACADEMY, DEHRADUN (RE-NAMING) BILL

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला और भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून का पुनर्नामांकन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला और भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून का पुनर्नामांकन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री समर गुह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 370 का लोप)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (OMISSION OF ARTICLE 370)

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री पी० के० देव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक (धारा 10 का संशोधन और धारा 20 आदि का प्रतिस्थापन)

PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF SECTION 10 AND SUBSTITUTION OF SECTION 20 ETC.)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 19 और 326 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLES 19 & 326)

DR. LAXMI NARAYAN PANDEYA (Mandsour) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

DR. LAXMI NARAYAN PANDEYA : I introduce the Bill.

आयुध (संशोधन) विधेयक (धारा 2 का संशोधन)

ARMS (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF SECTION 2)

DR. LAXMI NARAYAN PANDEYA (Mandsaur) : I beg to move for leave to introduce. a Bill further to amend the Arms Act, 1959.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

DR. LAXMI NARAYAN PANDEYA : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 352 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF ARTICLE 352)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री हरि विष्णु कामत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 74 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF ARTICLE 74)

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I introduce the Bill.

रोजगार का उपबंध, बेरोजगारी भत्ते का संदाय और बेरोजगारी बीमा स्कीम विधेयक

PROVIDING OF EMPLOYMENT, PAYMENT OF UNEMPLOYMENT ALLOWANCE AND UNEMPLOYMENT INSURANCE SCHEME BILL

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 15 वर्ष से अन्यून आयु के सभी नागरिकों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ते के संदाय और बेरोजगारी बीमा स्कीम का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 15 वर्ष से अन्यून आयु के सभी नागरिकों को रोजगार बेरोजगारी भत्ते के संदाय और बेरोजगारी बीमा स्कीम का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा आज 5 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा आज 17 जून, 1977/27 ज्येष्ठ, 1899 (शक) के 5–00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till 17.00 *hours of the Clock today*, 17*th June*, 1977/ *Jyaistha* 27, 1899 (*Saka*).

लोक सभा 5–00 बजे म० प० समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled at Seventeen of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सामान्य बजट, 1977-78

GENERAL BUDGET, 1977-78

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : महोदय,

1. मैं 1977-78 का बजट पेश करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, यह पहला बजट है जो यह जनता सरकार पेश कर रही है।

2. इस वर्ष मार्च के महीने में भारत के लोगों ने जनता पार्टी को जो भारी अधिदेश (मैंडेट) दिया था वह निरंकुशता के विरुद्ध मतदान मात्र नहीं था। बल्कि वह हमारे लोगों की इस इच्छा की अभिव्यक्ति भी था कि हमारी आर्थिक नीतियों को नई दिशा और नया रूप दिया जाए जिससे कि गरीबी और निराश्रयता को जल्दी से खत्म किया जा सके। पिछले कुछ सप्ताहों में, हमारी सरकार ने उस निरंकुश और दमनकारी ढांचे को तोड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं जो आपातकाल के काले दिनों में बनाया गया था। हमारा पक्का विश्वास है कि जिस खुले समाज की हम कामना करते हैं वह तब तक असुरक्षित रहेगा जब तक कि हम अपनी इस पुरातन भूमि में से गरीबी, अज्ञान और बीमारी को निकाल बाहर करने के लिए हिम्मत और सच्चे मन से आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में एक सामंजस्यपूर्ण अर्थ-नीति बताई गई है जिसमें रोटी और आजादी दोनों पर जोर दिया गया है। हम आर्थिक प्रगति की रफ्तार को तेज करना चाहते हैं और उसके फलों को, लोकतन्त्र और वैयक्तिक स्वतन्त्रता के ढांचे में रहते हुए सबको समान रूप से बांटना चाहते हैं। पुराने ऐतिहासिक उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाए तो यह निस्सन्देह एक बहुत ही चुनौतीभरा काम है। सदन आश्वस्त रहे कि हमने अपनी जनता को जो वचन दिए हैं उन्हें पूरा करने के लिए काम करने के हमारे सच्चे इरादे को किसी प्रकार कमजोर नहीं होने दिया जाएगा।

3. केन्द्रीय सरकार का बजट देश की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को रूप देने का एक बड़ा साधन है। समय की कमी के कारण और चालू परियोजनाओं पर भारी खर्चा करने की वचनबद्धताओं की वजह से, मेरे लिए यह सम्भव नहीं हुआ है कि मैं राजकोषीय ढांचे को हमारी घोषित प्राथमिकताओं के अनुरूप फिर से ढाल सकूं। इसके अलावा, मुझे योजना आयोग से, जिसका पुनर्गठन अभी हाल ही में हुआ है, परामर्श करने का भी सुयोग नहीं मिला है। हमारी पार्टी के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, हरिजनों, आदिवासियों और अन्य पददलित वर्गों की दशा में सुधार, बेरोजगारी की समाप्ति और गन्दी बस्तियों की सफाई सहित सामाजिक सेवाओं के विस्तार पर बहुत जोर दिया गया है। इन कार्य क्षेत्रों की अधिकतर परियोजनाएं राज्यों की

आयोजनाओं के अन्तर्गत आती हैं। उन कारणों से, जिनका इस सदन को भली भांति पता है, मेरे लिए यह संभव नहीं हुआ है कि मैं राज्य सरकारों के साथ परामर्श करता और उनको हमारी प्राथमिकताओं के अनुसार उनके विकास कार्यक्रमों को नई दिशा देने के लिए तैयार कर लेता। फिर भी मेरे सामने जो सीमित-से विकल्प रहे हैं उनकी परिधि में रहते हुए मैंने अपने बजट प्रस्तावों को इस प्रकार बनाने की कोशिश की है कि उनसे हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में निर्दिष्ट सिद्धान्तों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को सही-सही प्रतिबिम्बित किया जा सके।

4. इससे पहले कि मैं अपनाई गई नीति की रूपरेखा को मोटे तौर पर प्रस्तुत करूं, मैं सदन को अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और संभावनाओं के बारे में अपने विचार बतलाना चाहूंगा। आर्थिक समीक्षा में इस विषय पर काफी विस्तार से चर्चा की गई है, इसलिए मैं यहां पर संक्षेप में ही अपने विचार प्रकट करूंगा।

5. भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे मूलभूत समस्या यही बनी हुई है कि आर्थिक वृद्धि की दर अपर्याप्त रही है। 1976-77 में आर्थिक वृद्धि की दर 2 प्रतिशत से कम थी। आठवें दशक में अब तक आर्थिक वृद्धि की वार्षिक औसत दर लगभग 3.5 प्रतिशत रही है जो कि आयोजना के लक्ष्य से काफी कम है। और यद्यपि यह कहना गलत होगा कि स्वतन्त्र होने के बाद से हमारे देश ने कोई खास प्रगति नहीं की है फिर भी तथ्य यही है कि पच्चीस वर्ष की योजनाओं के बाद भी हम 5 प्रतिशत की औसत वृद्धि-दर को बराबर बनाए नहीं रख सकते। अतः स्पष्ट है कि हमें अपनी आयोजना सम्बन्धी प्राथमिकताओं और तकनीकों को नए सिरे से जांच करनी होगी।

6. आर्थिक स्थिति के बारे में दूसरी परेशान करने वाली बात यह है कि वृद्धि सब जगह एक-जैसी नहीं हुई है जिसके कारण विकास के स्तर में क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ गई हैं। पिछले पंद्रह सालों में कई राज्यों में वृद्धि की दर बढ़िया रही है, तथापि यह सच है कि इसी अवधि में लगभग एक-तिहाई जिलों में वास्तव में पैदावार में कोई खास वृद्धि नहीं हुई बल्कि कहीं कहीं तो पैदावार पहले से भी कम हुई है। यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। इन जिलों में पैदावार कम होने से राष्ट्रीय वृद्धि की दर नीची हो गई है और विकास के स्तर में विषमता और ज्यादा बढ़ गई है। यह एक ऐसा तत्व है जिसके कारण हमारे संघात्मक राज्यतंत्र के लिए सफलता-पूर्वक कार्य करने में बाधक उलझनें पैदा हो गई हैं।

7. कम और असमान वृद्धि होने का एक खास परिणाम यह हुआ है कि गरीबी के स्तर से नीचे का जीवनयापन करने वाले लोगों का अनुपात आज 1960-61 के मुकाबले ऊंचा है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि यह अनुपात 1968-69 से 1973-74 तक घटता गया था। किन्तु उसके बाद से तो यह हालत हर तरह से बिगड़ती गई है। समस्या की विशालता का अनुमान तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1975-76 में अर्थ-व्यवस्था में इतनी क्षमता नहीं थी कि वह 12 करोड़ मैट्रिक टन अनाज के उत्पादन को भी खपा सके। क्रय-शक्ति के निम्नस्तर से कम-रोजगारी और बेरोजगारी की उस पुरानी हालत का पता चलता है जिसमें से भारी संख्या में भूमिहीन कामगार और छोटे तथा सीमान्तिक किसान गुजर रहे हैं। इस तथ्य से कि गरीबी के स्तर से नीचे का जीवनयापन करने वाले लोगों का अनुपात आज 1960-61 के मुकाबले ऊंचा है, मेरे इस विश्वास की पुष्टि होती है कि हमारी आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों में मूलभूत परिवर्तन लाने की जरूरत है। अगर स्थिति ज्यों की त्यों रही तो हमारे भविष्य के लिए उसके भीषण परिणाम होंगे। हमारे लोग जो हमारी नीतियों को दूसरी दिशा देने के लिए शोर-शराबा कर रहे हैं, वे ठीक ही हैं। यह काम करने के लिए यह सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है।

8. बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी की तकलीफों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जैसा कि सदन को मालूम है, 1976-77 में थोक कीमतों का सूचक अंक लगभग 12 प्रतिशत बढ़ गया था। यह वृद्धि बहुत हद तक इस कारण हुई थी कि पिछले साल मुद्रा उपलब्धि में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बचे हुए परिणाम आज भी अर्थव्यवस्था में अपना असर दिखा रहे हैं। हालांकि 1976-77 में प्रस्तुत विकारों से उत्पन्न एक कठिन मूल्य स्थिति हमें विरासत में मिली है फिर भी हम इस स्थिति को पूरी तरह काबू में लाने के लिए कृतसंकल्प हैं। उचित स्तर पर कीमतों को स्थिर रखने के लिए संकल्पशक्ति और आवश्यक साधन भी हमारे पास मौजूद हैं।

9. यह एक स्वतः सिद्ध तथ्य है कि ऐसे देश में जहां राष्ट्रीय आय का लगभग 50 प्रतिशत भाग खेती से प्राप्त होता हो, वहां अर्थव्यवस्था की समग्रवृद्धि दर अवश्य ही कृषि क्षेत्र के उत्पादन से जुड़ी होगी। 1976-77 में अर्थव्यवस्था की जो घटिया स्थिति रही वह ज्यादातर खेती की पैदावार में कमी होने के कारण थी।

10. सातवें दशक के बाद वाले वर्षों में भारतीय कृषि ने अवश्य ही नई गतिशीलता के संकेत दिखाए थे। दुर्भाग्य की बात है कि हमारी खेती सम्बन्धी अर्थव्यवस्था पर आधुनिकीकरण की प्रेरणाओं का असर सीमित ही रहा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि आठवें दशक में कृषि उत्पादन में वृद्धि की दर, सातवें दशक के मुकाबले, ऊंची नहीं थी। गेहूं ही सिर्फ ऐसी फसल है जिसकी पैदावार में तेजी से वृद्धि हुई है और इसमें भी हाल के वर्षों में उत्पादकता की वृद्धि की दर बहुत धीमी पड़ गई है। चावल के मामले में, अपारम्परिक राज्यों में बहुत बढ़िया लाभ मिला है लेकिन धान उगाने वाले बड़े राज्यों में पैदावार में प्रगति नहीं हुई है। दाल, तेलहन, कपास जैसी फसलों में गतिरोध की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह बात स्पष्ट है कि यदि हमें कृषि के क्षेत्र में वृद्धि की दर को कम से कम 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक बढाना है तो अपनी खेती सम्बन्धी अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए कुछ नए प्रेरक तत्व लाने होंगे।

11. हमारी विकास योजनाओं में अब तक सोच समझकर औद्योगीकरण पर जोर दिया गया था। और हमने औद्योगिक ढांचे में विविधता लाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी की है। फिर भी इस तथ्य के द्वारा जांच करने पर कि 1965 से औद्योगिक वृद्धि की दर, 1956 से 1964 तक के वर्षों की 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की औसत दर की तुलना में, केवल 4 प्रतिशत रही है, 1965 से प्रारम्भ होने वाले दशक को औद्योगीकरण में प्रगति का दशक मुश्किल से ही कहा जा सकता है। जब औद्योगीकरण पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा हो उसी समय औद्योगिक वृद्धि की दर में गिरावट आए तो यह एक ऐसी घटना होगी जिसकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। 1976-77 में औद्योगिक वृद्धि की दर 10 प्रतिशत तो अवश्य बढ़ी, किन्तु, यह बताने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि ऐसा कई आकस्मिक परिस्थितयों के कारण हुआ जिससे 1976-77 के अनुकूल परिणामों को अधिक हर्षप्रद प्रवृत्ति का सूचक नहीं माना जा सकता।

12. अपर्याप्त वृद्धि की दर के कारण और उद्योग में पूंजी की प्रधानता बन जाने की वजह से, भारत के औद्योगिक ढांचे में रोजगार के अवसरों का काफी तेजी से विस्तार करने की क्षमता नहीं रही है। इसके परिणाम-स्वरूप, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज बेरोजगार लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अत्याधिक परिरक्षित घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को पुरा करने वाले ऊंची लागत के औद्योगिक ढांचे को, सीमित घरेलू बाजार की बाध्यता के कारण, अपना विस्तार करने में अवश्य ही अधिकाधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

13. पिछले दो सालों में , जबकि भारत का निर्यात तेजी से बढ़ा है, 1976-77 में आयात, 1975-76 की भरपूर फसल के कारण और उर्वरकों जैसी आवश्यक वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो जाने की वजह से, सीमित रहा है। विदेशों से भेजी गई रकमों में तेजी से बढ़ोतरी हो जाने के कारण, भारत के भुगतान-शेष की ताकत बढी है और हमारी प्रारक्षित निधियों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। फिर भी, हम नासमझ होंगे यदि हम इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखेंगे कि हमारा भुगतान-शेष फसल की घटबढ़ जैसे आकस्मिक धक्कों के असर को सहने के लिए अब भी कमजोर है। इस समय हमारे पास जितना खाद्य भंडार है और जितनी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में मौजूद है, उससे हमें अवश्य ही अपनी अर्थव्यवस्था का प्रबन्ध करने में पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक विकल्प प्राप्त है। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों को इस प्रकार काम में लाना होगा कि उनसे कीमतों को स्थिर बनाए रखने में सहायता मिले और वृद्धि की प्रक्रिया में तेजी आए।

14. अब हमारा काम यह है कि हम एक ऐसी प्रभावोत्पादक कार्य नीति बनाए जिसके जरिये अपर्याप्त वृद्धि, कुचल डालने वाली गरीबी, बेरोजगारी, बढते हुए क्षेत्रीय असंतुलनों और बढ़ती हुई कीमतों की समस्याओं से निपटा जा सकें। ये समस्याएं एक दूसरी से सम्बधित हैं और उन पर एक साथ कार्रवाई करनी होगी, हालांकि इन पर जो जोर दिया जाएगा उसकी मात्रा किसी खास अवधि में कम या ज्यादा हो सकती है।

15. यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हम जो भी कार्यनीति बनाए उसमें कृषि की प्रमुखता पर बल देना ही होगा। जिस देश में लगभग 80 प्रतिशत लोग देहाती इलाकों में रहते हों, वहां गरीबी को हटाने, रोजगार के अवसरों को बढाने, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने और निर्मित वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार का विस्तार करने के किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कृषि की उत्पादकता को अपेक्षाकृत अधिक तेजी से बढाना लगभग एक ऐसी शर्त है। जिससे पहले पूरा करना होगा। कृषि की प्रमुखता का मतलब यह है कि कृषि की पूंजी निवेश सम्बन्धी जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि के महत्व को जानते हुए भी और ग्रामीण भारत की हालत को सुधारने की आवश्यकता को बार बार स्वीकार करने के बावजुद पहले के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र को कुल निवेशयोग्य साधनों में से उचित हिस्सा नहीं मिला है। इस स्थिति को सही करने की जरूरत है। इस समय, सिंचाई की क्षमता लगभग 20 लाख हैक्टेयर की वार्षिक दर से बढ़ रही है। हमें अगले कुछ वर्षों में इस दर को दो गुना कर सकने के लिए एक योजना बनानी है। बड़े और मध्यम तथा छोटे सिचाई-कार्यों को, पानी के इष्टतम उपयोग की राष्ट्रीय कार्यनीति के अंग के रूप में आयोजित और संपन्न करना होगा। इसी प्रकार, ग्रामीण आधारभूत ढांचे के महत्वपूण तत्वों, जैसे सड़कों, बाजारों और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था में पहले से अधिक पूंजी लगाने की तत्काल आवश्यकता है।

16. कृषि के विकास के कार्यक्रम को कृषि की उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए ही नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र के सभी घर-परिवारों को न्यूनाधिक रूप में सक्षम बनाने के उदेश्य से भी तैयार करना होगा। इसके लिए साथ ही, मुर्गीपालन और डेयरी उद्योग, मीन उद्योग, फार्म वन उद्योग आदि जैसे सहायक कार्यकलापों के विकास के लिए भी योजनाएं बनानी होंगी। इसके लिए आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था तो करनी ही होगी, साथ ही ऐसे संगठनों का विकास भी करना होगा जो उपज को इकट्ठा करें, भंडार में रखें और बाजार में बेचें, क्योंकि इन विभिन्न कार्यकलापों की सफलता के लिए बिक्री की कुशलतापूर्ण व्यवस्था अत्यावश्यक है। हमें देहाती इलाकों में रोजगार के काफी बड़े अवसर पैदा करने होंगे जिससे कि गांव छोड़कर शहरों में आने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। यह उद्देश्य एकीकृत ग्रामीण विकास के क्षेत्र-केन्द्रित कार्यक्रम के माध्यम से भलीभांति प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें छोटे और सीमान्तिक किसानों और खेतिहर मजदूरों की जरूरतों पर प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया जाए।

17. अधिक साधनों की व्यवस्था कर देने मात्र से ही, भन्ने ही वह कितनी ही महत्वपूर्ण हो, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। इन साधनों को उपयोग में लाने के लिए संपूर्ण तत्र को, प्रभावोत्पादतंता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, पूरी तरह नया रूप देना होगा। इसके लिए योजना बनाने और उस पर अमल करने वाले संगठन में परिवर्तन करने होंगे। कृषि की प्रौद्योगिकी (टेक्नोलोजी) का सुधार करने के लिए अधिक गहन प्रयत्न करने होंगे और विस्तार कार्यो को भी बहुत ज्यादा बढाना होगा। इसके लिए जल्दी से बांध, कुएं और नहर-नाले बनाने होंगे, ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम को तेजी से और कुशलतापूर्वक पूरा करना होगा, पानी और जमीन का पहले से अच्छा प्रबन्ध करना होगा, उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं की पूर्ति समय पर करने की पहले से अच्छी व्यवस्था करनी होगी, बीजों की अधिक सुव्यवस्थित पूर्ति करनी होगी और संग्रह करने और बेचने की बेहतर सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। देश के कई हिस्सों में इन उद्देस्यों को प्राप्त कर लिया गया है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे संगठनों को, अपेक्षित साधनों के साथ, उन हिस्सों तक फैलाया जाए जो अभी इस काम में पीछे रह गए हैं। ऐसा प्रयत्न करने की जरूरत है जिससे उन अभिकरणों का पूरा कायापलट हो जाए जिनका इस समय कृषि विकास से सम्बन्ध है।

18. कृषि को प्रमुखता देने का यह मतलब नहीं है कि आधुनिक उद्योग के प्रति उदासीनता या उपेक्षा दिखलाई जाए। इसका पूरा मतलब इतना ही है कि सरकारी क्षेत्र के लिए उपलब्ध निवेशयोग्य साधनों का पहले से बड़ा भाग कृषि विकास के लिए नियत किया जाए, और उद्यम औद्योगिक वृद्धि के लिए आवश्यक साधनों को अधिकाधिक मात्रा में खुद जुटाएं जिसके लिए वे अधिक कुशलतापूर्ण कार्य चालन के द्वारा और कीमत निर्धारण की अधिक कारगर नीतियों के जरिये अपने खुद के आंतरिक साधनों को अधिक मात्रा में पैदा करें। सरकार भी

उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, सीमेंट, बिजली और पैट्रोलियम जैसे उद्यमों के विकास पर, जिनका कृषि की उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान होता है, विशेष ध्यान देती रहेगी। भारतीय उद्योग में लागत के प्रति अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए हमारा इरादा है कि अधिक उदार आयात नीति के जरिये, धीरे-धीरे अधिक प्रतियोगिता लागू की जाए। इसके अलावा, मौजूदा क्षमता का यथासंभव इष्टतम उपयोग करने के लिए अर्थोपाय ढूंढ़ने होंगे। साथ ही, नई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में हमें देरी नहीं होने देनी चाहिए जिसके कारण पूंजीगत लागत बढ़ जाया करती है। आमतौर पर यह महसूस नहीं किया जाता कि देरी हो जाने के कारण कितना ज्यादा खर्च बढ़ जाता है। जिन 18 परियोजनाओं ने 1976-77 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया था उनमें लागत वृद्धि के विश्लेषण से पता चलता है कि इन योजनाओं में निवेश की लागत बढ़कर 555 करोड़ रुपए हो गई जब कि मूल अनुमान 255 करोड़ रुपए के आस-पास था। इससे इस तथ्य के महत्व का पता चलता है कि परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वित करना कितना जरूरी है और देरी होने से समाज को कितना अधिक खर्च उठाना पड़ता है।

19. हमारे कुछ बड़े उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग आज गम्भीर कठिनाई में हैं और उन्हें खासतौर से (कल-पुर्जों के) बदलाव और आधुनिकीकरण की जरूरत है। इसलिए इन क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करनी होगी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य आवधिक ऋणदाता संस्थाएं इस प्रयोजन के लिए इस समय जो व्यवस्थाएं कर रही है उन्हें आगे भी जारी रखना होगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयत्न करने होंगे कि ये उद्योग आंतरिक रूप से और ज्यादा साधन पैदा करें और ऐसी स्थिति में न जाएं जिससे आखिरकार वे रुग्ण हो जाते हैं। मैं समझता हूं यह एक अच्छा विचार होगा कि अधिक कुशल मिलों के प्रबन्धकवर्ग को इस बात के लिए राजी कर लिया जाए कि वे एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में, कुछ रुग्ण एककों को अपने हाथ में ले लें और सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अन्तर्गत उनकी तीमारदारी करके उन्हें फिर से स्वस्थ बना दें।

20. बिजली का अपेक्षाकृत अधिक तेजी से और ठीक समय पर विकास करना, तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए एक अत्यावश्यक शर्त है। यदि हम बिजली की बार-बार होने वाली भारी कमी का फिर से सामना नहीं करना चाहते तो मुझे पक्का विश्वास है कि अभी बिजली के आयोजन और विकास दोनों के बारे में बहुत कुछ करना बाकी है। अब बिजली को कृषि के लिए भी उतना ही जरूरी समझा जाता है जितना कि उद्योग के लिए, और बिजली की कमी अनाज के उत्पादन को भी, कपड़े के उत्पादन जितना ही, गड़बड़ा सकती है। इसलिए हम आने वाले वर्षों में बिजली के विस्तार की गति को बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

21. एक क्षेत्र और भी है जिसमें आधुनिक उद्योग को और आगे विकसित करने की जरूरत है और वह क्षेत्र है निर्यात का। अब अनेक प्रकार की निर्मित वस्तुओं, खासतौर से, इंजीनियरी सामान को विदेशी मंडियों में बेचने का अनुभव हमें प्राप्त हो गया है। चूंकि यही वह क्षेत्र है जिसमें विश्व व्यापार सबसे अधिक तेजी से बढ़ रहा है, हमें इस इलाके में भी आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि हम अधिक क्षमता बनाएं, उपयुक्त जानकारी प्राप्त करें और बिक्री की बेहतर तकनीकें भी अपनाएं। जबकि मैं निर्यात-प्रधान वृद्धि को भारतीय परिस्थितियों में सफल हो सकने वाली बात नहीं मानता, तो भी यह आवश्यक है कि निर्यात उस दर से बढ़ते रहने चाहिएं जिस दर से पिछले दो वर्षों में बढ़ते रहे हैं। आर्थिक प्रबन्ध के सम्बन्ध में अधिक क्षमता प्राप्त करने के लिए यह बढ़ौतरी आवश्यक है। सरकार स्थायी नीति के ऐसे ढांचे की व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है जो कि निर्यात को लगातार बढ़ाने के लिए सहायक हो। साथ ही, हमने सत्यनिष्ठा के साथ यह संकल्प किया है कि हम तस्करों और उन समाजविरोधी तत्वों के साथ कड़ाई से निपटेंगे जो विदेशी मुद्रा का अवैध धन्धा करते हैं। सौभाग्यवश, विदेशों से भेजी जाने वाली रकमों से सम्बन्धित हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि तस्करी का धन्धा बड़े पैमाने पर फिर से नहीं चल पाया लगता है। तथापि, हम इस मामले में सतर्क रहेंगे।

22. चूंकि बेरोजगारी हमारी एक सबसे ज्यादा दबाव डालने वाली समस्या है, इसलिए इसके हल के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब तक यह स्पष्ट हो गया है कि यह समस्या केवल औद्योगीकरण पर निर्भर रहकर ही नहीं सुलझाई जा सकती। इसलिए गामीण क्षेत्रों में ही बड़े पैमाने पर लाभपूर्ण रोजगार देने के

लिए नई कार्य-नीतियां बनानी पड़ेंगी। कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने से गामीण क्षेत्रों में अपने आप ही रोजगार की गुंजाइश बढ़ जाएगी। यह जानने योग्य दिलचस्प बात है कि जापान में प्रति एकड़ श्रम का प्रयोग, भारत में तदनुरूप स्तर की तुलना में चार गुना है। इससे यह संकेत मिलता है कि हमारी कृषि के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में नए रोजगार के अवसरों को पैदा करने की कितनी ज्यादा गुंजाइश है। अधिक सिंचाई, बेहतर कृषि पद्धतियों, दोहरी फसल, उर्वरकों के बढ़े हुए इस्तेमाल और खरपतवार की निराई से अवश्य ही अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि समय से पहले मशीनीकरण से कहीं इस प्रक्रिया पर प्रतिकुल प्रभाव न पड़े। कृषि की वृद्धि तेजी से होने से, मरम्मत, सेवाई, परिवहन आदि सहायक कार्यकलापों में रोजगार की वृद्धि होगी। साथ ही, ग्रामीण आधारभूत ढाँचे के विकास पर, खास तौर से, ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर अधिक ध्यान देना होगा। कृषि की उपज की बिक्री के लिए उचित व्यवस्था नहीं की जा सकेगी। यदि निकटतम मंडियों के साथ हमारे गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी। स्थानीय उपज के परिष्करण की सुविधा प्रदान करने के लिए सोच-विचार कर कदम उठाने होंगे जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रोजगार दिया जा सके। यदि बेरोजगारी की समस्या का कारगर हल हमें ढूंढ़ निकालना है तो गांधीजी के आत्मनिर्भर समूदायों के विचार को ठोस रूप देना होगा।

23. लघु उद्योग के विकास से भी हम बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। लघु उद्योग बड़े उद्योग का छोटा रुपान्तर नहीं होना चाहिए बल्कि वह एक ऐसा उद्योग होना चाहिए जो उस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता हो जो हमारे फालतू श्रम और दुर्लभ पूंजी की परिस्थितियों के अनुकूल हो। यद्यपि समुचित प्रौद्योगिकी के बारे में काफी चर्चा होती रही है, किन्तु यह आचर्श्य की बात कि हमने उसके विकास के लिए कितनी कम कोशिश की है : उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बैलगाड़ी परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है और आने वाले कई वर्षों तक रहेगी भी। तो भी अभी कुछ समय पहले ही हमने इसकी प्रभावोत्पादकता को सुधारने के बारे में सोचना शुरु किया है। दुर्भाग्य की बात है कि समुपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पर्याप्त साधनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हम सदा सबसे आधुनिक प्रौद्योगिकी के पीछे पड़े रहे हैं, भले ही वह निश्चित रुप से हमारे लिए बहुत उपयोगी न रही हो। इस प्रवृत्ति को विपरीत दिशा में बदलना होगा।

24. किन्तु हमें इस क्षेत्र में शुरुआत करने के लिए समुचित प्रौद्योगिकी का इन्ताजार करने की जरुरत नहीं है। हैंडलूमों और पावरलुमों के अनुभव ने यह दिखला दिया है कि आधुनिक संगठन और बिक्री के तरीकों से श्रमप्रधान उद्योग में जीवन का संचार कैसे हो सकता है। कुशलता के साथ अधिक रोजगार के अवसरों को पैदा करने के लिए दूसरे अनेक कुटीर और ग्राम उद्योगों में भी इसी तरीके से और काम करना चाहिए।

25. शहरी इलाकों में खासतौर से शिक्षित लोगों में बैरोजगारी की समस्या कम गम्भीर नहीं है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम इस समय एक ऐसी योजना के ब्योरों पर काम कर रहे हैं जो खासतौर से शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत हम उन उद्यमी युवकों को जो सहायता पाने के पात्र समझे जाएंगे, व्याज की अपेक्षा-कृत आकर्षक दरों पर बैंकों से 'बीज' धन और अन्य उपलब्ध कराएंगे।

26. आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर के लाभकारी प्रभाव जनसंख्या में वृद्धि होने से आसानी से व्यर्थ हो सकते हैं। इसलिए जनसंख्या के नियंत्रण को, जन साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के हमारे कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाना होगा। दुर्भाग्यवश पिछले दो वर्षों की घटनाओं ने परिवार नियोजन के कार्यक्रम को ठीक उस समय एक जोरदार धक्का पहुंचाया जबकि वह पिछड़े हुए इलाकों में भी आमतौर से स्वीकार किया जाने लगा था। हमारी आर्थिक प्रगति और कल्याण के लिए यह कार्यक्रम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों को छोटे परिवार का मानदण्ड स्वीकार करने के लिए तैयार करने के वास्ते लगातार सभी सम्भव प्रयत्न करने होंगे। इसलिए इस प्रयोजन के लिए जो भी निवेश जरुरी हो, बिना किसी हिचकिचाहट के, करना चाहिए। और चूंकि हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम अपने उद्देश्यों को, दबाव की बजाय लोगों को समझा-बुझाकर ही प्राप्त करेंगे, इसलिए हमें इस विषय में पहले की अपेक्षा ज्यादा प्रयत्न करने होंगे और उन्हें लगातार जारी रखना होगा।

27. जिन कार्यक्रमों की मैंने चर्चा की है वे तभी सफल होंगे जबकि उनके लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे। जिन दूसरे देशों ने वृद्धि की ऊंची दर प्राप्त कर ली है वे अपनी राष्ट्रीय आय का 30 प्रतिशत तक भाग लगा सके हैं क्योंकि उन्होंने काफी अधिक माला में बचत की है। लेकिन भारत का अनुभव दूसरी तरह का है। ऐच्छिक बचतें अपर्याप्त रही हैं। निर्मित धन और घाटे की वित्त व्यवस्था के जरिए घरेलू बचतों की दर को ऊंचा करने की कोशिशों से स्फीतिकारी दबाव तो बढ़ गए हैं परन्तु उनसे बचतों की दर को बढ़ाने में कोई सफलता नहीं मिली है। इसलिए अस्फीतिकारी तरीके से राष्ट्रीय बचतों की राशि को बढ़ाने के उपाय खोजने के लिए कुछ नए तरीके से विचार करना जरूरी है।

28. यह संदेहपूर्ण है कि केवल कराधान से ही यह बढ़ोत्तरी की जा सकती है। प्रत्यक्ष करों की ऊंची दरें उनके परिणामस्वरूप होने वाले अपवंचन के कारण उत्पादन-विरोधी पाई गई हैं और किसी भी सूरत में, प्रत्यक्ष करों की परिधि में आने वाले लोगों की संख्या इतनी कम होती है कि राजस्व वसूली आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकती। अप्रत्यक्ष कराधान भी अपनी सीमा तक पहुंच गया लगता है।

29. करों के जरिए सरकार द्वारा जुटाए गए साधन पिछले वर्षों में लगातार बढ़ते गए हैं और इस समय कर-राजस्व राष्ट्रीय आय के अनुपात में 18.9 प्रतिशत तक पहुंचा है। किन्तु सरकारी बचत नहीं बढ़ी है क्योंकि विकास भिन्न व्यय, जैसे व्याज-प्रभार, वेतन और मजदूरी, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, रक्षा व्यय और राज-सहायता आदि, अनुपात से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के उद्यम मुख्यत: प्रबन्धकवर्ग की त्रुटियों और कीमतें तय करने की अनुचित नीतियों के कारण, अभी पिछले दिनों तक पर्याप्त कमाई नहीं कर रहे थे। यदि सरकारी बचत को बढ़ाना है और उससे बड़े निवेश में योगदान प्राप्त करना है तो उनमें से कुछ कमियों को दूर करना होगा।

30. वैयक्तिक बचत को अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है यदि सादगी और अधिक कारगर तरीके से बरती जाए। हमारे समाज में उपभोग में अधिकांश वृद्धि धनवान और सम्पन्न लोगों के जीवन-यापन के ऊंचे स्तर के प्रदर्शन-कारी प्रभाव के कारण होती है। इस सबको प्रभाव-शून्य करने के लिए उपभोग में अधिक समतावाद का पालन करना होगा। हमारी कर पद्धति को इस प्रकार नई दिशा प्रदान करनी होगी कि उससे आडंबरपूर्ण जीवन-यापन को निरुत्साहित किया जाए और बचत की आदत को प्रोत्साहन मिले। किन्तु कराधान में सुधार कर देने माल से ही सादगी नहीं आ सकती। हमें उस प्रकार की जीवन-शैली के विरुद्ध जनमत जागृत करना होगा जो हमारे जैसे गरीब देश की कठोर आर्थिक वास्तविकताओं के संदर्भ में असंगत है।

31. कार्यभार संभालने के समय से ही सरकार कीमतों की स्थिति के बारे में बहुत ज्यादा चिन्तित है। पिछले कुछ सप्ताहों में कीमतों में बराबर बढ़ने का जो रुख दिखाई दिया है वह कुछ तो पिछले साल के असंतुलनों के संचित प्रभाव के कारण और कुछ मौसमी दबाव के कारण है जिससे वर्ष के इस भाग में नहीं बचा जा सकता। मैं यह वायदा नहीं कर सकता कि सरकार हर कीमत को स्थिर कर देगी क्योंकि मांग या पूर्ति में घट-बढ़ होती रहती है और इस घट-बढ़ को रोका नहीं जा सकता। फिर भी मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि आम उपभोग की बुनियादी चीजों के मामले में कीमतों में उचित स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हमने कदम उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। स्थिर कीमतों पर सभी प्रकार की असली जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास अनाज का पर्याप्त भंडार है। वनस्पति तेलों के बारे में हमें कठिन स्थिति विरासत में मिली है। जैसा कि सदन को मालूम है, पिछले साल मूंगफली के उत्पादन में अत्यन्त कमी हो जाने के कारण, वनस्पति तेलों की कीमतें काफी कुछ समय से बढ़ती रही हैं। दुर्भाग्य-वश, मूंगफली का तेल तत्काल विदेशों से नहीं मंगाया जा सकता इसलिए इस तेल की पूर्ति के बारे में सीधे कार्रवाई करने की हमारी क्षमता सीमित है। किन्तु हमने दूसरे वनस्पति तेलों का पर्याप्त आयात करने का इन्तजाम कर लिया है। इससे खाना पकाने के काम आने वाले तेलों की कीमत को स्थिर रखने में सहायता मिलनी चाहिए वनास्पति और सीधे इस्तेमाल के लिए साफ किए गए तोरिया के तेल के अधिक माला में उपलब्ध हो जाने से मूंग-फली के तेल की कीमतों पर जो दबाव पड़ रहा है वह अप्रत्यक्ष रूप से कम हो जाएगा। हमारे पास चीनी का पर्याप्त भंडार है उससे हम स्थिर कीमतों पर सभी उचित मांगों को पूरा कर सकते हैं। इस समय हम एक नई बहु-तन्तुक नीति के ब्योरों पर काम कर रहे हैं जो आम आदमी की पहुंच के भीतर रहने वाली कीमतों पर अच्छा कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। यदि यह नीति सफल हो गई तो इससे एक और लाभ यह होगा कि भारत के इस सबसे बड़े उद्योग के सभी खण्ड फिर से स्वस्थ हो जाएंगे।

बजट अनुमान

32. अब मैं बजट अनुमानों की ओर आता हूं। जो बजटपत्र आज मैं पेश कर रहा हूं उनमें 1976-77 के संशोधित अनुमान जो अन्तरिम बजट में दिए गए थे, दोबारा दिए गए हैं, क्योंकि अधिकतर मामलों में वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

33. जहां तक चालू वर्ष के लिए बजट अनुमानों का सम्बन्ध है, आशा है कि कराधान की मौजूदा दरों पर सकल कर राजस्व 8,879 करोड़ रुपए होगा और इस प्रकार 1976-77 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 798 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इस वृद्धि की राशि में से 101 करोड़ रुपए राज्यों को करों में उनके हिस्से के रूप में मिलेंगे। संघीय उत्पाद शुल्कों से 4,550 करोड़ रुपए प्राप्त होने की आशा है जो पिछले साल के संशोधित अनुमानों से 373 करोड़ रुपए अधिक है; अनुमान है कि आय और निगम करों से 2,258 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी और इस प्रकार इस मद में 180 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। सीमा शुल्कों से 1,734 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है जो कि पिछले साल की तुलना में 243 करोड़ रुपए ज्यादा है।

34. बाजार ऋणों से, गत वर्ष के 849 करोड़ रुपए की तुलना में, 1000 करोड़ रुपए प्राप्त होने की आशा है। इसके अतिरिक्त, सरकार विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों से की जाने वाली निकासी के आधार पर 800 करोड़ रुपए उधार लेने का प्रस्ताव करती है।

35. अनुमान है कि मूलधन की वापसी और ब्याज की अदायगी के लिए व्यवस्था करने के बाद 1,052 करोड़ रुपए की निवल विदेशी सहायता प्राप्त होगी, इसमें नए ऋणों के अन्तर्गत मिलने वाले भुगतान भी शामिल हैं।

36. अन्य प्राप्तियों को हिसाब म लेने के बाद, अनुमान है कि चालू वर्ष में कुल 15,366 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।

37. अब मैं, संक्षेप में, आयोजना-भिन्न व्यय के अनुमानों का उल्लेख करना चाहूँगा। अन्तरिम बजट पेश करते समय मैंने यह बताया था कि वर्तमान सरकार सादगी पर जोर देगी और सब तरह के आडम्बर से अलग रहेगी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को तथा सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों को यह कहा जाएगा कि वे खर्च में एकदम किफायत बरतें। इसके बाद इस सम्बन्ध में सभी मंत्रालयों और विभागों को, कड़ाई से पालन करने के लिए ब्योरेवार हिदायतें दे दी गई हैं। इस किफायती उपायों का पूरा असर तो तभी मालूम होगा जब इसके लिए की गई ब्योरेवार कवायदें पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा, अनावश्यक व्यय के कतिपय क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है और बजट-पत्रों में इस कवायद के फलस्वरूप इन व्ययों में लगभग 130 करोड़ रुपए की कटौती दिखाई गई है।

38. रक्षा व्यय के लिए 2,752 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो अन्तरिम बजट में की गई व्यवस्था से 56 करोड़ रुपए कम है। खाद्य सहायता और सुरक्षित भंडार को ढोने के खर्च के लिए इस समय तो 460 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है लेकिन वर्ष के दौरान पैदा होने वाले रुखों के आधार पर इस पर फिर से विचार किया जाएगा।

39. राज्यों को करों में हिस्सा देने की अपनी योजना में, छटा वित्त आयोग ब्योरे के अभाव में पांचवीं आयोजना की अवधि में राज्यों द्वारा लिए गए और बांटे गए ऋणों के खाते में उनकी निवल ब्याज सम्बन्धी देनदारी को हिसाब में नहीं ले सका था? उस आयोग की सिफारिश के अनुसार, घाटे वाले राज्यों की निवल ब्याज सम्बन्धी देनदारी का हिसाब लगा लिया गया है और 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के सम्बन्ध में इस खाते में सम्बन्धित राज्यों को अतिरिक्त सहायता अनुदान के लिए बजट में 72 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

40. केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों ने मुझसे अनुरोध किया है कि जीवन निर्वाह के ऊंचे खर्च को ध्यान में रखते हुए उनकी पेंशनों पर राहत की मात्रा को बढ़ाया जाए। जैसा कि सदन को मालूम है पहले भी समय-समय

पर राहत देने का उपाय किया गया है । मेरे विचर से इस समय यही उचित होगा कि उन्हें क्रमिक दरों पर एक विशेष राहत प्रदान की जाए, इसके लिए राजकोष से प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे ।

41. अब मैं 1977–78 की वार्षिक आयोजना के परिव्ययों की ओर आता हूं । जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, हमारा पक्का मत है कि आयोजनागत प्राथमिकताओं का व्यापक रूप से पुनः क्रम निर्धारण करके ही हम अपनी आर्थिक बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आयोजना की कार्यनीति का फिर से मूल्यांकन करना होगा । इससें कृषि की प्रमुखता को मान्यता मिलनी चाहिए और ग्रामीण विकास तथा एक निश्चित समय-सीमा में बेरोजगारी के उन्मूलन को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । ये ही वे काम है जिन्हें हमारा पुनर्गठित योजना आयोग अवश्य पूरा करेगा । फिर भी इसमें कुछ समय लग जाएगा । इस बीच सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह वाँछित दिशा सें आगे बढ़े । इस बजट का भी यही उद्देश्य है ।

42. अतः हमें जो थोड़ा सा समय मिला है उससें हमने विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श करके 1977–78 की वार्षिक आयोजना के परिव्ययों की तुरन्त समीक्षा की है और जहां तक संभव हुआ है, जनता पार्टी के घोषणापत्र में दी गई प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप हमारे विकास कार्यक्रमों को नई दिशा प्रदान करने की कोशिश की है । किन्तु हम कोरी पट्टी पर नहीं लिख रहे हैं। चालू योजनाओं को न तो छोड़ा जा सकता है और न ही उनकी गति को अनुचित रूप से धीमा किया जा सकता है । क्योंकि ऐसा करने से काफी वित्तीय हानि होगी। राज्य सरकारों के साथ उनकी आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने के बारे सें की गई वचनबद्धताओं का भी, उनकी आयोजनाओं को अंतिम रूप देने के समय योजना आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, आदर करना होगा इन वचनबद्धताओं के कारण, हमें अपनी विचारधारा के अनुसार आयोजना को नया रूप देने से अवश्य ही गंभीर रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है । इसलिए फेरबदल करने की गुंजाइश बहुत सीमित है । फिर भी अच्छी-खासी बचत कर ली गई है । अपेक्षाकृत नीची प्राथमिकताओं वाली योजनाओं को समुचित रूप से पुनः क्रमबद्ध किया गया है ।

43. जनता को दिए गए वचनों का पालन करते हुए, हमने फिर से ढाली गई आयोजना में अब कृषि, सिंचाई, बिजली, खादी और ग्रामोद्योग, कोशकीट-पालन, हाथ-करघों, ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और टेलीफोन की सुविधाओं और अनेक ग्रामीण आधारभूत कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की है । इन ग्रामीण कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथसाथ, जोड़ने वाली टिकाऊ सड़कों और गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था से सम्बन्धित योजनाएं भी शामिल हैं। हमारा इरादा है कि ग्रामीण आधारभूत ढांचे की सुविधाओं को विकसित करने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों पर अगले साल परिव्यय को और ज्यादा बढ़ाया जाए जिससे कि एक निश्चित अवधि सें, मान लीजिए, पांच वर्ष में समूची ग्रामीण जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी की जा सकें । हमारा यह भी इरादा है कि राज्य सरकारों से परामर्श करके, गंदी बस्तियों को साफ करने और शहरी क्षेत्रों को नया रूप देने के कार्यक्रमों की समीक्षा की जाए और इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की गति को तेज करने के लिए अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था की जाए ।

44. 1977–78 के केन्द्रीय बजट में केन्द्रीय आयोजना के लिए और राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं सें सहायता देने के लिए 5,790 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है । गत वर्ष इस कार्य के लिए 4,759 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे । इस प्रकार विकास की गति को बनाए रखा जा रहा है ।

45. केन्द्रीय बजट सें आयोजना के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें 1812 करोड़ रुपए कीं वह राशि भी शामिल है जिसमें से राज्यों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाएगी और संघीय राज्य क्षेत्रों को आयोजनाओं के लिए पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों की उप-आयोजना के लिए, उत्तरपूर्वी परिषद के लिए व्यवस्था की जाएगी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को बिजली की योजनाओं के लिए सहायता दी जाएगी । इस निर्धारित राशि में राज्यों को आयोजना के लिए दी जाने वाली विशेष अग्रिम सहायता का तत्व भी शामिल है जिससे कि राज्य सिंचाई और बिजली के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जरूरी परियोजनाओं में अपेक्षित स्तर पर निवेश करने के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था कर सकें । बजट सें केन्द्रीय आयोजना के लिए 3978 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । सरकारी उपक्रमों के आन्तरिक और अन्य साधनों को शामिल करते हुए, केन्द्रीय आयोजना, 1976–77 के 4090 करोड़

रुपए के मुकाबले, 1977–78 में 4939 करोड़ रुपए की होगी । राज्यों और संघीय क्षेत्रों की आयोजनाएं, कुल मिलाकर, 1976–77 के 3762 करोड़ रुपए के मुकाबले, 1977–78 में 5021 करोड़ रुपए की होंगी । केन्द्र, राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की वार्षिक आयोजनाओं का कुल परिव्यय, 1976–77 के 7852 करोड़ रुपए के मुकाबले, 1977–78 में 9960 करोड़ रुपए का होगा । यह 27 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है ।

46. हम महसूस करते हैं कि अग्रदर्शी, गतिशील और विविधतापूर्ण कृषि की अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि फसल उत्पादन, पशु धन और मुर्गी-पालन, मीन उद्योग और वन-रक्षण के एकीकृत विकास का उद्देश्य सामने रखा जाए । सहकारी आधार पर डेयरी उद्योग के विकास पर विशेष बल देने की जरूरत होगी जिससे दूध का उत्पादन करने वाले लोगों को बेहतर और उचित कीमतें मिल सकें । ओपरेशन फ्लड स्कीम के प्रथम चरण में सराहनीय प्रगति हुई है और अब हमें इस स्कीम के दूसरे चरण का पूरा लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए । उत्पादन नीति कृषि के आधुनिकीकरण पर आधारित होनी चाहिए जिससें निरंतर और यथासंभव ऊंची वृद्धि की दर को प्राप्त करने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप सें प्रौद्योगिकी का और ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए । मौजूदा आयोजना की व्यवस्थाओं और प्राथमिकताओं को इस उद्देश्य से पुनः क्रमबद्ध किया गया है कि विकास से वंचित खाली जगहों का पता लगाया जा सके और सक्षम इलाकों को पहचाना जा सके जहां अधिक निवेश करने से कृषि की वृद्धि की गति और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है । ऐसा करते हुए हमने (क) भविष्य सें त्वरित विकास करने के लिए आधार के रूप सें ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, (ख) ग्रामीण क्षेत्रों सें रोजगार पैदा करने, (ग) समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने और (घ) पूर्ति तथा मांग के असंतुलनों को ठीक करने के लिए रूई, तेलहनों और दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की जरूरत को ध्यान सें रखा है । हरियाणा गुजरात और राजस्थान सें रेगिस्तानी इलाकों के विकास के लिए एक प्रायोगक परियोजना तैयार की जा रही है और इस प्रयोजन के लिए बजट अनुमानों में व्यवस्था कर दी गई है ।

47. कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की कुंजी सिंचाई के पास है । हालांकि पांचवीं आयोजना सें 58 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त जमीन के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है, फिर भी वित्तीय परिव्यय इस लक्ष्य के अनुरूप नहीं है । इसके अलावा, परियोजनाओं की पर्याप्त श्रृंखला, बनाए रखने के उद्देश्य से, चालू आयोजना में नई सिंचाई परियोजनाओं पर कार्रवाई शुरू करने की जरूरत पर भी ध्यान नहीं दिया गया है । सिंचाई की परियोजनाओं के आधुनिकीकरण पर भी और ज्यादा जोर देने की जरूरत होगी जिससे कि पानी को, जोकि एक दुर्लभ साधन है, सुरक्षित रखा जा सके । इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम सिंचाई की योजनाओं के लिए राज्यों को अग्रिम आयोजना सहायता देने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करते हैं ।

48. छोटी सिंचाई के लिए आयोजना परिव्यय की अनुपूर्ति में लगभग 260 करोड़ रुपए की राशि कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम और अन्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दी जाएगी । पंप सेटों को बिजली देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जो संस्थाओं से प्राप्त वित्त से काफी हद तक और बढ़ जाएगी ।

49. कृषि और सहायक सेवाओं, बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई की परियोजनाओं तथा उर्वरकों और सहकारी संस्थाओं के लिए व्यवस्था एवं ग्रामीण इलाकों के लिए निर्धारित बिजली के क्षेत्रों के लिए, कुल मिला कर, 3024 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है । सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यह राशि केन्द्र, राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के समूचे परिव्यय की 30.4 प्रतिशत बैठती है ।

50. हालांकि राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों के विकास पर क्रमिक आयोजनाओं सें युक्ति-युक्त रूप सें पर्याप्त ध्यान दिया जाता रहा है, मगर अफसोस की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों की अपेक्षा की जाती रही है । मैं समझता हूं कि पहुंच सड़कों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र को पहल करनी चाहिए क्योंकि ये सड़कें ग्रामीण विकास के लिए आधारभूत ढांचा बनाने के किसी भी कर्यक्रम का एक अभिन्न अंग है । इसलिए हम 20 करोड़ रुपए के के साथ इसकी शुरुआत करने का प्रस्ताव करते हैं । इसके लिए राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा समुचित परिव्यय साधनों की अनुपूर्ति किए जाने पर, इन महत्वपूर्ण इलाकों सें यह कार्यक्रम तेजी से बढ़ चलेगा । का० के लिए अनाज की नई योजना का भी कल्पनाशीलता के साथ इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है ।

51. आयोजना के तीन दशकों के बावजूद भी, अब भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पीने के पानी की बहुत ज्यादा कमी है। हालांकि इस प्रयोजन के लिए साधन ढूंढ़ने और कार्यक्रम कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है फिर भी मैं महसूस करता हूं कि केन्द्रीय सरकार भी सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करे और राज्यों के प्रयत्नों में योगदान दे। इस अनुपूरक सहायता का उपयोग समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए और ऐसे गांवों का निर्धारण वस्तुपूरक कसौटियों पर किया जाना चाहिए। हम तत्परता के साथ इसी वर्ष इस कार्यक्रम का श्रीगणेश करना चाहते हैं और इसके लिए मौजूदा परिव्यय के अलावा, 40 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था करने का प्रस्ताव करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित राशि में क्रमशः वृद्धि की जाएगी जिससे कि इस कार्यक्रम के लाभों को पांच साल की अवधि में सभी समस्याग्रस्त गांवों तक पहुचाया जा सके। केन्द्र और राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम की पुरी निगरानी रखनी होगी।

52. मैं यहां उन योजनाओं का भी उल्लेख करना चाहूंगा जो हरिजनों, आदिवासियों और हमारे लोगों के दूसरे कम उन्नत वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इन योजनाओं को राज्यों की आयोजनाओं में स्थान मिला है। मैं इस सम्बन्ध में तैयार किए गए कार्यक्रमों और निर्धारित रकमों के बारे में सन्तुष्ट नहीं हूं और इन मामलों में, प्राथमिकता के आधार पर, राज्य सरकारों और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों से, इन कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से विचार-विमर्श करना चाहता हूं।

53. बिजली के विकास के लिए केन्द्रीय आयोजना में 234 करोड़ रूपए की राशि रखी गई है। इस व्यवस्था में सिंगरौली सुपर थर्मल स्टेशन के लिए 33 करोड़ रूपए, एक दूसरे सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर कार्रवाई शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए, बिजली भेजने की अन्तर-राज्यीय लाइनों के लिए 17 करोड़ रुपए और परमाणु बिजली परियोजनाओं के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में, जहां बिजली के लिए अधिकांश व्यवस्था की गई है, 1676 करोड़ रुपए के परिव्यय की कल्पना की गई है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिए 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है जिससे बिजली तंत्र का सुधार किया जाएगा और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एल० टी० कैपेसिटरों की व्यवस्था की जाएगी; इन दोनों कार्रवाइयों का उद्देश्य ऊर्जा की हानि को कम करना है।

54. ऊर्जा के मामल्ने में आत्मनिर्भरता का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तदनुसार पैट्रोलियम के लिए आयोजना में की गई व्यवस्था को बढ़ाकर, 1976–77 के 485 करोड़ रुपए के मुकाबल्ने, 1977–78 में 677 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इसमें से 451 करोड़ रुपए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को तट पर तेल की खोज करने के उनके कार्यक्रम के लिए और तट से दूर समुद्र में खोज करने के कार्य की गति को तेज करने के लिए दिए जाएंगे। हमने हाल ही में बोम्बे हाई और बेसीन क्षेत्रों के तेल और प्राकृतिक गैस के विकास की योजना को मंजूर किया है। आशा है कि 1977-78 में, देश में कच्चे तेल का उत्पादन 113.1 लाख मेट्रिक टन तक हो जाएगा जबकि 1976–77 में 88.9 लाख मेट्रिक टन हुआ था।

55. तमिलनाडु में बिजली की कठिन स्थिति को देखते हुए, नेवेली लिगनाइट निगम के लिए 5 करोड़ रुपए की विशेष व्यवस्था की गई है जिससे 200 मेगावाट की क्षमता के एक नए लिगनाइट आधारित बिजली संयन्त्र की स्थापना की जाएगी।

56. भिलाई और बोकारो कारखानों के विस्तार कार्यक्रमों को फिर से क्रमबद्ध करने की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, इस्पात के लिए, इस बजट में, 1976–77 के 402 करोड़ रुपए के मुकाबले, 511 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

57. परिवहन और संचार के लिए बजट में 651 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, जिसमें से 302 करोड़ रुपए रेलवे के लिए होंगे जिसका आयोजना परिव्यय 480 करोड़ रुपए है। महानगरीय परिवहन परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें से 8.6 करोड़ रुपए कलकत्ता की मास रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट के लिए है। बम्बई में रैपिड मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए छठे कोरिडोर प्रोजेक्ट के एक हिस्से को भी मंजूरी दे दी गई है।

58. ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डाकतार सहित संचार सम्बन्धी आयोजना में फेर-बदल किया गया है। तदनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक डाकघर खोलने के लिए और टेलीफोन तथा तार की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

59. हमारा यह विश्वास है कि खादी और ग्रामोद्योगों को अगर अच्छी तरह से संगठित किया जाए तो उनसे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सकता है। आयोजना में इन कार्यक्रमों के लिए 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था यह मानते हुए की गई है कि अगर जरूरत हुई तो और रकम भी मिल जाएगी। यह आशा की जाती है कि इन योजनाओं से लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

60. हाथकरघे के लिए 20 करोड़ रुपए और कोशकीट पालन के लिए 4 करोड़ रुपए की और व्यवस्था की गई है जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। इन अतिरिक्त परिव्ययों की व्यवस्था इन ग्रामीण और श्रम प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गई है।

61. आयोजनागत और आयोजना-भिन्न दोनों खातों के व्यय को और कराधान के मौजूदा स्तरों पर अनुमानित प्राप्तियों को हिसाब में लेने के बाद, चालू वर्ष के बजट में 202 करोड़ रुपए का घाटा रहता है।

प्रत्यक्ष कर

62. अब मैं इस घाटे को संभव सीमा तक पूरा करने के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव पेश करता हूं।

63. प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित जिन प्रस्तावों को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं उनका उद्देश्य कम्पनियों की बचतों को बढ़ाना, उत्पादक निवेशों में और धनराशि लगाना, औद्योगिक वृद्धि की गति को तेज करना और साथ ही प्रत्यक्ष करों की पुनर्वितरणकारी भूमिका को जो कि मेरे विचार से प्रत्यक्ष करों को अवश्य निभानी चाहिए, सुदृढ़ करना है।

64. जहां तक अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, मैंने इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने का प्रयास किया है कि मेरे प्रस्तावों का जीवनयापन की आवश्यक वस्तुओं के साथ टकराव न हो। कुछ सुपात्र क्षेत्रों को राहत देते हुए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के टैरिफ ढांचे को सामान्य रूप से सरल और युक्तिसंगत बनाते हुए, प्रमुख रूप से मैंने अपेक्षाकृत कम आवश्यक वस्तुओं अथवा ऐश-आराम की वस्तुओं से साधन जुटाने का प्रयास किया है।

65. जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए एक वायदे को पूरा करने के इरादे से मैं इस व्यवस्था का प्रस्ताव करना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों (इंडिविज्युअल्स) तथा हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों की कराधान-योग्य आय 10,000 रुपए से ज्यादा न हो, उन्हें कोई आय कर न देना पड़ेगा। किन्तु राजस्व के इस बलिदान को न्यूनतम सीमा पर रखने के लिए आय का वह खंड जिस पर आयकर नहीं लगता, 8000 रुपए तक ही कायम रखा जा रहा है। अतः जिन मामलों में कराधान योग्य आय 10,000 रुपए से बढ़ जाएगी, उन मामलों में 8,000 रुपए से ऊपर की आय पर उसी तरह से कर लगाया जाएगा जैसे अब लगाया जाता है, किन्तु जिन मामलों में, कराधान योग्य आय 10,000 रुपए से थोड़ी-सी ज्यादा हो, उनमें उसी हिसाब से मामूली राहत भी दी जा सकेगी।

66. मैं आयकर की आधारिक दरों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। फिर भी अतिरिक्त साधन जुटाने की महती आवश्यकता को देखते हुए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कम्पनियों को छोड़कर, करदाताओं के समस्त वर्गों के सम्बन्ध में आयकर पर अधिभार की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाए। अधिभार की दर में वृद्धि हो जाने से, वैयक्तिक आयकर की अधिकतम सीमान्तिक दर, 69 प्रतिशत हो जाएगी जबकि इस समय यह दर 66 प्रतिशत है।

67. मैं ऐसा महसूस करता हूं कि 1976 के बजट में धन कर की दरों में, अनुचित सीमा तक कमी कर दी गई थी। यदि धन कर के असली उद्देश्य को पूरा करना है तो धन कर की व्यवस्था इस तरीके से की जानी चाहिए कि यह कर न तो दुखदायी हो और न ही उत्पादन-विरोधी, बल्कि व्यक्तियों के हाथों में अत्यधिक धन संचय पर इसका असर जरूर पड़े। मामले के इस पक्ष को देखते हुए मैं धन कर की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। पहले 2.5 लाख रुपए के निवल धन पर 1/2 प्रतिशत की मौजूदा दर, बिना किसी परिवर्तन के, कायम रखी

जाएगी लेकिन इससे ऊपर के खण्डों के लिए, मौजूदा दरों में 1/2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाएगी, और सब से ऊंचे खण्ड के सम्बन्ध में अर्थात् 15 लाख रुपए से ऊपर के उच्चतम खण्ड के सम्बन्ध में, कर की नई दर साढ़े तीन प्रतिशत होगी, यानी मौजूदा दर के ऊपर एक प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी । ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के सम्बन्ध में, जिनमें एक या एक से अधिक सदस्यों के पास 1 लाख रुपए से ज्यादा का निवल धन हो, लागू होने वाली दरों में भी तदनुरूप परिवर्तन किए जाएंगे । नई दर अनुसूची चालू कर-निर्धारण वर्ष से लागू होगी और दर अनुसूची में जो परिवर्तन गत वर्ष किए गए थे, उनको अधिक्रांत कर देगी । इन परिवर्तनों के फलस्वरूप 1977-78 में लगभग 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी ।

68. जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं, सरकार ने अनिवार्य जमा योजना, जहां तक कि यह अतिरिक्त महगाई भत्ते पर लागू होती है, 6 मई, 1977 से समाप्त कर दी है । किन्तु अर्थ-व्यवस्था की स्थिति को तथा मुद्रा-स्फीतिकारी मौजूदा दबावों को ध्यान में रखते हुए मैं आयकरदाताओं के सम्बन्ध में अनिवार्य जमा योजना को और दो वर्ष के लिए जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं ।

69. औद्योगिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मैं निवेश छूट योजना के क्षेत्र को, जिसे पिछले वर्ष शुरू किया गया था, और व्यापक बनाना वांछनीय समझता हूं । दुर्भाग्य से उस योजना में कोई भी सुपरिभाषित और स्पष्ट मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है जिसके अनुसार ऐसे उद्योगधन्धों का चुनाव किया जा सके जिनको इस रिआयत का लाभ किया जाना चाहिए । इसलिए रिआयत पाने के दावेदारों को यह समझना कठिन हो गया था कि यह लाभ कुछ उद्योगों को ही क्यों दिया गया, जबकि दूसरों को नहीं दिया गया । चूंकि निवेश की वित्त-व्यवस्था करने के उद्देश्य से आन्तरिक साधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है, इसलिए मैं यह ठीक समझता हूं कि उन उद्योगधन्धों को छोड़कर, जो निर्दिष्ट किस्म की कम प्राथमिकता वाली वस्तुओं जैसे सिगरेटों, श्रृंगार सामग्री, तथा मद्यसारयुक्त पेय पदार्थों के निर्माण में लगे हैं शेष सभी उद्योगधन्धों में निवेश छूट योजना लागू कर दी जाए । अर्थ-व्यवस्था के लिए यह उपाय बहुत लाभदायक सिद्ध होगा ।

70. वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मैं उन लोगों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करना चाहता हूं, जो अपने ही देश में विकसित तकनीकी जानकारी का उपयोग करते हैं । तदनुसार प्रस्ताव किया जाता है कि सरकारी प्रयोगशालाओं, सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों तथा विश्वविद्यालयों में विकसित तकनीकी ज्ञान के अनुसार बनाई जाने वाली किसी चीज के निर्माण के लिए जो भी मशीनें या संयंत्र स्थापित किए जाए उनके सम्बन्ध में 35 प्रतिशत की अपेक्षाकृत ऊंची दर पर निवेश छूट दी जाए ।

71. उद्योगधन्धों का अधिकतम विस्तार करने के उद्देश्य को सामने रखते हुए मैं अल्पजनधारित औद्योगिक कम्पनियों को इस बात के लिए विवश करने में कोई लाभ नहीं समझता कि वे अपने निवल लाभ के काफी ज्यादा प्रतिशत अंश को लाभांश के तट पर वितरित करें । इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रकार की कम्पनियों को लाभांश के अनिवार्य वितरण की अपेक्षा से छूट दे दी जाए । मैं यह राहत अन्य किस्म की सभी दूसरी अल्पजनधारित कम्पनियों के सम्बन्ध में नहीं देना चाहता ।

72. मेरा विश्वास है कि पूंजीगत लाभों पर कर लगाने की मौजूदा व्यवस्था से निवेश योग्य साधनों की पर्याप्त गतिशीलता के मार्ग में रुकावट पैदा होती है और इससे कम प्राथमिकता वाली परिसम्पत्तियों में ही पूंजी निवेश किए जाने की प्रवृत्ति को बल मिलता है । इस दृष्टि से, मैं पूंजीगत लाभों के कराधान की वर्तमान योजना में कुछ परिवर्तन किए जाने का सुझाव देता हूं :—

(क) इस समय केवल उन्हीं पूंजीगत लाभों पर कर सम्बन्धी रिआयतें मिल सकती हैं जो ऐसी पूंजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से हुए हों जो करदाता के कब्जे में 60 महीने से अधिक की अवधि तक के लिए रही है । गतिशीलता में सुधार करने की दृष्टि से मैं प्रस्ताव करता हूं कि कब्जे की अवधि कम करके 36 महीने कर दी जाए ।

(ख) जो पूंजीगत परिसम्पत्ति पहली जनवरी 1954 से पहले अर्जित कर ली गई थी उस के सम्बन्ध में करदाता उस पर सम्पत्ति की प्राप्ति की वास्तविक लागत के बजाए उसके पहली जनवरी 1954

उचित बाजार मूल्य को भी अपना सकता है । 23 वर्ष से भी पहले की किसी तारीख को किसी पूंजीगत परिसम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य क्या था इसका निर्धारण करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं । इसके अलावा, एक लम्बे अर्से तक धारित परिसम्पत्ति के अंतरण से जो पूंजीगत लाभ प्राप्त होता है वह ऐसी दुनियां में जहां पर मुद्रास्फीति बराबर बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, बड़ी हद तक भ्रमपूर्ण ही है । इसलिए कुल मिलाकर मुझे यही वांछनीय लगता है कि कल्पित तारीख को 10 वर्ष और बढ़ाकर पहली जनवरी 1964 कर दया जाए ।

(ग) पूंजीगत लाभकर रिहायशी मकान की बिक्री पर भी देय होता है वर्तमान कानून में यह व्यवस्था है कि यदि निर्धारित समय में दूसरा रिहायशी मकान खरीद लिया या बनवा लिया जाए तो उस हालत में, पूंजीगत लाभों पर पूरी या आंशिक छूट मिल सकती है जो इस बात पर निर्भर करती है कि नए रिहायशी मकान पर पूंजीगत लाभ की कितनी रकम इस्तेमाल की गई है । आभूषणों या शेयरों जैसी परिसम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त पूंजीगत लाभ के सम्बन्ध में इस प्रकार की रिआयतें नहीं मिलतीं । किन्तु इस तरह का भेदभाव रखने का मैं कोई औचित्य ही नहीं समझता । इसलिए यदि किसी भी परिसम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त रकम को फिर से छः महीने के अन्दर-अन्दर शेयरों, बैंक जमा खातों, यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों अथवा अन्य तरजीही परिसम्पत्तियों में लगा दिया जाए तो उस पूंजीगत लाभ के सम्बन्ध में मैं कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं । इस बात की व्यवस्था करने के लिए कि इस रिआयत का अनुचित उपयोग न हो, यह आवश्यक कर दिया गया है कि वह परिसम्पत्ति, जिसमें बिक्री से प्राप्त रकम फिर से लगा दी गई है, कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक जरूर कब्जे में रखी जाएगी ।

73. औद्योगिक उपक्रमों की रुग्णता राष्ट्र के लिए भारी चिंता का विषय बन गई है । किसी भी उद्योग में किसी बड़े निर्माणकारी एकक के बंद हो जाने से उसका मूल्य समाज को चुकाना पड़ता है क्योंकि इससे उत्पादन और रोजगार को नुकसान पहुंचता है और इसके अलावा मूल्यवान् पूंजीगत परिसम्पत्ति भी बर्बाद हो जाती है । इस संबंध में जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा हमेशा इस तरह के एककों को अपने हाथ में ले लेना इस समस्या का न तो कोई अत्यधिक संतोषजनक और न ही कोई मितव्ययता पुर्ण समाधान है । अपेक्षाकृत अधिक कारगर उपाय तो यह होगा कि कुछ प्रोत्साहन देकर तथा रुग्ण एककों को स्वस्थ एककों के साथ मिलाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके ऐसी सुविधा उपलब्ध की जाए जिससे कि रुग्ण औद्योगिक एकक स्वेच्छा से स्वस्थ एककों के साथ मिला दिए जाए । तदनुसार यह व्यवस्था करने का विचार है कि जिन मामलों में केन्द्रीय सरकार यह स्वीकार कर ले कि रुग्ण एकक को स्वस्थ एकक में मिला देना लोक हित में है, उन मामलों में जो कम्पनी रुग्ण एकक को अपने में मिला लेती है उस कम्पनी की संचित हानियों और समाविष्ट मूल्यह्रास को आगे ले जाए जाने की अनुमति दे दी जाएगी और उसे उस कम्पनी के हाथ में प्रतिसंतुलन के लिए रख दिया जाएगा जिसका विलय किया गया है ।

74. कम्पनियों को ग्राम कल्याण और ग्रामोत्थान के नामों में हाथ बंटाने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखता हूं कि इन कम्पनियों द्वारा ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रमों पर किए गए खर्च की, उनके कर योग्य लाभों का हिसाब लगाते समय, कटौती करने की अनुमति दी जाएगी ।

75. देहाती इलाकों में छोटे पैमाने के औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा देने के उद्देश्य से, मैं उन उद्योगों पर तरजीही कर व्यवस्था लागू करना चाहता हूं जो इस तरह के इलाकों में स्थापित किए गए हों और जो निर्माण का काम 30 जून 1977 के बाद शुरू करेंगे । इस तरह के उपक्रमों को अपने कर योग्य लाभों का हिसाब लगाने में अपने लाभ के 20 प्रतिशत के बराबर की रकम की कटौती करने का अधिकार होगा । उपक्रम जिस वर्ष से निर्माण का काम शुरू करेगा उस वर्ष से लेकर दस वर्ष तक प्रति वर्ष उसे यह रिआयत उपलब्ध की जाएगी ।

76. पिछले वर्ष एक व्यवस्था की गई थी । जिसके अन्तर्गत कम्पनियों को यह विकल्प दिया गया था कि वे आयकर पर 5 प्रतिशत अधिभार देने के बजाए उतनी ही रकम पांच वर्षों की अवधि के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जमा करा सकते हैं । मैं इस विकल्प को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं । तदनुसार बजट में 56 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर की प्राप्ति दिखाई गई है ।

77. पूर्व प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले दान की राशि के सम्बन्ध में दान देने वाले व्यक्ति की सकल कुल आय के 10 प्रतिशत तक की रकम पर कर नहीं लगता; किन्तु कर से मुक्त की जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए है । यह महसूस किया जाता है कि यह अधिकतम सीमा अनावश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक है और यह उचित पूर्त प्रयोजनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उदारतापूर्वक दान दिए जाने के मामले में दाताओं को निरुत्साहित करती है । तदनुसार मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ा कर 5 लाख रुपए कर दी जाए ।

78. भारतीय तकनीशनों को भारत से बाहर विदेशों में सेवा करने पर किसी विदेशी सरकार अथवा विदेशी उद्यम से जो पारिश्रमिक मिलता है उससे पचास प्रतिशत भाग को आय-कर से छूट दी जाती है । जब नियोजक एक भारतीय उपक्रम हो तब यह रिआयत न दी जाए, उसमें यह बात न्यायसंगत नहीं जान पड़ती । तदनुसार मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस रिआयत का दायरा बढ़ा दिया जाए ताकि यह भारत से बाहर भारतीय उपक्रम द्वारा अपनी किसी शाखा अथवा कार्यालय में नियुक्त किए गए भारतीय तकनीशनों पर भी लागू हो सके ।

79. छोटे लाभांशों में से कर की रकम काट लेने से संयुक्त पूंजी कम्पनियों में पूंजी लगाने वाले कई छोटे छोटे निवेशकों को भारी कठिनाई होती है । इस उद्देश्य से कि इस तरह के निवेशकों, खासकर देहाती इलाकों के निवेशकों को कोई असुविधा न हो, लाभांश में से स्रोत पर कर की रकम काट लेने की व्यवस्था को उन लोगों के मामले में समाप्त कर दिया जाएगा जिनको अदा की जाने वाली लाभांश की रकम 250 रुपए से अधिक न हो ।

80. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम 1975 के द्वारा की गई एक व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्त अथवा धार्मिक न्यासों और संस्थाओं को अपनी रकमें आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट कुछ रूपों में तथा तरीकों से निवेश करनी पड़ती हैं । जो न्यास अथवा संस्था पहली अप्रैल 1978 को अथवा इसके बाद शुरू होने वाले किसी लेखा वर्ष में निवेश की इस निर्धारित प्रणाली को कहीं अपनाएगी उसे आयकर से छूट नहीं दी जाएगी या इस सम्बन्ध में सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए तथा इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि नए उपबन्धों के अनुरूप निवेश करने की प्रणाली में अपेक्षाकृत अधिक सुचारु तरीके से परिवर्तन किया जा सके. निवेश की नई प्रणाली को अपनाने की तरीख को तीन वर्ष बढ़ा देने, अर्थात् उसे पहली अप्रैल 1978 से बढ़ाकर पहली अप्रैल 1981 कर देने का प्रस्ताव है ।

81. मैंने आयकर पर अधिभार बढ़ाने तथा धन कर की दरें बढ़ाने से होने वाली प्राप्तियों को जमा खाते में रख लिया है । व्यक्तियों, हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों आदि के मामलों में 10,000 रुपए तक की वार्षिक आय को कर मुक्त कर देने के कारण राजस्व में जो हानि होगी उसे भी ध्यान में रखा गया है । कुल मिला कर प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों का प्रभाव यह होगा कि चालू वर्ष में केन्द्र को 92 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

82. जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष करों से सम्बधित कानून उत्तरोत्तर इतने अधिक पेचीदे हो गए हैं कि उन्हें आसानी से नहीं समझा जा सकता । अतः यह आवश्यक है कि इन कानूनों को सरल तथा युक्तिसंगत बनाने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए ताकि करदाता उन्हें तुरन्त समझ सकें, मुकदमेबाजी को कम किया जा सके और इस तरह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हित सिद्ध हो सके । इसके अलावा यह भी जरूरी है इन कानूनों को लागू करने, कर का शीघ्र निर्धारण करने और इन कानूनों के अन्तर्गत अपीलीय तथा अन्य कार्रवाइयां शीघ्रता से निपटाने के लिए आवश्यक अर्थोपायों की जांच की जाए । इसलिए प्रत्यक्ष करों से सम्बधित कानूनों को सरल और युक्तिसंगत बनाने की दिशा में सुझाव देने के लिए सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया गया है । मेरा इरादा यह है कि मैं समिति को वर्ष समाप्त होने से पहले ही अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहुंगा ।

अप्रत्यक्ष कर

83. अब मैं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित अपने प्रस्तावों की ओर आता हूं । केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सम्बन्धी मेरे प्रस्ताव तीन श्रेणियों में आते हैं; पहली श्रेणी का सम्बन्ध अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए किए गए प्रस्तावों से है, दूसरी श्रेणी के प्रस्ताव उत्पाद-शुल्कों को कम करने या समाप्त करने से सम्बन्धित हैं और प्रस्तावों की अंतिम श्रेणी शुल्क सम्बन्धी ढांचे को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए है ।

84. परवर्ती पांच मदों पर 10 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। (i) हाथ औजार और छोटे औजार जिन पर पहले उत्पाद शुल्क नहीं लगता था, (ii) तोलने की मशीनें और तौलने के कांटे, (iii) हाथ घड़ियां, दीवार घड़ियां और मेज घड़ियां, (iv) बिजली की रोशनी की फिटिंग और (v) जूतों, धातुओं, कारों आदि के लिए पालिशें : एसीटलीन गैस पर भी 12 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। किन्तु हाथ औजारों और छोटे औजारों, बिजली की रोशनी की फिटिंग और पालिशों के लघु निर्माता अपने 1 लाख रुपए तक के उत्पादन के लिए शुल्क से मुक्त रहेंगे । आशा है कि इस प्रकार शुल्क लगाने से एक वर्ष में 11 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा ।

85. जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, 1975 में एक प्रयोग के तौर पर उन वस्तुओं पर, जिन पर किसी विशिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क नहीं लगते थे, 1 प्रतिशत की दर से सामान्य उत्पाद-शुल्क लगाया गया था। यह प्रयोग इस रूप में सफल रहा कि अनुचित रूप से किसी प्रकार का बोझ डाले बिना या परेशान किए बिना ही हम काफी बड़ी धनराशि, अर्थात् 37 करोड़ रुपए एकत्र कर सके। जबकि हमें अतिरिक्त साधनों की जरूरत है, तो इस दर को बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर देना बहुत ही उपयुक्त मालूम होता है । उसके लगातार पड़ने वाले असरको कम करने के लिए ऐसे मामलों में कुछ प्रतिसंतुलन कर दिया जाएगा जहां इन वस्तुओं का उपयोग ऐसा दूसरा सामान बनाने के लिए किया जाएगा जो खुद भी उत्पाद-शुल्क के योग्य है ।

86. यह सोचते हुए कि इस उत्पाद-शुल्क के शीर्षक के अन्तर्गत तरह तरह का सामान बनाने वाले बहुत से छोटे एकक आते हैं, मैंने यह व्यवस्था कर दी है कि ऐसे किसी भी एकक पर उत्पाद-शुल्क नहीं लगाया जाएगा जिसका वार्षिक कारोबार 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है । यह छूट उस मौजूदा छूट के स्थान पर होगी जो कामगारों की संख्या पर आधारित है । मैं बिना बिजली के चलने वाले सभी एककों को भी इस शुल्क से मुक्त कर रहा हूं ।

87. इसके अलावा, छोटे समाचार-पत्रों को तो इस शुल्क से पहले ही मुक्त कर दिया गया है । अब इस छूट को मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। बड़े समाचार-पत्र 1 प्रतिशत की मौजूदा दर से शुल्क देते रहेंगे ।

88. आशा है कि प्रस्तावों के इस वर्ग से एक वर्ष में कोई 30 करोड़ रुपए की निवल अतिरिक्त प्राप्ति होगी ।

89. अब मैं तम्बाकू उत्पादों पर आता हूं जिन पर आए साल बोझ पड़ता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जब भी सिगरेटों का मूल्य बढ़ता है तब सिगरेटों का मूल्यानुसार शुल्क बढ़ जाता है। अब मौजूदा दरों की श्रेणी में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया जा रहा है । ब्राण्ड वाली बीड़ियों के बारे में प्रस्ताव है कि एक रुपया प्रति हजार बीड़ी की मौजूदा शुल्क दर को बढ़ाकर दो रुपए प्रति हजार कर दिया जाए । अनुमान है कि इससे एक वर्ष में 45 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

90. सिनेमेटोग्राफ फिल्मों पर कर लगाने का वर्तमान तरीका प्रमुखरूप से फिल्म की लम्बाई और स्वरूप तथा प्रतियों की संख्या पर आधारित है । मैं इस आधार को बदल कर, मूल्य के आधार को अपनाते हुए, 10 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से संशोधित शुल्क लगाना चाहता हूं । यह अधिक उचित कसौटी है।

91. पिगमेंट, पेंट, एनेमल, वार्निश आदि पर इस समय जो मात्रानुसार शुल्क लगता है उसके स्थान पर मूल्यानुसार दर से शुल्क लगाने का प्रस्ताव है । इनको इस प्रकार समायोजित किया जा रहा है कि ऊंची लागत-वाली मदों जैसे तेल मिश्रित पेंट, एनेमल, प्लास्टिक एमल्सन और वार्निश पर शुल्क सामान्य रूप से लगभग 5 प्रतिशत की दर से बढ़ जाएगा जबकि सस्ती मदों जैसे कालिखों और सूखे डिस्टैंपर पर शुल्क में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। इन परिवर्तनों से एक वर्ष में 418 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है ।

92. मोटर यानों पर भी उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा रहा है। मोटर कारों पर शुल्क की दर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत से लेकर $17\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक बढ़ा दी जाएगी । इसी प्रकार दो पहिए वाले और तीन पहिए वाले मोटर यानों पर

शुल्क की दर 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12½ प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव है । चूंकि मैं मूल उपस्कर के रूप सप्लाई किए गए टायरों, ट्यूबों और बैटरियों को, साथ ही, उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं, इसलिए दो और तीन पहिए वाले यानों के लिए शुल्क में निवल वृद्धि लगभग 2¼ प्रतिशत की होगी । इन परिवर्तनों से साल में 5.1 करोड़ रुपए का निवल राजस्व प्राप्त होगा ।

93. अब मैं उत्पाद शुल्क घटाने या समाप्त करने के प्रस्तावों पर आता हूं । इससे लाभ पाने वाला पहला उद्योग हैंडलूम है । इस समय सिर्फ सीधे रील हैंकों में सप्लाई किया गया कोटन यार्न ही उत्पाद शुल्क से मुक्त है। अब क्रोस रील हैंकों में 20 एस० काउन्ट तक के कोटन यार्न को शुल्क मुक्त करने का प्रस्ताव है । यह भी प्रस्ताव है कि क्रोस रील हैंकों में सप्लाई किए जाने वाले इससे ऊंचे काऊन्ट के कोटन यार्न को भी 30 पैसे प्रति किलो ग्राम तक शुल्क मुक्त किया जाए । इसके अलावा मैं विसकोस स्पन यार्न के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की रिआयतें देने का प्रस्ताव करता हूं, क्योंकि इस समय हैंडलूम क्षेत्र में इस तरह के यार्न की काफी बड़ी मात्रा में खपत हो रही है ।

94. दूसरा लाभ पाने वाला उद्योग पावरलूम है । मैं उसे मौजूदा सम्मिश्रित उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं । ऐसा करने से लगभग 80,000 पावरलूम लाइसेन्सधारी उत्पाद शुल्क के नियंत्रण से मुक्त हो जाएंगे ।

95. हैंडलूम और पावरलूम कपड़ों को उत्पाद शुल्क देना पड़ता है जब उन पर कई तरह के परिष्करण की प्रक्रिया कर दी जाती है, लेकिन अगर विरंजन, रंगाई और छपाई बिजली की सहायता के बिना की गई हो तो उन्हें छूट दी जाती है । यह प्रस्ताव किया गया है कि अब यह छूट बिजली की सहायता के बिना किए गए और सभी तरह के परिष्करण जैसे स्टैंटरिंग और मार्सिराइजिंग के लिए भी दी जाए ।

96. यार्न क्रिंपिंग उद्योग आज अत्यधिक क्षमता की वजह से पीड़ित है और क्रिम्प्ड यार्न और बेस यार्न की कीमतों के बीच जो अन्तर है उसके कारण वर्तमान शुल्क की दर को कायम नहीं रखा जा सकता । इसलिए क्रिम्प्ड यार्न पर शुल्क को 10 रुपए प्रति किलोग्राम से घटा कर 5 रुपए प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव है ।

97. मैं पानी पंप करने वाले पावर पंपों पर लगने वाले शुल्क को 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करने और पावर टिलरों को सामान्य उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं । ये दोनों रिआयतें छोटे किसानों के लिए खासतौर से लाभदायक सिद्ध होंगी ।

98. कागज की छोटी मिलें कठिनाई के दौर से गुजरती रही हैं—यहां तक कि कुछ मिलें बंद भी हो गई हैं । इसलिए मैं इन मिलों द्वारा उत्पादित कागज पर लगने वाले शुल्क को कम करने का प्रस्ताव करता हूं । यह राहत मिल की संस्थापित क्षमता के आधार पर लगाए जाने वाले उत्पाद-शुल्क के 75 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक क्रमिक आधार पर दी जाएगी । यह रिआयत तभी दी जाएगी जब मिल कम से कम 50 प्रतिशत तक अपरम्परागत कच्चे माल और रद्दी कागज का उपयोग करेगी । कागज की अपेक्षाकृत बड़ी मिलें भी जब कम से कम 50 प्रतिशत तक अपरम्परागत कच्चे माल का उपयोग करेंगी तब उन पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क में 33⅓ प्रतिशत की दर से छूट दी जाएगी । इस रिआयत का उद्देश्य तेजी से कम हो रहे इमारती लकड़ी के साधनों को सुरक्षित रखना है ।

99. दियासलाई उद्योग में छोटे कुटीर एककों को अपेक्षाकृत बड़े एककों के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । इन एककों में से ऐसे एककों को सहायता देने के लिए जो पंजीकृत सहकारी समितियों के सदस्य हों अथवा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस रूप में प्रमाणित किए गए हों, मैं एक ग्रूस दियासलाई की डिब्बियों पर 55 पैसे की मौजूदा रियायत को दोगुना कर देने का प्रस्ताव करता हूं । मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि इन एककों में रोजगार देने की बड़ी क्षमता है ।

100. इस्पात के छोटे-छोटे कारखाने भी कठिनाई में हैं। उनकी स्थिति तभी सुधारी जा सकती है जबकि उन्हें इस्पात के मुख्य कारखानों से, उत्पाद-शुल्क की अदायगी किए बिना, गलाने के लिए इस्पात की नई छीजन

उपलब्ध की जाएगी । ग्रतः मैं इस्पात के मुख्य कारखानों से इस्पात के छोटे-छोटे कारखानों में गलाने के लिए कच्चे माल के रूप में निकाली गई इस्पात की पहचानने योग्य किस्म की नई छीजन को उत्पाद-शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं ।

101. बिजली के इंसुलेटिंग टेपों ग्रौर स्लाटेड एंगलों से कम राजस्व प्राप्त होता है ग्रौर इसके ग्रलावा वह ग्रनेक छोटे-छोटे उत्पादकों से इकट्ठा किया जाता है । इसलिए मैं इन वस्तुग्रों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ के ग्रन्तर्गत विशिष्ट वस्तुग्रों की सूची सें से निकाल देने का प्रस्ताव करता हूँ ।

102. उबली हुई मिठाइयों, टाफियों, मिश्री ग्रादि का उत्पादन घटता जा रहा है । चीनी, जो इन चीजों के लिए बुनियादी कच्चा माल है, उस पर तथा मिष्ठान्न उद्योग सें उपयोग किए जाने वाले पैकिंग कागज ग्रौर डिब्बों पर पहले से ही बहुत ज्यादा उत्पाद-शुल्क लगा हुग्रा है । इसलिए मैं इन मिठाइयों को भी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ के ग्रन्तर्गत विशिष्ट वस्तुग्रों की सूची से काट देने का प्रस्ताव करता हूं ।

103. हमारे उद्योगों सें इलेक्ट्रानिक उद्योग एक विकासशील ग्रौर होनहार उद्योग है ग्रौर लघु उद्योगों के क्षेत्र के ग्रन्तर्गत इस उद्योग में विकास की भारी गुंजाइश है । विभिन्न प्रकार की प्रस्तावित रिग्रायतों का उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सहायता दी जाए । इस समय इलेक्ट्रानिक की वस्तुग्रों पर ग्रलग-ग्रलग ग्राधार पर शुल्क लगता है; कुछ वस्तुग्रों पर मात्रानुसार शुल्क तथा कुछ ग्रन्य वस्तुग्रों पर मूल्यानुसार शुल्क लगता है । ग्रब इन सभी मदों पर मूल्यानुसार शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव है । रेडियो ग्रौर ट्रांजिस्टर सेट, टेप रिकार्डर, टेप रिकार्डर एवं रेडियो, स्टीरियो तथा हाइफाइ संगीत यंत्र का उत्पादन करने वाले बड़े निर्माता, वस्तु तथा कारखाना कीमत के ग्राधार पर 15 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक मूल्यानुसार उत्पाद-शुल्क की ग्रदायगी करेंगे । छोटे निर्माताग्रों को उत्पाद-शुल्क में मूल्यानुसार 15 प्रतिशत की दर से रिग्रायत देने का प्रस्ताव है । इसका ग्रर्थ यह है कि वे मूल्यानुसार शून्य से लेकर 20 प्रतिशत तक की दर से उत्पाद-शुल्क देंगे ।

104. ग्रनुभव से पता चला है कि यदि उत्पाद-शुल्क के ढांचे को न्यायसंगत तरीके से समायोजित किया जाए तो उससे इलेक्ट्रानिक वस्तुग्रों के निर्माताग्रों को ग्रपनी वस्तुग्रों की कीमतें कम करने के लिए जोरदार प्रोत्साहन मिलता है । हम ग्रनुभवजन्य इस प्रयोग को ग्रौर ग्रागे जारी रखने का प्रस्ताव करते हैं । दूरदर्शन सेटों के मामले में ग्रब से 5 प्रतिशत की रिग्रायती दर उन्हीं सेटों पर लगू होगी जिनका स्क्रीन 36 सेंटीमीटर से ग्रधिक होगा ग्रौर जिनकी कारखाना कीमत 1800 रुपए की मौजूदा सीमा के स्थान पर 1600 रुपए ग्रथवा इससे कम होगी । टेप लेरिकार्डरों के मामले सें रिग्रायती दर तभी लगू होगी जब उनकी कारखाना कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी । इलेक्ट्रानिक केलक्युलेटरों के मामले सें भी रिग्रायती दर उन केलक्युलेटरों पर लागू होगी जिनकी कारखाना कीमत 175 रुपए से ज्यादा नहीं होगी ।

105. ग्रब मैं, उत्पाद-शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के बारे में ग्रपने प्रस्तावों की व्याख्या करता हूं । इस समय हम कई छोटे-छोटे कताई करने वालों से ऊनी धागे पर उत्पाद-शुल्क इकट्ठा करते हैं । इससे कर ग्रपवंचन ग्रौर कई तरह के दुष्कर्म होते हैं । ग्रतः ऊनी धागे पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क के स्थान पर कच्ची ऊन, रद्दी ऊन ग्रौर चिथड़ों के ग्रायात पर लगने वाले सीमाशुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा जाता है । ऊन टापों के सम्बन्ध में भी, इस बात को ध्यान सें रखते हुए कि कर का कम से कम ग्रपवंचन हो उत्पाद-शुल्क की दर को प्रति किलोग्राम 10 रुपिए से घटा कर प्रति किलोग्राम 5 रुपए कर देने ग्रौर इस कमी को कच्ची ऊन पर ग्रायात शुल्क बढ़ा कर पूरा करने का प्रस्ताव है । इन दोनों उपायों से वे ऊनी कपड़े सस्ते हो जाएंगे जिनमें देसी ऊन का प्रयोग किया जाता है ।

106. इस्पात के ग्रधिकतर रीरोलर ऐसे बार, राड ग्रौर एंगल ग्रादि तैयार करते हैं जिन पर, डालों पर पहले ही ग्रदा किए गए शुल्क के ग्रलावा, 130 रुपए प्रति मेट्रिक टन की दर से उत्पाद-शुल्क लिया जाता है । 130 रुपए प्रति मेट्रिक टन की इस शुल्क दर को रीरोलरों पर न लगा कर, इन्हे बनाने वालों ग्रर्थात् मुख्य इस्पात कारखानों ग्रथवा छोटे इस्पात कारखानों पर लगाने का प्रस्ताव है ।

107. सूती धागे पर उत्पाद-शुल्क लगाने की मौजूदा योजना एक खंड पद्धति पर आधारित है, जहां कई काऊंटों को एक साथ मिला दिया गया है, और जब सूत का काऊंट एक खंड से बढ़ कर दूसरे खंड में आ जाता है तब उत्पाद-शुल्क की दर तेजी से बढ़ जाती है । शुल्क के इस ढांचे की वजह से ऊंची दर पर शुल्क की अदायगी से बचने की प्रक्रिया के अन्तर्गत सूत की कताई कम होती है और इस तरह रूई का दुरुपयोग होता है । इस सम्बन्ध में कर अपवंचन को रोकना भी आसान नहीं है । जहां सूत के काऊंट में प्रत्येक यूनिट के बढ़ जाने पर शुल्क दर धीरे-धीरे बढ़ जाती है वहां इन त्रुटियों को दूर करने के लिए नई दर अनुसूची लागू करने का प्रस्ताव किया गया है । नई दरों में आधा पैसा प्रति काऊंट के हिसाब से शुल्क शामिल है जिसका प्रयोजन सरकार के उस घाटे को पूरा करना है जो उसे पावरलूमों और हैंडप्रोसेसरों को शुल्क मुक्त कर देने के कारण है, जिसका उल्लेख मैंने पहले किया है । व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने के एक और उपाय के रूप में, विस्कोस के कते हुए सूत (यार्न) पर उत्पाद शुल्क इन्हीं दरों से लगाया जाएगा, जिन दरों से रुई के सूत पर उत्पाद-शुल्क लगाया जाता है ।

108. पिछले वर्ष सूती कपड़ों पर मूल्यानुसार दरों पर कर लगाए जाने की प्रणाली लागू की गई थी । कर की दरें, कपड़े में इस्तेमाल किए गए सूत के काऊंट के अनुसार अलग-अलग थीं । इस व्यवस्था को युक्ति-संगत बनाने के लिए, मेरा विचार मूल्यानुसार कराधान करने का है, चाहे सूत का काऊंट कुछ भी क्यों न हो और इस व्यवस्था में काफी ज्यादा वृद्धिशीलता का तत्व भी अंतर्निहित होगा । शुल्कों का यह ढांचा इस तरह से तैयार किया गया है कि सूती कपड़े तथा सूत से लगभग उतना ही राजस्व प्राप्त हो, जितना कि इस समय, इन वस्तुओं से कुल मिलाकर एकत्रित किया जाता है ।

109. जहां तक पावरलूमों से तैयार किए गए कपड़े का सम्बन्ध है, इस पर तभी छूट मिलेगी जब इसे धूसर रूप में ही बेच दिया जाएगा अथवा इसका परिष्करण हैंडप्रोसेसरों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन जब परिष्करण का कार्य बिजली चालित प्रोसेसरों से किया जाएगा, तो शुल्क की दर, मिल के कपड़े के सम्बन्ध में लागू होने वाली सूत तथा कपड़ा सम्बन्धी मिली जुली दर के 50 प्रतिशत के बराबर होगी ।

110. सूत तथा कपड़े की नामकरण पद्धति और वर्गीकरण के सम्बन्ध में भी एक और बड़ा सुधार करने का विचार है । आगे से, सूत अथवा कपड़े को साधारणतः उस रेशे (फाइबर) के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, जो वजन के हिसाब से प्रमुखता रखता है । नई प्रणाली अपेक्षाकृत सरल होगी और इससे बहुत-सी व्यावहारिक कठिनाइयां दूर हो जाएंगी । इसके अलावा, कुल फाइबर में उसके छठे भाग तक पोलियेस्टर फाइबर के समिश्रण से सूत का वर्गीकरण नहीं बदलेगा । इससे वस्त्र उद्योग और ज्यादा पोलियेस्टर फाइबर का इस्तेमाल कर सकेगा और तैयार सूत पर और ज्यादा शुल्क भी नहीं लगेगा । उसके साथ ही इससे उस बहु-तंतुक (मल्टी फाइबर) नीति को भी समर्थन मिलेगा जिसका विकास सरकार कर रही है ।

111. छठें वित्त आयोग की सिफारिशों को सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के परिणाम स्वरूप, 1976-77 से सहायक उत्पाद शुल्कों की रकम भी राज्यों के साथ उसी प्रकार से बांट ली जाएगी जिस तरह से आधारिक उत्पाद शुल्कों की रकम को विभाजित किया जाता है । अतः सहायक शुल्कों को अलग से लगाने का औचित्य अब नहीं रहा है । कर ढांचे को सरल बनाने और अनावश्यक हिसाब-किताब करने की प्रक्रिया को समाप्त करने के उद्देश्य से, मैंने सहायक उत्पाद शुल्कों को आधारिक उत्पाद शुल्कों के साथ मिला देने का फैसला किया है ।

112. मैंने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ में भी कई मामूली परिवर्तन किए हैं जिनका यहां पर मैं विस्तार से उल्लेख नहीं करूंगा । किन्तु बजट पत्रों में, निस्संदेह, इन परिवर्तनों का पूरा ब्योरा दिया गया है ।

113. अनुमान है कि अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों से एक वर्ष में 106.3 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी । जो कुल रिआयतें दी गई हैं उनके आधार पर एक वर्ष में 15.7 करोड़ रुपए की रकम नहीं मिलेगी । इस प्रकार अनुमान है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों में 90.6 करोड़ रुपए की निवल वार्षिक वृद्धि होगी । लेकिन ऊन के धागे तथा ऊन पर लगने वाले शुल्क को आयात के क्षेत्र में अंतरित कर दिए जाने के कारण, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शीर्षक से सीमा शुल्क शीर्षक के अन्तर्गत 17.0 करोड़ रुपए का अन्तरण होगा और इस प्रकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शीर्षक के अन्तर्गत 73.6 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि होगी । इसमें से, पूरे वर्ष में केन्द्र को 53.8 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा जबकि राज्यों का हिस्सा 19.8 करोड़ रुपए का होगा ।

114. आखिर में मैं सीमा शुल्कों की ओर आता हूं जिनके बारे में मुझे थोड़े से ही प्रस्ताव पेश करने हैं। हमारे देश में घड़ियों का जो उत्पादन होता है, उससे घरेलू मांग की अच्छी तरह से पूर्ति नहीं होती । सब जानते हैं कि इसके परिणामस्वरूप, काफी बड़ी तादाद में विदेशी घड़ियां देश में चोरी छिपे लाई जाती हैं। इसी बात को देखते हुए, सरकार ने हिन्दुस्तान मशीनटूल्स लिमिटेड की मारफत घड़ियों के आयात की अनुमति देकर बाकी की कमी को पूरा करने का फैसला किया है । इस ध्येय से कि देश में तैयार की गई घड़ियां और आयातित घड़ियां जनता को मुनासिब कीमतों पर उपलब्ध हो सकें, मैं घड़ियों के पुर्जों पर तथा घड़ियों पर आयात शुल्क को, 120 प्रतिशत मूल्यानुसार से कम करके, 50 प्रतिशत मूल्यानुसार कर रहा हूं ।

115. मैं अखबारी कागज पर भी आयात शुल्क को 5 प्रतिशत मूल्यानुसार से कम करके 2 1/2 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव कर रहा हूं ।

116. मैं अब कुछ ऐसे प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जिनका उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और देश के उद्योग धन्धों की प्रतियोगितात्मक क्षमता में वृद्धि करना है । कुछ हद तक प्रतियोगितात्मक तत्व का समावेश करने के लिए यह विचार है कि देशी दृष्टिकोण से पूर्ववर्ती छानबीन किए बिना ही पूंजीगत वस्तुओं की कुछ चुनी हुई मदों के आयात की अनुमति दे दी जाए । इसी के साथ साथ, इस उद्देश्य से कि भारतीय पूंजीगत वस्तु उद्योग विदेशी प्रतियोगिता का और ज्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से मुकाबला कर सकें, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कुछ बड़े आकार के बिजली के मोटरों, जनित्रों तथा ट्रांसफार्मरों के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली तांबे की तार-छड़ों के आयात शुल्क की दरों की 5,600 रुपया प्रति मैट्रिक टन सहित 45 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से घटा कर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए । इसी प्रकार खण्डी प्रक्रिया से तैयार की जाने वाली "नान-ग्रेन-ओरिएण्टिड" चद्दरों, मिश्र इस्पात, औजारी इस्पात, विशेष इस्पात, और हाई कार्बन इस्पात के शुल्क की दर को भी 75 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का विचार है । इसके अलावा, स्टेनलैस स्टील की प्लेटों, चद्दरों तथा 16 गेज की या और मोटी पट्टियों (स्ट्रिपों) पर, जिनका इस्तेमाल पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है और जिन पर गेज के अनुसार इस समय 120 प्रतिशत या 320 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है, केवल 40 प्रतिशत आयात शुल्क लिए जाने का विचार है । बर्तनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 22 गैज के या उससे भी पतले स्टेनलैस स्टील पर, जिस पर इस समय 320 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है, केवल 120 प्रतिशत आयात शुल्क लिया जाया करेगा । आयातित उत्पादों की री-रोलिंग की संभावना को हिसाब में लेते हुए, मध्यवर्ती गेजों के सम्बन्ध में शुल्कों की अलग अलग दरें निर्धारित करने का विचार है । अनुमान है कि आयात के वर्तमान स्तर के अनुसार, तांबे तथा इस्पात की इन वस्तुओं के शुल्कों में की गई कमी से 36.25 करोड़ रुपए के राजस्व की कमी होगी ।

117. सीमा शुल्कों में जिन वृद्धियों के प्रस्ताव मैंने किए हैं उनके परिणामस्वरूप वर्ष भर में 15.5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी । जो राहत दी गई है वह एक वर्ष में 37.7 करोड़ रुपए की होगी जिसके परिणामस्वरूप 22.2 करोड़ रुपए की निवल कमी होगी । लेकिन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शीर्षक से सीमा शुल्क शीर्षक के अन्तर्गत जो 17 करोड़ रुपए का अंतरण किया गया है उसको हिसाब में लेने से, इन बजट प्रस्तावों से सीमा शुल्क राजस्व में एक वर्ष में कुल मिला कर 5.2 करोड़ रुपए की कमी होगी ।

118. संघीय उत्पाद शुल्कों तथा सीमा शुल्कों, दोनों, से केन्द्र को एक वर्ष सें कुल मिला कर 48.6 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होगी । चालू बित्तीय वर्ष के शेष भाग में 38.2 करोड़ रुपए की आमदनी होगी ।

119. मेरे प्रस्तावों से चालू वर्ष में केन्द्र के लिए कुल मिलाकर 130 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी । मैंने जिस 202 करोड़ रुपए के घाटे का पहले उल्लेख किया है वह इस प्रकार घटकर 72 करोड़ रुपए रह जाएगा । यह अपेक्षाकृत छोटी रकम है और इससे कोई स्फीतिकारी प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

उपसंहार

120. इसके साथ ही मैं अपने श्रमसाध्य कार्य की समाप्ति पर पहुंच गया हूं । इस बजट को तैयार करने सें मेरा उद्देश्य यही रहा है कि उत्पादन तथा रोजगार की वृद्धि की अधिक ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को प्रेरणा मिले और इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आर्थिक प्रगति के फल भी, जहां तक संभव हो,

ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राप्त हों । इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि, लघु तथा ग्राम उद्योग और आधार-भूत ग्रामीण ढांचे में पूंजी-निवेश पर बल दिया गया है । मैंने जो कर प्रस्ताव रखे हैं, उनका आशय राष्ट्रीय बचत को बढ़ाना है, और साथ ही आय तथा धन सम्बन्धी विषमताओं को कम करने में कर व्यवस्था की भूमिका को सुदृढ़ करना है । मैंने अदना आदमी के लिए--चाहे वह किसान हो, कारीगर हो अथवा टेकनोक्रेट हो--और ज्यादा व्यापक अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में खास ध्यान रखा है । यह कहना तो व्यर्थ होगा कि हम एक ही प्रयास में अपने देश के विशाल जन समूह की प्रसुप्त शक्ति का सम्पूर्ण उपयोग कर सकते हैं । किन्तु शुरुआत तो करनी ही थी । मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि इस बजट में यह शुरूआत कर दी गई है ।

121. मेरे दल ने आजादी पर बल दिया है । लेकिन आजादी का मतलब यह नहीं है कि किसी को भूखों मरने अथवा अवांछित महसूस करने की छूट प्राप्त है । व्यापक गरीबी तथा बेरोजगारी उन लोगों को नीचे गिराती है जिनको यह झेलनी पड़ती है और उन व्यक्तियों को नीच बनाती हैं जो इन्हें सहन कर जाते हैं । हमारा यह कर्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि ये दोनों बलाएं जल्दी से जल्दी खत्म कर दी जाएं । हमारे सामने एक लम्बा और कठिन मार्ग है । लेकिन इस बात में कुछ भी सन्देह नहीं है कि हम अपने ध्येयों और आदर्शों को पूरा करने के लिए बचनबद्ध हैं । मुझे विश्वास है कि हम ठीक रास्ते पर हैं और यह बजट इस ठीक रास्ते पर उठाया गया हमारा पहला कदम है, चाहे यह कदम छोटा ही क्यों न हो ।

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977

FINANCE (NO. 2) BILL, 1977

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्तुत करता हूं कि वित्तीय **वर्ष** 1977-78 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा स्थगित होती है । हम कल 11 बजे पुनः मिलेंगे ।

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 18 **जून,** 1977/28 **ज्येष्ठ,** 1899 **(शक) के** 11 **बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, June 18, 1977/ Jyaistha 28. 1899 (Saka).

441LSS/77—GIPF.